उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

B.Ed.E-10
(जेण्डर, विद्यालय एवं समाज)
Gender, School and Society

विषय सूची

खण्ड 1

जेडर : सम्प्रत्यय एवं मुद्दे 3

इकाई 1	जेण्डर का सम्प्रत्यय, लिंग और लैंगिकता, जेण्डर के प्रकार	5
इकाई 2	जेण्डर के सम्बन्ध में शिक्षा में समता और समानता	22
इकाई 3	जेण्डर पूर्वाग्रह : जेण्डर पूर्वाग्रह की अवधारणा, जेण्डर पूर्वाग्रह के कारक और जेण्डरपूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय	45

खण्ड 2

जेण्डर अध्ययन : प्रतिमान बदलाव 63

इकाई 4	जेण्डर अध्ययन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	65
इकाई 5	जेण्डर अध्ययन के सिद्धांत	76
इकाई 6	जेण्डर अध्ययन के प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक	87

खण्ड 3

जेण्डर, शक्ति और शिक्षा 97

इकाई 7	लैंगिक पहचान और सामाजिक प्रथाएं	99
इकाई 8	लड़कियों की शिक्षा में असमानता	119
इकाई 9	महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार	132

खण्ड 4

पाठ्यचर्या में जेण्डर के मुद्दे 149

इकाई 10	पाठ्यचर्या में जेण्डर असमानता	151
इकाई 11	विद्यालय में जेण्डर समानता : आवश्यकता एवं रणनीतियाँ	158
इकाई 12	महिला शिक्षा से सम्बन्धित समितियाँ और आयोग	166

खण्ड 5

महिला सशक्तिकरण 179

इकाई 13	महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, रणनीतियाँ और मुद्दे	181
इकाई 14	वर्तमान सामाजिक संरचना और बालिका शिक्षा	205
इकाई 15	महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एवं समाज की भूमिका	225

B.Ed. E- 10 : Gender, School and Society
(जेण्डर, विद्यालय एवं समाज)
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रोफेसर सत्यकाम	कुलपति, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विशेषज्ञ समिति

प्रोफेसर पी० के० स्टालिन	निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर पी० के० पाण्डेय	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर छत्रसाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर के० एस० मिश्रा	पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर धनन्जय यादव	विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ० जी० के० द्विवेदी	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ० दिनेश सिंह	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ० सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक

कौमुदी शुक्ला	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई– 1,2,3)
डॉ० बाल गोबिन्द सिंह	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई– 4,5,6,10,11,12)
डॉ0 कंचन	सह आचार्य, समाजशास्त्र, स्वामी करपात्री जी महराज राजकीय पी.जी.कॉलेज,रानीगंज, प्रतापगढ़ (इकाई– 7,8,9)
डॉ० शालिनी सिंह	सहायक आचार्य, बी.एड. विभाग, शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला पी.जी.कॉलेज, मेरठ (इकाई–13,14,15)

सम्पादक

डॉ0 दिनेश सिंह	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 01 से 07)
डॉ0 सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 08 से 15)

परिमापक

प्रोफेसर छत्रसाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 01 से 07)
डॉ० जी० के० द्विवेदी	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 08 से 15)

समन्वयक

डॉ० सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

मुद्रित– अक्टूबर, 2024

@उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज – (2024)

ISBN : 978-93-48270-11-5

सर्वाधिक सुरक्षित। इस पाठ्य सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से श्री विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, 2024.

मुद्रक – के0 सी0 प्रिटिंग एण्ड एलाइड वर्क्स, पंचवटी, मथुरा – 281003.

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

B.Ed.E-10
(जेण्डर, विद्यालय एवं समाज)
Gender, School and Society

खण्ड– 01

जेण्डर : सम्प्रत्यय एवं मुद्दे

इकाई 1	जेण्डर का सम्प्रत्यय, लिंग और लैंगिकता, जेण्डर के प्रकार	5
इकाई 2	जेण्डर के सम्बन्ध में शिक्षा में समता और समानता	22
इकाई 3	जेण्डर पूर्वाग्रह : जेण्डर पूर्वाग्रह की अवधारणा, जेण्डर पूर्वाग्रह के कारक और जेण्डर पूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय	45

खण्ड 01 : जेण्डर : अवधारणाएँ और मुद्दे

खण्ड परिचय

किसी भी राष्ट्र की पहचान वहाँ की सभ्यता एवं सस्कृति से होती है। व्यक्ति समाज द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं एवं नियमों के अनुसार कार्य करता है। प्राचीन काल से ही यह समाज पुरूष एवं स्त्री के द्वारा किए गये कार्यों से न केवल अपनी अपितु राष्ट्र की पहचान बनाने में अपना अतुलनीय योगदान देता आ रहा है। समाज में यदि अच्छाई है तो बुराई अवश्य होगी। आज भी समाज का कुछ वर्ग पुरानी मान्यताओं एवं परम्पराओं पर विश्वास कर आगे बढ़ रहे है, जो समाज के लिए उपयुक्त नही है। लैंगिक विभेद के कारण स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत अभी भी अच्छी नही है। प्रस्तुत खण्ड में लिंग अवधारणाएँ और मुद्दों से सम्बन्धित विषयों को तीन इकाईयों में वर्गीकृत किया गया है।

इकाई 01 : जेण्डर की अवधारणाएँ, लिंग (सेक्स) और लैंगिकता, लिंग के प्रकार

इस इकाई के अन्तर्गत लिंग क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, लिंग का विभेद सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जैविकिय आधार पर विवेचित किया गया है। इसके साथ ही लिंग, लैंगिकता व सेक्स की विशेषताएँ, लिंग और सेक्स में अन्तर तथा लिंग के प्रकारो का विस्तृत वर्णन इस इकाई के अन्तर्गत किया गया है।

इकाई 02 : जेण्डर के सम्बन्ध में शिक्षा में समता और समानता

धरा पर मानव के अवतरण के बाद से ही समानता के सम्बन्ध में बहस छिड़ी हुयी है। पुरूष प्रधान समाज में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त नही थे। वर्तमान में संविधान स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस इकाई में समता एवं समानता के अर्थ, संविधान में समानता बढाने हेतु किए गये प्रावधानों लैंगिक समानता के लिए शैक्षिक नीतियों, लैंगिक विभेदों को समाप्त करने सम्बन्धी राष्ट्रीय नीतियों इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की गई है।

इकाई 03 : जेण्डर पूर्वाग्रह– अवधारणा, जेण्डर पूर्वाग्रह के कारक और दूर करने के उपाय

प्रस्तुत इकाई में समाज का लड़कियों के प्रति अच्छी भावना का न होना, लड़कियों की शिक्षा, खान–पान इत्यादि के सम्बन्ध में लड़कों की अपेक्षा कम व्यवस्था प्रदान करना इत्यादि समाज में ऐसी धारणा घर कर गई है कि लड़कियों के ऊपर खर्च करना उपयुक्त नहीं है क्यों कि विवाह के पश्चात् ये अपने धर चली जायेगी। पुरूष ही स्त्रियों से श्रेष्ठ है, ये ही कुल के गौरव है। इस प्रकार की मानसिकता से लड़कियाँ उपेक्षित हुयी तथा उन्हें समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हुआ। प्रस्तुत इकाई में जेण्डर पूर्वाग्रह की अवधारणा, जेण्डर पूर्वाग्रह के कारण, जेण्डर पूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय तथा जेन्डर पूर्वाग्रह की विस्तृत चर्चा की गई है।

इकाई – 1 : जेण्डर की अवधारणा, लिंग और लैंगिकता, जेण्डर के प्रकार

इकाई की संरचना

1.1 प्रस्तावना

1.2 इकाई के उद्देश्य

1.3 जेण्डर की अवधारणा

1.3.1 जेण्डर का अर्थ एवं परिभाषा

1.4 लिंग की अवधारणा

1.5 लिंग का क्रम

1.6 लैंगिकता

1.6.1 असमलैंगिकता

1.6.2 विषम लैंगिकता

1.6.3 समलैंगिकता

1.6.4 उभयलैंगिकता

1.6.5 अलैंगिकता

1.7 लिंग और जेण्डर में अंतर

1.8 लिंग की विशेषताएं

1.9 लिंग के पारंपरिक अभिलक्षण

1.10 पितृसत्तात्मक पुरुषत्व एवं नारीत्व का संप्रत्यय

1.10.1 पितृसत्तात्मक

1.10.2 पुरुषत्व

1.10.3 नारीत्व

1.11 जेण्डर के प्रकार

1.11.1 पुल्लिंग

1.11.2 स्त्रीलिंग

1.11.3 उभयलिंग

1.11.4 नपुंसकलिंग

1.12 सारांश

1.13 अभ्यास के प्रश्न

1.14 चर्चा के बिन्दु

1.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

संसार और मनुष्य का जीवन निरंतर चलायमान है। इसके साथ ही मानव सभ्यता भी चलायमान है। अनादि काल से ही मनुष्य अलग–अलग विषयों पर अपना विचार प्रस्तुत करता आ रहा है। जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से मानव को दो श्रेणियों या दो लिंगों पुरूष और स्त्री में वर्गीकृत किया गया है। इन दोनों को जीवन रूपी रथ के दो पहियों से तुलना की गयी हैं और कहॉ गया है जिस प्रकार से एक पहिये के द्वारा रथ ठीक ढ़ंग से नहीं चल सकता है उसी प्रकार स्त्री या पुरूष में से एक के न होने से जीवन रूपी रथ ठीक से नहीं चल सकता है।

यह सोचने का विषय है कि स्त्री का स्थान ऊंचा है या पुरुष का अथवा दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। हमारी सनातनी व्यवस्थाओं में स्त्री को शक्ति, ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक माना गया था। पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। लिंग की अवधारणा के आधार पर प्राचीन समय में इसे स्त्री पुरुष में अन्तर का पहचान माना जाता था परन्तु वर्तमान समय में समय के साथ इन्सान की सोंच परिवर्तित हुई और लिंग को कई अर्थों में प्रयोग किया जाने लगा। विज्ञान ने जैविकीय संरचना के आधार पर लिंग के अर्थ को प्रस्तुतकिया। प्रस्तुत इकाई में लिंग की अवधारणा, उसके अर्थ, उसके प्रकार, पहचान, के साथ लिंग और लैंगिकता के सम्बन्ध में चर्चा की गई है।

1.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जाएंगे कि–

1. जेण्डर की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
2. लिंग और लैंगिकता में अंतर को समझ कर उसे अभिव्यक्त कर सकेंगे।
3. जेण्डर के प्रकार को समझते हुए उसे आत्मसात कर सकेंगे।
4. लिंग की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
5. जेण्डर, लिंग एवं लैंगिकता में सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे।

1.3 जेण्डर की अवधारणा

जेण्डर से आशय लड़की, महिला, लड़का, पुरुष तथा लिंग में भिन्नता वाले व्यक्तियों के सामाजिक मान्यताओं के द्वारा प्रदत्त भूमिकाओं, व्यवहारों, अभिव्यक्तियों और पहचान से जुड़ी हुई है। जेण्डर स्त्री–पुरुष में एक विभेद का माध्यम है। वह लिंग के आधार पर जैविकीय बनावट के आधार पर पहचान कर बताई जा सकती है। जेण्डर को ही बहुत बार हम लिंग के नाम से भी बोल देते है जिसका आशय केवल सेक्स से नहीं है अपितु अमुख व्यक्ति लड़का है या लड़की इसको इंगित करने हेतु एक शब्द है जैसे लड़की है तो स्त्रीलिंग लड़का है तो

पुल्लिग। जैवकीय संरचना के आधार पर भी लड़के–लड़कियों को उनके शारीरिक बनावट, बोलचाल, हाव–भाव, परिधान इत्यादि के आधार पर अभिव्यक्त किया जाता है। समाज के द्वारा पूरी की जाने वाली भूमिकाओं और व्यक्तियों से की जाने वाली अपेक्षाओं, दूसरों के साथ के सम्बन्धों और लिंग शब्दावली की जटिलता के कारण लिंग शब्द को समझने, अनुभव करने, उसे व्याख्यायित करने के माध्यमों में अत्यधिक विविधता है।

लिंग को समझने के कुछ महत्वपूर्ण घटक है लिंग को पहचान के आधार पर अभिव्यक्त किया जाता है। लिंग को पहचानना वह माध्यम है जिसके आधार पर स्वयं के स्तर से अपने लिंग को पहचानते हैं। हम अपने लिंग की अभिव्यक्ति कपड़ों, शारीरिक बनावट, व्यवहार, आचरण आदि के द्वारा समाज के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं।

लिंग एक व्याकरणीय अवधारणा है जो शब्दों के सम्बन्ध में उनकी पहचान और व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। व्याकरण के अन्तर्गत लिंग को शब्दों की प्रकृति, लडकी या लड़का के रूप में पहचाना जाता है। यह शब्द के विभाजन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो लिंग का अर्थ और रूपांतरण निर्धारित करता है।

जेण्डर महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों एवं लड़कों की समाज के द्वारा बनाई गई विशेषताओं को वर्णित करता है। इसमें महिला, पुरुष, लड़की, अथवा लड़का होने के साथ उससे सम्बन्धित मानदंड, व्यवहार और भूमिकाएं साथ ही एक दूसरे के साथ संबंध भी शामिल है। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग समाज से समाज में भिन्न होता है और समय के साथ बदल सकता है। लिंग से तात्पर्य व्यक्ति की जैविक विशेषताओं से है पुरुष, महिला और अंतरलिंगीय प्रजनन अंग हार्मोन और गुणसूत्र।

जेण्डर सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिकाओं और विशेषताओं पर आधारित है जो मुख्यतया स्त्रीत्व व पुरुषत्व के विचारों एवं भावनाओं से जुड़ा है। यह उन शब्दों का रूप होता है जिनसे स्त्री और पुरुष में अंतर किया जा सकता है जब यह स्त्री एवं पुरुष होने का बोध कराते हैं तब उन्हें जेण्डर कहा जाता है।

1.3.1 जेण्डर का अर्थ एवं परिभाषा

जेण्डर से आशय है स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए समाज के द्वारा बनाई गई विशेषताएं उदाहरण स्वरूप ये निम्नवत् वर्णित है –

1. मानदंड
2. भूमिकाएं
3. स्त्री और पुरुष के समूहों के मध्य सम्बन्ध

ये सभी विभिन्न समाजों में भिन्न–भिन्न होती है। जेण्डर की अवधारणा में मुख्य रूप से पांच तत्व सम्मिलित होते हैं–

1. सम्बन्धपरक
2. पदानुक्रमित
3. ऐतिहासिक
4. प्रासंगिक
5. संस्थागत

संसार में व्यक्ति पुरुष या महिला के रूप में जन्म लेता है। इन्हें संसार में जन्म लेने के बाद उचित मानदंड और व्यवहार सिखाए जाते हैं कि उन्हें घर, परिवार, समुदाय और कार्य स्थलों पर सामान एवं विपरीत लिंग अर्थात पुरुष का पुरुष के साथ, महिला का महिला के साथ तथा पुरुष के साथ महिला का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं समान लिंग या विपरीत लिंग के साथ कैसे व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। जब व्यक्ति या समूह के द्वारा समाज में मान्य नियमों या मानदंडों की कसौटी पर उनके व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होते तब ऐसी स्थिति में उन्हें कलंक, भेदभावपूर्ण व्यवहारों एवं प्रथाओं अथवा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति महिला या पुरुष के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

जेण्डर एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों को नियंत्रित करता है। जेण्डर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, गतिविधियों एवं अनुभवों के आधार में विभेद को दर्शाता है। जेण्डर समाज द्वारा बनाए गए मान्य नियमों के अनुसार उन भूमिकाओं को करने के लिए दिशा प्रदान करते हैं जो एक स्त्री और पुरुष को करने के लिए निर्दिष्ट होता है। इस प्रकार की कार्य शैली अथवा भूमिकाएं देश, समाज एवं काल की विभिन्न संस्कृतियों में समय के साथ परिवर्तन होने से परिवर्तित होती रहती हैं।

जेण्डर को पूर्णतया परिभाषित करना सम्भव नहीं है। सामान्य कुछ गुणों के आधार पर स्त्री एवं पुरुष में व्यक्तियों को विभेदित करता है परन्तु सभी मानवों में स्त्री एवं पुरुष के गुण सम्मिलित होते हैं जिसके आधार पर हम इन्हें उभयलिंगी की संज्ञा देते हैं।

जेण्डर के गुणों का बनना जो भी हम अपने माता–पिता, अभिभावकों, साथियों एवं समाज में देखते सुनते या करते हैं उनके कारण होता है। यह एक आंतरिक मनोदशा है जिसे हम अभिव्यक्त भी करते हैं। इस प्रकार ऐसे जैविक गुण जो स्त्री और पुरुष में विभेद प्रदर्शित करते हैं इसको हम जेण्डर कहते हैं। इस प्रकार ऐसे सामाजिक गुण जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि अमुख स्त्री है और दूसरा पुरुष इसे ही जेण्डर कहते हैं।

महिला व पुरुष के व्यवहार जो सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों एवं विशेषताओं को प्रकट करते हैं उन्हें जेण्डर शब्द से इंगित किया जाता है। इसके साथ ही यह महिला तथा पुरुष की समाज में निर्धारित भूमिकाओं और उत्तरदायित्व की ओर इंगित करता है। इसको परिवार समाज और संस्कृतियों के द्वारा बनाया जाता है। यह क्रिया महिला एवं पुरुष द्वारा किए गए अपेक्षित व्यवहारों एवं अभिवृत्तियों को समाहित करता है। जेण्डर स्त्री–पुरुष से बने समाज को एक दूसरे में पिरो कर रखने के लिए एवं मूलभूत नियम भी मान सकते हैं। यह पुरुष एवं स्त्री को

एक दूसरे को समझने, सोचने तथा एक दूसरे की अंतः क्रिया के द्वारा वही कार्य किए जाते हैं जो समाज एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त हो। जेण्डर के सम्बन्ध में **गार्ड लर्पन** ने अपनी पुस्तक **"द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्ची"** में लिखा है–**"जेण्डर एक ऐसा मुखौटा**, वेश तथा कवच है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों नृत्य करते हैं।"

शब्दकोश के अनुसार जेण्डर का अर्थ निम्नानुसार है– व्याकरण के आधार पर स्त्री एवं पुरुष में विभेद करना जेण्डर कहलाता है।

जेण्डर प्रत्यय स्त्री और पुरुष के मध्य सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। जेण्डर की सभी प्रक्रियाएं समाज के द्वारा बनाई जाती है यदि किसी भी प्रकार के विभेदीकरण की प्रक्रिया समाज द्वारा बनाई गई है तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है।

फेमिनिस्ट के अनुसार

"सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन या स्त्री पुरुष के मध्य और असमान सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है।"

जेण्डर शब्द अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण में अर्थ "लिंग" होता है। सामान्य भाषा में लिंग शब्द का उपयोग पुरुष एवं स्त्रियों के गुणों एवं समाज द्वारा उनसे जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उससे सम्बन्धित है।

बोध प्रश्न

टिप्पणीः

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. फेमनिस्ट के अनुसार जेण्डर को परिभाषित कीजिए।

   .....

   .....

2. शब्दकोश के अनुसार जेण्डर के अर्थ को लिखिए।

   .....

   .....

1.4 लिंग की अवधारणा

जेण्डर के अर्थ को समझने के पश्चात लिंग की अवधारणा को आसानी से समझा जा सकता है। जेण्डर के अन्तर्गत स्त्री और पुरुष में विभेद किया जाता है और इन्हें समाज द्वारा मान्य परम्पराओं और नियमों का पालन करते हुए व्यवहार करना होता है जबकि लिंग स्त्री और पुरुष में अंतर को जैविकीय आधार पर करता है।

लिंग – लिंग एक जैविकीय अवधारणा है जिसका उपयोग महिलाओं और पुरुषों में जैविक अंतर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जेण्डर के विभाजन के मूल में लिंग ही है। लिंग के आधार पर पुरुष और महिलाओं के कार्य कुछ प्रकृतिजन्य और कुछ मनुष्य की सोच के कारण निर्मित है जैसे महिलाएं वंश परम्परा को गर्भधारण के द्वारा पूर्ण कर मातृत्व के कार्य को पूर्ण करती हैं, जबकि मनुष्य वंश परम्परा को बढ़ाने में माध्यम है पर वह शिशु को जन्म नहीं दे सकता। स्त्रियों के कार्य में समाज द्वारा कई बंदिशें लगाई गई जो अनुचित है जैसे उनकी शिक्षा को लेकर की लड़कियों को पढ़ने की छूट नहीं थी, कहीं अकेले नहीं जाना, श्रम के कार्य नहीं करने इत्यादि जबकि पुरुष के लिए किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है।

लिंग किसी भी समाज का सबसे प्रभावी, सटीक एवं महत्वपूर्ण संगठन है। धरा पर मनुष्य का उद्‌भव स्त्री एवं पुरुष के रूप में होता है। जन्म के समय इन्हें लड़का या लड़की शब्दों से सम्बोधित किया जाता है। लड़का एवं लड़की की शारीरिक बनावट में अंतर होता है जैसे–जैसे वे बड़े या परिपक्व होते हैं इन दोनों की गतिविधियों, क्रियाकलापों, अभिवृत्तियों, रुचियों इत्यादि में भिन्नता दृष्टिगोचर होने लगती है।

जब स्त्री और पुरुष होने का बोध समझ में आने लगे तब उसे लिंग कहते हैं। लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है। यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्यमी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन है।

लिंग एक कठिन शब्द है। लिंग आन्तरिक शक्ति की स्थापना के उच्चतम स्तरीकरण के कारण और भी कठिन हो जाता है। लिंग की व्याख्यात्मक प्रकृति एवं शब्द हमारे संस्कृत समाज की परम्पराओं में लड़की तथा लड़के के मध्य कई प्रकार के लिंग से सम्बन्धित अनुभवों को सामने प्रकट करती है।

लिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जीनस शब्द से हुई है। जीनस का अर्थ होता है लिंग, जन्म, परिवार और राष्ट्र को इंगित करना। आधुनिक समय में लिंग का अर्थ है लिंग, लैंगिकता, लैंगिक अन्तर, पीढ़ी इत्यादि। भारत में लिंग की अवधारणा 1970 की शुरुआत में प्रकाश में आई थी।

बोध प्रश्न

टिप्पणीः

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. लिंग की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है?

.....

.....

4. लिंग का क्रम बताइए।

.....

.....

1.5 लिंग का क्रम

लिंग क्रम या चक्र विचारों के आदान–प्रदान का व सामाजिक प्रथाओं तथा मान्यताओं के उदाहरणों से सम्बन्धित एक प्रणाली है। इस प्रणाली के माध्यम से समाज में स्त्री पुरुष के अस्तित्व व उनके स्थान तथा उनके लिए बनाई गई शक्तियों का पता चलता है। समाज द्वारा लिंग क्रम के अनुसार पुरुषत्व एवं नारीत्व के लिए नियम संग्रह किए जाते हैं एवं उनका अनुसरण किया जाता है। लिंग क्रम के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष के मध्य रिश्ते स्वतः संगठित होते हैं। लिंग का क्रम निम्नवत हो सकता है –

- पितृसत्तात्मक
- समतावादी
- मातृसत्तात्मक

1.6 लैंगिकता (कामुकता)

लिंग का समानार्थी शब्द लैंगिकता है जिसे कामुकता (सेक्स) भी कहते हैं। काम स्त्री पुरूष के प्रति सम्बन्धों एक आकर्षण का होना या बनना एक सहज क्रिया है। लिंग के आधार पर ही लैंगिकता तथा कामुकता का वजूद है। कामुकता का आशय कमजनित भावनाओं एवं क्रियाकलापों से है।

अन्न ओकले ने अपनी पुस्तक "सेक्स, जेण्डर एवं सोसाइटी" 1972 में लिंग को इस प्रकार से परिभाषित किया है–

"लिंग का तात्पर्य पुरुष अथवा स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। इसी आधार पर संसार में पाए जाने वाले सभी जीवो को जैविकीय आधार पर नर एवं मादा से संबोधित किया जाता है।

लिंग एक जैविक अवधारणा है जबकि जेण्डर एक सामाजिक अवधारणा है।

लैंगिकता शब्द का प्रयोग पुरुषत्व एवं नारीत्व के विभिन्न आयामों एवं अनेकों प्रकार की परिस्थितियों को बताने के लिए उपयोग में लाए जाते है। लैंगिकता की अवधारणा स्त्री और पुरुष के अनेकों कार्यों के भुगतान से सम्बन्धित होती है। लैंगिकता को एक क्रिया के रूप में प्रयोग में लाया जाता है इसलिए लिंग कार्य करने को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। लिंग का प्रयोग लैंगिकता के रूप में लड़कियों की सहमति की प्रतिबिंब है। लैंगिकता पुनर्निर्धारित की गई सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से स्त्री व पुरुष में विभेद करने का एक साधन है।

लैंगिकता से आशय किसी भी मनुष्य की यौन इच्छाओं तथा स्त्री एवं पुरुष के प्रति जुड़ाव उनकी भावनात्मक और यौन के प्रति आकर्षण के कारण उत्पन्न होने से है।

कामुकता को सामान्यतया चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नवत है–

1.6.1 असमलैंगिकता

लिंगवाद से असमलैंगिकता शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। यह शब्द 1860 के दौर में नारीवाद के उद्‌भव से प्रारम्भ हुआ था उदाहरण के लिए नकारात्मकता से परिपूर्ण कार्य लैंगिकता में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों के आगे महिलाओं का कोई वजूद नहीं होता है। समलैंगिकता को असमलैंगिकता के अतिरिक्त नारीवाद के अन्दर विस्तारित होती लैंगिक असमानताओं को समझने के लिए एक संकेत के रूप में नस्लवाद की संरचनाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है।

1.6.2 विषमलैंगिकता : पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण अर्थात विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को विषम लैंगिकता कहते हैं।

1.6.3 समलैंगिकता :पुरुष का पुरुष के प्रति या स्त्री का स्त्री के प्रति अर्थात अपने ही लिंग के प्रति लगाव को समलैंगिकता कहते हैं।

1.6.4 उभयलैंगिकता : किसी भी लिंग स्त्री अथवा पुरुष के प्रति आकर्षण का होना उभय लैंगिकता की श्रेणी में आता है।

1.6.5 अलैंगिकता : किसी भी लिंग (स्त्री अथवा पुरुष) के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण का ना होना अलैंगिकता के अंतर्गत आता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. कामुकता को सामान्तः कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है?

.....

.....

6. समलैंगिकता को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

1.7 लिंग और जेण्डर में अन्तर

लिंग और जेण्डर एक सीमा तक समान लगते हैं तथा मनुष्य के आवश्यक गुणों का वर्णन करते हैं। अधिकांशतः दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं। कई लोगों के अनुसार दोनों शब्द

समानार्थी हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए लिंग एवं जेण्डर में विभेद नीचे वर्णित है –

लिंग	जेण्डर
1. लिंग व्यक्ति की भावनाओं और मनोभाव इत्यादि को व्यक्त करता है।	शारीरिक और जैविक अवधारणा के आधार पर विशेषताओं को प्रकट करता है। इसके आधार पर पुरूष एवं स्त्री मे विभेद होता है।
2. इसके अन्तर्गत पुरुषलिंग एवं स्त्रीलिंग होता है।	इसके अन्तर्गत नर एवं मादा आते है।
3. यह सांस्कृतिक एवं सामाजिक है। यह मानव द्वारा निर्मित है।	यह प्रकृति जन्य होती है।
4. इसका सम्बन्ध स्त्री एवं पुरुष के गुणों, कार्यप्रणाली एवं व्यवहार के आधार पर होता है।	इसके अन्तर्गत महिला एवं पुरुष के जननागों में और उससे सम्बन्धित प्रजनन कार्यों के माध्यम से स्पष्ट होता है।
5. लिंग को परिवर्तित किया जा सकता है।	सेक्स को सामान्यतया परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
6. यह परिवर्तनशील है। यह समय के साथ संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार बदल सकता है।	सेक्स स्थाई होता है।

1.8 सेक्स की विशेषताएँ

1. सामाजिक दृष्टिकोण में

बुद्धिमत्ता के आधार पर मनुष्य को सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य को आचरण युक्त, बंधन युक्त, रीति–रिवाजों के अनुसार जीवन जीने के लिए समाज के द्वारा मान्य मानदंडों के अनुसार जीवन जीना होता है। सामाजिकता के आधार पर पुरुष एवं नारी को एक सम्मानित जीवनयापन के लिए सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ। स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण का प्रमुख कारण सेक्स है। इस आकर्षण के कारण ही वंश परम्परा बढ़ती और एक सभ्य समाज का निर्माण होता है।

2. सेक्स की प्रवृत्ति

धरा पर वास करने वाले सभी नर नारियों, पशु पक्षियों, में सेक्स की प्रवृत्ति होती है। यह मनोभाव पुरुष एवं स्त्री दोनों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं। सेक्स प्राकृतिक एवं मानव जनित क्रिया तथा स्वभाव के कारण प्रभावित होता है।

3. जैविक प्रवृत्ति

सेक्स हमेशा जैविक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जैविकीय प्रवृत्ति स्थाई होती है और यह बदलती नहीं है। ये व्यवहार सभी प्रकार के समाज एवं विभिन्न संस्कृतियों के सभी मनुष्यों की सामान्य विशेषताओं को इंगित करती है।

4. सांस्कृतिक सन्दर्भ में

सांस्कृतिक रूप में सेक्स कभी प्रभावित नहीं होता है। भारतीय संस्कृति एवं परम्परा में स्त्री एवं पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। समाज में स्त्री एवं पुरुष दोनों के कार्यों को समान रूप से स्वीकार्यता प्रदान की गई है। भारतीय धर्म एवं परम्परा में पति को देवता के तुल्य माना गया है इसलिए सांस्कृतिक रूप से सेक्स प्रभावित नहीं होता है। इस भावना के कारण मनुष्य के अंदर सहयोग, परोपकार, नैतिकता एवं आदर्श युक्त मूल्यों का विकास होता है। इसमें लैंगिक विभेद के कारण अमर्यादित आचरण को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं है।

5. लैंगिक भिन्नता

सेक्स की प्रमुख विशेषता उसकी पहचान कराना है। शरीर की बनावट के आधार पर यह लिंग का निर्धारण करता है। एक निश्चित आयु पर यह बालक एवं बालिका के बीच समानता एवं असमानता को अभिव्यक्त करता है। लिंग के आधार पर नर और मादा में विभेद होता है जिसके आधार पर उनकी शारीरिक बनावट में कई समानताएं एवं असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। नर एवं मादा के आन्तरिक अंगों के आधार पर भी अन्तर परिलक्षित होता है, जो प्रकृति प्रदत्त होता है।

1.9 लिंग के पारम्परिक अभिलक्षण

लिंग के पारंपरिक अभिलक्षण को स्त्रीलिंग एवं पुलिंग के आधार पर निम्नवत प्रस्तुत किया गया है।

स्त्रीलिंग अभिलक्षण	पुल्लिग अभिलक्षण
विनम्रशील	आत्मनिर्भरता
भावुकता से पूर्ण	विवेक युक्त
ग्रहणशीलता	मुखरता
सहज ज्ञान युक्त	विश्लेषणात्मक
डरपोक	निडर
सहनशीलता	चपलता
संवेदनशीलता	असंवेदनशीलता

1.10 पितृसत्तात्मक, पुरुषत्व एवं नारीत्व : संप्रत्यय

1. पितृसत्तात्मक

इस व्यवस्था के अंतर्गत पिता के द्वारा धन, सम्पदा, शक्तियों एवं सत्ता को लिंग के आधार पर पुत्र को अर्थात पुरुष को प्रदान करना। चाहे पुत्र वयस्क न हुआ हो।

प्राचीन समय से भारतीय समाज पितृसत्तात्मक रहा है लेकिन स्त्रियों को भी समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताएं

- पुरुष को प्रधानता प्रदान करना तथा इसके आधार पर समानता।
- पुरुष / पुत्र को महत्व।
- धन, दौलत, अधिकार को पिता से पुत्र को प्राप्त होना।
- सम्पत्ति तथा उत्तराधिकारी का अधिकार लड़कियों को प्राप्त नहीं होता है।
- निर्णयन शक्ति केवल पुरुषों के हाथ में होता हैं।

2. पुरुषत्व

पुरुषत्व दो शब्दों से मिलकर बना है पुरुष एवं त्व। पुरुष का अर्थ होता है पुरुष एवं त्व प्रत्यय जातिसूचक होता है। अतः पुरुषत्व के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि पुरुष के गुणों से संपन्न व्यक्ति को ही पुरुषत्व कहते हैं इसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –

- पुरुषों के अन्दर पुरुष के गुणों का निहित होना पुरुषत्व को प्रकट करता है।
- पुरुषत्व का आशय कठोरता एवं साहस से भी सम्बन्धित है।
- पुरुषत्व की भावना के कारण अपने अन्दर श्रेष्ठ होने का भाव उत्पन्न होने लगता है।

3. नारीत्व

नारी के अंदर कोमलता, सहनशीलता, प्यार, भावुकता, विनम्रता, सहजता, संवेदनशीलता, जैसे गुणों से सम्पन्न होना ही नारीत्व है। इन भावनाओं के विकास हेतु बालिकाओं में इस प्रकार के गुण उत्पन्न कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इसके लिए यह कार्य सर्वप्रथम परिवार को करना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. लिंग और जेण्डर में दो अन्तर लिखिए।

.....

.....

8. स्त्रीलिंग के अभिलक्षणों को लिखिए।

.....

.....

9. पितृसत्तात्मक व्यवस्था की तीन विशेषताओं को लिखिए।

.....

.....

1.11 जेण्डर के प्रकार

जेण्डर किसी भी समाज का बहुत ही शक्तिशाली संगठन है। जन्म के समय मानव शिशु के रूप में धरा पर आता है जैसे–जैसे वे विकसित होते जाते हैं जैविकीय कारकों के कारण वे लड़का या लड़की के रुप में अपनी पहचान बनाते हैं तथा परिपक्वता की अवस्था पर उन्हें स्त्री एवं पुरुष के रूप पर पहचान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। लड़का एवं लड़की की शारीरिक बनावट में अन्तर पाया जाता है जैसे–जैसे बालक एवं बालिकाएं बड़े होते हैं समय के साथ–साथ उनकी रुचियां, अभिवृत्तियां, गतिविधियां, कार्य प्रणाली और उनके व्यवहार में परिवर्तन स्पष्टता के साथ दिखाई देने लगते हैं। लिंग को जैविकीय एवं सामाजिक आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है–

1. पुल्लिग
2. स्त्रीलिंग
3. उभयलिंग
4. नपुंसकलिंग

1. पुल्लिग

पुल्लिग के अन्तर्गत पुरुष आते हैं। पुरुष होने का बोध उनकी शारीरिक संरचना, रहन–सहन तथा उनके व्यवहार से प्रकट होता है। पुरुष स्वभाव से कठोर, निडर, उग्र स्वभाव के तथा आध्यात्मिक विचारधारा से युक्त होते हैं। पुरुष की कार्य प्रणाली भी अलग होती है जैसे–जैसे बालक बड़ा होता है उनके शरीर में परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं जैसे दाढ़ी एवं मूंछ का बढ़ना इत्यादि के आधार पर पुल्लिग होने का बोध होने लगता है।

2. स्त्रीलिंग

लिंग के दूसरे प्रकार को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रियों का आचरण, व्यवहार पुरुषों की अपेक्षा सरल, सहज, विनम्र, धैर्यशील एवं अपनत्व से भरा हुआ होता है। किशोरावस्था तक पहुंचने में लड़कियों के शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इन परिवर्तनों के आधार पर ही इन्हें स्त्री की संज्ञा दी जाती हैं। स्त्रियों को उनके गुणों के आधार पर भी पहचाना जा सकता है जैसे इनकी आवाज में मधुरता होती है। इनके रहने और पहनने का तरीका अलग होता है। स्त्रियों का सर्वोत्तम गुण उनके अन्दर लज्जा का होना है, साथ ही ये बहुत दयालु और सरल होती हैं।

3. उभयलिंग

लिंग का यह तीसरा प्रकार है इसमें वे लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं उनके विचार, व्यवहार, रहन–सहन और क्रियाएं लिंग के समान होते हैं ऐसे लोग उभयलिंगी कहे जाते हैं।

4. नपुंसकलिंग

इस वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो ना तो स्त्री होते हैं और ना ही पुरुष उनकी अपनी एक अलग पहचान व समाज होता है। इनमें वंश परम्परा को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं होती है। उनके व्यवहार, आचरण, रहन–सहन एवं वेशभूषा अपने समाज के अनुसार होता हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि लिंग प्रमुख रूप से स्त्री एवं पुरुष के रूप में होते हैं किंतु कुछ कारणों की वजह से ये उभयलिंगी एवं नपुंसक लिंगी भी होते हैं। समाज स्त्री–पुरुष को ही मान्यता देता है। समाज में इस वर्ग की संख्या सर्वाधिक है तथा अन्य वर्गों की संख्या न्यूनतम है। वर्तमान में सरकार द्वारा सभी लिंगो को एक समान अधिकार प्राप्त है तथा उसी के आधार पर अधिकारों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

बोध प्रश्न

टिप्पणीः

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

10. लिंग को जैविकीय एवं सामाजिक आधार पर कितने वर्गों से विभक्त किया गया है?

    .....
    .....

11. उभयलिंग किसे कहते है?

    .....
    .....

1.12 सारांश

लैंगिकता, कामुकता, पितृसत्ता और पुरुषत्व–नारीत्व जैसे विषय लिंग से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। इन अवधारणाओं का जन्म मानव समाज के विकास के साथ हुआ है। परंतु इतिहास गवाह है कि सत्ता और शक्ति के लोभ में मनुष्य ने हमेशा कमजोर वर्गों का शोषण किया है। स्त्रियों का शोषण तो सदियों से चला आ रहा है, जिसने समाज में गहरी जड़ें जमा ली हैं। स्त्री–पुरुष के बीच की यह खाई इतनी गहरी हो गई है कि इसे पार करना आसान नहीं है।

समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इन रूढ़िवादी विचारों में जकड़ा हुआ है। चाहे वो पढ़ा–लिखा वर्ग हो या अशिक्षित, सभी इस कुचक्र से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। हमें इन सामाजिक बंधनों को तोड़कर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। इसके लिए हमें एक–दूसरे के साथ सहयोग और सहिष्णुता का भाव विकसित करना होगा।

यह बदलाव घर से शुरू होकर विद्यालय और समाज तक विस्तारित होना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें यह समझाना होगा कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

आजकल न सिर्फ समाज के भीतर, बल्कि देशों के बीच भी शक्ति संतुलन का महत्व बढ़ गया है। इतिहास गवाह है कि शक्ति असंतुलन के गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए, हमें शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे।

अंत में शिक्षा और जागरूकता ही इस दिशा में आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। हमें लोगों को शिक्षित करना होगा और उन्हें लैंगिक समानता के महत्व के बारे में जागरूक करना होगा। तभी हम एक समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं।

1.13 अभ्यास के प्रश्न

1. लिंग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
2. जेण्डर और लिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. जेण्डर, लिंग और लैंगिकता को समझाइए।
4. लिंग के प्रकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
5. लिंग के पारम्परिक अभिलक्षण को लिखिए।

1.14 चर्चा के बिन्दु

1. शिक्षार्थी जेण्डर, लिंग और लैंगिकता के अंतर को समझते हुए चर्चा कर सकेंगे।
2. शिक्षार्थी लिंग की वृहद अवधारणा पर चर्चा कर सकेंगे।

1.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. फेमिनिस्ट के अनुसार – ''सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन या स्त्री पुरुष के मध्य और असमान सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है।"
2. शब्दकोश के अनुसार जेण्डर का अर्थ निम्नानुसार है –जेण्डर– व्याकरण के आधार पर स्त्री एवं पुरुष में विभेद करना जेण्डर कहलाता है।
3. जीनस शब्द से हुई है।
4. पितृसत्तात्मक, समतावादी एवं मातृसत्तात्मक।
5. चार वर्गों में।
6. समलैंगिकता :पुरुष का पुरुष के प्रति या स्त्री का स्त्री के प्रति अर्थात अपने ही लिंग के प्रति लगाव को समलैंगिकता कहते हैं।
7.

लिंग	जेण्डर
1. लिंग व्यक्ति की भावनाओं और मनोभाव इत्यादि को व्यक्त करता है।	शारीरिक और जैविक अवधारणा के आधार पर विशेषताओं को प्रकट करता है। इसके आधार पर पुरूष एवं स्त्री मे विभेद होता है।
2. इसके अन्तर्गत पुरुष लिंग एवं स्त्रीलिंग होता है।	इसके अन्तर्गत नर एवं मादा आते है।

8. स्त्रीलिंग अभिलक्षण – विनम्रशील, भावुकता से पूर्ण, ग्रहणशीलता, डरपोक, सहनशीलता एवं संवेदनशीलता
9.
   - पुरुष को प्रधानता प्रदान करना तथा इसके आधार पर समानता।
   - पुरुष / पुत्र को महत्व।
   - धन, दौलत, अधिकार को पिता से पुत्र को प्राप्त होना।

10. चार वर्गों में।

11. उभयलिंग – लिंग का यह तीसरा प्रकार है इसमें वे लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं उनके विचार, व्यवहार, रहन–सहन और क्रियाएं लिंग के समान होते हैं ऐसे लोग उभयलिंगी कहे जाते हैं।

1.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. रावत, प्यारे लाल (1975), प्राचीन और भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगराः भारत पब्लिकेशन्स।
2. गुप्ता, एस0पी0 तथा अल्का गुप्ता, (2008), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।
3. अग्निहोत्री, रविन्द्र (2006), आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याए और समाधान, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. इंदिरेसन, जया (2002), एजुकेशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट जेण्डर पैसिटिव इनिशिएटिप्सा इन सेटिंग विमेंस कॉलेजेस, नई दिल्लीः कोणार्क ।
5. चानना, कारण 2001 ईटरोग्रेटिग विमेंस एजुकेशन बाउंडेड विजेंस, एक्सपैडिंग होराइजंस, जयपुरः रावत पब्लिकेशन।
6. स्टैनले, एल. एण्ड वाइज, एस. (2002) 'व्हाट्स रांग विद सोशलाइजेशन', इन जैक्सन, एस. एण्ड स्कॉट, एस. (संपा.) जेण्डर : ए सोशियोलॉजिकल रीडर, लन्दन : रूटलेज।
7. Kabeer, N. (2010), Gender and Social Protection Strategies in the Informal Economy, London: Routledge.
8. Mitter, S. (2002), 'Women Working World Wide', In Jackson, S. and Scott, S. (Eds.) Gender: A Sociological Reader, London: Routledge,.
9. Patel, R. (2010), Working the Night Shift: Women in India's Call Center Industry, New Delhi: Orient Black Swan.
10. Redfern, C and Kristin Aune (2010). Reclaiming the F Word: The New Feminist Movement. Bangalore: Books for Change.

इकाई – 2 : जेण्डर के सम्बन्ध में शिक्षा में समता और समानता

इकाई की संरचना

2.1 प्रस्तावना

2.2 इकाई के उद्देश्य

2.3 शिक्षा में समता और समानता की अवधारणा

2.4 शिक्षा में असमानता की प्रकृति और रूप

2.5 शिक्षा में असमानता के परिणाम

2.6 भारत में असमानता के सापेक्ष परिणाम

2.7 संविधान में समानता को बढ़ाने हेतु प्रावधान

2.8 लैंगिक समानता का अर्थ

2.9 विषमलिंगी वास्तविकताएँ एवं चुनौतियाँ

2.10 लैंगिक असमानता की चुनौतियाँ

2.11 लैंगिक समानता के लिए प्रावधान एवं शैक्षिक नीतियाँ

2.12 सामाजिक आर्थिक असमानताओं के कारण शिक्षा तक की पहुँच में चुनौतियाँ

2.13 लैंगिक बाधाओं को समाप्त करने में राष्ट्रीय नीतियों की भूमिका

2.14 सारांश

2.15 अभ्यास के प्रश्न

2.16 चर्चा के बिन्दु

2.17 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.18 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.1 प्रस्तावना

जब से पृथ्वी पर मानव अस्तित्व में आया हुआ है, तभी से समानता के सम्बन्ध में सबसे अधिक बहस प्रारम्भ हुआ है। दो व्यक्तियों के बीच अंतर न केवल शारीरिक संरचना में होता है, अपितु आंतरिक कारकों जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, सोच, तर्क आदि के कारण भी होता है। विविधता कई कारकों जैसे आवास, भूगोल, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, भाषाई विविधता आदि सभी में दिखाई देती है। इसके अलावा अन्य कारकों को भी समाहित किया जा सकता है। इस प्रकार के कारको को मानव निर्मित कारक कहा जाता है, जैसे कि धन, स्थिति, शक्ति और सामाजिक रूप से विशिष्ट विशेषताएँ जिनके द्वारा असमानता सम्बन्धी विषय दुनिया भर में दिखाई देते है।

शिक्षा समाज के विकास का आधार है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है और उसे समाज में योगदान देने के लिए सक्षम बनाती है। एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए शिक्षा का सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होना आवश्यक है। लैंगिक समानता इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आयाम है।

लैंगिक समानता का अर्थ है लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में न हो। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता का तात्पर्य है लड़कियों और लड़कों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो, ताकि दोनों वर्ग अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकें।

यह इकाई उन शैक्षिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका उद्देश्य लैंगिक समानता बनाए रखना और उन लड़कियों की मदद करना है जो अपने जीवन में ऊपर उठना चाहती हैं। प्रस्तुत इकाई में लिंग के सम्बन्ध में शिक्षा में समता और समानता पर विस्तृत विवेचन किया गया है।

2.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. शिक्षा में समता और समानता की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
2. शिक्षा में असमानता की प्रकृति और रूपों का वर्णन कर सकेंगे।
3. शिक्षा में समता एवं समानता में अन्तर को अभिव्यक्त कर सकेंगे।
4. शिक्षा में असमानता के परिणामों पर चर्चा कर सकेंगे।
5. समानता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों से परिचित होकर उसे आत्मसात कर सकेंगे।

2.3 शिक्षा में समता और समानता की अवधारणा

'समता' और 'समानता' दो शब्द शिक्षा प्रणाली में प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। इन शब्दों को व्यक्ति अक्सर उपयोग कर उसका परस्पर प्रयोग करता है।

'समानता' शब्द संतुलन, समरूपता और समता या 'सभी अर्थो में समान' को संदर्भित करता है। जबकि 'समता' निष्पक्षता के सिद्धांत को संदर्भित करता है। समता का उपयोग अक्सर संबंधित सिद्धांत के साथ परस्पर किया जाता है। समता में शैक्षिक मॉडल, कार्यक्रमों और रणनीतियों की एक विस्तृत विविधता सम्मिलित होती है इसे उचित माना जा सकता है, परन्तु आवश्यक नहीं कि वे समान हो। ऐसा माना जाता है कि यदि समता प्रक्रिया है तो समानता इसका परिणाम है। शिक्षा में समता– शिक्षा में उपलब्धि, सफलता, नियोजन और अवसरों का एक उपागम है। शैक्षिक समता दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है :–(i) उचित अवसर (ii) समावेश।

अवसर से तात्पर्य कि किसी की व्यक्तिगत परिस्थितियों के विशिष्ट कारक अकादमिक सफलता की क्षमता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि समावेश, एक वृहद मानक को संदर्भित करता है जो एक निश्चित शिक्षा व्यवस्था में सभी पर मान्य होता है। ये दोनों कारक एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं। शैक्षिक प्रणाली की सार्थकता शैक्षिक सफलता के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। शैक्षिक समानता का महत्व इस तथ्य पर आधारित है कि अब वह पहले से कहीं अधिक, व्यक्ति के शिक्षा के स्तर का सीधे उस जीवन की गुणवत्ता से संबंध है जो वह भविष्य में व्यतित करेगा। एक शैक्षणिक प्रणाली जो शैक्षिक समानता का अभ्यास करती है, एक ऐसे समाज की मजबूत नींव है जो निष्पक्ष और संपन्न है। जबकि शिक्षा में असमानता से बचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इसे सामाजिक–आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग या विकलांगता के कारण असमानता में विभाजित किया जा सकता है। शिक्षा में समानता का अर्थ होगा कि सभी छात्रों की समान पहुंच और जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, लिंग आदि जैसे किसी भी संकेतक की परवाह किए बिना बिल्कुल समान अवसर प्रदान करना।

समता और समानता एक समान समाज बनाने के बारे में है जहां हर कोई भाग ले सकता है और अपनी क्षमता को पूरा करने का अवसर प्राप्त कर सकता है। समाज में समान नागरिक के रूप में रहने के लिए और भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त रहना चाहिए।

2.4 शिक्षा में असमानता की प्रकृति और रूप

शिक्षा के सभी स्तरों पर और जीवन के सभी क्षेत्रों में असमानता पायी जाती है। शारीरिक अंतर से लेकर भौगोलिक, आवास, मनो–सामाजिक तत्वों और मानसिक क्षमता तक, हम असमानता और समानता को देखते हैं। शिक्षा में भी इसे देखा जा सकता है।

असमानता का आकलन करने के लिए हमें मानव समाज की शुरुआत की उत्पत्ति को समझना होगा। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रकृति प्रमुख कारक है। जैसा कि हम जानते हैं, जनसांख्यिकी, शारीरिक संरचना, सामाजिक–आर्थिक संरचना और मानसिक क्षमता जैसे विभिन्न पहलुओं को मानव द्वारा असमानता का आकलन करने के लिए मानदंड के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा कई अन्य कारक हैं जो असमानता के लिए जिम्मेदार हैं। 'भारतीय समाज को कई जातियों में विभाजित करना और फिर इन जातियों का एक

पदानुक्रमित क्रम बनाना जो भारतीय समाज में असमानता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।' पूरे भारत में प्रत्येक व्यक्ति पहले अपनी पहचान जाति से करता है।

भाषाएँ कभी–कभी विवाद का विषय बन जाती हैं, विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां बहुभाषी लोग रहते हैं। भारत में भाषा के आधार पर कई राज्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए तीन भाषा सूत्र को अभी तक भारत में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। धार्मिक असमानता के प्रति सभी धर्मों के कट्टरपंथी और रूढ़िवादी प्रचारकों ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है और इसलिए धर्मों के भीतर और बीच में असमानता आसानी से देखी जा सकती है।

भारत के संदर्भ में असमानता के अस्तित्व को उसकी प्रकृति और स्वरूप के विषय में प्रदर्शित करता है। असमानता प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकती है। प्राकृतिक असमानता को भौगोलिक और जैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव निर्मित असमानता को धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक–आर्थिक स्थिति, भाषा, जाति और लोगों के मनो–सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में विभिन्न सामाजिक समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

असमानताएं तब होती हैं जब पक्षपातपूर्ण या अनुचित नीतियां, कार्यक्रम, प्रथाएं या स्थितियां शैक्षिक प्राप्तियों, उपलब्धियों और परिणामों में समानता की कमी में योगदान करती हैं। कुछ माध्यम जिनसे असमानताएं शिक्षा को प्रभावित कर सकती हैं–

(i) **समाज में असमानता–** स्कूलों में कई तरह से सचेत और अचेतन भेदभाव सामने परिलक्षित होते हैं जो सीखने के अधिग्रहण, शैक्षणिक उपलब्धियों, शैक्षिक आकांक्षाओं और अवसरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। शिक्षा में असमानता विशेष रूप से उन समूहों से जुड़ी होती है जिन्होंने अपनी जाति, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, यौन अभिविन्यास और विकलांगता से संबंधित भेदभाव का सामना किया है।

(ii) **सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि–**कम आय वाले घरों के छात्र, औसतन, अपने उच्चतर समकक्षों की तुलना में कम प्रदर्शन करते हैं और कम आकांक्षाएं रखते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण या वंचित शहरी क्षेत्रों जैसे गरीब समुदायों के स्कूलों में तुलनात्मक रूप से संसाधन और धन की कमी हो सकती है, जिससे शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान कम प्रदर्शन कर सकते हैं।

(iii) **सांस्कृतिक असमानता–** विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त करते समय कई तरह का नुकसान उठा हो सकते हैं।

(iv) **पारिवारिक कारक–** छात्र अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा में परेशानी में पड़ सकते हैं। परिवार में असमानताएं सांस्कृतिक और सामाजिक–आर्थिक असमानताओं के साथ भी जुड़ी हो सकती हैं।

(v) **निर्देशन में असमानता–** छात्र कम सक्षम शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में नामांकित हो सकते हैं, जो अपेक्षाकृत रुचिकर या अप्रभावी तरीके से पढ़ा सकते हैं। छात्र कुछ शिक्षकों द्वारा सचेत या अचेतन पक्षपात, पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के अधीन भी हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक द्वारा जिस तरह से निर्देश दिया जाता है वह कुछ छात्रों के लिए उतना अच्छा काम नहीं कर सकता जितना कि अन्य के लिए कर सकता है।

(vi) **मूल्यांकन में असमानता–** छात्र परीक्षण लेने या अन्य प्रकार के आकलन पूरा करने में परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि डिजाइन, सामग्री, भाषा विकल्प, या विकलांगता के कारण जो उनके प्रदर्शन को बाधित कर सकते हैं।

(vii) **भाषाई असमानता–**छात्र कक्षा में भाषा के अभ्यास में बाधाओं के कारण अलग स्थिति में हो सकते हैं। विभिन्न समूहों, व्यवसायों या सामाजिक संस्थानों का मनोवैज्ञानिक स्वभाव असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्राकृतिक आधार बनाता है। विभिन्न क्षमताएं, कौशल और दृष्टिकोण असमानताओं का आधार बन सकते हैं। इसलिए असमानताएं न केवल एक बल्कि विभिन्न कारकों की हो सकती हैं।

2.5 शिक्षा में असमानता के परिणाम

अच्छी शिक्षा और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना प्रत्येक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है। सम्पूर्ण विश्व में शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं जबकि, हमने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। असमानता भारत का विषय नहीं है बल्कि यह विश्व में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। उपयुक्त एवं सचेष्ठ प्रयासों ने स्थिति में सुधार किया है।

2.6 भारत में असमानता के सापेक्ष परिणाम

(i) **पहुँच–** भारत में भौगोलिक और अन्य विविधताओं के कारण कभी–कभी यह महसूस किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना एक लक्ष्य है। केंद्र और राज्य सरकारों ने शिक्षा को बच्चों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। इसके बाद भी अभी बहुत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) **व्यय क्षमता–**भारत में दो प्रकार के स्कूल कार्य करते हैं–(i) सरकारी और (ii) निजी स्कूल। सामान्य तौर पर भारत में बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलती है। सरकारी स्कूलों और कुछ मापदंडों में निजी स्कूलों में प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हमेशा बहस होते रहे है। निजी स्कूलों में शुल्क संरचना आम लोगों के पहुँच से बाहर है। समाज का केवल एक विशेष वर्ग ही निजी स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा

दिला सकता है। स्कूलों में फीस पर नियंत्रण होना चाहिए, जिससे सामान्य वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोग शुल्क का वहन कर सकें।

(iii) **अलग–थलग वर्ग–** शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है, फिर भी अलग–थलग सामाजिक वर्ग के लोग परिवार के व्यवसायों में शामिल होने वाले लोग, जागरूकता की कमी वाले लोग और इसके अलावा ऐसा वर्ग जो शिक्षा की महत्ता को नही समझते। इस कारण से भी लोग शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाते हैं।

(iv) **शोषण–**ऐसा प्रायः देखा गया है कि स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, साथी और सामाजिक सदस्यों द्वारा शोषण करने के कारण बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। कई कारणों से कक्षा में कुछ बच्चों के प्रति शिक्षकों का पक्षपात पूर्ण रवैया केवल शोषण का परिणाम है, जिसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते है।

(v) **उपलब्धि अंतराल–** देश में प्रायः ऐसा पाया गया है कि स्कूलों में शिक्षार्थियों की उपलब्धि में बहुत अंतर है। एक पांचवीं कक्षा का छात्र तीसरी कक्षा की गणित और भाषा कार्य को करने में अपने आप असमर्थ महसूस करता है। तदनुसार, गणित और सामाजिक विज्ञान में उपलब्धि के बीच अंतर है। इसे गंभीरता से समझा जाना चाहिए और असमानताओं की कठिनाइयों को कम किया जाना चाहिए।

(vi) **हिंसा–** शिक्षा प्रणाली में हिंसा भी हमारे स्कूलों में शिक्षा में समानता प्राप्त करने में एक और कठिनाई है। छात्रों के प्रति पक्षपात, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, पक्षपात, लिंग और जाति भेदभाव भी शिक्षा में एक प्रकार की हिंसा है, जिसे शिक्षा में समानता का एहसास कराने के लिए दूर करने की आवश्यकता है।

2.7 संविधान में समानता को बढ़ाने हेतु प्रावधान

भारतीय संविधान को सन् 1950 में अपनाया गया था। संविधान सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करता है और राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि लिंग, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के आधार पर समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य इसके बदले में जनता के कल्याण के लिए तदनुसार कानून बना सकता है जो भारत के संविधान में मौजूद 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों' में परिलक्षित होता है। संवैधानिक प्रावधान राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लिखित किए गए हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रावधानों का वर्ण निम्नानुसार किया गया है –

1. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

नये अनुच्छेद 21 का सम्मिलन– संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया।

अनुच्छेद 21 में वर्णित है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अब इसको लोकप्रिय रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है।

2. अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समूहों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के संबंध में कुछ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है।

इस अनुच्छेद निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया गया है –

- धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक समूहों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।
- राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है।

3. भाषा की सुरक्षा

अनुच्छेद 29(1) में वर्णित है, "भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग का, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।" अनुच्छेद 350–बी संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

4. कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा

अनुच्छेद 15, 17 और 46 भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों, अर्थात् सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हितों की रक्षा करते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 46 केंद्रित है, केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए जिम्मेदार होगे।

इसमें कहा गया है, "राज्य, लोगों के कमजोर वर्गों के विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।"

5. धर्मनिरपेक्ष शिक्षा

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान के तहत धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के पूर्ण अधिकार दिए गए हैं।

संविधान का अनुच्छेद 25(1) सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 28(1) में वर्णित है, "राज्य के कोष से पूर्णतः अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।"

अनुच्छेद 28(2) में वर्णित है कि एक शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन किसी ऐसे बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है जिसमें धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी।

अनुच्छेद 28(3) में वर्णित है, "राज्य द्वारा किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य के कोष से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए आवश्यक नहीं होगा। ऐसे संस्थान में या उससे जुड़े किसी भी परिसर में किया जा सकता है जब तक कि ऐसा व्यक्ति या यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, उसके अभिभावक ने उसकी सहमति नहीं दी है।"

अनुच्छेद 30 में वर्णित है, "राज्य, केवल धर्म, जाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य के कोष से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा।"

6. शैक्षणिक संस्थानों में समान अवसर

अनुच्छेद 29(1) में वर्णित है, "किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य के कोष से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।"

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों ने भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के त्रिगुणात्मक आदर्श को अपनाया है। समानता का मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि कानून की दृष्टि में किसी भी पद, जाति, वर्ग या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही सभी को समान अवसर का अधिकार भी प्रदान किया गया है। समान अवसर का कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि किसी की शिक्षा के समान अवसर न हों।

7. मातृभाषा में शिक्षण

हमारे देश में विविध भाषाएँ हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, मातृभाषाओं को शिक्षण माध्यम और अध्ययन के विषयों के रूप में विशेष महत्व मिला है। शैक्षणिक रूप से, शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। भारत के संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि किसी को अपनी भाषा का अध्ययन करना, नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 26 (1) में वर्णित है, "भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग का, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।"

अनुच्छेद 350 ए निर्देशित करता है, "यह प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाए।"

8. महिला शिक्षा

देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच शिक्षा में अंतराल का अनुभव किया गया है, यह हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए चिंता का विषय है। सभी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है। लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान विभिन्न अनुच्छेदों के तहत निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

अनुच्छेद 15 (1) में प्रावधान है कि राज्य केवल लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक या समूह के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 (3) में कहा गया हैः "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।"

2.8 लैंगिक समानता का अर्थ

वैश्विक शिक्षा भागीदारी की लैंगिक समानता नीति और रणनीति 2016–2020 (GEPS) के अनुसार, लैंगिक समानता का अर्थ है "महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों के समान अधिकार, जिम्मेदारियां, अवसर, और अपने स्वयं के जीवन को आकार देने तथा समाज में योगदान करने की समान शक्ति।" लैंगिक समानता को शिक्षा में और शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करने के लिए नीतियों और योजनाओं को विकसित करने के माध्यमों में व्यवस्थागत एवं संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पीछे न छूट जाय।

शिक्षा में और शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए समान संस्थानों को विकसित करने की आवश्यकता है जो ऐसी नीतियां, बजट और योजनाएं तैयार करें जो सभी को सफल होने में सक्षम बनाएं, भले ही वे पुरुष या महिला के रूप में जन्म लिए हों। इसके लिए उन संस्थागत व्यवस्थाओं, प्रबंधन संरचनाओं, सामाजिक मानदंडों, सम्बन्ध गतिशीलता और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो शिक्षा को आकार देते हैं, और लैंगिक संबंधी नुकसानों को प्रदर्शित करते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था?

   .....
   .....

2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?

   .....
   .....

3. अनुच्छेद 29(1) में किस बात पर बल दिया गया है?

   .....
   .....

4. अनुच्छेद 28(1) में क्या वर्णित है?

   .....
   .....

5. अनुच्छेद 15(1) में क्या प्रावधान है?

   .....
   .....

2.9 विषमलिंगी वास्तविकताएँ एवं चुनौतियाँ

लड़कियाँ एक समान श्रेणी नहीं हैं, फिर भी कहीं भी उन्हें पुरुषों के समान स्थिति प्राप्त नहीं होती है। उनके मामले में, ग्रामीणता, वर्ग, जाति और जनजाति, धर्म और विकलांगता के आयाम समकालीन राजनीतिक और सामाजिक–आर्थिक ताकतों द्वारा और जटिल होकर संचयी नुकसान पैदा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, लड़कियों को असमानता के कई बोझ सहने पड़ते हैं।

1. ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा, स्कूलों की पहुंच और घरेलू अर्थव्यवस्था में एकीकरण

ग्रामीण निवास एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है। यह सरकारी नीतियों का परिणाम है जिसके कारण गाँवों में शहरों की तुलना में स्कूल और शैक्षिक सुविधाएँ बहुत कम हैं। इस प्रकार राज्य द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों और सुविधाओं तक पहुँचने में ग्रामीण–शहरी अंतर भी महत्वपूर्ण पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की स्कूली शिक्षा तक कम पहुँच होती है क्योंकि या तो स्कूल उपलब्ध नहीं होते हैं या भौतिक और/या सामाजिक रूप से दुर्गम होते हैं। इसके साथ ही बच्चों, विशेषकर लड़कियों का गाँव और घरेलू अर्थव्यवस्था में एकीकरण है। इसलिए, ग्रामीणता को शिक्षा में भाग लेने वाले व्यक्ति के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में भी मान्यता दी गई है। इसके अलावा, महानगरों की झुग्गियों में रहने वाले शहरी गरीब और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे एक अन्य कमजोर वर्ग हैं जो सरकारी नीतियों की अपनी अस्तित्व की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता की कमी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूली शिक्षा, लैंगिक श्रम और समाजीकरण

पिछले दो दशकों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक लाभों ने निस्संदेह उनकी शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। जबकि वे अभी भी शैक्षणिक रूप से पीछे हैं और विभिन्न राज्य और क्षेत्रों के बीच बहुत अधिक असमानता है। गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के माता–पिता अपने बच्चों को 'मुफ्त' स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं क्योंकि ट्यूशन फीस के अलावा अन्य लागतें और बच्चों के काम से होने वाली आय का नुकसान होता है। समाज में शैक्षिक रूप से सबसे कमजोर लड़कियां हैं। दलित लड़कियों की शैक्षिक आकांक्षाएं घरेलू और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की श्रम आवश्यकताओं से निर्णायक रूप से आकार लेती हैं। श्रम बाजार के जाति/लिंगीय विभाजन में महिलाएं कृषि/ग्रामीण श्रम, पारंपरिक घरेलू, कम कुशल, निम्न स्तर या जाति से संबंधित (सफाई–सफाई) सेवाओं में असमान रूप से पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, गरीब महिलाएं शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में निम्न–कुशल, निम्न स्तर के स्त्रीकृत सेवा क्षेत्रों में स्थित हैं। अधिकांश दलित लड़कियों के शैक्षणिक कैरियर इस संरचना से आकार लेते हैं। यहां तक कि जो अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा सकती हैं, वे अपने बेटियों की पढ़ाई पर बेटों की तुलना में कम खर्च करती हैं। दहेज के खर्चों से समस्या बढ़ जाती है और लड़कियों के शिक्षित होने की संभावना और कम हो जाती है।

वर्ग, जाति, क्षेत्र की ताकतें लड़कियों के प्रतिकूल संयोजित होती हैं, प्रगतिशील राजनीतिक आंदोलनों ने अतीत में कुछ हद तक दलित लड़कियों को इन नुकसानों को दूर करने और शिक्षा तक अधिक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। फिर भी, जब तक जाति और वर्ग की अंतर्विभाजनता लैंगिक जाति श्रम की शोषणकारी प्रकृति को बनाए रखती है, तब तक राजनीतिक आंदोलनों का सीमित प्रभाव ही हो सकता है।

3. मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा : वित्तीय बाधाएं और सांप्रदायिक कारक

मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में पता चला है कि शिक्षा के निम्न स्तर के कारण के रूप में रूढ़िवादी ताकतों के बारे में प्रचलित रूढ़ियों के विपरीत, वित्तीय बाधाएं महिलाओं की पढ़ाई जारी रखने में मुख्य बाधा के रूप में माता–पिता के विरोध से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उत्तर क्षेत्र में मुसलमानों के लिए वित्तीय बाधाएं हिंदुओं की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो देश के इस हिस्से में मुस्लिम परिवारों की गरीबी को एक बार फिर रेखांकित करती है और यह मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के निम्न स्तर के लिए सबसे शक्तिशाली स्पष्टीकरण प्रदान करती है।

दक्षिण एक अपवाद है जहां निम्न आर्थिक वर्गों से संबंधित महिलाओं की उच्च वर्ग की लड़कियों के समान ही स्कूल में जारी रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा में राज्य के निवेश का उच्च स्तर, महिला शिक्षकों का एक बड़ा प्रतिशत और स्कूलों तक आसान पहुंच प्रदान करने वाली अच्छी परिवहन सुविधाएं, जो लड़कियों और महिला शिक्षकों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारण कारक हैं: भले ही केरल एक समृद्ध राज्य नहीं है यह अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 6.3 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रहा है। उत्तर प्रदेश का अनुपात लगभग 3.7 प्रतिशत है। केरल में 60 प्रतिशत से अधिक शिक्षक और दक्षिण क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक स्कूल शिक्षक महिलाएं हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 18 प्रतिशत है।इसके अलावा, सड़क परिवहन केरल में विश्वसनीय और आसानी से उपलब्ध है, जिससे महिला शिक्षक ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा कर सकती हैं।

2.10 लैंगिक असमानता की चुनौतियाँ

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता की समस्या अत्यन्त गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा दर लड़कों की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के स्तर पर भी लड़कियों की संख्या कम है।

लैंगिक असमानता के कारण कई हैं, जो निम्नवत् है –

- लड़कियों को घर के काम–काज में अधिक संलिप्त करना जिसके कारण लड़कियों के पास पढ़ाई के लिए कम समय बचता है।
- लड़कियों की सुरक्षा की चिंता के कारण अभिभावक लड़कियों को दूर स्थित स्कूलों में नही भेजना चाहते है।
- कई लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है।
- समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण लड़कियों को पारंपरिक भूमिकाओं में ढालने का दबाव होता है।

- शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए स्कूलों की संख्या बहुत कम होती है।

2.11 लैंगिक समानता के लिए प्रावधान एवं शैक्षिक नीतियाँ

महिलाओं को विशेष रूप से प्रारंभिक वैदिक काल में पुरुषों के समान स्थान प्राप्त था। जबकि मध्य काल के दौरान भारत में मुस्लिम शासकों के अधीन महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सामाजिक सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए बहुत संघर्ष एवं कार्य किए।

भारत का संविधान महिलाओं को उनके अधिकारों का प्रयोग करने और राष्ट्रीय विकास में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रावधान करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की स्थिति, अवसर और सम्मान का आश्वासन देती है। इस प्रकार, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान मानता है। भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार महिलाओं के लिए दिए गये है, जो निम्नवत् है –

(i) अनुच्छेद 14 महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है।

(ii) अनुच्छेद 15(1) विशेष रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है।

(iii) अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है।

(iv) अनुच्छेद 16 रोजगार या किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

ठीक इसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी भारत में महिलाओं के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करते हैं:

(i) अनुच्छेद 39 (ए) में यह प्रावधान है कि राज्य पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता और आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करने की दिशा में अपनी नीतियों का निर्देशन करेगा।

(ii) अनुच्छेद 39 (डी) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश देता है।

(iii) अनुच्छेद 42 में यह प्रावधान है कि राज्य न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।

भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों की दीर्घकालिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करके तथा एक ऐसा वातावरण बनाकर महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल हो।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. लैंगिक असमानता के दो कारण लिखिए।

.....

.....

7. अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान किए गये है?

.....

.....

8. अनुच्छेद 39(डी) में क्या प्रावधान वर्णित है?

.....

.....

2.12 सामाजिक–आर्थिक असमानताओं के कारण शिक्षा तक की पहुँच में चुनौतियाँ

भारत में शिक्षा तक पहुंच में कई सामाजिक और आर्थिक कारक बाधा उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम भारत के ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को अच्छे स्कूलों और कॉलेजों की आवश्यकता होती है। इन स्कूलो में कुर्सी, मेज, शिक्षकों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों जैसे बुनियादी ढांचे की भी कमी है। इन कारणों से भी स्कूलो में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के स्तर में असमानता दिखाई देती है। प्राथमिक शिक्षा के बाद प्रायः कई बच्चे स्कूल को छोड़ देते है। ग्रामीण भारत में माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कमी है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को शादी के सामाजिक दबाव या अपने माता–पिता के काम पर चले जाने के कारण अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है।

शिक्षा तक कम पहुंच के कुछ कारण प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, विशेषकर लड़कियों के लिए शौचालय; पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, अशिक्षा, शिक्षा तक कम पहुंच, गरीबी, पर्याप्त परिवहन की कमी, बाल विवाह और भाई–बहनों की देखभाल आदि प्रमुख कारण है।

2.13 लैंगिक बाधाओं को समाप्त करने में राष्ट्रीय नीतियों की भूमिका

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) ने स्वतंत्र भारत में शैक्षिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस शिक्षा नीति ने देश में सभी स्तरों पर आमूल चूल परिवर्तन किए और शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।

सम्पूर्ण भारत में शिक्षा की एक समान मानक संरचना को स्वीकार करना और अधिकांश राज्यों द्वारा 10+2+3 प्रणाली की शुरुआत करना इसका सबसे उल्लेखनीय कार्य रहा है। इसने स्कूल के पाठ्यक्रम में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए अध्ययन की एक समान योजना तैयार की। विज्ञान और गणित को आदर्श रूप से अनिवार्य विषयों के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करना तथा स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट अध्ययन केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया था।

शिक्षा को इस तरह से संरक्षित किया गया था कि वे महिला सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभा सके। शिक्षकों, निर्णयकर्ताओं और प्रशासकों के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण और अभिविन्यास के माध्यम से नए मूल्यों का संचार किया गया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी थी। महिला अध्ययन ने विभिन्न पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को महिलाओं के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया।

व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया। व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लिंग स्टीरियोटाइपिंग को खत्म करने के लिए गैर–भेदभाव की नीति अपनाई गई। महिलाओं की गैर–पारंपरिक व्यवसायों और उभरती प्रौद्योगिकियों में भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। नई नीति ने असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों में समानता लाने पर जोर दिया। अब तक समानता से वंचित महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने पर महत्व दिया गया। साक्षरता और महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रसार के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का 1992 में संशोधन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन0पी0ई) 1986, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, प्राथमिक शिक्षा के तीन पहलुओं पर बल देती है –

1. सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन
2. 14 वर्ष की आयु तक बच्चों का सार्वभौमिक धारण, और
3. शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार ताकि सभी बच्चे सीखने के बुनियादी स्तर को प्राप्त कर सकें।

1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसरण में महिलाओं की स्थिति से संबंधित कार्यान्वयन रणनीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

- संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को महिला सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करना।
- महिलाओं की स्थिति में वृद्धि और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित करना।
- लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़कर सभी स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार करना।
- एक गतिशील प्रबंधन संरचना बनाना जो इस आदेश द्वारा उत्पन्न चुनौती का जवाब देगी।

नीचे उल्लिखित रणनीतियाँ मुख्य रूप से पी.ओ.ए. (1992) के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन विवरणों से संबंधित हैं–

- शिक्षा विभाग के सभी ब्यूरो अगस्त 1993 तक अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में लैंगिक संबंधी मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करते हुए एक ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे। यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएसएसआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईएएमआर, राज्य बोर्ड, व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो आदि जैसे प्रासंगिक नोडल संस्थान समान कार्य योजना तैयार करेंगे।
- शिक्षा विभाग के योजना प्रभाग में एक निगरानी इकाई बनाई जाएगी ताकि नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं में लैंगिक मुद्दों के एकीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। यह इकाई कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संकेतक विकसित करेगी, सूचना के प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करेगी और कार्रवाई का समन्वय करेगी। यह अगस्त 1993 तक किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर इसी तरह की निगरानी इकाइयाँ/ब्यूरो स्थापित किए जाएंगे।
- सभी ब्यूरो और संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण होगा।

शिक्षा में समता और सामाजिक न्याय को इसकी समग्र रणनीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला समानता को शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, ने विशेष सहायता सेवाओं के प्रावधान पर बल दिया और शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ भेदभाव को रोकता है। कार्यक्रम कार्य योजना (पीओए), 1992, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है। यह सभी स्तरों पर शिक्षा के क्षेत्र में सभी अभिनेताओं, एजेंसियों और संस्थानों पर बाध्यकारी होना चाहिए कि वे लैंगिक संवेदनशील हों और यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं की सभी शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों में उनकी उचित भागीदारी हो।

3. महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, (2001)

भारत सरकार ने महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण लाने और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनाया। इसका उद्देश्य महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ समावेशी विकास को प्राप्त करना था। इस नीति का लक्ष्य भेदभाव को खत्म करने, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, साक्षरता उन्मूलन; एक लैंगिक–संवेदनशील शिक्षा प्रणाली बनाना, लड़कियों के नामांकन दर में वृद्धि करना और जीवन भर सीखने की सुविधा के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, साथ ही महिलाओं द्वारा व्यवसाय/व्यवसाय/तकनीकी कौशल के विकास की सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लैंगिक अंतराल को कम करना एक फोकस क्षेत्र होगा।

(i) सहायता सेवाएं – महिलाओं को बाल देखभाल सुविधाओं, जैसे कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में पालना घरों और वृद्धों और विकलांगों के लिए घरों जैसी सहायता सेवाओं का प्रावधान प्रदान किया जाएगा। एक सक्षम वातावरण बनाने और उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित और सुधार किया जाएगा।

(ii) साक्षर भारत /राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की कम साक्षरता दर के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जैसे लिंग आधारित असमानता, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण, घरेलू कार्यों में बालिका का व्यवसाय, स्कूलों में लड़कियों का कम नामांकन और कम रुकने की दर और उच्च ड्रॉपआउट दर आदि। इसलिए देश में महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई मुख्य रणनीतियों में कार्यात्मक साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण और गैर–औपचारिक शिक्षा शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) या साक्षर भारत मिशन, जिसका उद्देश्य उन वयस्कों को शैक्षिक विकल्प प्रदान करना है, जिनकी औपचारिक शिक्षा तक पहुंच नहीं है। इस योजना ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में महिला साक्षरता को केन्द्रित किया। अबराष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम), संशोधित साक्षर भारत महिलाओं और पिछड़े समुदायों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि पर अपने मुख्य लक्ष्य समूहों के रूप में केंद्रित है।

4. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा, (2016)

इस नीति का मिशन परिवार, समुदाय, कार्यस्थल और शासन में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं के विकास को सक्षम करने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा बनाना था। इस मसौदे नीति का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना और बालिकाओं के लिए पूर्व–प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए प्रयास करना है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने और नवीन और सुलभ शिक्षा प्रणालियों को विकसित करने से रोकने वाले महत्वपूर्ण बाधाओं की पहचान करना भी है।

मसौदा नीति का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ाना और बनाए रखने के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना भी था। नीति का उद्देश्य मातृ और प्रसवकालीन मृत्यु दर को कम करना, लड़कियों के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान करना जिससे वे स्कूल पहुंच सकें और उनकी सुरक्षा और अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करना भी था।

(i) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे की मुख्य विशेषताएं (2016)

अगस्त 2016 में महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया गया। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति, 2016 का उद्देश्य एवं विशेषताएँ निम्नवत् वर्णित है –

- जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान भागीदार प्रदान कर कार्य करने वाले समाज का निर्माण करना है।
- महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना।
- साइबरस्पेस को महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाना।
- महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देना।
- पूर्व–प्राथमिक शिक्षा, संवर्धन और किशोर लड़कियों की अवधारण में सुधार करना।
- कौशल विकास करना और समान रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- लड़कियों और महिलाओं को हिंसा के सभी रूपों से बचाना और लड़कियों/महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

5. एनसीएफ, 2005 में लैंगिक मुद्दों को संबोधित करना

राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और भारत सरकार, 2002 में वर्णित (एनएसएसओ 1995–96) जैसे आंकड़ों से पता चला कि स्कूलों में नामांकन हर दस लड़कियों में से नौ स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते और शहरी क्षेत्रों में कक्षा1 में दाखिल हर 100 लड़कियों में से मात्र 14 ही कक्षा 12 तक पहुंच पाती हैं।

राष्ट्रीय फोकस समूह ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे 2005 के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित किया है। शिक्षा में लैंगिक मुद्दों पर राष्ट्रीय फोकस समूह ने पूरी तरह से लिंग के मुद्दे को केन्द्रित किया है।

1. फोकस समूह की प्रारम्भिक समय में दो सिफारिशें

(i)**सभी लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच** – सभी के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देश के हर क्षेत्र में लड़कियों के लिए सुलभ स्कूलों का प्रावधान ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लड़कियों की शिक्षा तक समान पहुंच प्राप्त हो रही है।

(ii) **लड़कियों की शिक्षा की गुणवत्ता**– सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता तेजी से समाज के हाशिए के वर्गों, विशेषकर लड़कियों के लिए चिंता का विषय बन गई है, जो बदले में लड़कियों की उच्च ड्रॉपआउट दर से संबंधित है। इसलिए, सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षण की गुणवत्ता को मानक तक लाया जाना चाहिए।

महिला अध्ययन के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को पाठ्यक्रम, विभिन्न विषयों की सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण को आकार देने के लिए भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

फोकस समूह परियोजना ने "शिक्षा में लैंगिक मुद्दे: संदर्भ और चिंताएँ" और "संभावना इसे दो खण्डों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत् है–

(i) **प्रथम खण्ड**– "संदर्भ और चिंताएँ" यह पता लगाता है कि कैसे स्कूलीकरण सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण में लैंगिक असमानता को मजबूत करता है। मर्दानगी और स्त्रीत्व से संबंधित मानदंडों को पारंपरिक रूप से आत्मसात और अभ्यास किया जाता रहता है (जैसे लड़कों को स्कूल जाने की अनुमति होती है जबकि लड़कियां घर पर झाड़ू–पोछा करती हैं)। जाति, वर्ग, धर्म और ग्रामीण–शहरी विभाजन के संदर्भ लड़कियों को प्रभावित करते हैं और उन्हें सामाजिक रूप से कैसे बनाया जाता है।

(ii) **द्वितीय खण्ड –** "संभावना की एक परियोजना की ओर" में, लैंगिक नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए दृ ष्टिकोण में एक गतिशील बदलाव की आवश्यकता होती है। इसलिए, "समानता", "सशक्तिकरण", "मर्दानगी" और "लिंग" की धारणाओं को एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। यह स्कूल सुधारों पर जोर देता है जो 'चरित्र विकास' पर जोर देते हैं। "स्टीरियोटाइपिंग" एक विशेष संस्कृति में मौजूद है। उदाहरण के लिए, लड़कों को भावुक या कोमल, कमजोर या भयभीत होने से हतोत्साहित किया जाता है। उन्हें रोटी कमाने वाले, रक्षक और योद्धा की भूमिका दी जाती है। लैंगिक–न्यायपूर्ण समाज प्राप्त करने के लिए, शिक्षा में सशक्तिकरण एक सकारात्मक आत्म–छवि को बढ़ावा देता है, महत्वपूर्ण सोच को उत्तेजित करता है और वर्चस्ववादी शक्ति की संरचनाओं की समझ विकसित करता है जो लिंग–न्यायपूर्ण समाज के निर्माण को रोकता है।

6. लैंगिकता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

एन.ई.पी. 2020 अपनी नीतिगत निर्णयों के रूप में लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव दिए है –

एन.ई.पी. 2020 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति तैयार की है ताकि छात्र विशेषकर लड़कियां, स्कूल जाने के इच्छुक हों। एनईपी 2020 का उद्देश्य भारत में युवाओं की सीखने की जरूरतों का विस्तार और मजबूती प्रदान करना है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन

स्कूलिंग उन लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो एक भौतिक स्कूल में नहीं जा सकते हैं। सभी लिंगों के बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ाने और सीखने के लिए सहज और प्रेरित करने के लिए एक सुरक्षित, सर्व–समावेशी, प्रभावी सीखने के वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रावधानों में काम करने वाले शौचालय, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ स्थान, कंप्यूटर, इंटरनेट, पुस्तकालय, खेल और मनोरंजन सुविधाएं आदि शामिल हैं।

भारत सरकार की योजना सभी लड़कियों/किन्नर छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता निर्माण के लिए एक "लैंगिक समावेशी कोष" का गठन करने की है। ये फंड (एनईपी, 2020) "राज्यों को स्थानीय संदर्भों में समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी समुदाय–आधारित हस्तक्षेपों का समर्थन और पैमाने पर बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे जो महिलाओं और ट्रांसजेण्डर छात्रों की शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी के लिए विशिष्ट बाधाएं पैदा करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियां गुणवत्तापूर्ण स्कूलों (कक्षा 12 तक) में भाग लें। लैंगिक संवेदीकरण प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक और उच्च शिक्षा स्तरों पर सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का एक हिस्सा होगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित 1992, प्राथमिक शिक्षा के किन तीन पहलुओं पर बल देती है?

   .....

   .....

10. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016 की दो विशेषताओं को लिखिए।

    .....

    .....

11. फोकस समूह परियोजना शिक्षा में लैंगिक मुद्दे सन्दर्भ और विधाए तथा सम्भावनाए कितने खण्डों में विभक्त है?

    .....

    .....

2.14 सारांश

शिक्षा में लैंगिक समानता और निष्पक्षता एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसके दूरगामी प्रभाव समाज के सभी क्षेत्रों पर पड़ते हैं। यह एक ऐसा अधिकार है जो न केवल कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, बल्कि यह एक नैतिक और सामाजिक अनिवार्यता भी है।

लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षित महिलाएं अपने परिवारों, समुदायों और राष्ट्र के लिए सकारात्मक योगदान देती हैं। वे स्वास्थ्य, पोषण, बालदेखभाल और साक्षरता के स्तर में सुधार लाती हैं। इसके अलावा, शिक्षित महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम होती हैं।

जबकि भारत में लैंगिक असमानता की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों और कम आय वाले परिवारों में लड़कियों की शिक्षा दर अभी भी कम है। सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंड, बाल विवाह, और घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी जैसी बाधाएं लड़कियों की शिक्षा को बाधित करती हैं। इसलिए, शिक्षा में लैंगिक समता और समानता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु–आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें सरकार, शिक्षण संस्थान, परिवार, समुदाय और मीडिया की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लक्षित कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों, और नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है। भारत में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए हैं, हालांकि सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा की पहुंच में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, 1968 और 1986, शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इन नीतियों ने लैंगिक समानता पर जोर दिया और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया।

महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ, 2001 और 2016, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर आगे बढ़ी हैं। इन नीतियों ने महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

एनईपी 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है और लैंगिक संवेदीकरण को बढ़ावा देती है।

2.15 अभ्यास के प्रश्न

1. शिक्षा में समता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
2. संविधान में समानता को बढ़ाने के लिए किए गये प्रावधानों को लिखिए।
3. लैंगिक समानता के लिए निर्धारित शैक्षिक नीतियों की विवेचना कीजिए।

2.16 चर्चा के बिन्दु

1. शिक्षा में असमानता की प्रकृति और रूप पर चर्चा कीजिए।
2. शिक्षा में समता और समानता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए।

2.17 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1950

2. अनुच्छेद 21–ए

3. अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है, "भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग का, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।"

4. अनुच्छेद 28 (1) में वर्णित है, "राज्य के कोष से पूर्णतः अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।"

5. अनुच्छेद 15 (1) में प्रावधान है कि राज्य केवल लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक या समूह के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

6. (i) लड़कियों को घर के काम–काज में अधिक संलिप्त करना जिसके कारण लड़कियों के पास पढ़ाई के लिए कम समय बचता है।

(ii)लड़कियों की सुरक्षा की चिंता के करण अभिभावक लड़कियों को दूर स्थित स्कूलों में नही भेजने चाहते है।

7. अनुच्छेद 16 रोजगार या किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

8. अनुच्छेद 39 (डी) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश देता है।

9. (i) सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन

(ii) 14 वर्ष की आयु तक बच्चों का सार्वभौमिक धारण, और

(iii) शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार ताकि सभी बच्चे सीखने के बुनियादी स्तर को प्राप्त कर सकें।

10. (i) जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान भागीदार प्रदान कर कार्य करने वाले समाज का निर्माण करना है।

(ii) महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना।

11. दो खण्डों में।

2.18 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. रावत, प्यारे लाल (1975), प्राचीन और भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगराः भारत पब्लिकेशन्स।

2. गुप्ता, एस0पी0 तथा अल्का गुप्ता, (2008), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।

3. अग्निहोत्री, रविन्द्र (2006), आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याए और समाधान, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

4. इंदिरेसन, जया (2002), एजुकेशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट जेण्डर पैसिटिव इनिशिएटिप्सा इन सेटिंग विमेंस कॉलेजेस, नई दिल्लीः कोणार्क ।

5. चानना, कारण 2001 ईटरोग्रेटिग विमेंस एजुकेशन बाउंडेड विजेंस, एक्सपैडिंग होराइजंस, जयपुरः रावत पब्लिकेशन।

6. स्टैनले, एल. एण्ड वाइज, एस. (2002) 'व्हाट्स रांग विद सोशलाइजेशन', इन जैक्सन, एस. एण्ड स्कॉट, एस. (संपा.) जेण्डर : ए सोशियोलॉजिकल रीडर, लन्दन : रूटलेज।

7. Kabeer, N. (2010), Gender and Social Protection Strategies in the Informal Economy, London: Routledge.

8. Mitter, S. (2002), 'Women Working World Wide', In Jackson, S. and Scott, S. (Eds.) Gender: A Sociological Reader, London: Routledge,.

9. Patel, R. (2010), Working the Night Shift: Women in India's Call Center Industry, New Delhi: Orient Black Swan.

10. Redfern, C and Kristin Aune (2010). Reclaiming the F Word: The New Feminist Movement. Bangalore: Books for Change.

इकाई–3 : जेण्डर पूर्वाग्रह : जेण्डर पूर्वाग्रह की अवधारणा, जेण्डर पूर्वाग्रहके कारक और जेण्डर पूर्वाग्रहकोदूर करने के उपाय

इकाई की संरचना

3.1 प्रस्तावना

3.2 इकाई के उद्देश्य

3.3 जेण्डर पूर्वाग्रह की अवधारणा

3.4 जेण्डर पूर्वाग्रह के कारण

3.5 जेण्डर पूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय

3.6 जेण्डर विभेदीकरण

3.7 सारांश

3.8 अभ्यास के प्रश्न

3.9 चर्चा के बिन्दु

3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.1 प्रस्तावना

भारत वर्ष बहुसंख्य आबादी वाला देश है। इस देश की सभ्यता, संस्कृत, खान–पान, रहन–सहन एवं बोल–चाल राज्यवार अलग–अलग है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनके धर्मों एवं सम्प्रदाय के लोग रहते है। भरतीय संस्कृति में विश्व बन्धुत्व, भाई–चारा एवं सम्पूर्ण संसार एक परिवार है इस प्रकार की भावना से निहित है। इसके बावजूद भी छुआ–छूत, भेद–भाव इत्यादि कुछ अमानवीय मूल्य भी प्रायः देखे जा सकते है जो एक सभ्य समाज व राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सब कारक किसी भी राष्ट्र की प्रगती के लिए बाधक एवं धातक के रूप में विधमान रहते है। भारत में प्रत्येक स्तर पर विविधता पायी जाती है। भारत वर्ष एक विशालतम देश है यहां पर सम्पूर्ण आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है। यह भारत जैसे सभ्य समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी स्त्रियों को पुरूष के समान स्थान प्राप्त नहीं है, अर्थात महिलाओं को पुरूषों के समान कही भी बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। भारत में महिलाओं को विनम्र सदगुणी, अवला, निर्बल एवं असहाय की श्रेणी में रखकर उनके साथ न्याय नहीं किया गया। जब कसी राष्ट्र की स्त्रिया शिक्षित होगी तभी उस राष्ट्र का यथोचित विकास हो सकता है क्यों कि स्त्रियां ही बालक, बालिकाओं की जननी व प्रथम शिक्षिका होती है। यदि स्त्रियों को समाज में पुरूषों के समान हर क्षेत्र में स्थान प्रदान किया जायेगा तभी एक सभ्य एवं सुगठित समाज का निर्माण हो सकता है। इसलिए समाज एवं राष्ट्र से लिंगीय भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे स्त्रियां भी पढ–लिख कर शिक्षित समाज की प्रगति में अपने सम्पूर्ण योदान दे सके। लिंगीय भेदभाव न केवल भारत में अपितु सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है, इसे शिक्षा के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत इकाई में जेण्डर की अवधारणा इसके कारण एवं इनके निवारण हेतु क्या करना चाहिए इस पर विस्तृत चर्चा की गई है।

3.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. जेण्डर विभेद की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
2. जेण्डर पूर्वाग्रह के कारण को समझकर उसे अभिव्यक्त कर सकेंगे।
3. जेण्डर पूर्वाग्रह को दूर करने के उपायों को वर्णित कर सकेंगे।
4. जेण्डर पूर्वाग्रह के गुण–दोष को समझकर उस पर चिन्तन कर सकेंगे।
5. जेण्डर पूर्वाग्रह राष्ट्र की प्रगति में बाधक है इस पर चर्चा कर सकेंगे।

3.3 जेण्डर पूर्वाग्रह की अवधारणा

जेण्डर पूर्वाग्रह को लिंग के आधार पर जो असमानता है उसके आधार पर स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। समाज में बालक–बालिकाओं के आधार पर विभेद का चलन प्राचीन काल से चलता आ रहा है। पुरूष

प्रधान समाज में हमेशा पुरूषों को ही उच्च स्थान प्राप्त है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बालकों की शिक्षा – दीक्षा, पालन–पोषण इत्यादि में भेदभाव किया जाता है। बालिकाओं की शिक्षा–दीक्षा और पालन–पोषण की तरफ बालकों की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है। ऐसा करने से बालिकाओं के अधिकारों का हनन होता है। इस प्रकार की भावना के कारण बालिकाएँ बालक की अपेक्षा समाज में पीछे रह जाती है। यह पिछड़ापन पर योग्यता के आधार पर नहीं है, अपितु समाज की सर्कीण मानसिकता के दुष्परिणाम के कारण व्याप्त है। सदियों से यह मान्यता रही है कि जिस कार्य को पुत्र करता है या पुत्र का चेहरा देख लेने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बालिकाओं के जैविकिय बनावट के आधार पर उनकी सुरक्षा की चिन्ता के कारण भी इस प्रकार का विभेद देखने को मिलता है। इन सबके अतिरिक्त वंश परम्परा को आगे बढ़ाने, कुल के गौरव को आगे दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित करने इत्यादि कारणों के वजह से ही बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार की सोच के कारण लिंग के आधार पर जो भेद–भाव किया जाता है उसे जेण्डर पूर्वाग्रह कहते है।

3.4 जेण्डर पूर्वाग्रह के कारण

जेण्डर पूर्वाग्रह हमारे समाज, राष्ट्र एवं विश्व स्तर पर प्राचीन समय से चलता चला आ रहा है। जेण्डर पूर्वाग्रह रूढ़िवादि मानसिकता के कारण समाज में एक अभिशाप के रूप में है। इस प्रकार के विभेद के कारण ही देश की प्रगति अवरूद्ध होती है। इस प्रकार के विभेद में मूल रूप से अशिक्षा प्रमुख कारण है। बालकों को प्रमुख स्थान देना और बालिकाओं को श्रेष्ठवर न मानकर इनमें से एक प्रमुख कारण है। विभेद के कई वर्ग होते है, जो निम्नवत् है –

1. जाति आधारित विभेद
2. प्रजातीय विभेद
3. लिंग के आधार पर विभेद
4. भाषा के आधार पर विभेद
5. रंग के आधार पर विभेद
6. संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर विभेद
7. आर्थिक आधार पर विभेद
8. स्थान के आधार पर विभेद

बालक एवं बालिकाओं के मध्य विभेद के जितने भी प्रकार समाज में विद्यमान है, वे मानव सभ्यता एवं किसी भी सभ्य समाज के अभिशाप है। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण उत्थान एवं प्रगती में विभेद के ये सभी प्रकार अवरोधक का कार्य करते है। बालकों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना व कुलदीपक के रूप में स्थान देकर

बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि घटनाएं समाज में आम बात है। यदि कन्याओं का जन्म हो भी जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अन्य कारणों से विभेद का सामना करना पड़ता है। यूनेस्को की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक कन्याओं की हत्या गर्भ में ही कर दी जाती है। यह इस बात को इंगित करता है कि भारत में लैंगिक विभेद की स्थिति अत्यन्त भयावह है जो एक सभ्य समाज के लिए कलंक है। सम्पूर्ण संसार का लगभग 3/5 भाग बालिकाओं का है, जो शिक्षा से वंचित है। इस अभिषाप के कारण भारत में लड़कियों की साक्षरता दर कई छोटे –छोटे देशों से भी पीछे है, जो भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए चिन्ता का विषय है। जेण्डर पूर्वाग्रह के कौन–कौन से प्रमुख कारण है उनका रेखीय निरूपण म्निवत् है –

जेण्डर पूर्वाग्रह के कारण

- रूढ़िवादी मान्यताएँ एवं परम्पराएँ
- सोच की संकीर्णता
- जनमानस में जागरूकता का अभाव
- शिक्षा का निम्न स्तर (अशिक्षा)
- आर्थिक समस्या
- संख्त कार्यवाही का अभाव
- सम्यता एवं सांस्कृतिक कुप्रथाएँ
- समाज की कुप्रथाएँ
- दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था
- मनोवैज्ञानिक कारण

बोध प्रश्न

टिप्पणीः

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. जेण्डर पूर्वाग्रह के कुछ प्रकारों को लिखिए।

   .....

   .....

2. सोच की संर्कीणता को लिखिए।

   .....

.....

3.4.1 रूढ़िवादी मान्यताएँ एवं परम्पराएँ

रूढ़िवादी मान्यताएँ एवं समाज में व्याप्त परम्पराएँ जेण्डर पूर्वाग्रह के प्रमुख कारणों में एक है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक कार्य एवं क्षेत्र में पुत्र को उच्च स्थान प्रदान किया गया है। पुरूष प्रधान समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं है। बालिकाओं के पालन पोषण, उनके स्वतन्त्र जीवन यापन करने में हमेशा बन्दिशें लागू की गई जो बालिकाओं के साथ भेद–भाव पूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। भारतीय मान्यताओं और परम्पराओं में ऐसा वर्णित है कि पुत्र का चेहरा देख लेने मात्र से पाप से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के पश्चात् हाथ मुखाग्नि, श्राद्ध एवं पिण्डदान इत्यादि के संस्कार पुत्र के द्वारा ही सम्पन्न कराया जाना भेदभाव के कारणों में प्रमुख कारण है। स्त्रियों को चिता को अग्नि देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। हर कार्य में पुरूषों को ही अधिकार प्राप्त है। इन मान्यताओं एवं परम्पराओं में पूरा समाज चाहे वह शिक्षित हो या अनपढ़ सभी इस प्रकार की कुरूतियों में जकड़े हुए है। प्रायः समाज में ऐसा देखा व सुना जाता है कि कन्याओं की हत्या गर्भ में या जन्म के बाद भी कर दिया जाता है। समाज का कई वर्ग कन्याओं के जन्म को अभिशाप व बोझ समझते है। जिससे उचित ढ़ग से उनका पालन पोषण नहीं करते न ही उनकी शिक्षा की तरफ ठीक से ध्यान दिया जाता हे। अपने शास्त्रों में वर्णित है कि लड़कियां बाल्यावस्था में पिता के अधिन, युवावस्था में पति के अधिन तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधिन जीवन यापन करने के लिए विवश होती है। अपने जीवन का प्रत्येक पल उन्हें पुरूष के अनुसार ही जीना पड़ता है। स्त्रियों को इस पुरूष प्रधान समाज में अपने ढ़ग से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस समाज की बहुत बड़ी विडम्बना है कि स्त्री ही स्त्री के अधिकारों का हनन करती चली आ रही है। इस तरह की व्यवस्थाओं से जेण्डर पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिलता है।

3.4.2 सोच की संकीर्णता

समाज में इस प्रकार की सोच पल्वित व पुष्पित हो रही है कि बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च करना व्यर्थ होता है क्यों कि ये पराये घर चली जायेगी। इनके पालन–पोषण में व्यय व्यर्थ है, इनकी शादी के लिए दहेज देना होगा, विवाह को खोजने में व्यर्थ की भाग दौड़ होगी, जीवन पर्यान्त इनकी सुरक्षा व देखाभाल करनी होगी। इस संकीर्ण विचार धारा के कारण जेण्डर पूर्वाग्रह समाज में चहुओर व्याप्त है। वर्तमान समय में बालिकाओं ने इस संकीर्ण सोच को अपनी शिक्षा के द्वारा तोड़ा है उन्होंने सिद्ध किया है कि वे चुल्हा चौक के अलावा समाज के प्रगती में बालकों के समान योगदान कर सकती है। स्त्रियों के प्रति पुरूषों की संकीर्ण सोच व मानसिकता जेण्डर पूर्वाग्रह के कारणों में से एक मुख्य कारण है।

3.4.3 जनमानस में जागरूकता का अभाव

समाज में लोगों के अन्दर जागरूकता का अभाव होने के कारण भी लैंगिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है। समाज के लोगो के अन्दर गलत धारणा ने घर कर लिया है कि लड़कियों के ऊपर जैसे उनके पालन–पोषण, शिक्षा इत्यादि पर जो खर्च हो रहा है वह निरर्थक है। लड़कियां परिवार पर बोझ है। पल–पल इनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। इन सब कारणों से स्त्रियों को घर से बाहर जाने की स्वतन्त्रता नहीं है। प्रायः ऐसा मान लिया गया है। कि लड़कियों की बौद्धिक क्षमता बालकों से कम है। इस प्रकार की अनेको भ्रान्तियां समाज में व्याप्त है। जबकि यदि लड़कियों को भी लड़को के समान शिक्षित होने की सुविधा उपलब्ध कराई जाय तब ऐसी स्थिति में लड़कियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदरी सुनिश्चित कर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकती है। पुरूष व महिला मिलकर यदि किसी कार्य को पूर्ण करे तो निसंदेह सफलता अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार के भ्रम को तोड़ने के लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओं का नारा देकर समाज को जागरूक करने का मूल मंत्र दिया।

3.4.4 अशिक्षा के कारण

जेण्डर पूर्वाग्रह के प्रमुख कारणों में भारत की बहुसंख्यक आबादी का अशिक्षित होना है। अशिक्षा के कारण मानव समाज देश में व्याप्त कुप्रथाओं, मान्यताओं, रूढ़िवादिता इत्यादि के बन्धनों से अपने को मुक्त नहीं कर रहा है। इन कारणों के वजह से लोग लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देकर उन्हें ही सर्वोंच्च समझते है। समाज में सभी चीजो पर पहला अधिकार बालकों को दिया जाता है। आजकल लोगों की सोच बदल रही है। लोग विचार–विमर्श करने लगे है कि लड़को और लड़कियों में कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार की सोच शिक्षा के कारण ही उत्पन्न होने लगी है। अब लड़को के समान ही लड़कियों को भी पढ़ने–लिखने के समान अवसर प्राप्त होने लगे है, जिसके कारण लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रही है। अब प्रबुद्ध वर्ग यह सोचने पर बाध्य है कि यदि लड़कियाँ शिक्षित नही होगी तो समाज शिक्षित नहीं हो सकता। समाज में यदि लड़कियां नहीं होगी तो वंश परम्परा समाप्त होने लगेगा। लोग अब मानने लगे है कि लड़किया किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है और यह सोच शिक्षा के कारण ही लोगों में जागृत हुयी है।

3.4.5 आर्थिक समस्या

भारत एक गरीब देश है। इस देश में अधिकांश लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे है। धनाभाव के कारण परिवार के लोग केवल बालकों के ऊपर ही विशेष ध्यान देते है। प्रायः लोग बालकों को ही सन्तान के रूप में प्राथमिकता देकर उनकी अच्छी परवरिश करते है। इनका सोचना है कि पुत्र बड़ा होकर अधिक श्रम कर धर्नाजन करेगे जिससे उनका परिवार समृद्ध होगा। जबकि लड़कियों के प्रकरण में ऐसी धारणा है कि जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लड़कियों की शादी, शिक्षा एवं पालन–पोषण में व्यय होगा और लड़कियां शादी के

बाद दूसरे के घर चली जायेगी और ऐसी स्थिति में उनके परिवार को कोई लाभ नही होगा। इस वजह से व्यक्ति लड़कियों की अपेक्षा लड़को पर विशेष ध्यान केन्द्रीत करता है। इस प्रकार जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे लड़कियों की उपेक्षा करते है। इन कारणों से लैंगिक विभेद परिवार व समाज में बढ़ता है।

3.4.6 सरकार के उदासीन व्यवहार के कारण

सरकार के सख्त कार्यवाही न करने के कारण भी जेण्डर पूर्वाग्रह में वृद्धि होती है। सरकार के उदासीन कार्य व्यवस्था के कारण सरकारी संस्थानों, अस्पतालों में कन्याओं के प्रति विभेद किया जाता है। अस्पतलों में भ्रूण की जांच और जानकारी होने पर गर्भ में यदि कन्या है तो गर्भपात जैसे अपराध, सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लड़कियों के साथ अभद्रता, अमर्यादित आचरण का होना जेण्डर पूर्वाग्रह के प्रमुख कारण है। इन सबकों देख कर भी सरकार का कठोर कदम न उठाना तथा ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही न करना लैंगिक भेद–भाव में वृद्धि करता है।

3.4.7 सांस्कृतिक कुप्रथाएँ

भारतीय समाज अनादिकाल से ही पुरूष प्रधान रहा है। भारत वर्ष में कई विदुषी कन्याओं ने भी अपने ज्ञान से भारत का गौरव व मान बढ़ाया है परन्तु इनकी संख्या कम ही रही है। भारत वर्ष में स्त्रियों को वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें उनकी विद्वता व विलक्षण क्षमता के कारण प्राप्त होना चाहिए। स्त्री होने का परिणाम माँ सीता व द्रौपदी को भी उठाना पड़ा था। भारतीय प्रथाओं में धर्म एवं यज्ञ इत्यादि को सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व केवल पुरूषों को प्राप्त था। स्त्रियों को इन धार्मिक अनुष्ठानों एवं यज्ञों इत्यादि को करने का अवसर प्राप्त नहीं था। इन बातों से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल से ही स्त्रियों का स्थान गौण एवं पुरूषों को प्रधान स्थान प्राप्त था। ये सब उदाहरण जेण्डर पूर्वाग्रह के प्रमुख कारण रहे है जो आजतक चलते आ रहे है।

3.4.8 समाज में व्याप्त कुप्रथाएँ

आज जब भारत वैश्विक पटल पर अपने ज्ञान का परचम लहरा रहा है। देश सूर्य एवं चन्द्र तक अपनी पहुँच बना चुका है फिर भी वर्तमान सन्दर्भ में भारतीय जनमानस कुप्रथाओं और अन्धविश्वास की जन्जीरों में जकड़ा हुआ है। भारतीय समाज की कुछ कुप्रथाओं का वर्णन निम्नवत् किया जा रहा है –

1. दहेज प्रथा

दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है फिर भी भारतीय समाज में यह धीमे जहर के रूप में समस्त वर्ग के व्यक्तियों को अपने आगोश में खींच रहा है। पहले इसका चलन उच्च वर्ग की जाति के लोगों में तीव्र गति से बढ़ा जो धीरे–धीरे समाज के निम्नवर्ग यहाँ तक की आदिवासी समाज में भी अपनी जड़ों को जमा चुका है। इस

कुप्रथा के कारण ही माता–पिता कन्या के जन्म के बाद ही उसके विवाह व दहेज की चिन्ता से ग्रसित होते जाते है। जिसके कारण लोग नहीं चाहते कि उनके घर कन्या का जन्म हो।

2. कन्या भ्रूण हत्या

इस प्रकार की दयनीय घटनाओं के लिए केवल समाज का निम्न वर्ग जो अशिक्षित है वही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि जो समाज का उच्च वर्ग शिक्षित होने का दम्म भरता है, इस कुप्रथा को बढ़ाने में उसका सबसे अधिक हाथ है। सभी वर्ग के लोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। ऐसा वर्ग जो दर्दनाक हत्या के लिए जिम्मेदार है समाज में सिर उठाकर चलता है, जिसके कारण लोग कन्याओं को घृणा की दृष्टि से देखकर उनकी हत्या करते है। इस प्रकार की कुप्रथा को समाप्त करके ही एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है।

3. बाल विवाह

कानूनी तौर पर लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है फिर भी लोगों की धारणा ऐसी है कि वे लड़कियों को बोझ समझ कर अल्प आयु, बिना बालिग हुए ही उनका विवाह कर देते है। कम उम्र में ही विवाह हो जाने के कारण लड़कियां शिक्षित नहीं हो पाती जिसके कारण उनका पूर्ण विकास भी बाधित होता है। समाज के अन्ध विश्वासी व्यक्तियों का ऐसा मानना है कि रजोधर्म शुरू होने से पूर्व कन्यादान किया जाय तो उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। बाल विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा पूर्ण नही होती और वे घर की चार दीवारी में कैद होकर ही रह जाती है। अतः इस समाज से कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना चाहिए। कन्याओं का जल्दी विवाह कर देना भी जेण्डर पूर्वाग्रह का एक प्रमुख कारण है।

3.4.9 दोष पूर्ण शिक्षा व्यवस्था

भारतीय शिक्षा की व्यवस्था हमेशा से दोषपूर्ण रही है। दोष पूर्ण शिक्षा की संरचना करने से शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से नहीं हो पाता है। विशेष रूप से लड़कियों के निमित्त जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू है वह अव्यवहारिक तथा अप्रभावी है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से समय, श्रम एवं अर्थ का अपव्यय होता है। अतः लोगों की ऐसी धारणा बनती है कि लड़कियों की शिक्षा पर होने वाला व्यय व्यर्थ है। इस सोच के कारण भी जेण्डर पूर्वाग्रह की भावना विकसित होती है।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कमियों को निम्नवत् समझा जा सकता है –

1. दोष पूर्ण पाठ्यक्रम
2. शिक्षण उद्देश्य का अपूर्ण होना

3. अप्रभावी शिक्षण विधियां

4. अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या

5. लड़कियों के लिए विद्यालयों की कमी

6. कन्या विद्यालयों का दूर स्थित होना

7. व्यवसायिक विद्यालयों का अभाव

8. जेण्डर पूर्वाग्रह

वर्तमान में जो पाठ्यक्रम निर्मित है उसे लड़कियों की रूचि एवं अभिरूचि को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया, जिसके कारण यह पाठ्यक्रम बालिका शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। शिक्षण विधियाँएकपक्षीय है लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखकर इसका निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण लड़कियों की रुचि शिक्षण में नहीं हो पाती है। अपव्यय तथा अवरोधन की घटना का प्रमुख कारण शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कमियों के कारण होता है। विद्यालयों के दूर–दराज स्थित होने के कारण लड़कियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। माता–पिता सह–शिक्षा प्राप्त करने के विरोधी होते हैं, वे लड़कों के साथ लड़कियों की शिक्षा का समर्थन नहीं करते हैं। लड़कियों के लिए समुचित विद्यालयों का प्रायः अभाव है। विद्यालयों में लड़कियों की शिक्षा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी अभाव है जिसके कारण शिक्षा बालिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। विद्यालय शिक्षा में पुरुष शिक्षकों की सोच बालिकाओं के प्रति विभेद प्रदर्शित करती है, जिससे लड़कियों के अंदर हीनता की भावना उत्पन्न होती है। इसे दूर करने के लिए विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति अधिक से अधिक करनी चाहिए, जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। शिक्षा के माध्यम से ही लिंग भेद को समाप्त किया जा सकता है।

3.4.10 मनोवैज्ञानिक कारक

स्त्री एवं पुरूष में विभेद के लिए मनोवैज्ञानिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारम्भिक समय से ही स्त्रियों के मन–मस्तिष्क में यह धारणा बन गई है कि पुरूष हमेशा स्त्रियों से श्रेष्ठ व समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते है। पुरूष के श्रेष्ठ होने के कारण स्त्रियों को पुरूषों की प्रत्येक बात का पालन अक्षरशः करना पड़ता है। बिना पुरूष के न महिला की पहचान है न उनका समाज में कोई अस्तित्व, स्त्रियों के मन में यह बात भर दी जाती है कि वे अपनी सुरक्षा स्वयं नही कर सकती बल्कि पुरूष ही उनको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हमारा समाज भी उन्हीं महिलाओं को प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करता है जिनको पुरूष का सानिध्य प्राप्त हो। अकेली महिला को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा वे सम्मान प्राप्त करने की अधिकारी नही होती है। ऐसे तथ्यों को समझने, देखने व सुनने के बाद स्त्रियों के मन में यह धारण अन्दर तक उनको झकझोर देती है कि पुरूष उनसे सर्वथा श्रेष्ठ है

यह बौद्धिकता के आधार पर नहीं अपितु उनके लड़की होने के कारण ऐसा समाज की धारणा के कारण है। इन सब कुरितियों व बुराइयों को देखकर स्त्री ही कन्या को जन्म नहीं देना चाहती और बालिकाओं के उन्नयन का विरोध भी करती है। अतः इस प्रकार की धारणा जो लड़कियों के लिए समाज में व्याप्त है, परिवर्तित करना होगा। ये कारण भी जेण्डर पूर्वाग्रह के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. जेण्डर पूर्वाग्रह के कारणों को लिखिए।

.....

.....

4. सांस्कृतिक कुप्रथा को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

5. समाज में व्याप्त कुछ कुप्रथाओं के नाम लिखिए।

.....

.....

6. दहेज कुप्रथा पर टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

3.5 जेण्डर पूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय

वर्तमान समय में आम जनमानस शिक्षा की महत्ता को समझ रहा है। लोगों को अब लगने लगा है कि बिना शिक्षा के सभ्य समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही समाज में व्याप्त कुरीतियों व अंधविश्वासों को समाप्त किया जा सकता है। अब लोग लड़कियों की शिक्षा के प्रति भी जागरूक हुए हैं वे अब अपनी बेटियों को भी पुत्रों के समान शिक्षित करने हेतु आगे बढ़ रहे हैं, इसका परिणाम यह प्राप्त हुआ है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई जिसके करण साक्षरता दर में भी वृद्धि देखी जा रही है। परन्तु जेण्डर पूर्वाग्रह के सन्दर्भ में स्थिति अभी भी चिंताजनक ही है। बालक और बालिकाओं के मध्य कई प्रकार के विभेद देखे जा सकते हैं। आधी आबादी यानी लड़कियों के बुद्धि का प्रयोग देश की तरक्की हेतु अभी नहीं हो पा रहा है। वर्तमान समय में इस जेण्डर पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए कई सरकारी, अर्ध सरकारी तथा समाजसेवी संगठनों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं जिसके कारण लोगों के अन्दर जागरूकता आ रही है। जेण्डर पूर्वाग्रह को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जा सकते हैं जिनका विवरण निम्नवत है –

1. शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार।
2. जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रयास।
3. भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कठिन नियम।

4. कन्या शिक्षा पर बल।

5. शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रभावी उपाय।

6 .सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रतिबन्ध।

7. बालिका शिक्षा हेतु व्यावसायिक विद्यालयों का अलग से गठन।

8. सामाजिक परम्पराओं एवं मान्यताओं पर प्रतिबन्ध।

9. सुरक्षा की भावना।

10. प्रशासनिक प्रवास।

11. संवैधानिक उपाय।

3.5.1 शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार

बालक एवं बालिकाओं के मध्य तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक दोनों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त नहीं होगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जेण्डर पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सकता है। बालिकाओं को भी शिक्षा के लिए बाहर जाने की स्वतंत्रता, विद्यालयों की उपलब्धता तथा उन्हें भी समाज में लड़कों के बराबर अधिकार प्रदान किए जाएं। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सम्पूर्ण देश में व्यापक स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब व्यक्ति एवं समाज पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लड़कियों को शिक्षित करने की दिशा में पहल करेगा तथा बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्मान देते हुए पढ़ने के अवसर सुलभ कराएंगे तभी जेण्डर पूर्वाग्रह को जन शिक्षा के माध्यम से काम किया जा सकेगा।

3.5.2 जन मानस में जागरूकता लाने हेतु प्रयास

भारत जैसे विशाल राष्ट्र में अभी भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। जनमानस के अन्दर चेतन लाकर की स्त्रियां ही वंश परम्परा की वाहक व जननी है इनकी महत्ता को जब समाज स्वीकार कर लड़कों के समान ही पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा तभी जेण्डर पूर्वाग्रह को समाज से समाप्त किया जा सकता है इसको जागरूकता के द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

3.5.3 भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कठोर नियम एवं प्रावधान

कानून की दृष्टि में भ्रूण हत्या एक अपराध है। लड़कियों के प्रति समाज की सोच अत्यन्त निम्न स्तर की होने के वजह से चोरी छिपे क्लीनिक इत्यादि में कन्या भ्रूण हत्या किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है कि वे भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जागरूकता फैलाएं। ऐसे क्लीनिक सेंटर जो कन्या भ्रूण हत्या कार्य में संलिप्त हैं उनको कठोर सजा मिले। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो कानून बने हुए हैं उनका कठोरता से पालन करना चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी करनी चाहिए।

3.5.4 कन्या शिक्षा पर बल

कन्या शिक्षा को वृहद स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, इसका व्यापक स्तर पर प्रसार होना चाहिए। कन्याओं को शिक्षित करके जेण्डर पूर्वाग्रह को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। प्रायः ऐसा पाया गया है कि जिस क्षेत्र में लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, वहां पर लड़कियों के लिंगानुपात में भी वृद्धि पाई गई है। इससे स्पष्ट है कि लिंगानुपात में वृद्धि शिक्षा के कारण हुई है। शिक्षित लड़कियां परिवार पर बोझ नहीं होती अपितु लड़कों के समान वे भी परिवार के उत्तरदायित्व को उठाने की दिशा में कार्य करती हैं। इससे भी लैंगिक विभेद में कमी आती है।

3.5.5 शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रभावी उपाय

वर्तमान समय में भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था का अनुसरण करने के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली भारतीय जनमानस एवं समाज की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है जिसकी वजह से यह समाज के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाती। ऐसी शिक्षण व्यवस्था को समाज का प्रत्येक वर्ग केवल पुस्तकीय ज्ञान के रूप में देखता है, जिसके कारण वे लड़कियों को शिक्षित करने हेतु उत्साहित नहीं होते और लड़कियों को घर के काम में दक्षता प्रदान करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अनेक कमियां है। इन कर्मियों का निराकरण निम्नानुसार किया जा सकता है –

1. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को भारतीय जनमानस की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
2. शिक्षा को लड़कियों के जीवन से संदर्भित करते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
3. प्रभावी शिक्षण विधियों एवं नवाचार के साथ तकनीकी शिक्षा की दिशा में बल दिया जाना चाहिए।
4. विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं तथा निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
5. शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाया जाना चाहिए।
6. महिला शिक्षा को व्यवसाय से जोड़कर तैयार किया जाना चाहिए।
7. रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था महिलाओं के लिए सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।
8. विद्यालय में स्त्री–पुरुष के मध्य भेदभाव नहीं करना चाहिए।

3.5.6 सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रतिबन्ध

समाज में प्राचीन समय से ही अनेकों प्रकार की कुप्रथाएं चलती आ रही है। इस प्रकार की कुप्रथाएं महिलाओं को ही प्रभावित करती आ रहीं हैं। इस प्रकार की प्रथाओं के असर से ही महिलाओं की प्रगति जिस गति से होनी चाहिए नहीं हो पाई है। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा के अलावा बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक इत्यादि कुप्रथाओं के कारण महिलाएं अशिक्षित ही रही जिसके कारण जेण्डर पूर्वाग्रह प्रभावी रहा। लड़कों की अपेक्षा

लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए अथक प्रयास किए गए जिसके कारण कई कुप्रथाएं समाप्त हो चुकी है और कुछ अभी भी चल रही हैं, जिन्हें समाप्त कर जेण्डर पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है।

3.5.7 बालिका शिक्षा हेतु व्यावसायिक विद्यालयों का अलग से गठन

पुरुष प्रधान समाज में जहां केवल बालकों के उन्नयन हेतु सारी सुविधाएं दी गई वहीं पर महिला शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रयास की सर्वथा कमी रही। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए, जिससे बालिकाएं कौशल युक्त शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं की स्थिति में सुधार केवल साक्षरता दर को बढ़ाकर पूर्ण नहीं किया जा सकता बल्कि उनके लिए उनकी रुचि एवं अभिरुचि के अनुसार रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करके उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाना चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए बालिकाओं के निमित्त अलग से व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए, जब महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी तभी पुरूषों के समान स्थान प्राप्त कर सकती हैं। इस दिशा में किए गए कार्यों एवं प्रयासों के माध्यम से लिंगीय भेदभाव को कम किया जा सकता है।

3.5.8 सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं पर कठोर प्रतिबन्ध

राष्ट्र में प्राचीन काल से ही कई प्रकार की सामाजिक परंपराएं एवं मान्यताएं प्रचलन में है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसका अनुसरण करते आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इस प्रकार की परंपराओं और मान्यताओं का पालन नहीं किया गया तो सामाजिक के साथ–साथ धार्मिक अनिष्ट का डर व्यक्तियों में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार की गलत परंपराएं एवं मान्यताएं जो समाजोपयोगी नहीं है उन्हें धीरे–धीरे समाप्त कर देना चाहिए। लड़कियां भी भगवान की अनुपम रचना है और लड़कियां भी पुरुषों के समान प्रत्येक कार्य तथा संस्कार को पूर्ण करने में सक्षम है। स्त्री–पुरुष किसी कार्य को समान रूप से करने में सक्षम है। अतः समाज में पुरुष के समान ही स्त्रियों को स्थान प्रदान करना चाहिए। गलत परंपराओं और मान्यताओं को समाप्त करके ही स्त्री एवं पुरुष के मध्य विभेद को कम किया जा सकता है।

3.5.9 सुरक्षा की भावना

स्त्री एवं पुरुष में विभेद इसलिए भी किया जाता है कि जैसे–जैसे लड़कियां बड़ी होती रहती है उनकी शारीरिक संरचना मैं जैविकीय क्रिया के कारण परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। समाज में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के इंसान वास करते हैं। कुछ अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति समाज के द्वारा मान्य नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते ऐसे व्यक्ति स्त्रियों का आदर नहीं करते उनके ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण माता–पिता अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। लड़कियों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारा समाज अभी भी बालिकाओं के

लिए सुरक्षित नहीं है। आए दिन तरह–तरह की अप्रिय घटनाएं बालिकाओं के साथ घटती हैं जैसे दुराचार, अम्ल आक्रमण इत्यादि। महिलाओं को समाज में सुरक्षित वातावरण मिले इसके लिए प्रशासन के साथ–साथ समाज को भी सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि यदि बालिकाएं घर से बाहर निकले तो वे सुरक्षित रहें तथा उनके माता–पिता भी निश्चिंत होकर लड़कियों की शिक्षा एवं बेहतरी के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर सकें। ऐसे परिवेश में बालिकाएं बाहर निकलकर, निर्भीक होकर रोजगार कर सकेंगी तथा आत्मनिर्भर बन सकेंगी। रोजगार इत्यादि में संलिप्त होकर महिलाएं पुरुष की बराबरी कर सकेंगी और राष्ट्र के उत्थान में निर्भीकता के साथ अपना योगदान दे सकेंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जेण्डर पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है।

3.5.10 प्रशासनिक सहयोग

जेण्डर पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की पूर्ति के लिए जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। प्रशासन के द्वारा ऐसे क्लिनिक, संस्थान तथा व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, जो महिला विरोधी कार्यों में संलिप्त हो। जेण्डर पूर्वाग्रह को कम करने के लिए प्रशासन स्तर पे साहसी और प्रतिभावान महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे उत्कृष्ट कार्य को करने हेतु अग्रसर हो सकें।

3.5.11 संवैधानिक उपाय

भारतीय संविधान में स्त्रियों की सुरक्षा एवं विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए अनेकों प्रावधान किए गए हैं। संविधान में स्त्री–पुरुष के मध्य कोई विभेद नहीं किया गया है जो भी मौलिक अधिकार पुरुषों को प्राप्त हैं, वे सभी अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त हैं। अतः महिलाओं के निमित्त संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में लोगों के अंदर जानकारी का अभाव है। अतः इन प्रावधानों के विषय में लोगों को जागरूक करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

3.6 जेण्डर विभेदीकरण

बालक एवं बालिकाएं होमोसेपियंस कुल से सम्बन्ध रखने के कारण समान होते हैं। बालिकाओं को जन्म से ही वे सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। बालकों के समान लड़कियों को भी सभी मौलिक अधिकार जैसे जीवन, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। लड़कियां जन्म से पहले जन्म के बाद अनेकों प्रकार की सामाजिक कुरीतियों एवं प्रथाओं के कारण भेदभाव पूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य होती हैं। लड़कियों के लिए संविधान में जो भी अधिकार निहित हैं या तो उन्हें प्रदान नहीं किया जाता और यदि प्राप्त है तो उन्हें उनसे छीन लिया जाता है। सम्पूर्ण संसार की लड़कियां हिंसा, बहिष्कार तथा शोषण की शिकार होती हैं। लड़कियों के प्रति इस प्रकार का भेदभाव संसार की सभी लड़कियों के प्रति होता है जो पुरुष की प्रधानता को

दर्शाता है। महिलाओं के प्रति इस प्रकार का भेद–भाव घर, परिवार, समाज, समुदाय एवं सरकार के स्तर से सभी स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है। अधिकांशतः यह भेदभाव उस वक्त से परिलक्षित होने लगता है जब कन्या गर्भ में होती है। गर्भ में ही कन्या की हत्या कर दी जाती है क्योंकि इस समाज में बालक को प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रायः देखा गया है कि विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में बालकों को धार्मिक तथा पारम्परिक रीति–रिवाजों के कारण अधिक महत्व दिया जाता है। लोगों की ऐसी धारणा है कि लड़का ही वृद्धावस्था में सहारा बनेगा तथा अंतिम क्रिया कर्म भी लड़के के हाथ से ही संपन्न होगा। कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख कारण दहेज प्रथा भी है।

समाज में लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति भी लोगों में उदासीनता पाई जाती है। अधिकांश देशों में कन्या शिशुओं की मृत्यु दर बालक शिशुओं की अपेक्षा अधिक है। लड़कियों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कों को पौष्टिक आहार दिए जाते हैं जबकि लड़कियों को बचा हुआ खाना ही खाने के लिए दिया जाता है। लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिससे समयाभाव के कारण वे शिक्षित नहीं हो पाती हैं। माता–पिता लड़कों को पढ़ाने में अधिक रुचि दिखाते हैं जिससे लड़के कमाकर उनका सहारा बनें जबकि लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि विवाह के उपरांत वे दूसरे के घर चली जाएंगी और उन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। लड़कियों को शिक्षित ना करने के कई दुष्परिणाम भी हैं। जब लड़कियां शिक्षित होंगी तभी अगली पीढ़ी शिक्षित, संस्कारी एवं उनके अंदर अच्छे मूल्यों का समावेश होगा।

लड़कियों को अक्सर लैंगिक हिंसा का शिकार बनाया जाता है जैसे शोषण, बलात्कार, अम्ल आक्रमण, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या इत्यादि। घरेलू हिंसा भी एक प्रकार की लैंगिक हिंसा ही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लड़कियों को हिंसा, भेदभाव तथा बहिष्कार से बचाया जाना चाहिए। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर सजा का प्रावधान करते हुए कठोर सजा देनी चाहिए। लड़कियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाना चाहिए। लड़कियों को शिक्षा का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, पुरुषों के साथ समानता का अधिकार प्रदान कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए।

स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि उन्हें कब और किससे अपना विवाह करना है तथा उन्हें वे समस्त अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिससे वे बिना डर के सम्मान जनक जीवन जी सकें उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिससे वे पुरुषों के समान कार्य कर सकें और उन्हें अभिमान का अनुभव हो कि वे एक सशक्त, सबल एवं आत्मनिर्भर महिला हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्न बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. जेण्डर पूर्वाग्रह दूर करने के चार उपायों को लिखिए।

.....

.....

8. जेण्डर पूर्वाग्रह दूर करने हेतु संवैधानिक सुझाव लिखिए।

.....

.....

9. घरेलू हिंसा किस प्रकार की हिंसा है?

.....

.....

3.7 सारांश

राष्ट्र को समाज विरोधी कृत्यों का सामना करने के लिए सभी को संगठित होने के साथ एक दूसरे का आदर, सम्मान और सहिष्णुता का आचरण समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार के भेदभाव का अन्त घर के अन्दर से प्रारंभ कर समाज तथा राष्ट्र तक फैलाना होगा। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है इसलिए वह सभी में श्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को लिंगीय भेदभाव को समझ कर उसे दूर करने की दिशा में कार्य करना चाहिए तथा समाज में व्याप्त जेण्डर पूर्वाग्रह को दूर कर स्त्री एवं पुरुष को समान मानते हुए उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में जेण्डर पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के कार्य किया जा रहे हैं। इन कार्यों को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है क्योंकि यह कार्य केवल योजनाओं तक ही सीमित ना हो जाए इसे देखने व समझने की आवश्यकता है। जेण्डर पूर्वाग्रह को समाप्त करने में शिक्षा ही अहम भूमिका निभा सकती है इसलिए लड़कों के समान ही लड़कियों को पढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जब समाज का नजरिया लड़कियों के प्रति परिवर्तित होगा और वह बाहर निकलकर पुरुषों के समान कार्य कर सकेंगे तभी देश के विकास में अपना योगदान भी दे सकेंगे जिसके परिणाम स्वरुप समाज से जेण्डर पूर्वाग्रह समाप्त हो सकेगा।

3.8 अभ्यास के प्रश्न

1. जेण्डर पूर्वाग्रह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
2. जेण्डर पूर्वाग्रह के कारणों पर प्रकाश डालिए।
3. जेण्डर पूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय लिखिए।

3.9 चर्चा के बिन्दु

1. जेण्डर पूर्वाग्रह के दुष्परिणामों पर चर्चा कर कीजिए।
2. जेण्डर पूर्वाग्रह के कारणों एवं उनके निवारण के उपायों पर चर्चा कीजिए।

3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. जाति आधारित विभेद, प्रजातीय विभेद, लिंग के आधार पर विभेद एवं भाषा के आधार पर विभेद
2. समाज में इस प्रकार की सोच पल्वित व पुष्पित हो रही है कि बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च करना व्यर्थ होता है क्यों कि ये पराये धर चली जायेगी। इनके पालन–पोषण में व्यय व्यर्थ है, इनकी शादी के लिए दहेज देना होगा, विवाह को खेजने में व्यर्थ की भाग दौड़ होगी, जीवन पर्यान्त इनकी सुरक्षा व देखाभाल करनी होगी। इस संकीर्ण विचार धारा के कारण भी जेण्डर पूर्वाग्रह समाज में चहुओर व्याप्त है। वर्तमान समय में बालिकाओं ने इस संकीर्ण सोच को अपनी शिक्षा के द्वारा तोड़ा है उन्होंने सिद्ध किया है कि वे चुल्हा चौक के अलावा समाज के प्रगती में बालाकों के समान योगदान कर सकती है। स्त्रियों के प्रति पुरूषों की संकीर्ण सोच व मानसिकता जेण्डर पूर्वाग्रह के कारणों में से एक मुख्य कारण यह भी है।
3. जेण्डर पूर्वाग्रह के कारण – रूढ़िवादी मान्यताएँ एवं परम्पराएँ, सोच की संकीर्णता, जनमानस में जागरूकता का अभाव, शिक्षा का निम्न स्तर (अशिक्षा) एवं आर्थिक समस्या
4. भारतीय समाज अनादिकाल से ही पुरूष प्रधान रहा है। भारत वर्ष में कई विदुषी कन्याओं ने भी अपने ज्ञान से भारत का गौरव व मान बढ़ाया है परन्तु इनकी संख्या न्यूनतम ही रही है। भारत वर्ष में स्त्रियों को वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें उनकी विद्वता व विलक्षण क्षमता के कारण प्राप्त होना चाहिए। स्त्री होने का परिणाम माँ सीता व द्रौपदी को भी उठाना पड़ा था। भारतीय प्रथाओं में धर्म एवं यज्ञ इत्यादि को सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व केवल पुरूषों को प्राप्त था। स्त्रियों को इन धार्मिक अनुष्ठानों एवं यज्ञों इत्यादि को करने का अवसर प्राप्त नहीं था। इन बातों से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल से ही स्त्रियों का स्थान गौण एवं पुरूषों को प्रधान स्थान प्राप्त था। ये सब उदाहरण जेण्डर पूर्वाग्रह के प्रमुख कारण रहे है जो आजतक चलते आ रहे है।
5. दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह।
6. दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है फिर भी भारतीय समाज में यह धीमे जहर के रूप में समस्त वर्ग के व्यक्तियों को अपने आगोश में खींच रहा है। पहले इसका चलन उच्च वर्ग की जाति के लोगों में तीव्र

गति से बढ़ा जो धीरे–धीरे समाज के निम्नवर्ग यहाँ तक की आदिवासी समाज में भी अपनी जड़ों को जमा चुका है। इस कुप्रथा के कारण ही माता–पिता कन्या के जन्म के बाद ही उसके विवाह व दहेज की चिन्ता से ग्रसित होते जाते है। जिसके कारण लोग नहीं चाहते कि उनके घर कन्या का जन्म हो।

7. शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रयास, भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कठिन नियम एवं कन्या शिक्षा पर बल।
8. भारतीय संविधान में स्त्रियों की सुरक्षा एवं विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए अनेकों प्रावधान किए गए हैं। संविधान में स्त्री पुरुष के मध्य कोई विभेद नहीं किया गया है जो भी मौलिक अधिकार पुरुषों को प्राप्त हैं वे सभी अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त हैं। अतः महिलाओं के निमित्त संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में लोगों के अंदर जानकारी का अभाव है अतः इन प्रावधानों के विषय में लोगों को जागरूक करने की अत्यधिक आवश्यकता है।
9. घरेलू हिंसा एक प्रकार की लैंगिक हिंसा है।

3.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. रावत, प्यारे लाल (1975), प्राचीन और भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगराः भारत पब्लिकेशन्स।
2. गुप्ता, एस0पी0 तथा अल्का गुप्ता, (2008), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।
3. अग्निहोत्री, रविन्द्र (2006), आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याए और समाधान, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. इंदिरेसन, जया (2002), एजुकेशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट जेण्डर पैसिटिव इनिशिएटिप्सा इन सेटिंग विमेंस कॉलेजेस, नई दिल्लीः कोणार्क ।
5. चानना, कारण 2001 ईटरोग्रेटिग विमेंस एजुकेशन बाउंडेड विजेंस, एक्सपैडिंग होराइजंस, जयपुरः रावत पब्लिकेशन।
6. स्टैनले, एल. एण्ड वाइज, एस. (2002) 'व्हाट्स रांग विद सोशलाइजेशन', इन जैक्सन, एस. एण्ड स्कॉट, एस. (संपा.) जेण्डर : ए सोशियोलॉजिकल रीडर, लन्दन : रूटलेज।
7. Kabeer, N. (2010), Gender and Social Protection Strategies in the Informal Economy, London: Routledge.
8. Mitter, S. (2002), 'Women Working World Wide', In Jackson, S. and Scott, S. (Eds.) Gender: A Sociological Reader, London: Routledge,.
9. Patel, R. (2010), Working the Night Shift: Women in India's Call Center Industry, New Delhi: Orient Black Swan.
10. Redfern, C and Kristin Aune (2010). Reclaiming the F Word: The New Feminist Movement. Bangalore: Books for Change.

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

B.Ed.E-10
(जेण्डर, विद्यालय एवं समाज)
Gender, School and Society

खण्ड– 02

जेण्डर अध्ययन : प्रतिमान बदलाव

इकाई 4	जेण्डर अध्ययन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	65
इकाई 5	जेण्डर अध्ययन के सिद्धांत	76
इकाई 6	जेण्डर अध्ययन के प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक	87

खण्ड 02 : जेण्डर अध्ययन : बदलते प्रतिमान

खण्ड परिचय

इस खंड में जेण्डर अध्ययन के संदर्भ में उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा की गई है। इसी क्रम में जेण्डर अध्ययन के विभिन्न सिद्धांतों को केंद्र में रखकर एक इकाई की पाठ्यवस्तु विकसित की गई है तथा खंड में दी गई इकाई के गठन में विशेष रूप से कारकों की पहचान करने का प्रयास किया गया है जिनके कारण जेण्डर अध्ययन के प्रतिमान समय–समय पर बदल जाते हैं। इस प्रकार इस खंड में कुल तीन इकाइयां हैं जो निम्नलिखित हैं–

इकाई – 4 : जेण्डर अध्ययन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

इस इकाई के अंतर्गत ऐतिहासिक काल क्रम की चर्चा की गई है। इस इकाई की पाठ्यवस्तु का चयन यह ध्यान रखकर किया गया है कि जिससे जेण्डर अध्ययन के विभिन्न कालखंडों का बोध विद्यार्थियों को हो सके।

इकाई – 5 : जेण्डर अध्ययन के सिद्धांत

विद्यार्थी को जेण्डर अध्ययन के कालखंड से परिचित कराया जा सके और इकाई 5 में जेण्डर अध्ययन के विभिन्न सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा की गई है। इस इकाई के स्वाध्याय के पश्चात विद्यार्थियों को जेण्डर अध्ययन के विभिन्न सिद्धांतों का बोध होने की संभावना बनती है।

इकाई – 6 : जेण्डर अध्ययन के प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक

जेण्डर अध्ययन के प्रतिमानों में परिवर्तन के उत्तरदाई कारकों की इकाई 6 में विस्तृत चर्चा की गई है। इस इकाई की पाठ वस्तु का चयन और विकास ऐसे किया गया है कि शिक्षार्थी इसके स्वाध्याय के पश्चात उन कारकों की पहचान कर सकेंगे जिनके कारण जेण्डर अध्ययन के विभिन्न प्रतिमान समय पर परिवर्तित होते रहते हैं।

इकाई – 4 : जेण्डर अध्ययन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

इकाई की संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 इकाई के उद्देश्य

4.3 जेण्डर अध्ययन

4.3.1 जेंण्डर अध्ययन का अर्थ एवं महत्व

4.3.2 लिंग एवं जेण्डर में अन्तर

4.3.3 जेण्डर अध्ययन का प्रारंभ

4.3.4 जेण्डर अध्ययन का अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश के लाभ

4.4 जेण्डर अध्ययन का इतिहास

4.5 भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनों द्वारा जेण्डर की पुर्नव्याख्या

4.6 पुरुषत्व एवं नारीत्व के प्रत्यय

4.7 पुरुषत्व व नारीत्व एवं ट्रान्सजेण्डर के सामाजिक संदर्भ

4.8 'जेण्डर' अध्ययन पर सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनों का परोक्ष प्रभाव

4.9 सारांश

4.10 अभ्यास के प्रश्न

4.11 चर्चा के बिन्दु

4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.1 प्रस्तावना

जेण्डर को अलग विषय के रूप में महचान करना एवं उसे एक विषय के रूप में अध्ययनों में स्थान देना। ऐसी आवश्यकता क्यों आई? तथा इस पर विचार सर्वप्रथम कब प्रारम्भ हुआ। यह तो वृद्ध शोष का विषय है। किन्तु पिछली सदी के साठ के दशक पर इसकी चर्चा प्रारम्भ हुयी जो आगे चल कर विभिन्न धाराओं में बंट गयी तथा जिसके अलग–अलग सिद्धान्त स्थापित करने का सफल तथा मिष्फल प्रयास किया गया। जिसमें उदार वादी नरीवाद– 18वीं सदी से 1920 तक, समाजवादी नारीवाद 1960 के उत्तरार्द्ध से 1970 के पूर्वार्द्ध तक तथा रेडिकल नारीवाद 1960 से 1970 ऐसा प्रतीत होता है कि नारीवादी आन्दोलनों की विभिन्न धारायें जो विकसित हुयी है उसके पीछे विभिन्न समाजों में महिलाओं एवं लड़कियों की सामाजिक, वैयक्तिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उपस्थिति में पुरुषों की अपेक्षा दोयम दर्जे का होना ही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया के विभिन्न समाजों में पुरुष बर्चस्व ऐतिहासिक काल एवं पूर्वऐतिहासिक काल से आजतक किसी न किसी रूप में स्थापित है। यह अवश्य है कि विभिन्न समाजों के साहित्यकारों ने विभिन्न विधाओं में साहित्य की रचना की जिसमें पुरूष तथा महिला पात्रों का सृजन किया। प्रायः इन पात्रों की सा दिया लगभग हर बात स्त्रियों के ही सर पर पड़ी एवं पुरूष अपनी परम्परावादी सोच के साथ साहित्य में लगातार स्थापित होते रहे। ऐसे में दूर जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने यहॉ महाभारत एवं रामायण काल की घटनाओं को देखे तो भूल में युद्धों के किये स्त्री पात्रों को दोषी माना गया। जैसे द्रौपदी के द्वारा लेखको द्वारा अपने मंतव्य यह कहलवाया गया कि अन्धे के अन्धे ही पैदा होते है तथा सीता को कंचन मृग का लोभ करते हुए प्रस्तुत किया गया।

यह दोनों ही घटनायें हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण घटक है। जिनके आस–पास ही हमारी सामाजिक संरचना का विकास हुआ कालान्तर में कालान्तरओं के रूप में भारत के वृहत्तर समाज में और भी कई समाजों का आगमन हुए जिनमें से कुछ का हमारी वृहद परम्पराओं में विलय हो गया कुछ अपने धार्मिक एवं पारम्परिक आग्रहों के साथ अभी भी अलग धारा में है फिर भी हमारी संस्कृति के भाग है। उपर्युक्त विवरण इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि इन बाहर से आयें समूहों में भी महिलाओं के सम्बन्ध में आग्रह थे और अभी भी है।

भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक इकाईयों में जब भी जेण्डर अध्यपन की चर्चा होगी तब–तब पुरुष बर्चस्व एवं उसके कारणों तथा महिलाओं की स्थिति एवं उनके कारणों पर चर्चा करनी पड़ेगी जिससे जेण्डर अध्ययन के लिये पथ प्रशस्त होगा। किसी भी विश्लेषण में संतुलन बनाकर विश्लेषण करने पर करमों का पता लगाया जा सकता है तथा विद्यमान समस्याओं का समाधान खोजना आसान होगा। इसी क्रम में यह देखना कि ऐतिहासिक काल क्रम में वैदिक युग से आधुनिक काल तक महिलाओं के उत्तरदायित्व एवं अधिकारों की दशा एवं दिशा क्या थी। स्वतंत्रा के पश्चात् विद्यायी शक्तियों द्वारा इनमें क्या परिवर्तन आया। तथा जेण्डर अध्ययन की दशा–दिशा अब किस ओर आगे बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से पश्चिमी समाजों में यह चेतना हमसे पहले जागृत हुयी विभिन्न दार्शनिकों एवं चिन्तकों द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया जिसमें प्रथा फ्रांसीसी लेखक सीमोन द बुआ है जिन्होंने महिलाओं के प्रति भेद–भाव की तरफ अपनी प्रसिद्ध कृति के द्वारा

ध्यान आकृष्ठ किया– (द सेकेण्ड सेक्स, 1949 तथा 1953 में अंग्रजी में प्रकाशित हुयी) जिसका प्रसिद्ध वाक्य है कि औरत पैदा नहीं होती बना दी जाती है।

इसके अतिरिक्त कई एक साहित्यिक एवं दार्शनिक उपन्यासों के द्वारा पश्चिम में महिलाओं की विभिन्न त्रासदी के अलग–अलग रूपों को सम्बोधिंत करने का प्रयास किया गया। जिसका प्रभाव भारतीय आधुनिक चिन्तन परम्परा एवं उसके विकास पर पड़ा तथा आधुनिक जेण्डर अध्ययन के नये मार्ग खुले एवं इसके लिये शिक्षा को आधार बनाया गया।

4.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. जेण्डर अध्ययन के ऐतिहासिक काल क्रम का वर्णन कर सकेगें।
2. जेण्डर अध्ययन के लिये उत्प्रेरक प्रसंगो के विषय को समझ सकेगें।
3. जेण्डर अध्ययन से संबन्धित विभिन्न चिन्तकों एवं दार्शनिकों के कार्यों से परिचित हो सकेगें।
4. जेण्डर अध्ययन की समकालीन दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकेगें।
5. जेण्डर अध्ययन की अकादमिक प्रगति को समझ सकेगें।

4.3 जेण्डर अध्ययन

सर्व प्रथम जेण्डर अध्ययन के पूर्व हमें स्पष्टतः समझ लेना चाहिये कि जेण्डर किसे कहते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के जैव वैज्ञानिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन्हें तीन अलग–अलग लिंगों में विभाजित करके जै – पुरूष, महिला एवं थर्ड जेण्डर से संबोधित करते है किन्तु एक अन्य शब्द जिसे जेण्डर कहने को भी जबकि इस लिंग विभाजन के क्रम में लिंग शब्द का समानार्थी मान लिया जाता है। वस्तु स्थिति इससे अलग है क्योंकि शारीरिक लक्षणों के भेद के आधार पर महिलाओं एवं पुरूषों की काल क्रमानुसार सामाजिक उत्तरदायित्व एवं अधिकार पूरी दुनिया में बदलते रहे जबकि जैवशारीरिक रचना या लक्षणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। किन्तु अधिकारों एवं उत्तर दायित्वों स्पष्ट अन्तर देखने को मिला है जैसे – विधवा विवाह एवं बालविवाह पर समाज ने महिला के अधिकारों की नई व्याख्या करके कानून बना कर उसके लिए आवश्यक परिवर्तन किया इस प्रकार हम देखते है कि समय के सापेक्ष महिला, पुरूष एवं थर्ड जेण्डर के भूमिकाओं में समय–समय पर परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार जेण्डर एक ऐसा प्रत्यय है जिसके द्वारा व्यक्ति के विभिन्न जैवशारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबोधन है। इसके पक्ष में एन ओमले ने परिभाषित किया है–

''जेण्डर का संबन्ध संस्कृति से है, इसका तात्पर्य पुरूषों व महिलाओं का पुरूषोचित व स्त्रियोचित वर्गों में समाजिक विभाजन है।''

"Gender is a matter of culture; it refers to the social Classification of men and women into 'masculine' and feminine." - Ann Oakley, sex, Gender and Society 1985.

4.3.1 जेण्डर अध्ययन अर्थ एवं महत्व

जेण्डर अध्ययन समाजशास्त्र के विभिन्न उप विषयों के अंतर–संबंधों का एक बिंदु है। इसके अंतर्गत जैव शारीरिक लक्षणों के आधार पर लिंग विभाजन, यौनिकता, वर्ग, जाति, आंचलिकता, क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता के संश्लिष्ट संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आसान शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है कि लड़कों, लड़कियों तथा ट्रांसजेण्डर की शारीरिक बनावट के आधार पर उनके अधिकारों को चिन्हित किया जाता है जो समाज में प्रायः पर लक्षित होता है। महिलाओं को अपेक्षाकृत कमतर अधिकार व्यावहारिक रूप से प्राप्त होते हैं जबकि संवैधानिक परिस्थितियों में दोनों को ही या तीनों को ही बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। इन्हीं अधिकारों को संविधान के अनुरूप सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में लागू करने हेतु जेण्डर की आवश्यकता महसूस की जाती है। जेण्डर अध्ययन के अंतर्गत यह समझने का प्रयास किया जाता है कि पूरे विश्व के विभिन्न समाजों में महिला एवं पुरुष तथा ट्रांसजेण्डर अपने शारीरिक लक्षणों में समान होते हुए भी समाज द्वारा निर्धारित नियमों के द्वारा अधिकारों में समान नहीं होते हैं। वैसे तो अलग–अलग देशों ने अपने नागरिकों को अपनी शासन व्यवस्था एवं संविधान के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किया है। यह विकसित देश विकासशील देश तथा अपेक्षाकृत कम आय वर्ग वाले देशों में समान होना संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक संसाधनों एवं शिक्षा की गुणवत्ता में प्रयास इन देशों में अंतर पाया जाता है। इसलिए जेण्डर अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं लैंगिक एवं क्षेत्रीय आंचलिक, वर्गीय एवं जाति के आधारों के कारण महिलाओं एवं पुरुषों तथा ट्रांसजेण्डर के अधिकारों एवं उत्तरदायित्व में पाए जाने वाली असमानता का अध्ययन किया जाता है। जहां तक जेण्डर अध्ययन के महत्व का प्रश्न है। तो यह समाजशास्त्र सहित विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में इसके अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत होती है। अध्ययन के विभिन्न बिंदुओं में महिलाओं से जुड़े बिंदु या तो नहीं थे या थे तो उनकी संख्या लगभग नगण्य होती थी, किंतु यूरोपीय साहित्यकारों की रचनाओं में स्त्री पात्रों के चयन के उपरांत स्थितियों में परिवर्तन हुआ। इसके पश्चात सर्वप्रथम अमेरिकी विश्वविद्यालय में स्त्री अध्ययन हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। आज की स्थिति में केवल अमेरिका में ही 600 से अधिक ऐसे संस्थान है जहां जेण्डर अध्ययन के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। साथ ही दक्षिण एशिया के देशों में भी स्थितियां परिवर्तित हुई हैं विशेष रूप से भारत, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने में भी सक्षम हो गया। वैसे तो सूक्ष्म तरीके से इसे देखा जाए तो महिला विश्वविद्यालय एवं महिला कॉलेज की स्थापना किसी न किसी रूप में लैंगिक असमानता को बढ़ावा ही दे रहा है। किंतु एक उपकरण के रूप में महिला विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा के संसाधनों के रूप में उच्च संस्थानों का संगठन बनाना है। महिलाओं को शीघ्र मुख्य धारा में लाने के लिए यथोचित कदम कहा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर किसी प्रकार का अकादमिक विमर्श नहीं होता था तब तक उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा था दिखाई देता है, किंतु शैनः–शैंनः जब उनके मुद्दे अकादमिक विमर्श के केंद्र में आए। तब से स्थितियां बदलने लगी है। वह आज भारत में महिलाओं की उपस्थिति लगभग क्षेत्र में दिखाई देती है। यह एक अलग विषय है कि उनकी संख्या अभी भी आबादी के अनुरूप कम ही है फिर भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

4.3.2 लिंग एवं जेण्डर में अन्तर

पुरूष, महिला एवं थर्ड जेण्डर के शारीरिक बनावट एवं लक्षणों के आधार पर विभिन्न लिंग जैसे पुरूष, महिला एवं थर्ड जेण्डर का संबोधन पूरी दुनिया में एक तरह का है तथा उनके शारीरिक कार्य विशेष रूप से प्रजनन सम्बन्धी, में भी किसी प्रकार का प्राकृतिक अन्तर नहीं पाया जाता है। किन्तु क्या सभी समाजों में जैसे विकसित राष्ट्रों जहॉ भौतिक संसाधन वियुल है तथा विकासशील देशों एवं गरीबी की मार झेल रहे देशों में जहॉ संसाधन का या तो आभाव है या घोर अभाव है वहॉ इन संसाधनों पर तीनों लिंगों के लोगों का न्याय पूर्ण वितरण है। यदि नही तो इससे स्पष्ट है कि वहा पुरूषों का वर्चस्व है और महिलाओं और थर्ड जेण्डर को कम मिल रहा है जो इंगित करता है कि पुरूष एवं महिला और तीसरे लिंग के अधिकार या तो कम है या नही है। हम यहॉ देखते है कि दुनिया के किसी भी भाग में तीन समूहों के शारीरिक लक्षणों में अन्तर तो नहीं पाया गया किन्तु अधिकारों में अन्तर है। यही अन्तर सेक्स और जेण्डर को सम्बान्धित करता है। इसको थोड़ा और स्पष्ट समझने के लिए हमें Claudiaron Werlhof,1988 के वक्तव्य को समझना पड़ेगा–

''इतिहास में कोई भी सामाजिक व्यवस्था लिंगों के बीच के प्राकृतिक अन्तर के आधार पर इतनी विस्तृत, विकृत और क्रूरतापूर्ण ढ़ंग से व्यवस्थित नहीं है जितनी कि मनुष्य निर्मित सामाजिक व्यवस्था यह व्यवस्था पहले प्राकृतिक लिंग को एक कृत्रिम सामाजिक जेण्डर में बदलती है, नर से 'पुरूष' एवं मादा से 'स्त्री' निर्माण करती है वस्तुतः पुरूषों को मानव प्रजाति में व स्त्रियों को केवल 'सेक्स' या शरीर में परिवर्तित कर देती है और अन्त में इन अन्तरों को पुनः प्राकृतिक घोषित करती है ताकि उनका आर्थिक शोषण किया जा सकें।''

4.3.3 जेण्डर अध्ययन का प्रारंभ

जेण्डर अध्ययन का प्रारंभ प्रयास 1970 ई के दशक से माना जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में महिलाओं की उपस्थिति तो थी किंतु उनकी सक्रिय भूमिका को प्राय रेखांकित नहीं किया जाता था। फिर नारीवादी आंदोलन के दूसरे कालखंड जो लगभग 1960 एवं 70 के दशक में प्रारंभ हुआ उन्हें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थान दिया जाने लगा। विशेष रूप से ज्ञान उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं के विमर्श प्रायः नहीं देखे जाते थे। यहां तक की तीसरी दुनिया सहित, लगभग पूरी दुनिया में यह परिस्थित बनी हुई थी। जबकि शिक्षाविदों सहित अन्य समाज शास्त्रियों का यह मानना है कि जो सामाजिक राजनीतिक या संस्कृतिक विषय अकादमिक क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे। चर्चा के केंद्र में नहीं आएंगे इसके पीछे उनका तर्क है कि जब तक उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विषयों पर शोध एवं अध्ययन नहीं किया जाएगा। उसे पर चर्चा पर चर्चा संगोष्ठी, संवाद नहीं होगा तब तक उनके महीन बिंदुओं को नहीं समझ सकेंगे, उन सूक्ष्म बिंदुओं के समझने के पश्चात ही हम उसे समस्या का निराकरण खोज सकेंगे और उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं।

4.3.4 जेण्डर अध्ययन का अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश के लाभ

जैसा की पिछले उपबिंन्दु में चर्चा की गई है कि महिला अध्ययन प्रायः अकादमिक क्षेत्र में अपेक्षित था जिसे 20वीं सादी के सातवें दशक से प्रारंभ किया गया है। आश्चर्य होता है कि समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों में बहुत से बिंदुओं पर अध्ययन की प्रक्रिया बहुत आगे तक बढ़गई थी वहीं 20वीं सादी के 70 के दशक तक महिला अध्ययन क्यों पीछे छूटता गया। यह कह सकते हैं कि प्रारम्भ ही नहीं हुआ था। यह शोध एवं अनुसंधान का विषय है कि भारत सहित पूरी दुनिया में किन–किन कार्यों से इसे अकादमिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। रही बात जेण्डर अध्ययन की अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश के सामाजिक परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है आज की परिस्थितियों में कम से कम महिला अधिकारों हेतु सामाजिक जागरूकता बढ़ी है। जिसके कारण महिला साक्षरता की दर में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही केंद्र सरकार ने महिला अधिकारों हेतु 2004 ई0 में एक अधिनियम भी पारित किया है जिसके कारण महिलाओं के संपत्ति के अधिकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। यह महिला अध्ययन के अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश के बिना संभव ही नहीं था। हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान तथा विश्वविद्यालयों ने एवं महिला अध्ययन के शोध संस्थानों ने अवांछित तत्वों को समझने का प्रयास किया तथा एक नीति बनाई जाय, तथा उन नीतियों को केंद्र एवं प्रदेश सरकारों को प्रेषित किया जाय। जिसमें यह प्रतिवेदन किये जाये। यदि समाज में महिलाओं की स्थिति संपत्ति के मामले में मौलिक अधिकारों के में सम्मिलित किया जाये। यदि महिलाओं में जागरूकता के मामले को बराबर नहीं होगी तो समाज का समुचित विकास होने में मुश्किलें आ सकती हैं और समय लग सकता है।

4.4 जेण्डर अध्ययन का इतिहास

यह उल्लेखनीय है कि 'जेण्डर' का अध्ययन एक विषय के रूप में अपेक्षा कृत आधुनिक उच्च शिक्षा व्यवस्था में विलम्ब से प्रारम्भ हुआ है। वस्तुतः 1960 के दशक से यह अकादमिक समाज की दृष्टि में आया। क्योंकि पश्चिमी समाजों जैसे यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के विभिन्न देशों के साहित्यकारों ने परामपरागत् लेखन से हटकर महिला पात्रों को विशेष गुणों के आधार गढ़ा तथा उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावी बनाया। मूलतः जेण्डर अध्ययन नारीवादी आन्दोलनों के द्वारा प्रभावित होकर प्रारम्भ हुआ। यह नारीवादी आन्दोलनों जो प्रायः तीन चरणों में माना जाता है। इन्हीं आन्दोलनों को संचालित करने वाले नारीवादियों के कार्य का प्रभाव था कि विभिन्न उत्तरदायी कारकों का पता लगाने का प्रयास किया गया जिसके कारण पूरी दुनिया के लगभग सभी समाजों में महिलाओं की स्थिति उनके समकक्ष पुरूषों से कम होती है। यह स्थिति सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक यहॉ तक कि वैयक्तिक परिस्थितियों में भी कमतर होती है। सामाजिक–सांस्कृतिक संवोधन के द्वारा यह स्थापित सत्य लगभग मान लिया गया था कि महिलायें पुरूषों की अपेक्षा लगभग हर क्षेत्र में कम है। जबकि इन्हीं आग्रहों को ध्यान में रख कर विभिन्न घरेलू कार्यों या अन्य कार्यों का वितरण भी पितृसत्रात्मक समाज द्वारा निर्धारित कर दिया गया था। इन कार्यों के वितरण में महिलाओं की भागीदारी प्रायः नहीं होती थी।

उपर्युक्त वर्णित कार्यों के असामान्य तथा असमान वितरण पूरी तरह पुरूष के पक्ष में होती है। यह वितरण ही किसी महिला की स्थिति को कमजोर करता है। यह वितरण अबाध रूप से परम्परा का रूप के लिये जिससे नेतृत्व करने वाले, निर्णय लेने वाले आदि कार्य पुरूषों के पास संरक्षित हो गये जब सामान्य दिनचर्या, बड़े–बूढों की सेवा बच्चे पालना घर–गृहस्थी चलाना ऐसे कार्य महिलाओं के लिए छोड़ दिया गया कालान्तर में ज्ञात हो पाया कि इन कार्यो के वितरण के पीछे 'जेण्डर' कार्य करता है न कि लिंग। इसके उपरान्त ही इसकी व्याख्या प्रारम्भ हो सकी कि 'जेण्डर' के रूप में सांस्कृतिक–सामाजिक संबोधन की गई तार्किक व्याख्या होनी चाहियें।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुये नारीवादी आन्दोलनों को अतिरिक्त संबल प्राप्त हुआ। जिसके कारण एक के बाद एक नारीवादी आन्दोलन जैसे– उदारवादी नारीवाद आन्दोलन लगभग 18वीं सदी से लेकर 1920 तक, समाजवादी नारीवादी आन्दोलन– 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध से लेकर 1970 के पूर्वार्द्ध तक।

4.5 भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनों द्वारा जेण्डर की पुर्नव्याख्या

उन्नीसवीं सदी में अकादमिक क्षेत्र में अविभाजित भारत सहित भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य परतंत्र देशों में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यह तथ्य एक स्थापित सत्य है कि वैदिक संस्कृति में स्त्री–पुरूष के बीच किसी पर भेदभाव नहीं था या कम भेद–भाव था। किन्तु कालान्तर में विभिन्न सांस्कृतिक पुर्नव्याख्याओं के कारण समाज में शनैः शनैः यह भेदभाव स्थापित होने लगा। आगे चलकर इसमें तीव्रता तब आ गयी जब भारत में विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा बार–बार सत्ता पर अधिकार गया। उल्लेखनीय है कि इन वाह्य आक्रान्ताओं का धर्म, संस्कृति, रहन–सहन, खान–पान, परस्पर परिवारिक या सामाजिक सम्बन्ध जैसे नहीं थे जो परम्परात् भारतीय संस्कृति में परिभाषित सामाजिक एवं परिवारिक सम्बन्ध थे। इस संस्कृति ने भी महिलाओं की परम्परागत् स्थिति को प्रभावित किया। उससे उनकी सामाजिक स्थिति और कमजोर हो गयी क्योंकि वह एक विजित समाज की महिला सदस्य थी। विजित और विजेता के समय प्रायः विजेता के पक्ष में झुके रहते है ऐसी परिस्थिति में विजित समाज का आम जन अदिनों के राजाओं की कृपा पर जीवन–यापन करने के लिए अभिशप्त था। ऐसी अस्थिर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक परिस्थिति में महिलाओं के विषय में सोचना तथा उनके बेहतर जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यता पर बात करना असंभव था। यह स्थिति ब्रिटिश भारतीय शासन के समय भी निरन्तर आगे बढ़ती रही किन्तु उन्नीसवीं सदी में भारतीय सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तनों ने आकार लेना प्रारम्भ कर दिया जैसे ब्रहम समाज की स्थापना, आर्य समाज, प्रवोधनी सभा, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, अहमदिया आन्दोलन आदि इन आन्दोलनों ने भारतीय रूढ़िगत् मूल्यों के विरूद्ध आवाज उठायी जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भी सहयोग करके कानून बनाये जिससे, बालविवाह प्रतिबन्धित हो सका, सती प्रथा पर रोक लगी। विधवा विवाह पुनः संभव हो सका। तब भारतीय परिवेश या लगभग पूरी दुनिया के अकादमिक क्षेत्र में जेण्डर जैसी परिकल्पना पर विचार नहीं हो रहा था। एका–दुक्का प्रयास अवश्य हुये थे।

4.6 पुरुषत्व एवं नारीत्व के प्रत्यय

प्राकृतिक रूप से जीव वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर लिंग का निर्धारण हो ही जाता है किन्तु इन लक्षणों को आधार बनाकर सामाजिक रूप से यह तथ्य स्थापित कर देना कि उपर्युक्त शारीरिक बनावट के आधार पर जो दो या तीन प्रकार के शरीरों का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। उनके कार्य और व्यवहार क्या होगें? उसी के आधार पर कोई पुरूष नारी तथा थर्ड जेण्डर कहा कर संबोधित किया जायेगा कई बार देखा गया कि पुरूषों में बात करने, चलने का तौर–तरीका महिलाओं जैसे होते है जबकि शारीरिक बनावट या जैवविज्ञानिक लक्षणों के आधार पर वह पुरूष ही रहते है। किन्तु उनके इन गुणों के कारण उनके पुरूषत्व पर प्रश्न खड़ा होता रहता है और उसका पास–पड़ोस तथा समाज उससे अपेक्षा करता है कि उस व्यक्ति विशेष में लिंग आधारित व्यवहार होना चाहिये। इसका आशय यह है कि पुरूषत्व एवं नारीत्व में लिंग के आधार पर समाज निर्धारित कुछ गुण, वेश–भूषा कार्य एवं व्यवहार होने ही चाहिये जिसे आधार बनाकर पुरूषत्व एवं नारीत्व की अवधारणा को एक आकार द्वारा दिया जाता है। यह अवधारण विकास प्रारम्भ में वैयक्तिक अर्थात् (नारी एवं पुरूष तथा थर्ड जेण्डर) के लिये होती है किन्तु जब यह परम्परा में आकार संस्कृति का भाग बन जाता है। उस समय नारी पुरूष एवं थर्ड जेण्डर को सामाजिक सम्बोधन के लिए तीनों जेण्डर में अलग–अलग समूहों का सम्बोधन निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार यह सम्बोधन जैव शारीरिक लक्षणों से हट कर बनाया जाता है। क्योंकि जैवविज्ञानिक लक्षणों के आधार पर यह पूरी दुनिया में अपरिवर्तित है। जैसे पुरूष नारी मिलकर संतानोंत्पति करते ही है किन्तु उनके उत्तरदायित्व और अधिकार समय स्थान आदि के सापेक्ष बदलते रहते हैं। जैसे विकसित देशों की सामाजिक व्यवस्थाओं में विवाह एवं तलाक एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि बन्द समाजों या विकास शील राष्ट्रों या गरीब राष्ट्रों में तलाक और विवाह दोनों ही तमाम नियमों, नियमालियों के द्वारा प्रतिबान्धित है।

अन्ततः कह सकते है कि पहले तो पुरूषत्व, नारीत्व एवं थर्ड जेण्डर का जैव शारीरिक लक्षणों के आधार पर निर्धारण पुनः अपेक्षित कार्य व्यवहारों के द्वारा या गुणों के समुच्चय की अपेक्षा करते हुये पुरूषत्व, नारीत्व एवं थर्ड जेण्डर की संकल्पना का निर्माण तथा अन्त में इन्हीं को आधार बनाकर 'जेण्डर' की अवधारणा का विकास होता है।

4.7 पुरूषत्व, नारीत्व एवं ट्रांसजेण्डर के सामाजिक संदर्भ

मानव शास्त्री मार्गरेड मीड ने'Sex and Temparament in the Primitiue Societies, 1935'नामक अपने अध्ययन के निष्कर्ष में बताया है कि उन आदि मानव, समुदायों में स्त्री–पुरूष के स्वभाव में लिंग आधारित किसी प्रभावी अन्तर नहीं जाता है किन्तु जहॉ यह अन्तर स्पष्ट या अस्पष्ट दिखाई देता है उसके पीछे सामाजिक–सांस्कृतिक प्रत्याशायें है। अर्थात् समाज व्यक्ति विशेष से आग्रह करता है कि वह अपने लिंग के अनुसार सामाजिक व्यवहार करें। इस दबाव पूर्ण आग्रह से तीनों ही जेण्डरों की स्वाभविक सृजन शीलता प्रभावित होता है। अन्ततोगत्वा मानवीय मूल्यों सहित अन्य रचनात्मक कार्यों का संपादन नहीं होता है। जो आगे चलकर 'जेण्डर' अध्ययन की आवश्यकता को बल प्रदान करता है। क्योंकि मूलतः यह सामाजिक आग्रह लिंग आधारित न

होकर 'जेण्डर' आधारित एक प्रत्यारोपित आग्रह है। जो वैयक्तिक सामाजिक प्रगति का वाहक है। ऐसे में यह मजबूत कारक माना जा सकता है कि 'जेण्डर' को अकादमिक अध्ययन के केन्द्र में लाया जाय। जिससे इसके अन्तर्गत निहित पक्षपात वादी दृष्टिकोण का पता लगाया जा सके तथा समय पर उसका निराकरण भी खोजा जा सके।

4.8 'जेण्डर' अध्ययन पर सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनों का परोक्ष प्रभाव

उन्नीसवीं सदी के सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनों ने 'जेण्डर', जो परम्परागत् भारतीय समाज में अघोषित रूप से विद्यमान था; के कारकों का विश्लेषण तो नहीं किया किन्तु उनसे उत्पन्न सामाजिक विद्रूपताओं को बड़े पैमाने पर सम्बोधित किया। जिसके कारण कई एक सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतियों एवं रूढ़िया धीरे–धीरे ही सही समाप्त होने लगी। जैसे – विधवा विवाह की तार्किक व्याख्या की गयी तथा यह व्याख्यापित किया गया कि एक ऐसी महिला जिसका पति किसी भी कारण रोग या दुर्घटना को मृत्यु हो गयी तो इसमें उस महिला की किसी प्रकार की भूमिका कैसे स्थापित की जा सकती है। धीरे–धीरे यह बात सबके समझ में आने लगी और अब आवश्यकतानुसार विधवा विवाह समाज में हो रहे है। इस तरह के सामाजिक परिवर्तनों का समाज पर सार्थक पड़ना प्रारम्भ हो गया। आगे चलकर यही कारण बनाकि लड़कियों की भी शिक्षा की भी आश्यकता समाज में और परिवार में महसूस की जाने लगी। जिससे प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा आदि क्षेत्रों में लड़कियों एवं महिलाओं की संख्या बड़ी है।

प्रायः 'जेण्डर' अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से उच्च शिक्षा से निकली नारीवादी महिलाओं ने ही भारत में प्रारम्भ किया है। जिसके कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'जेण्डर' अध्ययन के कार्यक्रम प्रारम्भ हुये जिसके द्वारा 'जेण्डर' के विभिन्न प्रकार के प्रभावों का अध्ययन संभव हो सका।

इस प्रकार हम देखते है कि भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनों ने भले ही 'जेण्डर' को सम्बोधित नहीं किया किन्तु उनके द्वारा की गयी तार्किक व्याख्याओं का समाज पर घनात्मक प्रभाव पड़ा। जिसके कारण भारतीय राजनीतिक संदर्भों में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देती है। लड़कियों का पैतृक चल–अचल सम्पत्ति में अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, तीन तलाक निषेध कानून आदि।

4.9 सारांश

प्रस्तुत इकाई में अधिगम कर्ता (शिक्षार्थी) ने जेण्डर अध्ययन की आधुनिक अवधारणा तथा इसके प्रत्यय का अध्ययन किया। इस अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिये इसके अध्ययन के विभिन्न काल खण्डों पर चर्चा की गयी तथा विभिन्न कालखण्डों में विशेष रूप से यूरोप तथा अमेरिका के शिक्षाविदों एवं साहित्यकारों ने नारीवादी आन्दोलनों हेतु सामग्री का उत्पादन किया तथा महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करते हुये पात्रों का विकास किया तथा उनके अधिकारों की वकालत की। इसके अतिरिक्त इस इकाई में लिंग तथा जेण्डर दो

अलग–अलग प्रत्यय हैं को स्पष्ट करने की कोशिष की गयी है। तत्पश्चात् पुरूषत्व तथा नारीत्व की संप्रत्ययों के विकास की चर्चा उदाहरणों तथा दृष्टान्तों सहित की गयी हैं। वैसे तो नारीवादी आन्दोलनों की प्रगति तथा दिशा पश्चिमी विद्यावनों द्वारा ही आगे बढ़ायी गयी किन्तु इसका आशय यह नहीं कि भारत या इस उपमहाद्वीप के अन्य देशों में कोई कार्य नहीं हुआ है। निश्चित रूप भारत के सामाजिक आन्दोलनों की शुरूआत स्वतंत्रा आन्दोलनों के समानान्तर हुयी। यह पास्पर एक दूसरे की ऊर्जा से संचालित हो रहे थे। यह आन्दोलन भले ही सामाजिक ये किन्तु साम्ययिक आन्दोलन की जेण्डर की पुनर्व्याख्या कर रहे थे। जिसके कारण जेण्डर अध्ययन को अकादमिक रूप से प्रभावित तो नहीं किया किन्तु जेण्डर अध्ययन की पृष्टभूमि अवश्य तैयार कर दी। इस प्रकार इस इकाई अध्ययन के द्वारा शिक्षार्थी को जेण्डर, लिंग, नारीवादी आन्दोलन भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक आन्दोलन आदि पर चर्चा की गयी है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीच दिये गये रिक्त स्थान में उत्तर लिखिये।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सीमेन द बुआ ने अपनी पुस्तक The Second sex में लिखा है कि औरत पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है इसका विश्लेषण कीजिए।

   .....

   .....

2. भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन ने जेण्डर की पुनः व्याख्या की कारण सहित स्पष्ट करें।

   .....

   .....

3. लिंग और जेंडर के परस्पर सम्बन्धों की व्याख्या करें।

   .....

   .....

4.10 अभ्यास के प्रश्न

1. सीमोन द बुआ ने अपनी पुस्तक जेम ैमबवदक ेमग में लिखा है कि औरत पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है इसका विश्लेषण कीजिये।
2. भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन ने 'जेण्डर' की पुनव्याख्या की कारण सहित स्पष्ट करें।
3. लिंग और जेण्डर के परस्पर सम्बन्धों की व्याख्या करें।

4.11 चर्चा के बिन्दु

1. भारतीय समाज में ट्रान्स जेण्डर की उपस्थिति की मान्यता पर चर्चा करें।
2. नारीत्व पर चर्चा करें।
3. संस्कृति एवं जेंडर अध्ययन के सम्बन्धों पर विमर्श करें।

4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सामाजिक एवं सास्कृतिक परम्पराओं के कारण माता–पिता से पूरा समाज लडके एवं लडकियों को उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर उनकी पहचान सुनिश्चित कर देते है। इसी क्रम में लडकियों के अधिकारों को यथा सम्भव कम करते हुये पुरूष की अपेक्षा दूसरे क्रम में रख देते है।
2. पुनर्जागरण के समय परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन करते हुये महिला अधिकारों की पुरजोर वकालत की गयी जिसका कारण महिलाओं की कमजोर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को माना गया।
3. लिंग किसी महिला या पुरूष के जैव शारीरिक लक्षणों के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है जबकि जेण्डर के अध्ययन के समय तीनों ही महिलाओं , पुरूषों एवं ट्रान्स जेण्डर को सम्बोधित किया जाता है।

4.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

(1) पुस्तक का नाम –सेक्सुअल पोलिटिक्स 1971, कटे मिल्ट।

(2) द सेकेण्ड सेक्स 1949 (फ्रेन्च संस्करण)।

(3) सुजाता, 2011, आलोचना का स्त्री पक्ष, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

इकाई – 5 : जेण्डर अध्ययन के सिद्धांत

इकाई की संरचना

5.1 प्रस्तावना

5.2 इकाई के उद्देश्य

5.3 जेण्डर अध्ययन के सिद्धांत

5.3.1 जेण्डर अध्ययन के नारीवादी सिद्धान्त

5.3.1.1 उदारवादी नारीवादी सिद्धान्त

5.3.1.2 रेडिकल नारीवादी सिद्धान्त

5.3.1.3 समाजवादी नारीवादी सिद्धान्त

5.3.1.4 मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धान्त

5.3.1.5 उत्तर आधुनिक नारीवादी सिद्धान्त

5.3.1.6 सांस्कृतिक नारीवादी सिद्धान्त

5.3.1.7 ब्लैक फेमनिज्म (काला नारीवादी सिद्धान्त)

5.3.1.8 पारिस्थितिकी नारीवादी सिद्धान्त

5.3.1.9 उत्तर औपनिवेशक नारीवादी सिद्धान्त

5.5 जेण्डर अध्ययन के सामाजीकरण सम्बन्धी सिद्धान्त

5.5.1 लिंग भूमिका का सिद्धांत

5.5.2 जेण्डर अध्ययन का संज्ञानात्मक सिद्धांत

5.5.3 जेण्डर अध्ययन के समाजीकरण का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत

5.6 जेण्डर अध्ययन के समाजीकरण के विभिन्न चरण

5.7 सारांश

5.8 अभ्यास के प्रश्न

5.9 चर्चा के बिंदु

5.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.1 प्रस्तावना

जेण्डर अध्ययन अपेक्षा वृत एक नवीन अकादमिक क्षेत्र है। यहां नवीन से आशय है कि सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न विषयों में कई नए एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन सैकड़ो वर्षों से हो रहे थे। जैसे इतिहास, भूगोल, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों के उप विषयों पर तथा विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन हो रहा था जबकि महिलाओं की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपस्थिति की चर्चा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रायः नहीं होती थी। आधुनिक काल तक महिलाओं के छोटी भूमिकाओं का उल्लेख दिखाई पड़ता है किंतु किसी प्रकार की उल्लेखनीय चर्चा या केंद्रीय भूमिका की चर्चा में नहीं दिखाई देती है। यह स्थिति मात्र भारतीय परिवेश में नहीं थी बल्कि विश्व के किसी भी विकसित देश में उसके साहित्य में समाज विज्ञान के विषयों में नहीं थी। यह स्थिति दशकों तक यथावत बनी रही। कालांतर में स्थिति में बदलाव आया। विशेष रूप से फ्रांसिसी लेखक सीमोन द बुआ की कृति सेकंड सेक्स केटमिलेट की रचनाओं में ऐसे पत्रों का चयन किया गया जो महिला पात्र थी। जिनके अधिकार किसी पुरुष से प्रायः कम थे। पुरुष उसके परिवार का हो सकता है या समाज का कोई अन्य पुरुष हो सकता है। इन रचनाकारों ने अपने पात्रों के माध्यम से उन अधिकारों की मांग प्रस्तुत की जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में नहीं थी। प्रायः मान लिया जाता था की लड़की या महिला है तो इसके अधिकार ऐसे ही होने चाहिए। यह स्थिति पूरी दुनिया में कम या ज्यादा थी जो धीरे–धीरे परिवर्तित हुई आज तीसरी दुनिया (वह देश जो यूरोपीय देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, डच आदि देशों के गुलाम रह चुके हैं) के देश अपनी स्वतंत्रता के बाद 20वीं सदी में अपने देश में महिलाओं और पुरुषों की समानता के लिए कार्य कर रहे हैं। जिसमें समाज और सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़रहे हैं। मूल प्रश्न यह है कि असमानताएं समाज में किन–किन उपकरणों के माध्यम से उपस्थित की गई थी। जिन्हें आगे तक इसे संचालित किया जाता रहा है। यदि हम उन सूक्ष्म बिंदुओं को समझ सके तो प्रस्तुत इकाई में उनके निराकरण के उपाय के लिए उचित रास्ते ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार इस इकाई में उन बिंदुओं के अध्ययन की चर्चा होगी जिसको आधार बनाकर जेण्डर की अवधारणा लड़के और लड़कियों के रूप में स्थापित की जाती है तथा अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का असमानता पूर्वाक वितरण किया जाता है। यह एक स्थाई सत्य हो गया है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। यह असमानता कभी समाप्त हो सकती है जब तक अध्ययन के द्वारा महिला, पुरुष तथा तीसरे ट्रांसजेण्डर कहते हैं के बीच समानता तभी आएगी जब सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से स्थापित उन आयामों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा, जो इस असमानता के लिए जिम्मेदार हैं। जब तक अकादमिक क्षेत्र या शिक्षा के उच्च संस्थानों के द्वारा इसमें शोध और अनुसंधान नहीं किया जाएगा तब तक इस असमानता के स्थाई हल निकालने की संभावना कम है। इसलिए जेण्डर अध्ययन पहले तो तिरस्कार था किंतु बाद में जब इसे साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश मिला। यूरोप अमेरिका और लातिनी अमेरिका के देशों ने जेण्डर अध्ययन को अपने विश्वविद्यालयों में अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश दिया। अर्थात उन पर डिग्रियां दी जाने लगी, शोध एवं अनुसंधान किए जाने लगे जिसके कारण वह किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे और उन समाजों में अपेक्षा कृत महिला, पुरुष के संबंधों में अधिकारों एवं उत्तरदायित्व को लेकर बहुत अधिक द्वंद

नहीं है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में भी इसी प्रकार के कार्य संपादित किए जाएंगे। जिनके द्वारा एक संतुलित समाज का निर्माण होगा तथा महिलाओं की ऊर्जा का देश समाज और दुनिया के विकास में उचित प्रयोग हो सकेगा। उक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न सिद्धान्तों की चर्चा करेंगे।

5.2 इकाई के उद्देश्य

प्रस्तुति इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. जेण्डर अध्ययन का अर्थ उपयोगिता एवं महत्व को समझ सकेंगे।
2. जेण्डर अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. सर्वप्रथम जेण्डर अध्ययन के प्रारंभ के विषय में सूचनाओं एकत्रित कर सकेंगे।
4. विद्यार्थी जेण्डर अध्ययन की अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश को समझ सकेंगे।
5. विद्यार्थी जेण्डर अध्ययन के विभिन्न सिद्धांतों को समझ सकेंगे।

5.3 जेण्डर अध्ययन के सिद्धांत

वस्तुतः जेण्डर की अवधारणा किसी व्यक्ति के जैव शारीरिक लक्षणों पर आधारित नहीं होती है बल्कि जेण्डर की अवधारणा को प्रत्येक समाज, समूह अपनी सुविधा अनुसार सदस्यों को शिक्षण के द्वारा उनके कार्य व्यवहार के द्वारा स्थापित करता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है प्रसूति अस्पतालों में जब बच्चे पैदा होते हैं तब अस्पताल के बिस्तरों के पायदानों के ऊपर एक दफ्ती नुमा सूचना पट लगा दिया जाता है जिस पर लड़का या लड़की लिखा रहता है। प्रथम द्रष्टया तो यह लिंग अनुसार एक सूचना या संबोधन है किंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह जेण्डर निर्माण की प्रक्रिया जो संभवत प्रत्येक स्थान या क्षेत्र में इस तरह नहीं किया जाता है लेकिन संबोधन जन्म के समय ही प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह जाने–अनजाने कई प्रकार के पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य बच्चों के जन्म से प्रारंभ होकर आबाध रूप से चलता रहता है। जो अग्र लिखित है। समय समय पर विभिन्न कारणों से सामाजिक परिर्वतन एवं सामाजिक नियंत्रण समाज में गतिमान होते है। जिसके कारण समान की औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाओं में महिलाओं की समाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितिओं में परिर्वतन होता रहता हैं, यह परिर्वतन आग्रह पूर्वक प्रयास के बाद सम्पन्न होते है। जिसके लिए विभिन्न सि़द्धान्तों का सहारा लिया जाता है जो इस प्रकार है–

5.3.1 जेण्डर अध्ययन के नारीवादी सिद्धान्त

सर्वप्रथम पश्चिमी दुनिया में जेण्डर एक मुद्दे की तरह पहचाना गया इसके बाद इसके अध्ययन के विभिन्न तौर–तरीकों पर विचार करते हुए कुछ सिद्धान्तों की पहचान की गयी जो इस प्रकार हैं–

5.3.1.1 उदारवादी नारीवाद सिद्धांत

समाज में व्याप्त महिला उत्पीड़न तथा पुरुष के एकाधिकार के कारण महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की वकालत उदारवादी नारीवाद कहलाता है। इसका प्रयोग 20वीं सदी के छठे दशक में माना जाता है। इसके पूर्व भी जहां–तहां कुछ विद्वानों ने महिलाओं के समान अधिकारों, मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी, महिलाओं के गरिमा की आवश्यकता को रेखांकित किया है किंतु पितृसत्तात्मक समाज की जुड़े बहुत गहरे तक होने के कारण इन असमानताओं को बहुत प्रभावित नहीं किया जा सका। इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने में ''स्टुअर्ट मिल'', ''फ्रीडमैन'', ''रेबिका'', वाकर का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है।

5.3.1.2 रेडिकल नारीवाद सिद्धांत

रेडिकल नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ 1960 ई0 के आसपास था। इस नारीवादी आंदोलन को ''सिमोन द बुआ'' और ''कैट मिलेट'' की पुस्तकें क्रमशः ''सेकंड सेक्स एवं पॉलिटिक्स'' ने विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। उनकी पुस्तकों में दुनिया भर के समाजों में स्थापित परंपराओं मान्यताओं अवधारणाओं जो महिला हितों को दुष्प्रभावित करते हैं का सशक्त विरोध प्रकट किया गया। साथ ही उसकी जगह पर महिला की स्वतंत्रता, प्रजनन का अधिकार एवं यौनिकता की स्वतंत्रता की खुली छूट की मांग प्रस्तुत की गई।

5.3.1.3 समाजवादी नारीवादी सिद्धांत

इस सिद्धांत के प्रवर्तन कारी समाज विज्ञानियों का कहना है कि समाज में व्याप्त वर्ग और वर्ग के बीच असमानता ही महिलाओं की कमजोर सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। समाजवादियों का मानना है कि सामाजिक समानता के द्वारा ही महिलाओं के अधिकारों को स्थापित किया जा सकता है। इन्होंने ''शिकागो वूमेन लिबरेशन यूनियन के चौप्टर 1972'' से सीख लेकर सिद्धांत विकसित किया की समानता हेतु महिलाओं के संगठन की आवश्यकता होती है।

5.3.1.4 मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत

इस नारीवादी आंदोलन के विचारकों ने निजी संपत्ति तथा पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए, यह अवधारणा विकसित करने का प्रयास किया की पूंजी का आसमान वितरण ही पितृसत्तात्मक समाज को पुष्ट करता है। ऐसे में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर मार्क्सवादी व्यवस्था को लागू करने पर महिला उत्पीड़न तथा महिला की गरिमा की रक्षा की जा सकती है।

5.3.1.5 उत्तर आधुनिक नारीवादी सिद्धांत

उत्तर आधुनिक नारीवादी सिद्धांत के सिद्धांत कारों का कहना है कि महिलाओं को व्यक्ति के रूप में पुरुषों के समान अधिकार की प्राप्त तभी हो सकती है जब परंपरागत प्रतिबंध जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं ।उसमें धर्म, वर्ग, यौनिकिता पहचान का संकट, लिंग, समलैंगिकता आदि के संश्लिष्ट गठजोड़को समाप्त करना पड़ेगा ऐसी स्थिति महिला अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

5.3.1.6 सांस्कृतिक नारीवादी सिद्धांत

संस्कृतिक नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं की सहनशीलता, परिपोषण, भावुकता आदि की नकारात्मकता को समाप्त कर महिला केंद्रित सामाजिक अवधारणा को विकसित करने की आवश्यकता है जो आगे चलकर पितृसत्तात्मक अवधारणाओं को चुनौती प्रस्तुत करेगा। ऐसी स्थिति में समाज की अवधारणाओं में एक ऐसी संकल्पना प्रस्तुत की गई है कि नई महिला केंद्रित समाज का निर्माण किया जा सके जिससे पितृ सत्ता को चुनौती प्रस्तुत की जा सके।

5.3.1.7 ब्लैक फेमिनिज्म (काला नारीवादी सिद्धांत)

इस आंदोलन के प्रवर्तन करने वालों क ''एलिस वाकर'' हैं जिनका मानना है कि शोषण के क्रम में काली महिलाओं का शोषण गोरी महिलाओं से अधिक हुआ है। जिसको रोकने के लिए शोषण के विभिन्न आयामों के अंतर संबंधों की सूक्ष्म पड़ताल करके निराकरण करना चाहिए।

5.3.1.8 पारिस्थितिकी नारीवादी सिद्धांत

सर्वप्रथम ''इकोफेमिनिज्म'' का प्रयोग ''फ्रेंकोइस यू बोन'' ने किया। यह शब्द 1970 ई0 से 80 ई0 के बीच बहुतायत विमर्शों के केंद्र में बना रहा। इसके सिद्धांतकारों का मानना है कि पृथ्वी के संरक्षण में महिलाओं का योगदान है। विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक सक्रिय होकर करती हैं क्योंकि महिलाओं के जैव शारीरिक लक्षणों में ही यह क्षमता निहित होती है। इस प्रकार इन सिद्धांत कारों का मानना है कि पृथ्वी पर विद्यमान संसाधनों का दोहन पुरुष द्वारा महिला की अपेक्षा अधिक किया गया है। इसी क्रम में महिला का भी अत्यधिक शोषण होता रहता है। इसको समाप्त करने के लिए प्रकृति के साथ संसर्ग के लिए महिला और पुरुषों दोनों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए।

5.3.1.9 उत्तर औपनिवेशिक नारीवादी सिद्धांत

इस नारीवादी आंदोलन के सिद्धांत कारों में अरुंधति राय, गायत्री स्पीविक, चंद्रताले, उमा नारायण आदि प्रमुख हैं। इनका मानना है कि वैश्विक स्तर पर पश्चिमी और गोरी महिलाओं की अपेक्षा तीसरी दुनिया (वह देश जो यूरोपीय शक्तियों के अधीन सदियों तक गुलाम बने रहे) की महिलाओं का शोषण अधिक हुआ है और आज भी हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शोषित महिलाओं के बीच भी असामानता व्याप्त है जिसे समाप्त किया जाना एक चुनौती है। समग्र रूप से निराकरण खोजने की आवश्यकता है जिसमें लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सके।

5.5 जेण्डर अध्ययन के समाजीकरण सम्बन्धी सिद्धांत

किसी भी बच्चे के जन्म के तुरंत पश्चात उसे सांस्कृतिक एवं समाज के सापेक्ष जिसमें वह बालक या बालिका का जन्म हुआ है पालन पोषण प्रारंभ से ही लिंग आधारित होता है। उल्लेखनीय है कि यह पालन पोषण

सांस्कृतिक आधारित होते हुए भी एक तथ्य में समान होता है कि लिंग को आधार बनाकर दोनों का पालन पोषण अलग–अलग तरह से होता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विकसित समझे जाने वाले देश तथा विकासशील समाज में यह प्रक्रिया एक प्रकार से संचालित होती है। इसे समाजशास्त्र की भाषा में जेण्डर का सामाजीकारण कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया वेशभूषा, मूल्य एवं व्यवहार आधारित होती है। जैसे बालक एवं बालिका के पहनावे में अंतर प्रायोजित रूप से किया जाता है और यह वेशभूषा में अंतर कई बार अनावश्यक रूप से माना जा सकता है। जैसे कम आयु वर्ग के बच्चे एवं बच्चों की वेशभूषा का नाम एवं उसकी संरचना दोनों अलग रखी जाती है। जबकि दोनों को एक ही तरह के वस्त्र पहनने में किसी प्रकार की व्यवहारिक असुविधा नहीं होती है। इसी प्रकार दोनों को नैतिक मूल्यों में भी अंतर की स्थापित की जाती है एक जबकि कुछ नैतिक मूल्य दोनों के लिए समान ही होते हैं। जैसे बच्चियों को अपनी सहेलियों के साथ खेलने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है और बालकों को बालकों के साथ रहने और खेलने के अवसर उत्तर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रायः व्यावहारिक रूप से बच्चों को आचरण संबंधी नैतिक मूल्य भी एक समान नहीं होते हैं यह सारी प्रक्रिया इसलिए अपनायी जाती है कि दोनों बालक का बालिका को अपने कार्य व्यवहार, वेशभूषा के विषय में किसी प्रकार का किंतु परंतु ना हो। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि कम आयु वर्ग में ही यह अंतर स्थापित किया जाता है जो अबाध रूप से लंबे समय तक चलता रहता है जिसके कारण लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलता है।

5.5.1 लिंग भूमिका का सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार लड़के एवं लड़कियां सामाजिक एवं पारिवारिक अंतर क्रिया के द्वारा अपने माता–पिता, संरक्षक एवं अन्य सदस्यों से सीखते हैं अर्थात लड़कों को अपने पिता या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों के व्यवहार को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है कभी कभी पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से यह अनुगमन सिखाया जाता है। इसी प्रकार लड़कियां अपनी मां या अन्य पारिवारिक महिला सदस्यों के व्यवहारों का अनुकूलन करती हैं। इन कार्य व्यवहारों को समाज, दोनों प्रायः लड़कों एवं लड़कियों को पुरस्कृत करते रहते हैं। जिससे स्त्री उचित व्यवहार करने पर लड़की का उत्साहवर्धन हेतु प्रशंसा की जाती है। ठीक उसी प्रकार लड़कों को पुरूषोचित व्यवहार करने पर प्रशंसा स्वरूप उसे पुरस्कृत किया जाता है। कभी–कभी परिवार एवं समाज द्वारा निर्धारित कार्य व्यवहार नहीं करने पर लड़के लड़कियों को दंडित भी किया जाता है। इसे लिंग समाजीकरण निर्धारण भूमिका सिद्धांत कहते हैं।

5.5.2 जेण्डर अध्ययन का संज्ञानात्मक सिद्धांत

सिद्धांत का प्रवर्तन 1966 में कोहेल बर्ग ने किया इस सिद्धांत के अनुसार जेण्डर की पहचान की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। इसके अनुरूप बालक या बालिका प्रथम चरण में जेण्डर की पहचान सुनिश्चित करता है तथा दूसरों व्यक्तियों पर इसके प्रयोग करता है। जैसे लगभग 4 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले लिंग आधारित संबोधन को पहचान लेते हैं। अगले 2 वर्ष में जब यह इन संबंधों का प्रयोग दूसरों के

लिए करने लगते हैं। इसका आशय यह है कि अब बच्चे शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचान सुनिश्चित करने में पारंगत हो जाते हैं। इसके बाद वाले चरण में बच्चे अब समझ जाते हैं कि उनके लिंग में आगे किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं हो सकता है, और उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेण्डर को जानने समझने के लिए अध्ययन आवश्यक है कि किस प्रकार बच्चे अब या स्वीकारोक्ति तक पहुंचाते हैं कि वह लड़का है या लड़की। जेण्डर अध्ययन की यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। जिसे सही तौर पर तो नहीं देखा जा सकता किंतु परंपरागत रूप से जेण्डर असमानता के लिए जिम्मेदार कारकों को पहचानते समय अध्ययन के इस सिद्धांत के महत्व को समझा जा सकता है। क्योंकि इन दो–तीन चरणों से गुजरने के पश्चात ही बालक और बालिका के मन में उसे अपने जेण्डर के प्रति एक आग्रह पैदा हो जाता है जो आगे चलकर हो सकता है कि दूसरे जेण्डर के प्रति वैसी स्वीकारोक्ति ना हो जैसी अपने जेण्डर के प्रति हो, किंतु किशोर वय के बाद के लड़के और लड़कियों में एक दूसरे जेण्डर की प्रति स्वीकारोक ब़ढ़जाती है, तथा उनके प्रति एक दूसरे का आकर्षण भी पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहां जेण्डर की असमानता स्पष्ट नहीं दिखाई देती है किंतु वही जब अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की बात होती है। तब उन्हें दोनों लड़के, लड़कियों में लड़के के द्वारा अपने आप को शासित की तरह पेश करने कि समाज के द्वारा छूट है। ऐसा उसके द्वारा मान लिया जाता है, क्योंकि उसके मन में यह बात पूरी तरह स्थायित्व प्राप्त कर चुकी है कि उसके पास लड़कियों की अपेक्षा अधिकार जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेंडर अध्ययन का संज्ञानात्मक सिद्धांत अध्ययन प्रक्रिया के सूक्ष्म बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके द्वारा जेण्डर की प्रक्रिया को स्थयित्व प्रदान किया जाता है।

5.5.3 जेण्डर अध्ययन के समाजीकरण का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत

जेण्डर के अध्ययन हेतु मनोविश्लेषण का प्रवर्तन सर्वप्रथम ''नैंसी के ड्रोन'' ने 1978 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के द्वारा जेण्डर अध्ययन की प्रक्रिया के सूक्ष्म तत्वों को समझा जा सकता है। इसे आसान शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। यहां हम देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार माँ जब लड़की का पालन पोषण करती है तब वह लड़की एक उम्र प्राप्त कर लेती है तब उसे मां के समानांतर अपने को मानसिक रूप से विकसित करना पड़ता है। दूसरी तरफ लड़के में जेण्डर पहचान विकसित जाने के पश्चात वह मां से अलग स्वंम को विकसित करने का सायास प्रयास करता है। वैसे तो यह संवेगात्मक या भावनात्मक समाजीकरण का एक स्वरूप है, किंतु इसमें जेण्डर का अध्ययन निहित है। हमें इन सूक्ष्म तत्वों को समझने के पश्चात जेण्डर की आंतरिक संरचना का ज्ञान हो सकता है जो हमें आगे चलकर जेण्डर से संबंधित सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और अतार्किक परंपराओं के निराकरण में सहायक होता है।

5.6 जेण्डर अध्ययन के समाजीकरण के विभिन्न चरण

समाज विज्ञानी ''रूट हार्टले'' ने किसी भी सामाजिक प्रक्रिया को चार चरणों में वताता है। यहां यह समझ लेना चाहिए कि जेण्डर अध्ययन के सामाजिक कारण के विभिन्न स्तरों का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि यदि

बहु स्तरीय सामाजिक प्रक्रिया के प्रत्यक्ष को समझ लेने के पश्चात जेण्डर के विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामों के विषय में समुचित जानकारी हो जाएगी। फल स्वरुप सामाजिक एवं वैयक्तिक आवश्यकता अनुसार इसमें में संशोधन तथा परिवर्तन अथवा स्थगन करने का प्रयास किया जा सकता है। सर्वप्रथम सामाजिक कारण के चारों सिद्धांतों को क्रमवार समझ लिया जाए–

- **प्रबंध कौशल**

  यहां प्रबंध कौशल का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के द्वारा लड़के तथा लड़कियों की छवियों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। जैसे सांस्कृतिक सामाजिक रूप से कुछ समुदायों एवं समूहों में बाल्यावस्था से ही लड़कियों के बालों को बड़ा करने और उसे संवारने को प्रोत्साहित किया जाता है। वही बालकों को प्रायः ऐसा करने को हतोत्साहित किया जाता है प्रकारान्तर में ऐसी छवियां बच्चों में विकसित हो जाती हैं।

- **संबोधन**

  यहां संबोधन का आशय है कि पारिवारिक एवं समाज में बच्चों के क्रियाकलापों के को पुनर्बलन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए जो शाब्दिक पुर्नवलन जैसे लड़कों के लिए ''तुम तो बहुत बहादुर हो'' तथा ''लड़कियों के लिए तुम तो बहुत सुंदर हो'' इन दोनों ही वाक्य से लड़के, लड़कियों को स्वः को स्थायित्व प्राप्त होता है।

- **ध्यान आकर्षण**

  माता–पिता या संरक्षक/संरक्षिका के द्वारा बहुत कम आयु वर्ग में लड़के, लड़कियों में उनके प्रयोग में ले जाने वाले खिलौने को द्वारा उनके व्यवहार पर प्रक्रिया विशेष में स्थापित प्रदान किया जाता है।

- **क्रियाकलाप के द्वारा**

  इस प्रक्रिया में लड़कियों और लड़कों को प्रायः अलग–अलग प्रकार के काम सौपें जाते हैं। जैसे बाजार जाना है तो प्राय लड़कों को भेजा जाएगा। घरेलू कार्य लड़कियों को सौंप जाते हैं कालांतर में यही विभेद उनके मानस पटेल पर स्थापित्व प्राप्त कर लेता है जो दोनों के जेण्डर के को एक दूसरे से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीच दिये गये रिक्त स्थान में उत्तर लिखिये।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. जेण्डर अध्ययन के समाजीकरण को स्पष्ट कीजिए ।

.....

.....

2. जेण्डर अध्ययन के ऐतिहासिक परिपेक्षय का वर्णन करें।

.....

.....

3. जेण्डर अध्ययन एवं नारीवादी संकल्पना के संबंधों को कारण सहित समझाइए?

.....

.....

4. जेण्डर अध्ययन के विभिन्न सिद्धांतों की सूची बनाएं।

.....

.....

5. जेण्डर अध्ययन के समाजीकरण के सिद्धांत से क्या समझते हैं।

.....

.....

6. जेण्डर अध्ययन के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

.....

.....

5.7 सारांश

इस इकाई में प्रयास किया गया है कि दुनिया भर के समाजों में स्थापित पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं को समझ सकें। इसके बाद जेण्डर को स्थायित्व प्रदान करने हेतु परंपरागत रूप से समाज एवं कभी–कभी परिवार द्वारा किस प्रकार बलपूर्वक लिंग को आधार बनाकर कई प्रकार के अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों को पोषित करते हैं। प्रस्तुत इकाई में यह भी समझने का प्रयास किया गया है कि लिंग और जेण्डर दोनों ही अलग–अलग प्रत्यय हैं। सेक्स के संबोधन में जब शारीरिक लक्षणों को आधार बनाया जाता है जबकि जेण्डर के लिए विभिन्न प्रकार के समाजों में निहित सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार इसके माध्यम से शिक्षार्थियों को यह बोध हो सकता है कि जेण्डर अध्ययन का प्रारंभ जेण्डर अध्ययन का अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश जेण्डर का स्थाईकरण तथा जेण्डर अध्ययन के पश्चात समाज में व्याप्त असमानताओं को कैसे समाप्त किया जाए या काम किया जाए। इस इकाई में अपने अधिगम को आदर्श उत्तरों से मिलान करने के पश्चात विद्यार्थी को उसका ज्ञान का पता चल जाता है। जिसके लिए वह चाहे तो पुनः अध्ययन भी कर सकता है। सीखे गए प्रत्ययों एवं ज्ञान को अस्तित्व प्रदान करने के लिए अभ्यास के प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। इकाई के अंत में उपयोगी पुस्तकों की सूची प्रस्तुत की गई है जो किसी भी शिक्षार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। जिसके माध्यम से आगे की शिक्षा में शिक्षार्थी उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है। शिक्षा के अलावा उन पुस्तकों का उपयोग सामाजिक समस्याओं के निराकरण या अपने स्वाध्याय के लिए भी किया जा सकता है।

5.8 अभ्यास के प्रश्न

1. क्या जेण्डर अध्ययन के द्वारा समाज में लड़के और लड़कियों के अधिकारों में समानता आएगी तर्क सहित व्याख्या कीजिए।
2. जेण्डर अध्ययन में शोध एवं अनुसंधान की भूमिका को रेखांकित करें।
3. जेण्डर अध्ययन के लिए शिक्षक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के अन्तर अनुशासनिक संबंधों की व्याख्या करें।
4. जेण्डर अध्ययन की प्रक्रिया में दक्षिण एशियाई देशों तथा यूरोपीय देशों के बीच तुलनात्मक संबंध स्थापित करें।
5. लड़के, लड़कियों तथा ट्रांसजेण्डर के अधिकारों में समानता हेतु जेण्डर को ध्यान में रखकर उपाय सुझाए।

5.9 चर्चा के बिंदु

1. जेण्डर अध्ययन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
2. जेण्डर अध्ययन के महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा कीजिए।
3. क्या जेण्डर अध्ययन के द्वारा समाज में लैंगिक समानता स्थापित की जा सकती है?चर्चा कीजिए।

5.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. बालिका एवं बालक को जन्म के साथ–साथ उसके पालन पोषण में प्रायः अलगाव दिखाई देता है। जैसे बचपन से ही उसके पहनावे में अंतर सायास प्रयास करके स्थापित किया जाता है। परिवार तथा समाज आग्रह पूर्वक इस प्रक्रिया का समाजीकरण करता है।

2. सामान्य तौर पर देखा जाता है कि समाज एवं परिवार सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति तो दिखाई देती है किंतु अपनी उपस्थिति के उपरांत भी वह निर्णय में भागीदारी नहीं निभाती क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें नारी विमर्श का प्रवेश अकादमिक क्षेत्र में बहुत देर से होना है। यह एक प्रमुख कारण है। मुख्यतः विमर्श के केंद्र में 20वीं सदी के छठवें एवं सातवें दशक से प्रारंभ होकर आज तक आवश्यकतानुसार आगे बढ़रहा है।

3. जेण्डर अध्ययन का आशय प्रायः समझ लिया जाता है की महिलाओं के संदर्भ में चर्चा हो रही है किंतु एक सांस्कृतिक संबोधन है जिसके द्वारा तीनों महिला, पुरुष एवं ट्रांसजेण्डर को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। रही बात नारीवादी संकल्पना का जेण्डर अध्ययन से संबंध तो इस अध्ययन की प्रक्रिया से महिलाओं के प्रति सोच में पूरी दुनिया सहित भारत में भी लोगों में परिवर्तन हुआ है।

4. जेण्डर अध्ययन के प्रारंभ के पश्चात समय–समय पर चरणबद्ध परिवर्तन हुए जिनकी सूची निम्नलिखित हैं–

- 'उदारवादी नारीवादी सिद्धांत।
- 'रेडिकल नारीवादी सिद्धान्त।
- 'मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत।
- 'समाजवादी नारीवादी सिद्धांत।

- 'उत्तर आधुनिक नारीवादी सिद्धांत।
- 'सांस्कृतिक नारीवादी सिद्धांत।

5. समाज के आग्रह पर परिवार द्वारा बच्चों एवं बच्चों के पालन पोषण में अंतर को स्थायित्व प्रदान किया जाता है जिसे जेण्डर का सिद्धांत कहते हैं।

6. इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे एवं बच्चियों में जेण्डर के अनुसार पालन पोषण किया जाता है। जिसके अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक ज्ञान के अनुरूप स्थायित्व प्रदान किया जाता है। जैसे लड़के एवं लड़की दोनों में ही स्व विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

5.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता (2001), नारीवादी राजनीतिक संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी मध्यम कार्यान्वयन कार्यालय, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
2. मर्चेंट कार्लिन (1992) चोंप्टर, इन रेडिकल इकोलॉजी', सर्च फॉर ए लायबल, न्यूयॉर्क।
3. टी0वी0 जैक्सन, जैकी जॉन्स (1998), कंटेंपरेरी फेमिनिस्ट थिअरी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, प्रेस।

इकाई – 6 : जेण्डर अध्ययन के प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक

इकाई की संरचना

6.1 प्रस्तावना

6.2 इकाई के उद्देश्य

6.3 जेण्डर अध्ययन के प्रतिमान

6.4 जेण्डर अध्ययन के प्रतिमानों में परिवर्तन के उत्तरदायी कारक

6.4.1 जेण्डर अध्ययन एवं सामाजिक कारक

6.4.2 जेण्डर अध्ययन एवं राजनीतिक कारक

6.4.3 जेण्डर अध्ययन एवं वैयक्तिक कारक

6.4.4 जेण्डर अध्ययन एवं सांस्कृतिक कारक

6.5 सारांश

6.6 अभ्यास के प्रश्न

6.7 चर्चा के बिन्दु

6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.1 प्रस्तावना

जेण्डर के अध्ययन की आवश्यकता पर विचार करने के उपरान्त जेण्डर के विभिन्न प्रतिमानों की चर्चा की जाएगी साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि अकादमिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों में विषय विशेष पर किन–किन मानकों को आधार बनाकर प्रतिमान निर्धारित किए जाते हैं? प्रायः इन प्रतिमानों में समय–समय पर परिवर्तन होता रहता है तो प्रयास किया जाएगा कि इन परिवर्तनों के लिए उत्तरदाई कारकों की प्रकृति पर चर्चा की जाए तथा समय के सापेक्ष हो रहे परिवर्तनों को भी चर्चा को केंद्र में ले आने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में जेण्डर अध्ययन के लिए उत्तरदाई कारकों के प्रकार एवं उनके क्षेत्र पर भी चर्चा की जाएगी। सब मिलकर जेण्डर अध्ययन उसके प्रतिमान में हो रहे परिवर्तन, इन परिवर्तनों के लिए उत्तरदाई कारकों जैसे– व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक आदि पर चर्चा की जाएगी। इन निष्पात्तियों की जानकारी के पश्चात प्रयास किया जाएगा कि बोध प्रश्नों के माध्यम से शिक्षार्थी अपने अधिगम स्तर की जांच इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के आदर्श उत्तर से करें और आवश्यकता अनुसार पुनः अध्ययन करें। अधिगम प्रक्रिया के उपरांत इकाई में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों के माध्यम से अपने अधिगम को स्थायित्व प्रदान करने तथा इकाई के अंत में दिए गए सारांश की सहायता से पूरे पाठ के सांराश को समझें एवं इकाई के सबसे अंत में उपयोगी पुस्तकों की सूची है। जो किसी भी शिक्षार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। उसे देखकर आगे के अध्ययन में प्रयोग कर सकते हैं।

जेण्डर अध्ययन अपेक्षाकृत नया विषय है। देखने सुनने में यह ऐसा लगता है कि विषय मौलिक रूप से समाजशास्त्र का है, आंशिक रूप से या तथ्य सही भी लगता है किंतु यह तथ्य अर्धसत्य है। जेण्डर अध्ययन का संबंध अन्य विषयों से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि मूलतः जेण्डर में जिन महीन तत्वों की चर्चा होती है। उसका संबंध अन्य विषयों से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। अन्य विषयों जैसे– राजनीतिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, भूगोल, आदि से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार जेण्डर अध्ययन की एक अंतर अनुशासनिक विषय के रूप में पहचान की जाती है। जैसा कि प्रायः कहा जाता है कि जेण्डर अध्ययन एक नया विषय है जिसे अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश अपेक्षाकृत कुछ बाद में मिला। इसके कारण सामाजिक है। हम देखते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति समाज के विभिन्न संस्थाओं में है किंतु उस अनुपात में उनकी चर्चा नहीं होती है। संभवत यह कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से इस विषय का अध्ययन ऐतिहासिक रूप से थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ। दुनिया के लगभग हर समाजों के धार्मिक ग्रंथो एवं आचार–विचार में स्त्रियों की चर्चा तो है किंतु नाम मात्र की ही है। जिसके कारण यह विमर्श के केंद्र में नहीं रखी गई। यही कारण है कि यदि विषय पर चर्चा नहीं होगी तो उन विषयों की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती है। ऐसे में उन विषयों पर परंपराएं, रूढ़ियों, अंधविश्वास का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है तथा विषय की प्रगति लगभग स्थगित हो जाती है। ठीक ऐसी स्थिति जेण्डर अध्ययन की भी हुई है। फिर भी देर से ही सही कुछ विद्धत जनों का ध्यान महिलाओं की सामाजिक स्थिति की तरफ आकृष्ट हुआ धीरे–धीरे यह विषय केंद्र में आने लगा तथा इस पर साहित्य सहित समाज में चर्चा होने लगी। महिलाओं के

अधिकारों एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु जेण्डर अध्ययन की चर्चा भी होने लगी। मूलतः यह चर्चा महिलाओं के अधिकारों एवं उत्तरदायित्व तक सीमित थी। इसके कई चरण थे। जैसे उदार नारीवाद, रेडिकल नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, आधुनिक नारीवाद, संस्कृतिक नारीवाद आदि। इन आंदोलनों में नारी केंद्रित विषय प्रमुख थे। जिनकी चर्चा इकाई के अन्य बिंदुओं पर विस्तार से की जाएगी।

6.2 इकाई के उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पाश्चात आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. जेण्डर के प्रत्यप को समझ सकेंगे ।
2. जेण्डर एवं सेक्स के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे ।
3. जेण्डर अध्ययन के प्रतिमान का प्रत्यय समझ सकेंगे ।
4. जेण्डर अध्ययन के प्रतिमानों में हो रहे परिवर्तनों को समझ सकेंगे ।
5. जेण्डर अध्ययन के प्रतिमान में हो रहे परिवर्तनों के लिए उत्तरदाई कारकों को सूचीबद्ध कर सकेंगे।
6. जेण्डर अध्ययन के प्रतिमान में परिवर्तन के लिए उत्तरदाई कारकों को समय के सापेक्ष समझ सकेंगे।

6.3 जेण्डर अध्ययन के प्रतिमान

इकाई के इस बिंदु पर चर्चा के पूर्व या स्पष्ट हो जाना चाहिए क्या जेण्डर अध्ययन में मात्र महिलाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा होती है? वैसे तो यह सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह सत्य नहीं है क्योंकि जब जेण्डर की चर्चा होती है तो प्रचलन यह है कि केंद्र में महिला होती है किंतु जेण्डर अध्ययन में अब तक सामाजिक, विधिक एवं राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त तीनों जेण्डर ही आते हैं। जैसे– महिला, पुरुष एवं ट्रांसजेण्डर स्वाभाविक है कि समाज में तीनों की उपस्थिति है। ऐसे में किसी एक जेण्डर पर चर्चा होगी तो यह सापेक्ष रूप से दो जेण्डर पर बात हो ही रही होती है। भले ही यह परोक्ष ही हो जैसे– उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति या दुनिया के अन्य देशों में महिलाओं की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में कमतर है। ऐसे में उन्हें राजनीतिक रूप से आगे लाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाएगी उसमें पुरुषों की भागीदारी को प्रभावित करेगी। जैसे भारत में महिला आरक्षण को 33ः तक कर दिया गया है जो आने वाले वर्षों में संभवतः लागू होगा। इससे अब पुरुषों के लिए 67ः की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। जो अब तक शत–प्रतिशत थी। इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि जेण्डर अध्ययन की बात करना मात्र महिला अध्ययन की बात करने से अलग, तीनों ही जेण्डर की बात करना होता है। यह स्पष्ट होने के पश्चात अब आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जेण्डर अध्ययन के प्रतिमान किसे कहते हैं अर्थात किन मानकों पर तीनों जेण्डर पर चर्चा करेंगे। सामान्यतया किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो वह व्यक्ति केंद्र में रहता है वह महिला हो सकती है। पुरुष हो सकता है ट्रांसजेण्डर हो सकता है, या तीनों ही हो सकते हैं। कोई दो भी हो सकता है। यहां जेण्डर अध्ययन में देखेंगे कि पहले मानक या प्रतिमान वैयक्तिक आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय की व्यक्ति की कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं

जैसे– शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति आदि या समान रूप से तीनों ही लिंगों की आवश्यकता है किंतु अभी भी यह सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं है। परंपराओं, अंधविश्वासों गरीबी तथा जागरूकता एवं अशिक्षा के कारण यह स्थिति बनी हुई है। कहा जाता है गरीबी के कारण गरीबी और बढ़ती है। यह कथन ठीक उसी प्रकार अशिक्षा; शिक्षित होने में बाधा उत्पन्न करती है। इसे एक प्रतिमान की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा है सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिमान क्या तीनों लिंगो को सामाजिक रूप से समुचित स्थान प्राप्त है। समानतया ऐसे देखने को नहीं मिलता। बहुत प्रगतिशील और संपन्न समाज में भी सामान्यतया नहीं दिखाई देती है ऐसे में उन समाजों में जहां संसाधनों की कमी है फिर तो वहां असमानता स्वाभाविक रूप से अधिक दिखाई देता है। यहां भी किसी एक लिंग जैसे– महिला, पुरुष या ट्रांसजेण्डर की चर्चा नहीं हो रही है बल्कि तीनों ही जेण्डर की चर्चा हो रही है। इसी प्रकार संस्कृतिक प्रतिमान भी है राजनीतिक प्रतिमान भी है। इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन आया है जिसकी इसी इकाई में चर्चा की जाएगी।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. जेण्डर प्रत्यय का वर्णन करें।

.....

.....

2. जेण्डर एवं लिंग के अंतर को संक्षेप में स्पष्ट करें।

.....

.....

3. जेण्डर अध्ययन के प्रतिमान से क्या आशय है स्पष्ट करें।

.....

.....

6.4 जेण्डर अध्ययन के प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक

पिछले उपबिन्दु में हमने संक्षिप्त चर्चा की है कि जेण्डर अध्ययन किन बिंदुओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ता है। उससे आगे हम यहां चर्चा करेंगे कि यह प्रतिमान समय–समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। मुख्य रूप से जब जेण्डर की बात प्रारंभ होती है, सभी स्त्री अध्ययन केंद्र में आ जाता है। यह तीनों ही लिंगो की बात होगी जो अधिकारों, उत्तरदायित्व में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि उदार नारीवाद से सांस्कृतिक नारीवाद तक जो यात्रा जेण्डर अध्ययन की संपन्न हुई है उसमें आश्चर्यजनक रूप से प्रतिमानों में परिवर्तन हुआ है। जैसे जो नारीवादी आंदोलन उदार नारीवाद से प्रारंभ हुआ जिसमें महिलाओं के सामान्य अधिकारों जैसे– मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति और समानता का अधिकार आदि था। वह क्रमवार बदलते प्रतिमानों के साथ आगे

बढ़ता रहा। सर्वप्रथम 20वीं सदी में अमेरिकी तथा फ्रांसीसी समाज ने सर्वप्रथम यह चर्चा प्रारंभ हुई थी। व्यक्ति के रूप में महिलाओं के भी सामाजिक एवं पारिवारिक अधिकार है। यह दौर उदार नारीवाद का था। इस पर चर्चा के उपरांत इन समाजों में महिला, पुरुष संबंधों में थोड़ा संतुलन आया। मूलतः इस आंदोलन को जान स्टुअर्ट मिल एलिजाबेथ कैंडी, हैरी ट्रेलर, रेबेका, एलिस वॉकर आदि ने आगे बढ़ाया। इस प्रकार के आंदोलन को आगे बढ़ते हुए नारीवादियों ने इसे रेडिकल नारीवाद तक पहुंचा दिया जो इस प्रकार व्याख्ययित किया जा सकता है। इस प्रकार है–

रेडिकल नारीवाद की चर्चा को विमर्श के केंद्र में लाने का श्रेय शिमोगा को देना सर्वथा उचित होगा। उल्लेखनीय है कि पिछली सदियों में विशेष रूप से 19वीं सदी में एक तरफ नारीवादियों ने सामान्य वैयक्तिक अधिकारों की मांग करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं रेडिकल नारीवाद में पितृसत्तालक अधीनता या प्रभुत्व को पूरी तरह नकार कर नए प्रतिमानों की चर्चा कर रही है। उन परंपराओं एवं रूढ़ियों की वैज्ञानिक एवं तार्किक विश्लेषण कर रही है। इस आंदोलन से एक नारा निकला ''व्यक्तिगत ही राजनीतिक है'' इसका आशय है कि व्यक्तिगत अनुभव ही राजनीतिक है इसका प्रमुख कारण है कि महिलाओं ने निजी अनुभव से सत्ता को समझा। उसी को आगे आंदोलन में विमर्श के रूप में प्रयोग किया। यह ऐसा आंदोलन था। जिसने विश्व समुदाय का उद्वेलित किया था तथा पूरी दुनिया में राजनीति से लेकर दैनिक कार्य व्यवहार में महिलाओं के प्रति समाज में उदार भाव का संचार हुआ था। उल्लेखनीय है कि समाज की पूरी बागडोर पुरुषवादी संस्थाओं के कर्तधताओं के हाथ में थी। उन्होंने भी नये ढंग से ही सही लेकिन इन लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति सोच में उदारता लाई। इस प्रकार दोनों ही पुरुष और महिलाओं पर इसका प्रभाव पड़ा तथा समाज में पितृसत्तात्मक अधिकारों की तार्किक व्याख्या प्रारंभ हुई जो आगे चलकर कई एक नारीवादियों की श्रेणी विकसित हुई। जिसमें एक प्रमुख थी मार्क्सवादी नारीवाद, इस आंदोलन के प्रणेता मार्क्स और एंगेल्स ने निजी संपत्ति को ही महिलाओं की उत्पीड़न तथा शोषण को प्रमुख माना जिसकी आलोचना भी हुई किंतु प्रकारान्तर में उत्तर आधुनिक नारीवादियों ने संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों की बात की। इसका अर्थ यह निकलता है कि यदि इस आर्थिक समय में महिला संपत्ति के अधिकार से संपन्न रहेगी तो अपने संपूर्ण अधिकारों का संरक्षण कर सकती है। इसी क्रम में नारीवादी आंदोलन की नई धारा सामने आई जिसे समाजवादी नारीवादी आंदोलन के रूप में पहचान मिली। इस आंदोलन ने महिला एवं पुरुष के संबंधों सहित समाज के अन्य आयामों को प्रभावित किया। इस आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि महिलाओं को समानता तब मिलेगी जब सामाजिक रूप से प्रत्येक महिला एवं पुरुष, समुदाय को समानता प्राप्त होगी। इनका कहना था की संपत्ति एवं अधिकारों के वितरण में समानता होगी तब महिलाओं के प्रजनन के अधिकार तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं पर अधिकारों में संतुलन आ जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर एक नए नारीवाद जिसे उत्तर आधुनिक नारीवाद आंदोलन के रूप में पहचान होती है। इसकी शुरुआत 1980 ईस्वी में मानी जाती है। इस आंदोलन को प्रमुख चिंतक दार्शनिक एवं शिक्षाविद् हेलेंसी जोंस, लुइस आयर आदि उल्लेखनीय है कि यहां जेण्डर अध्ययन के नए मानक या प्रतिमान विकसित किए गए जो अब तक की व्याख्याओं से बिल्कुल नए

और सश्लिष्ट है। जैसे महिलाओं की प्रजनन अधिकार, समलैंगिकता आदि पर चर्चा की गई। आसान शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के इधर नए तरह के अधिकारों की पैरवी की गई। इन्हीं आग्रहों से भारतीय समाज में ''लिव रिलेशन'' जैसी नई अवधारणा सामने आई है। जिसमें समाज सहित पुरुष की सत्ता महिला के ऊपर थोपी नहीं जा सकती है। अब धीरे–धीरे परिवार नामक संस्था अपना आकार बदल रही है। वह दिन दूर नहीं जब आंदोलन के प्रभाव से यह संस्था समाप्त हो जाएगी और स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति एक नए तरह के समाज की अवधारणा की ओर बढ़जाएगा।

इसी क्रम में एक नए आंदोलन जिसे संस्कृतिक नारीवाद कहा जाता है, भी सामने आया है जो शायद अंतिम नहीं है। इस नारीवाद की विशेषता यह है की यहां मार्गरेट फ्लैट ने नई व्याख्या प्रस्तुत की है जिनका मानना है कि महिला की जो वैयक्तिक विशेषता है जैसे– उदारता, भावुकता आदि को रेखांकित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि महिला, पुरुष एवं ट्रांसजेण्डर तीनों में ही कम या अधिक स्त्रीत्व या पुरुष तत्व पाया जाता है। प्रायः इन भावनाओं को केंद्र में लाकर नयी व्याख्या को जन्म दिया गया है। इसके अलावे अन्य नारीवाद के आंदोलन भी संचालित हो रहे हैं जैसे पर्यावरणीय नारीवाद, काला नारीवाद, उत्तर औपनिवेशिक, नारीवाद जो सबके सब अलग–अलग बिंदुओं पर जेण्डर अध्ययन के नए और अलग प्रतिमान घोषित करते हैं। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सारे ही आंदोलन किसी ने किसी रूप में जेण्डर अध्ययन की अवधारणाएं विकसित कर रहे हैं जो पितृसत्तात्मक समाज के विरोध में न होकर एक शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

6.4.1 जेण्डर अध्ययन एवं सामाजिक कारक

इकाई के गत् बिंदुओं पर हमने नारीवादी आंदोलन की विस्तार से चर्चा की है। जिसमें सामाजिक कारक की भी चर्चा की गई है किंतु इसे एक बिंदु के रूप में अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है। परंपरागत पितृसत्तात्मकता में महिला के अधिकारों का संरक्षण आदर्शवादी कथनों में ही सुनाई देता है। व्यवहार में प्रायः यह अदृश्य रहता है। जिससे कहा जा सकता है कि समाज की प्राथमिक संस्था परिवार में महिला के अधिकारों को प्रभावित का करने वाले कारकों की चर्चा कारकों की सूक्ष्म पड़ताल कर ली जाए तो इसका निराकरण भी संभव है। परिवार में प्राय महिलाओं को अपेक्षाकृत कम अधिकार प्राप्त हैं हो सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों में पुरुष के बराबर हो किंतु व्यवहार में कम ही है इसलिए शिक्षा के अधिकार एवं संपत्ति के अधिकार के प्रति महिलाओं में जागरूकता की आवश्यकता है। जिसे समाज तथा परिवार द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

6.4.2 जेण्डर अध्ययन एवं राजनीतिक कारक

सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की भूमिका को प्रभावित करने वाले कारकों ने सत्ता को सदियों से आज तक एकांगी बना रखा है। इन प्रतिष्ठानों ने अपने अतीत से तर्क ढूंढ कर सत्ता प्रतिष्ठानों पर एकांगी शासन स्थापित कर लिया है। अतीत के इन्हीं तर्कों की वैज्ञानिक व्याख्या महिलाओं के पक्ष को स्पष्ट कर सकती है। यह कोई

प्राकृतिक उद्घोष नहीं है कि सत्ताधीस पुरुष ही होगा। यह समाज द्वारा सीखा गया विमर्श है जिसे छोड़ाभी जा सकता है और संतुलित दुनिया की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें सत्ता प्रतिष्ठानों में महिला एवं पुरुषों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए जिससे सबके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

6.4.3 जेण्डर अध्ययन एवं वैयक्तिक कारक

जब भी जेण्डर अध्ययन की चर्चा होती है तो सापेक्ष रूप से सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबोधन की बात होती है। जिसमें तीनों ही लिंग समाहित होते हैं भले व्यक्ति संबोधित करने पर एक पुरुष जैसा चरित्र मानस पटेल पर उभरता है किंतु व्यक्ति से आशय तीनों ही लिंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। यह चर्चा हो रही है जेण्डर अध्ययन के द्वारा इन तीनों ही लिंगो को ऐसे अधिकार प्राप्त हो, जिससे किसी दूसरे या तीसरे लिंग का अधिकार प्रभावित न हो जो एक संतुलित विश्व समुदाय के विकास में सहयोग करेगा।

6.4.4 जेण्डर अध्ययन एवं संस्कृतिक कारक

जेण्डर अध्ययन को प्रभावित करने वाले इस कारक की चर्चा से तथ्य स्पष्ट होंगे कि महिलाओं की दशा किसी समाज एवं समुदाय में सदियों से कैसी है? समाज का धार्मिक आग्रह क्या महिला हितों को संरक्षित करता है। उसे राजनीतिक भागीदारी की बात करता है। उसके वैयक्तिक अधिकारों की सुरक्षा करता है कि नहीं आदि। हमें अतीत में जाकर अपने ज्ञान के स्रोतों को निष्पक्ष तरीके से तर्क करने की आवश्यकता है। क्या अतीत में यह सारे तत्व हमारी संस्कृतिक में थे। हमने उनकी व्याख्या ही अलग तरह से करके पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया। जिससे जेण्डर अध्ययन के माध्यम से आज उसके वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है। जिसमें जेण्डर अध्ययन के माध्यम से पुनः व्याख्यान की आवश्यकता है।

6.5 सारांश

इस इकाई में मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जो जेण्डर अध्ययन के केंद्रीय बिंदु हैं। जेण्डर और सेक्स को एक ही धरातल पर रखकर हम प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं जबकि दोनों ही अलग–अलग प्रत्यय हैं। इसके अतिरिक्त यह समझने का प्रयास किया गया तथा इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार समय–समय पर जेण्डर अध्ययन के विमर्श हेतु निर्धारित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिमाण बदलते रहे हैं। जिसमें विशेष उल्लेखनीय नारीवादी आंदोलन की विस्तृत चर्चा की गई है। इसके पश्चात उन बदलते कारकों की भी चर्चा की गई है जो इन प्रतिमानों को प्रभावित कर रहे थे। मूलतः चर्चा की गई है कि विभिन्न कारकों के कारण वस अलग–अलग नारीवादी आंदोलन की व्याख्या और पुर्नव्याख्या की गई है तथा बोध के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न दिये गये है एवं बोध प्रश्नों के उत्तर लिखे गए हैं जिसकी सहायता से शिक्षार्थी अपने अधिगम की स्थिति को स्थापित्य प्रदान सकते हैं एवं सारांश के द्वारा पाठ का पुनः पाठ भी कर सकते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. नारीवादी विभिन्न आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन करें।

.....

.....

5. जेण्डर अध्ययन के बदलते प्रतिमान से क्या समझते हैं? स्पष्ट करें।

.....

.....

6.6 अभ्यास के प्रश्न

1. जेण्डर अध्ययन लिंग अध्ययन से कैसे अलग है स्पष्ट करें।
2. जेण्डर अध्ययन पर रेडिकल नारीवाद के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें।
3. जेण्डर अध्ययन और नारीवादी आंदोलन के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए।
4. सांस्कृतिक नारीवाद से क्या समझते हैं स्पष्ट करें।
5. जेण्डर अध्ययन तथा सामाजिक सौहार्द के बीच के संबंधों को रेखांकित करें।

6.7 चर्चा के बिन्दु

1. जेण्डर अध्ययन को राजनीतिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं?चर्चा कीजिए।
2. जेण्डर अध्ययन तथा उत्तर आधुनिक नारीवादी की चर्चा कीजिए।
3. जेण्डर अध्ययन के प्रतिमानों की चर्चा कीजिए।

6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. जेण्डर एक सामाजिक संबोधन है जो किसी समाज या समुदाय द्वारा अपने लिंग आधारित सदस्यों के संबोधन लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिसके द्वारा सांकेतिक रूप से विभिन्न जैव शारीरिक लक्षणों के आधार पर अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का वितरण किया जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण एशियाई महिलाएं, के संतान में उत्पत्ति में उसी भूमिका का निर्वहन होता है, जो यूरोप यूरोप की महिलाएं एवं अमेरिकी महिला की भूमिका है किंतु पारिवारिक एवं सामाजिक अधिकारों में दोनों महाद्वीपों की महिलाओं में समानता नहीं है। इसका आशय यह है कि शारीरिक रूप से एक तरह के लक्षणों के बाद भी सामाजिक रूप से महिलाओं में समानता नहीं होती है। इस प्रकार जेण्डर एक सांस्कृतिक संबोधन है।
2. जेण्डर एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबोधन है जबकि लिंग एक वैयक्तिक संबोधन है।

3. जेण्डर अध्ययन के प्रतिमान का आशय है कि जब जेण्डर अध्ययन करते हैं तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तीनों तीनों ही महिला, पुरुष एवं ट्रांसजेण्डर की चर्चा करते हैं। जहां तक प्रतिमानों का विश्लेषण है उसे उन मानकों को कहते हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यगत होते हैं।
4. मूलतः पितृसतात्मक समाजों में लगभग सारे ही अधिकार पुरुषों ने सदियों से अपने लिए सुरक्षित कर लिए थे। जिससे एक सामुदायिक एवं सामाजिक पक्षपात स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा था। इन असमानताओं को दृष्टिगत करते हुए अमेरिकी एवं यूरोपीय देश जैसे अमेरिका, लैटिन अमेरिका एवं फ्रांस में विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन संचालित किए गए जो इस प्रकार हैं। उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद, संस्कृतिक नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवादी आंदोलन आदि।
5. जहां तक जेण्डर अध्ययन के बदलते प्रतिमान का आशय है। उसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा व्यक्ति एवं समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बार–बार जेण्डर अध्ययन के मानकों में परिवर्तन किया गया है इसे ही जेण्डर अध्ययन के बदलते प्रतिमान के रूप में देखा जाता है।

6.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. कुशवाहा मधु, (2011), जेण्डर और शिक्षा, गंगा शरण एंड संस, वाराणसी।
2. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
3. सुजाता, (2011), आलोचना का स्त्री पक्ष, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फेमिनिज्म, (1986)।
5. सिमोन द बुआ सेकंड सेक्स, (1961)।

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

B.Ed.E-10
(जेण्डर, विद्यालय एवं समाज)
Gender, School and Society

खण्ड– 03

जेण्डर, शक्ति और शिक्षा

इकाई 7	लैंगिक पहचान और सामाजिक प्रथाएं	99
इकाई 8	लड़कियों की शिक्षा में असमानता	119
इकाई 9	महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार	132

खण्ड – 3 : जेण्डर, शक्ति और शिक्षा

खण्ड परिचय

इस खण्ड में जेण्डर, शक्ति और शिक्षा के विषय में विस्तृत वर्णन दिया गया है। इस खण्ड को तीन इकाईयों में वर्गीकृत करके विषयवस्तु को वर्णित किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है–

इकाई 7 : लैंगिक पहचान और सामाजिक प्रथाएं नामक इकाई, जिसके अंतर्गत भारतीय समाज में लैंगिक पहचान से सम्बन्धित सामाजिक प्रथाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस इकाई में जेण्डर की पहचान एवं विशेषताओं को विस्तार से समझाया गया है। इसी ईकाई के अन्तर्गत जेण्डर के लिये निर्धारित सामाजिक मूल्य क्या हैं? जेण्डर के लिए समाज द्वारा निर्मित भूमिकाएं क्या हैं? पर विस्तार से व्याख्या की गयी है। इस इकाई में जेण्डर असमानता की वर्तमान समस्या को समझाने एवं जेंडर असमानता के विभिन्न कारणों पर विस्तार से वर्णन किया गया है। जिसके अध्ययन से विद्यार्थी अपने ज्ञान कौशल में परिमर्जान कर सकते हैं।

इकाई 8 : लड़कियों की शिक्षा में असमानता नामक इकाई जिसके अन्तर्गत स्त्री शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि को विस्तार से समझाते हुये स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को बताया गया है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानों की भी चर्चा की गयी है। इस इकाई में लडकियों की शिक्षा में असमानता तथा इसके प्रमुख कारकों की वर्णनात्मक व्याख्या की गयी है। लड़कियों की शिक्षा में असमानता की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? इसको दूर करने के लिये भारत में महिला शिक्षा के संवैधानिक प्रयास क्या है? इस सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया गया है।

इकाई 9 : महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार नामक इस इकाई के अन्तर्गत महिलाओं के लिये संवैधानिक उपबंध क्या है? साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिये अब तक किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों की विस्तार से व्याख्या किया गया है। इस इकाई में स्वतंत्रता के बाद महिला कल्याण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से व्याख्या की गयी है। साथ ही भारतीय संविधान में महिला कल्याण की गारन्टी हेतु बनाये गये कानूनों को विस्तार से व्याख्यायित किया गया है। इस इकाई में विभिन्न योजनाओं को सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिसका अध्ययन कर शिक्षार्थी अपने ज्ञान में परिर्माजन कर सकते हैं।

इकाई– 7 : लैंगिक पहचान और सामाजिक प्रथाएं

इकाई की संरचना

7.1 प्रस्तावना

7.2 इकाई के उद्देश्य

7.3 जेण्डर की पहचान

7.4 जेण्डर के लिए समाज द्वारा निर्मित भूमिकाएं

7.5 जेण्डरनिर्धारण सम्बन्धी सामाजिक मूल्य

7.6 सामाजिक प्रथाएँ

7.7 जेण्डर का सामाजिक दृष्टिकोण असमानता

7.8 जेण्डर असमानता के कारण

7.9 जेण्डर की अन्य असमानताएँ

7.10 जेण्डर असमानता की वर्तमान समस्या

7.11 सारांश

7.12 अभ्यास के प्रश्न

7.13 चर्चा के बिन्दु

7.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

7.1 प्रस्तावना

क्या आपको याद है कि आपने सर्वप्रथम कैसे कपड़े पहने थे? क्या 'लैंगिक–पहचान' आपकी यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ? क्या आपको इससे फर्क पड़ता है कि आप लड़की हैं या लड़का ? क्या आपको याद है कि पहली बार आपको कब अपने लड़की या लड़का होने का अहसास हुआ था? क्या आपको ऐसा कोई समय याद है जब आपको यह समझ नहीं आया था कि आपकी 'लैंगिक–पहचान'क्या है और अपने आस–पास के लोगों को लैंगिक–पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ? बचपन में आपके मित्रों–सहेलियों का मेकअप क्या 'लैंगिक–पहचान' से प्रभावित होता था ? क्या जवानी में होता था? क्या आज होता है? आप किस तरह के खेल खेलते/खेलती हैं और क्या आपके खेलों पर आपके 'लैंगिक–पहचान' का प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या आपको ऐसे छोटे लड़के या लडकियां याद हैं जो सिर्फ समान–लिंग वाले साथियों के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे लिंग वाले साथियों के साथ भी घूमते/घूमती औरखेलते/खेलती थी,या अपने 'लैंगिक–पहचान' से सम्बन्धित व्यवहार नहीं करते/करती थे/थी ? ऐसे बच्चों के साथ दूसरे बच्चे कैसा व्यवहार किया जाता था? क्या आप अपने लैंगिक–पहचान से अलग व्यवहार करते/करती थे/थी ? क्या आप ऐसे दूसरेबच्चों को जानते/जानती थे?आपके परिजनों ने आपको 'लैंगिक–पहचान' से सम्बंधित कैसे व्यवहार का प्रशिक्षण दिया है? अपने लैंगिक–पहचान से सम्बन्धित व्यवहारों को आपने और कहाँ–कहाँ से सीखा ? ऐसे कुछ सवालों की व्याख्या से यह जाना जा सकता है कि "इन्सान लैंगिक–पहचान से सम्बन्धित व्यावहारों को कैसे सीखते/सीखती हैं, या समाजशास्त्रियों द्वारा 'जेण्डर–समाजीकरण' किसे और क्यों कहा जाता है। सामान्यतया 'समाजीकरण' समाजशास्त्रियों केलिए एक आधारभूत संप्रत्यय (Concept) है, और यह इस तथ्य की व्याख्या करता है कि इन्सान किसी समूह–विशेष के सदस्य कैसे बनते/बनती हैं या उससमूह विशेष के लिए निर्धारित व्यावहारों को कैसे सीखते/सीखती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया इन्सान के जन्म से ही शुरू हो जाती है और जीवन–पर्यन्त चलती रहती है।

7.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पाश्चात आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. जेण्डर की पहचान कर सकेंगे।
2. जेन्डर की विशेषताओं की अभिव्यक्ति कर सकेंगे।
3. जेण्डर के लिए समाज द्वारा निर्मित भूमिकाओं की व्याख्या कर सकेंगे।
4. पाठ्य पुस्तकों में लिंगीय प्रतिनिधित्व की भी व्याख्या कर सकेंगे।
5. जेण्डर के सामाजिक निर्धारकों को बता सकेंगे।

7.3 जेण्डर की पहचान

लिंग (Gender) पहचान का अर्थ हैं, स्वयं के लड़के या लड़कियां होने की समझ। लिंग एक स्थायी सामाजिक स्वरुप हैं, बालक और बालिका लिंग की पहचान करता हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करता हैं।

कुछ विद्वान कहते हैं की माता–पिता के व्यवहार से लड़का या लड़की व्यवहार करना सीखते है। लिंग भूमिका व्यवहार का एक समुच्य हैं जो किसी व्यक्ति की स्त्रियोचित या पुरुषोचित प्रतिबिम्ब को प्रस्तुत करता हैं। जो उसके लिंग की पहचान होती हैं।

सामान्यतया महिलाएं समाज में 'गृहणी' और 'माँ' की भूमिका निभाती हैं। पुरुषवादी समाज इसके लिए महिलाओं की शारीरिक बनावट को जिम्मेदार बताता है । ऐसे समाज द्वारा यह मान्यता भी स्थापित की जाती है कि इन भूमिकाओं को बदलने की किसी भी कोशिश से समाज को नुकसान होगा। स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं से सम्बन्धित यह मान्यता पुरुषवादी समाज को बनाए रखने में सहयोग करती है। समाज में जेण्डर–अंतर (Gender) के द्वारा पुरुषों को सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है, जिससे उन्हें समाज और परिवार में शक्ति प्राप्त होती है। जेण्डर–अन्तर समाज के उस स्तरीकरण के साधन हैं जो पुरुष को सर्वोच्च और महिला को आश्रित की स्थिति में रखते हैं।

जेण्डर–मूल्य' ऐसे नियम हैं जो यह निर्धारित करते हैं (किसी संस्कृति में) कि किस लिंग से सम्बंधित इंसान को कैसा व्यावहार करना चाहिए। ऐसे 'जेण्डर–मूल्य' समाज द्वारा इंसानों पर इस तरह थोपे जाते हैं कि वे अपने 'लिंग' से सम्बन्धित जेण्डर–मूल्यों के पालन को अपनी पहचान से जोड़ लेते/लेती हैं और दूसरे लिंग से सम्बंधित जेण्डर–मूल्यों को अपनाना प्रतिबंधित। स्त्रीलिंग से सम्बंधित जेण्डर–मूल्यों को 'जनाना–मूल्य' और पुरुष–लिंग से सम्बन्धित जेण्डर–मूल्यों को 'मर्दाना–मूल्य' कहते हैं। अक्सर लोगों को यह ग़लतफ़हमी हो जाती है कि 'जेण्डर' शब्द का सम्बन्ध सिर्फ 'स्त्रियों' से है। लेकिन ऐसा नहीं है। 'जेण्डर' शब्द का सम्बन्ध 'स्त्री–पुरुष' दोनों से है।

सर्वप्रथम Margaret Mead ने स्त्री और पुरुष के जैविकीय और सामाजिक विशेताओं में अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने New Guinea Islands के तीन समुदायों/समाजों Arapesh MunugamorऔरTchambuliपर आधारित अपने एक अध्ययन (1935) के आधार पर बताया कि, मर्दाना और जनाना रूप में प्रचलित और निर्धारित विशेषताओं या गुणों और प्रवृतियों का किसी विशेष लिंग–समूह से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार बीसवीं सदी में 'जेण्डर' के संप्रत्यय के विकास का आधार Margaret Meadने रखा। Ann Oakley ने अपनी पुस्तक "Gender and Society"(1972) द्वारा समाजशास्त्र के क्षेत्र में जेण्डर और लिंग में अंतर को स्पष्ट करते हुए इसके संप्रत्यय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। Oakleyके अनुसार लिंग स्त्री और पुरुष के मध्य जैविकीय (शारीरिक) अंतर स्पष्ट करने वाली एक मूर्त अवधारणा है जबकि जेण्डर का सम्बन्ध संस्कृति से है यह मर्दाना और जनाना रूपी सामाजिक विशेषताएं हैं। इस प्रकार प्रस्तुत विवरण के आधार पर जेण्डर को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि, 'जेण्डर' शब्द का प्रयोग स्त्री और पुरुष के लिए परिवार, समाज और संस्कृति में तय की गयी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। एक तरफ जहाँ जैविकीय लिंग (Biological Sex) को आनुवांशिक और शारीरिक विशेषताओं द्वारा पहचाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ जेण्डर को

एक अर्जित पहचान के तौर पर जाना जाता है जो सीखा जाता है। समय के साथ जिसमें बदलाव होता है और विभिन्न संस्कृतियों के अन्दर और बाहर विस्तृत रूप से इसमें अंतर पाया जाता हैं।

इसी प्रकार जेण्डर को समाज द्वारा निर्मित पहचान और संबंधों, व्यक्तित्व के लक्षणों, अभिरुचियों, व्यवहारों, मूल्यों, दो लिंगों (sexes) के लिए अलग–अलग आधारों पर समाज द्वारा वर्णित प्रभावों और सम्बन्धित शक्तियों की रचना के तौर पर जाना जाता है। जेण्डर सम्बन्धात्मक होते हैं और ये सामान्यतया स्त्री और पुरुष से नहीं बल्कि उनके बीच के संबंधों को पहचान करने और संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं।

- लिंग (Sex) और 'जेण्डर (Gender)' की अवधारणाओं के सम्बन्ध में अक्सर भ्रम की स्थिति होती है।जैसे– किसी आवेदन पत्र में लोगों से उनके 'लिंग' के बजाय 'जेण्डर' पूछा जाता है।
- समाजशास्त्र में 'लिंग' शब्द का प्रयोग शारीरिक (जैविक) आधार पर स्त्री और पुरुष के पहचान हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत गुणसूत्रों (Chromosomes), शारीरिक–गठन (Anatomy), हार्मोन्स (Hormone) जनन–तंत्र (Reproductive System) और अन्य शारीरिक अंगों (Physiological Components) को शामिल किया जाता है।
- जेण्डर के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के लिए किसी विशेष सामाजिक परिवेश में उस समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक (Social), सांस्कृतिक(Cultural) और मनोवैज्ञानिक (Psychological) स्वभावों या लक्षणों (Trait)को शामिल किया जाता है।
- 'लिंग' इन्सान को स्त्री या पुरुष बनाते हैं जबकि 'जेण्डर' मर्दाना (Masculine) या जनाना (Feminine) बनाते हैं।'लिंग' जन्म द्वारा प्रदत्त प्रस्थिति है जबकि 'जेण्डर' लिंग के आधार पर अर्जित प्रस्थिति है।
- जेण्डर–समाजीकरण' वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इंसान समाज द्वारा किसी 'लैंगिक–पहचान' के लिए निर्धारित व्यवहारों का पालन करना सीखते/सीखती हैं। इस तथ्य को समझने के लिए 'जेण्डर–मूल्य' (Value) और 'जेण्डर–पहचान (Identity)' को समझना होगा।

जेण्डर का संप्रत्यय बहुत विस्तृत है क्योंकि यह बताता है कि कैसे समाज द्वारा महिलाओं को आश्रित (पुरुषों को वर्चस्वशाली) बनाया जाता है। इसी प्रकार आश्रितता को बदला भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। यह पहले से ही जैविकीय रूप से निश्चित नहीं रहता और न ही हमेशा के लिए निश्चित होता है।

- जेण्डर को स्त्री और पुरुष के लिए व्यवहारों और क्रियाओं को निश्चित करने वाले समाज द्वारा निर्मित मूल्यों और विचारधारा के रूप में परिभाषित किया है।
- जेण्डर समय (काल) के किसी एक विशेष बिंदु पर स्त्री और पुरुष होने से सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुण और अवसर हैं।
- जेण्डर इंसानों के मर्दाना और जनाना गुणों की व्याख्या करने वाली समाज–निर्मित व्यवस्था है। जेण्डर सिर्फ इंसानों में ही मर्दाना और जनाना के सिद्धांत पर आधारित अंतर नहीं करता बल्कि यह अन्य चीजों में इस आधार पर अंतर करता है। जैसे– कई संस्कृतियों से सम्बंधित भाषा के जानने को मर्दाना माना जाता है।

7.4 जेण्डर के लिए समाज द्वारा निर्मित भूमिकाएं

'जेण्डर' शब्द का प्रयोग स्त्री और पुरुष के लिए परिवार, समाज और संस्कृति में तय की गयी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। जेण्डर के संप्रत्यय में समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की विशेषताओं, अभिक्षमता और व्यवहारों से सम्बंधित उम्मीदों को भी शामिल किया जाता है। जेण्डर से सम्बंधित भूमिकाओं और उम्मीदों को सीखा और सिखाया जाता है। ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं और विभिन्न संस्कृतियों के अन्दर और बाहर भी इनमें विभिन्नता पायी जाती है। सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्थाएं जैसे राजनितिक प्रस्थिति, वर्ग, प्रजाति, शारीरिक और मानसिक योग्यता, अयोग्यता, उम्र एवं अन्य का भी जेण्डर से सम्बंधित भूमिकाओं पर प्रभाव पड़ता है।

अलग–अलग तरीको से समाज में उसे अपनी भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। औरत की मौजूदा अधीनता, अपरिवर्तनीय जैविक असमानताओं से नहीं पैदा होती हैं बल्कि यह ऐसे सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों, विचारधाराओं और संस्थाओं की देन हैं जो महिलाओं की वैचारिक तथा भौतिक अधीनता को सुनिश्चित करती हैं। इसलिए नारीवादी विचारक लिंग–भेद आधरित काम, यानी लिंग के आधर पर श्रम विभाजन और उससे भी ज्यादा आधरभूत स्तर पर यौनिकता और प्रजनन के प्रश्न को एक ऐसे विषय के रूप में देखते हैं जिसे 'जैविक संरचना' जो प्राकृतिक और इसलिए अपरिवर्तनीय मानी जाती है कि दायरे से बाहर रखकर देखा जाना चाहिए।'' दरअसल किसी शिशु को पैदा होते समय यह नहीं पता होता के वह नारी है या पुरुष। जैविक रूप से शिशु के स्त्री अंग को लेकर पैदा होने के साथ समाज बिन्दी लगाकर, चोटी बाँधकर, घर की चौखट लांघने पर पाबन्दी लगाकर एवं रसोई बनाना सिखाकर लिंग की कृत्रिम धरणा और विभाजक रेखा खींच देता है

बोध प्रश्न
टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. मार्गरेट मीड ने स्त्री और पुरूष की किन विशेषताओं के अन्तर को स्पष्ट किया?

.....

.....

2. जेण्डर समाजीकरण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

3. जेण्डर से सम्बन्धित भूमिकाओं को प्रभावित करने वाली सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्थाएं बताइए।

.....

.....

7.5 जेण्डर निर्धारण सम्बन्धी सामाजिक मूल्य

स्त्री और पुरुष होने से सम्बन्धित सामाजिक गुणों और अवसरों एवं स्त्री और पुरुष तथा लड़का और लड़की के मध्य संबंधों की व्याख्या हेतु जेण्डर का प्रयोग किया जाता है। ये गुण, अवसर और सम्बन्ध समाज द्वारा निर्मित होते है और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखे जाते हैं। ये समय–काल पर आधारित होते है और परिवर्तनशील होते हैं। जेण्डर यह बताते हैं कि किसी सामाजिक सन्दर्भ में स्त्रियों और पुरुषों से क्या अपेक्षाएं होती हैं, उनको क्या करने की अनुमति होती है और उनके लिए कौन से एवं किस प्रकार के मूल्य निर्धारित होते हैं? जेण्डर निर्धारण में विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हे। भारत देश में सामाजिक मूल्य जेण्डर निर्धारण का प्रमुख पक्ष है।

7.6 सामाजिक प्रथाएँ

भारतीय समाज में सदैव नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है सामजिक व्यवस्था की जब भी बात हुई नारी की गरिमा, इज्जत, सम्मान और उसके वैधानिक अधिकारों को उसके पक्ष में रखा गया। घर की महिलाएं गृह दासी या अंकशायिनी नहीं बल्कि गृह स्वामिनी थी। गृह के अन्दर उनका सम्पूर्ण साम्राज्य होता था यहाँ तक की राजाओं को भी अन्तःपुर में प्रवेश करने से पहले रानियों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कुलबधुएँ नगरबधुओं और गणिकाओं तक को भी विशेष अधिकार प्राप्त थे।

प्राचीन साहित्य में ढेरों मिथक कथाएं मौजूद है जो पुरुष स्वामित्व की सामाजिक स्थिति के विरुद्ध स्त्रियों के प्रतिरोध और विरोध का साक्ष्य प्रस्तुत करती है, जिस कालखण्ड में भारतीय समाज औपनिवेशिक गुलामी के नीचे दबे होने के कारणनयी परिस्थितियों ने जन्म लिया जिसके प्रभाव में भारतीय समाज ऐसी कई प्रथाओं से घिर गया जो स्त्रियों की उत्पीड़न और दासता को जड़ता प्रदान करने का कार्य किया। स्त्रियों के उत्पीड़न और दासता का इतिहास उतना ही पुराना है जितना असमानता और उत्पीड़न पर आधारित सामाजिक संरचनाओं के उदभव और विकास का इतिहास। इस संदर्भ में भारतीय सामाजिक प्रथाओं को समझा जा सकता है।

(i) सती प्रथा :

भारत में सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। यह एक ऐसी अमानवीय कुप्रथा थी, जिसके अन्तर्गत किसी पुरुष की मृत्योपरान्त उसकी विधवा हुई पत्नी को उसके अंतिम संस्कार के समय उसकी जलती हुई चिता में प्रविष्ट होकर आत्मदाह करना होता था। क्षत्रीय समाज में इस व्यवस्था का प्रचलन अत्यधिक था। पति की मृत्यु के बाद स्त्री उसकी चिता के साथ आत्मदाह कर वह अपनी आन्तरिक पति–भक्ति व सम्पूर्ण समर्पण भाव को प्रदर्शित करती थी।

महाभारत में इस प्रथा का छिट–पुट उल्लेख मिलता है। पाण्डु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गयी थी। कृष्ण के पिता वासुदेव के मरने पर उनकी पत्नियों ने सतीत्व का अनुरण किया था। किन्तु इस महाकाव्य में ही कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पत्तियों की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नियाँ जीवित रहीं।

भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन चतुर्थ शती ईसा पूर्व के बाद किसी समय हुआ होगा। रामायण में मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किन्तु उत्तरकाण्ड में वेदवती की माता के सती होने का उल्लेख है, जो सम्भवतः प्रक्षेपक है। दशरथ अथवा रावण की पत्नियाँ उनके मरने के बाद सती होती हुयी दिखाई नहीं देती। किन्तु पुराणों में कुछ स्त्रियों के सती होने का उल्लेख मिलता है।

(ii) देवदासी प्रथा :

प्राचीन समय से ही हमारे समाज में तमाम कुरीतियों और अंधविश्वासों का बोलबाला रहा है। समाज में आज भी कुछ ऐसी कुरीतियों और अंधविश्वासों का अभ्यास व्यापक पैमाने पर किया जाता है जो 21वीं सदी के मानव समाज के लिए शर्मसार करने वाली है इन्हीं कुरीतियों में से एक है। देवदासी प्रथा धर्म के नाम पर औरतों के शोषण का सिलसिला हजारों वर्षों से जारी है। भारत में सबसे पहले देवदासी प्रथा के अंतर्गत धर्म के नाम पर औरतों के यौन शोषण को संस्थागत रूप दिया गया था। इतिहास और मानव विज्ञान के अध्ययनों के अनुसार देवदासी प्रथा संभवत छठी सदी में शुरू हुई थी ऐसा माना जाता है कि अधिकांश पुराण भी इसी काल में लिखे गए। देवदासी प्रथा यूं तो भारत में हजारों साल पुरानी है पर वक्त के साथ इसका मूल रूप बदलता गया कानूनी तौर पर रोक के बावजूद कई इलाकों में इसके जारी रहने की खबरें आती ही रहती हैं। इस प्रथा के तहत कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ ब्याह करा कर मंदिरों को दान कर दिया जाता है। माता पिता अपनी बेटी का विवाह देवता या मंदिर के साथ कर देते हैं। परिवारों द्वारा कोई मुराद पूरी होने के बाद ऐसा किया जाता है। देवता से ब्याही इन महिलाओं को ही देवदासी कहा जाता है। इन्हें जीवन भर इसी तरह रहना पड़ता है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है। देवदासी देवता मंदिर की देखरेख पूजा पाठ की तैयारियां मंदिर में नृत्य आदि के लिए थी।

(iii) पर्दा प्रथा :

भारत में 12वीं सदी तक पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यह ठीक है कि पूर्व मध्यकाल में यह प्रथा उच्च समुदाय और राजपरिवारों में प्रचलित थी, परन्तु जन–साधारण में इस प्रथा का प्रचलन नहीं था। जन–साधारण की स्त्रियां प्रायः बिना किसी प्रतिबन्ध के उन्मुक्त विचरण करती थी। किन्तु भारत में पर्दा प्रथा का जन–साधारण में प्रचलन 12वीं सदी के बाद ही हुआ, जब देश एवं समाज विदेशी आक्रमणों से आक्रान्त होने लगा था और भारतीय स्त्रियों के लिए सुरक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण बनने लगा था। परिणामस्वरूप व्यवस्थाकारों ने हिन्दू समाज में अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए पर्दा जैसा प्रतिबन्ध लगाया जो आगे चलकर भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गया और इसे सम्मान एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाने लगा। परन्तु यह प्रथा केवल उत्तर भारत तक की सीमित थी, दक्षिण भारत इससे अछूता ही रहा।

(iv) बाल विवाह :

किसी भी विकसित राष्ट्र एवं सभ्य समाज के निर्माण के लिए समुदाय के प्रत्येक वर्ग मुख्यतः बच्चों का समग्र रूप से सशक्त एवं सुरक्षित होना आवश्यक है। आधुनिक समाज के विकास में बाल विवाह बड़ी चुनौती है। आज भी

बाल विवाह कई समुदायों में सामाजिक परम्परा के स्वरूप में प्रचलित है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का एक निर्मम उल्लंघन है। सभी बच्चों को परिपूर्ण देखभाल एवं संरक्षण का अधिकार होता है भले ही वे किसी भी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से क्यों न हो। बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है।

देश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने तथा इससे प्रभावित बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष कानून के रूप में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। इस अधिनियम के जरिये विवाह करने की न्यूनतम आयु बालक एवं बालिका के लिए क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष तय की गई है। इस अधिनियम के तहत बाल विवाह शून्यकरणीय है, लेकिन शून्य अथवा अवैध नहीं है। यह अधिनियम सभी धर्म एवं सम्प्रदाय में होने वाले बाल विवाहों पर लागू होता है।

(v) महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा :

घरेलू हिंसा का तात्पर्य परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार जो उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता हो तथा जिस व्यवहार के निर्धारित मानदण्डों से विचलन के रूप में देखा जाता हो। कुछ अपवादों को छोड़कर घरेलू हिंसा सदैव परिवार के अधिकार सम्पन्न पुरूष या स्त्री सदस्यों द्वारा उन्हीं सदस्यों के विरूद्ध की जाती है जो उस परिवार से वैवाहिक सम्बन्धों के कारण जुड़ते हैं अथवा जिन्हें परिवार में एक विशेष तरह से व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस वर्ग में दो तरह की महिलाएँ ही मुख्य होती हैं या तो अविवाहित लड़कियाँ अथवा उस परिवार में किसी दूसरे परिवार से आकर रहने वाली बहुएँ। ऐसी महिलाओं के विरूद्ध की जाने वाली हिंसा को ही घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध स्त्रियों के उसी उत्पीड़न से है जो किसी महिला के निकट सम्बन्धियों, जैसे– माता–पिता, सास–ससुर, देवर–ननद, जेठ–जेठानी द्वारा किया जाता है।

(vi) विधवा पुनर्विवाह :

विधवा वह स्त्री है जिसके पति की मृत्यु हो गयी हो और जिसने दूसरा विवाह नहीं किया हो। ऐसी स्त्री का पुनःविवाह करना ही विधवा पुनर्विवाह कहलाता है। हिन्दुओं में पत्नी की मृत्यु पर पति को तो दूसरा विवाह करने की छूट दी गयी है क्योंकि पत्नी के बिना वह धार्मिक कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता, किन्तु दूसरी ओर पति की मृत्यु होने पर पत्नी को दूसरा विवाह करने की मनाही है, उसे कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, वह अच्छा भोजन नहीं कर सकती, अच्छे वस्त्र, तेल, फलफूल एवं सुगन्धित वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकती। इसी प्रकार विवाह की यह सुविधा एकपक्षीय है जो पुरुष ने अपने लिए तो रखी पर स्त्री को इससे वंचित कर दिया। इन्ही परम्परा को खत्म करने के लिए हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 सन् 1856 से पूर्व विधवाओं को न तो पुनर्विवाह की स्वीकृति थी और न उन्हें अपने मृत पति की सम्पति में कोई अधिकार ही था। बाल विवाह एवं बेमेल विवाह के कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ गयी थी तथा उनकी दशा बड़ी दयनीय थी। कई विधवाएं तो धर्म–परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बन गयी थी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा राजा राममोहन राय

ने सरकार का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रयासों से 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इस अधिनियम द्वारा हिन्दू विधवाओं की पुनर्विवाह की कानूनी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया।

(vii) दहेज प्रथा :

प्राचीन काल से ही हिन्दुओं में विवाह एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता रहा है। इसे प्रत्येक हिन्दू के लिए एक आवश्यक कर्तव्य माना गया है क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न ऋणों, पुरुषार्थों एवं आश्रमों की पूर्ति होती है। विवाह धर्म, परिवार, समाज एवं जाति का मुख्य आधार रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में विवाह बन्धन में बंधने वाले दोनों ही पक्ष परस्पर एक–दूसरे का सम्मान करते और वैवाहिक कर्तव्यों को निभाते हैं। समय के साथ–साथ सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में कई परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने हमारी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित किया और इससे विवाह संस्था भी अछूती नहीं रही। समाज में रूढ़ियां बढ़ती गईं और बिना तर्क के उन्हें स्वीकार किया गया। ईश्वर के नाम पर धर्म एवं समाज में अनेक कुप्रथाओं ने जन्म लिया और हमारे धर्मभीरु समाज ने उन्हें दृढ़ता प्रदान की।

वर्तमान में दहेज एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। इस के कारण माता–पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। सामान्यतः दहेज उस धन या सम्पत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। कभी–कभी वर–मूल्य एवं दहेज में अन्तर किया जाता है। दहेज लड़की के माता–पिता स्नेहवश देते हैं, यह पूर्व–निर्धारित नहीं होता और कन्या–पक्ष के सामर्थ्य पर निर्भर होता है, जबकि वर–मूल्य वर के व्यक्तिगत गुण,शिक्षा, व्यवसाय, कुलीनता तथा परिवार की स्थिति, आदि के आधार पर वर–पक्ष की ओर से मांगा जाता है और विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण हिन्दू समाज में विवाह से सम्बन्धित अनेक समस्याओं ने जन्म लिया। इनमें से प्रमुख हैं, दहेज–प्रथा, बाल–विवाह, विधवा–विवाह निषेध, विवाह–विच्छेद, अन्तर्जातीय विवाह निषेध, आदि।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. प्रमुख सामाजिक प्राथायें बताइए।

.....

.....

5. भारत सरकार द्वारा पुरूष एवं स्त्री के विवाह की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 18 वर्ष किस अधिनियम द्वारा तय की गयी है?

.....

.....

7.7 जेण्डर असमानता का सामाजिक दृष्टिकोण

किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाने लगता है, तब सामान्य शब्दों में इसी दशा को हम जेण्डर असमानता कहते हैं। जेण्डरअसमानता शब्द का उपयोग जैविकीय तथा सामाजिक दोनों अर्थों में किया जाता है। जीवविज्ञान के अनुसार लिंग का तात्पर्य एक विशेष जैविकीय रचना से है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण से जेण्डर विषमता का तात्पर्य उन सामाजिक मूल्यों और मानदण्डों से है जो सांस्कृतिक आधार पर स्त्रियों व पुरुषों में से किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अधिक अधिकार देते हैं। अनेक जनजातियाँ ऐसी हैं जिनमें पुरुषों को सभी क्षेत्रों में स्त्रियों के अधीन माना जाता है तथा समाज में पुरुषों को कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं दिये जाते। इसके विपरीत, संसार के अधिकांश समाजों में पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में सभी क्षेत्रों में अधिक अधिकार मिले हुए हैं। स्पष्ट है कि जेण्डर विषमता की विवेचना प्राणीशास्त्रीय आधार पर नहीं की जा सकती क्योकि सामाजिक मूल्यों के आधार पर जब एक समूह को दूसरे की तुलना में अधिक अधिकार मिल जाते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी उसी तरह होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं को भी जेण्डर विषमता का आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी भी धर्म को न तो दूसरे से उच्च या निम्न कहा जा सकता है और न ही धार्मिक विश्वास किसी सामाजिक तथ्य को समझने का वास्तविक आधार हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जेण्डरविषमता वह दशा है जिसमें पाँच प्रमुख आधारों पर पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच विभेद किया जाता है। यह आधार हैं –

- पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में स्त्री–पुरुषों की भूमिका।
- स्त्री–पुरुषों को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के अवसर।
- वैयक्तिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्राप्त स्वतन्त्रता।
- स्त्रियों के प्रति मनोवृत्तियाँ तथा वास्तविक व्यवहार।
- राजनीतिक जीवन में स्त्रियों के अधिकारों की सीमा।

यदि इन कसौटियों के आधार पर हम स्त्रियों तथा पुरुषों की वर्तमान प्रस्थिति का मूल्यांकन करें तो सिद्धान्त और व्यवहार के बीच एक बड़ा अन्तरदेखने को मिलता है। एक ओर, कुछ मुस्लिम देशों को छोड़कर सभी देशों के कानून किसी भी जेण्डर विभेद को न मानते हुए स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार देने के पक्ष में हैं। दूसरी ओर, व्यवहार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों की प्रस्थिति पुरुषों की तुलना में पूरी तरह समान हो। समाज का जो वर्ग या समुदाय जितना अधिक परम्परागत और अशिक्षित है,उसमें स्त्रियों के साथ उतना ही अधिक अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों की वासना पूर्ति तथा साधारण सेवाओं के एक साधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जाता। हमारा

सामाजिक जीवन मुख्य रूप से चार क्रियाओं पर आधारित है। इन्हें हम प्रजनन, परिवार का प्रबन्ध, बच्चों का समाजीकरण तथा उत्पादन की क्रिया (आर्थिक सन्दर्भ में) कहते हैं। व्यावहारिक रूप से इन सभी क्रियाओं पर पुरुषों का ही एकाधिकार है। अधिकांश व्यक्ति स्त्रियों की प्रस्थिति को पुरुषों के अधीन मानते हैं, लड़कियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए लड़कों के समान अवसर देना उचित नहीं समझा जाता, आर्थिक जीवन में स्त्रियों की स्वतन्त्रता को सन्देह की दृष्टि से देखाजाता है, पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता तथा स्त्रियों की स्वतन्त्र सामाजिक सहभागिता को पुरुष अपने अहम् के विरुद्ध मानते हैं। 21वीं सदी के तथाकथित समतावादी समाजों में भी स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों में अधिक कमी नहीं हुई है यद्यपि इन अत्याचारों के रूप में कुछ परिवर्तन जरूर हो गया है। स्पष्ट है कि जब स्त्रियों तथा पुरुषों की वास्तविक योग्यता और क्षमता पर ध्यान दिये बिना समाज में केवल लिंग के आधार पर स्त्रियों को पुरुषों के अधीन मानकर उनकी प्रस्थिति का असमान रूप से निर्धारण होता है, तब इस दशा को हम जेण्डर विषमता कहते हैं।

समाजशास्त्री लैगिक विषमता को सामाजिक व्यवस्था तथा संस्कृति का परिणाम मानते हैं। उनके अनुसार हमारे विचारों, मनोवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहारों का निर्धारण सामाजिक मूल्यों और संस्थागत नियमों के आधार पर होता है। लगभग सभी समाजों के संस्थागत नियम और सामाजिक मूल्य स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देते आये हैं। इसी के फलस्वरूप आज समाज में जेण्डर विषमता की समस्या विकसित हुई है।

7.8 जेण्डर असमानता के कारण

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे कौन–सी दशाएँ हैं जिन्होंने एक लम्बे समय से लिंग के आधार पर स्त्री–पुरुषों के बीच विभिन्न विभेदों को प्रोत्साहन दिया?वास्तविकता यह है कि कुछ जनजातीय समुदायों को छोड़कर संसार के सभी समाजों की सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान रही है। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, विकास तथा क्रियान्वयन पुरुषों द्वारा ही किया गया। स्वाभाविक है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएँ उन मूल्यों और मनोवृत्तियों का पोषण करती रहीं जो स्त्री–पुरुषों की समानता के पक्ष में नहीं है। सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इस तरह की कहानियों– और गाथाओं की रचना की जाती रही जो स्त्रियो की प्रस्थिति को पुरुषों के अधीन प्रमाणित करती रहीं। आज, जबकि परम्परागत धार्मिक विश्वासों का प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा है, बुद्धिजीवी पुरुषों द्वारा अनेक ऐसे तर्क दिये जाने लगे है जो पुरुषों के समान स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता और अधिकारों का विरोध करते है।

1) सर्वप्रथम यह तर्क दिया जाता है कि स्त्रियोंको पुरुषों के समान अधिकार मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार जरूर हो सकता है लेकिन आजीविका उपार्जित करने से स्त्रियों में मानसिक तनाव इतने अधिक बढ़ जायेंगे कि उनके व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास नहीं हो सकेगा।
2) यह भी आशंका है कि लैंगिक विषमता को पूरी तरह समाप्त कर देने से विवाह विच्छेद की दर में बहुत वृद्धि हो जाये।

3) स्त्रियों मानसिक रूप से अधिक संवेगात्मक होती हैं। अतः पूर्ण समानता की दशा में उनके शोषण की सम्भावना अधिक हो सकती है।

4) यह भी सम्भव है कि अधिकारों की समानता से स्त्रियों के जीवन में अनैतिकता का खतरा बढ़ जाये क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया का अधिक अनुभव नहीं होता।

5) आर्थिक और राजनीतिक जीवन में स्त्रियों का सहभाग बढ़ने से परिवार के विघटन की अधिक सम्भावना हो सकती है क्योंकि इस स्थिति में बच्चों के समुचित पालन–पोषण और परिवार को व्यवस्थित रखने की सम्भावना कम रह जायेगी।

6) स्वभाव से बहुत कोमल होने के कारण यह भी सम्भव है कि स्त्रियो सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित समस्याओं का मुकाबला न कर सके। इसका भी उनके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

7) अनेक व्यक्ति स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता को इस आधार पर उचित नहीं मानते हैं कि यह भारतीय सामाजिक मूल्यों और धर्म के विरुद्ध है।

वास्तविकता यह है कि स्त्री–पुरुषों की समानता के विरुद्ध दिये जाने वाले यह सभी तर्क उतने ही खोखले है जितना कि स्वयं पुरुष का अहम्। यदि हम समाजशास्त्रीय आधार पर लैंगिक विषमता के कारणों का विश्लेषण करे तो इसके लिए केवल चार कारणों को ही उत्तरदायी माना जा सकता है कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, भारत की प्रामीण अर्थव्यवस्था, स्त्रियों में शिक्षा का अभाव तथा स्त्रियों में अति सहनशीलता। सामाजिक व्यवस्था ही हमारे पारस्परिक सम्बन्धों, सम्पर्क की प्रकृति और मनोवृत्तियों का निर्धारण करती है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में एक लम्बी अवधि से जीवन व्यतीत करते रहने के कारण स्त्रियों स्वयं भी अपने आपको पुरुषों के अधीन मानने लगी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने यहाँ की जनसंख्या के तीन–चौथाई से भी अधिक हिस्से को इतना परम्परावादी बना दिया कि उसमें कभी भी अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा नहीं हो सकी। शिक्षा के अभाव के कारण अन्धविश्वास और मनगढन्त धार्मिक गाथाओं का प्रभाव इतना बढ़ गया कि पुरुषों से समानता के बारे में सोचना भी एक पाप के रूप में देखा जाने लगा। अति सहनशीलता गुण को स्त्रियों की कमजोरी समझकर पुरुषों ने उनका मनमाना शोषण करना आरम्भ कर दिया। आज के बदलते हुए परिवेश में स्त्रियों ने जब समानता के अधिकार की माँग करना आरम्भ कर दिया है तो कोई भी ताकत इसे अधिक समय तक दबाये नहीं रख सकती। इस सन्दर्भ में ट्रास्टकी (Trostsky) का यह कथन सही प्रतीत होता है कि पुरुष के अहम् की कोई सीमा नहीं है संसार को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसे स्त्रियों के दृष्टिकोण से देखें।

7.9 जेण्डर की अन्य असमानताएँ

प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, पितृसत्ता सामाजिक संरचना की ऐसी व्यवस्था हैं, जिसमें पुरुष, महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है और भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है।

- दर असल, लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा है, फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिये समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना। मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं, उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेण्डर के लिए समाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानता के बन्धनों से मुक्त किया जा सकता है।
- महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परिघटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हों, सबसे प्राप्त की है।
- समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति होने के कुछ कारणों में अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी हैं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएँ कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, वेश्यावृति करने या प्रवासी मज़दूरों के रूप में कार्य करने के लिये मजबूर हो जाती हैं।
- महिलाओं को न केवल असमान वेतन दिया जाता हैं, बल्कि उनके लिये कम कौशल की नौकरियाँ पेश की जाती हैं जिनका वेतनमान बहुत कम होता हैं। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है।

लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता हैं क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिये, अच्छी शिक्षा के अभाव में अधिकांश महिलाएँ वर्तमान में नौकरी के लिये आवश्यक कौशल की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती हैं।

7.10 जेण्डर असमानता की वर्तमान समस्या

लगभग 1,500 वर्षो की लम्बी राजनीतिक अस्थिरता तथा धर्माचार्यों की विभेदकारी मनोवृत्तियों के बाद सन् 1947 में भारत पहली बार एक संगठित लोकतान्त्रिक और कल्याणकारी राज्य के रूप में उभरा। उस समय यह आशा की गयी थी कि भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं का जल्दी ही समाधान हो जायेगा। समाज के दूसरे शोषित वर्गों की तरह स्त्रियों ने भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने की आवाज उठानी आरम्भ कर दी। अनेक महिला संगठनों के प्रयत्नों से स्त्रियों की पुरुषों के समान अधिकार की माँग ने एक तरह के आन्दोलन का रूप ले लिया। सरकार ने भी अनेक कानूनों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिये। इसके बाद भी वास्तविकता यह है कि भारत में विकासशील देशों. के विपरीत स्त्रियों की पहचान आज भी एक स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में न होकर केवल एक पुत्री, पत्नी, माँ या बहन के रूप में ही होती है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियों की प्रस्थिति किसी न किसी रूप में आज भी पुरुषों के अधीन है। व्यवहार में स्त्रियों को परिवार के अन्दर तथा परिवार के बाहर केवल उतनी ही स्वतन्त्रता और अधिकार मिल पाते हैं जिन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस जेण्डर

विषमता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा दूसरे सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जो निम्न है :–

(अ) सामाजिक क्षेत्र में असमानता (Inequality in Social Field) – हमारे समाज में जेण्डर विषमता का सबसे स्पष्ट रूप सामाजिक और पारिवारिक जीवन में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में जुंग तथा जोर्डन (Jung and Jordan) ने लिखा है कि स्त्रियों की प्रस्थिति के बारे में भारतीय समाज के मूल्यों में एक विचित्र विरोधाभास है। सैद्धान्तिक रूप से यह मूल्य स्त्रियोंको ही सभी तरह की प्रसन्नता, समृद्धि और सफलता का मूल मानते हैं (यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः) लेकिन व्यवहार में स्त्रियों को उन अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है जो उन्हें सामाजिक आदर्श नियमों और कानूनों द्वारा प्राप्त हैं।

(1) **अधीन सामाजिक प्रस्थिति (Subordinate Social Status) –** सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की प्रस्थिति पुरुषों के अधीन है। विभिन्न सर्वेक्षणों से स्पष्ट हुआ है कि अपवादों को छोड़कर स्त्रियाँ स्वतन्त्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले पातीं। विभिन्न उत्सवों, समारोहों तथा आयोजनों के अवसर पर उन्हें दूसरे लोगों से केवल उतना ही सम्पर्क रखने की अनुमति मिलती है जिस पर उनके पति, पिता या भाई को कोई आपत्ति न हो। उनके सामाजिक सम्बन्धों का दायरा भी साधारणतया पुरुषों द्वारा निर्धारित होता है।

(2) **सामाजिक शोषण (Social Exploitation) –** स्त्रियों का सामाजिक शोषण आज अधिकांश समाजों में जीवन का एक सामान्य ढंग है। जिन स्त्रियों में कुछ सामाजिक जागरूकता पैदा हुई है, उन्हें भी परिवार में तरह–तरह की कटुता या अत्याचार का सामना करना पड़ता है। परिवार के सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद भी स्त्रियों की प्रस्थिति एक दासी से अधिक नहीं हैं। निम्न जातियों में जो स्त्रियाँ घरेलू नौकरियाँ या शारीरिक श्रम करके परिवार का भरण–पोषण करती हैं, उन्हें भी परिवार के पुरुष सदस्यों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है ।

(3) **नैतिक शोषण (Moral Exploitation) –** लैंगिक विषमता का एक अन्य रूप स्त्रियों के नैतिक शोषण के रूप में विद्यमान है। शायद ही कोई ऐसी पत्र या पत्रिका हो जिसमें स्त्रियों के नैतिक शोषण से सम्बन्धित मार्मिक समाचार और वृत्तान्त न छपते हों। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्त्रियों का यौन उत्पीड़न जितना पहले था, उसमें आज भी कोई कमी नहीं हुई है। आज लाखों लोग निरीह स्त्रियों को गुमराह करके उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करने में लगे हुए हैं। रेलों, बसों और बाजारों में स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ पर सामान्य लोग ध्यान भी नहीं देते। विज्ञापनों में स्त्रियों की अर्द्धनग्न तस्वीरों के प्रदर्शन को रोकने वाला कोई प्रभावकारी कानून नहीं है । चलचित्रों के कथानक स्त्रियों के नैतिक शोषण में वृद्धि कर रहे हैं। गाँवों में विधवाओं को आज भी एक अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह सभी समस्याएँ स्त्रियों के साथ हैं, पुरुषों के साथ नहीं।

(4) **शैक्षणिक विषमता (Educational Inequality) –** शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का स्थान मिला हुआ है। यह सच है कि स्वतन्त्रता के बाद महिला शिक्षा के प्रतिशत में तेजी से वृद्धि हुई

है लेकिन अधिकांश माता–पिता आज भी लड़कों की शिक्षा के प्रति जितना जागरूक रहते हैं, लड़कियों को सामान्य और गैर–व्यवसायी शिक्षा देना ही पर्याप्त समझ लिया जाता है। ग्रामीण समुदाय में अधिकांश लोग आज भी लड़कियों को अधिक पढ़ाना–लिखाना अपनी सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध मानते हैं।

(5) **सामाजिक हिंसा (Social Violence)** – कुछ समय पहले तक इस हिंसा का सबसे स्पष्ट रूप सती प्रथा के रूप में देखने को मिलता था, जबकि आज इसका सबसे विषम रूप भ्रूण हत्या के रूप में देखने को मिल रहा है। आज कितनी ही लड़कियों की गर्भ में ही इसलिए हत्या कर दी जाती है कि माता–पिता लड़की का जन्म नहीं चाहते। पत्नी को ऐसे कुकृत्य के लिए अपने पिता अथवा परिवार के दूसरे सदस्यों के सामने झुकना पड़ता है। स्त्रियों के साथ परिवार में मार–पीट को पुरुषों द्वारा अपने अधिकार के रूप में देखा जाता है। आश्चर्य तो यह है कि यूरोप के विकसित समाजों में भी पत्नी से मार–पीट की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हमारे समाज में स्त्रियों के विरुद्ध सामाजिक हिंसा का सबसे क्रूर रूप दहेज हत्याओं के रूप में विद्यमान है। प्रतिवर्ष लाखों स्त्रियों को जलाकर, जहर देकर या दूसरे तरीकों से इसलिए मार दिया जाता है कि वे पति या सास की इच्छा के अनुसार अपने माता–पिता से विवाह के समय या विवाह के बाद इच्छित धन या वस्तुएँ नहीं ला पातीं।

(6) **वैवाहिक विषमता (Marital Inequality)** – विवाह के क्षेत्र में भी पुरुषों और स्त्रियों के बीच एक स्पष्ट असमानता है। लड़कों को जहाँ अपने जीवन साथी के चुनाव की पूरी स्वतन्त्रता मिलती है, वही लड़की की पसन्द अथवा नापसन्दी को साधारणतया अधिक महत्व नहीं दिया जाता। परम्परागत रूप से मनु ने जहाँ पुरुषों को बहुपत्नी विवाह का अधिकार दिया था, वहीं स्त्रियों के लिए आचरण का एक कठोर नियम यह था कि वे स्वप्न में भी अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष को न देखें। आज भी अनेक समुदायों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बना हुआ है।

(ब) आर्थिक क्षेत्र में असमानता (Inequality in Economic Field) :

लैंगिक विषमता का दूसरा मुख्य रूप आर्थिक विषमता के रूप में देखने को मिलता है। सभी राजनेता और विचारक यह मानते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता के बिना देश का आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। इस सिद्धान्त के बाद भी व्यावहारिक रूप से स्त्रियों को आर्थिक क्षेत्र में कोई भी ऐसे अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं जिनके आधार पर उन्हें पुरुषों के समकक्ष कहा जा सके। यह सच है कि स्त्रियों में सामाजिक और आर्थिक चेतना बढ़ने के साथ उन्हें पहले की तुलना में आज काफी आर्थिक स्वतन्त्रता मिली है लेकिन इस स्वतन्त्रता के साथ ही उनकी समस्याओं में भी वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण लैंगिक विषमता है।

(1) **आर्थिक परतन्त्रता (Economic Dependence) –** पुरुषों को जहाँ अपने द्वारा उपार्जित धन का उपयोग करने के लिए सभी तरह की स्वतन्त्रता मिली हुई है, वहीं स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर, आंशिक या पूरी तरह निर्भर है। स्त्रियाँ यदि नौकरी करके धनोपार्जन करती हैं तो ऐसे धन पर भी विवाह से पहले उनके माता–पिता का और विवाह के बाद साधारणतया पति का अधिकार बना रहता है। डॉ. राम आहूजा द्वारा किये

गये एक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि10 प्रतिशत से अधिक स्त्रियाँ ऐसी नहीं हैं जिन्हें अपने द्वारा उपार्जित आय का उपयोग अपनी इच्छा से करने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

(2) सम्पत्ति अधिकार से पृथकता (Deprivation from Property Right) – कानून द्वारा यद्यपि माता–पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को, पति की सम्पत्ति में पत्नी को तथा पुत्र की सम्पत्ति में माँ को पुरुषों के समान अधिकार मिले हुए है लेकिन व्यवहार में स्त्रियाँ ऐसे सभी अधिकारों से वंचित हैं। सामान्यतया माता–पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार उनके पुत्र अथवा पुत्रों को ही प्राप्त होता है, पुत्रियों को नहीं मनोवैज्ञानिक रूप से भी पुत्रियाँ स्वयं का ऐसी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं मानती। ग्रामीण स्त्रियों को साधारणतया अपने सम्पत्ति अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती। डॉ. राम आहूजा के अध्ययन में केवल0.5 प्रतिशत ऐसी स्त्रियाँ मिलीं जिन्हें अपने भाइयों के समान पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मिला।

(3) आर्थिक पुरस्कार में असमानता (Inequality in Economic Remuneration) – शारीरिक श्रम के क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी बहुत लम्बे समय से चली आ रही है लेकिन शिक्षित स्त्रियों द्वारा कार्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में नौकरी करना एक नयी प्रवृत्ति है। जो स्त्रियाँ खेतों, कारखानों, खानों, चाय बागानों या दूसरे स्थानों पर शारीरिक श्रम करती हैं, उन्हें मिलने वाली मजदूरी पुरुषों से काफी कम होती है, यद्यपि वे किसी भी रूप में पुरुषों से कम काम नहीं करतीं। नगरों के बहुत से प्रतिष्ठानों में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों से चार–पाँच हजार रुपये की रसीद पर हस्ताक्षर करवाकर उन्हें मात्र हजार–पन्द्रह सौ रुपये वेतन के रूप में दिये जाते हैं। बेरोजगारी के कारण स्त्रियाँ इसका खुलेआम विरोध भी नहीं कर पातीं ।

(4) प्रतिभा का शोषण (Exploitation of Intellect) – यदि स्त्रियों द्वारा कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान या शिक्षा संस्थाओं में नौकरी के दौरान पुरुषों से स्वतन्त्रतापूर्वक बातचीत भी की जाती है तो पति और परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा उन्हें सन्देह की निगाह से देखा जाने लगता है। बहुत–सी लड़कियां जो इंजीनियरिंग, प्रबन्ध, कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य प्राविधिक क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करती है, उन्हें अक्सर विवाह के बाद पति द्वारा किसी तरह का आर्थिक सहभाग करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह प्रतिभा का एक ऐसा शोषण है जिससे राष्ट्र को भी व्यापक क्षति होती है।

(5) रोजगार में विभेद (Discrimination in Employment) – समाज का बड़ा वर्ग आज भी यह मानता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रिया शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से कमजोर होती है । इस दशा में जिन व्यवसायों का सम्बन्ध अधिक यात्रा करने, मशीनों के बीच काम करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने अथवा प्रबन्ध की योग्यता दिखाने से होता है, साधारणतया स्त्रियाँ वहाँ नौकरी – पाने से वंचित रह जाती हैं।

(6) भूमिका बहुलता (Multiplicity of Roles) – आर्थिक जीवन में लैगिक विषमता से जुड़ी हुई एक मुख्य समस्या स्त्रियों में भूमिका–बहुलता की समस्या है। जो स्त्रियां परिवार का बोझ उठाने के लिए8.10घण्टे तक नौकरी के लिए घर से बाहर रहती हैं, उनके पारिवारिक दायित्वों में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिलती। दफ्तर या स्कूल जाने से पहले वे एक गृहिणी की सभी भूमिकाएँ निभाती हैं तथा नौकरी से लौटने

भी उन्हें परिवार से सम्बन्धित सभी दायित्वों को पूरा करना होता है। इससे अक्सर उनके अन्दर भूमिका संघर्ष की समस्या पैदा हो जाती है।

(स) राजनीतिक क्षेत्र में असमानता :

राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता समझने की कसौटी यह है कि स्त्रियो को राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने, अपने मताधिकार का उपयोग करने तथा कोई राजनीतिक पद प्राप्त करने की दिशा में निर्णय लेने में कितनी समानता और आजादी मिली हुई है। यदि इस कसौटी को आधार मानकर चलें तो स्त्री–पुरुष का विभेद आज भी पूरी तरह कायम है। इसे हम निम्न विन्दुओ द्वारा सरलतापूर्वक समझ सकते है

(1) सर्वप्रथम कठिनता से ग्रामीण क्षेत्रों में तीन प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में दस प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में कोई जानकारी होती है। अधिकांश स्त्रियाँ अपने वोट का उपयोग उसी व्यक्ति के लिए करती हैं जिसे उनके पति या परिवार के किसी बड़े सदस्य द्वारा पसन्द किया जाता है। वोट देने का उद्देश्य भी अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग करने से नहीं होता बल्कि यह मनोरंजन का विषय होता है।

(2) राजनीतिक दलों में स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम है क्योंकि साधारणतया परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा इसे पसन्द नहीं किया जाता ।

(3) पंचायती राज अधिनियम,1992के द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने से यह समझा गया था कि स्त्रियों में राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी तथा इस क्षेत्र में लैंगिक विषमता का समाधान हो जायेगा। इसके विपरीत, वर्तमान स्थिति यह है कि जो महिलाएँ पंचायत राज व्यवस्था के विभिन्न पदों पर निर्वाचित होती हैं, उनके द्वारा लिये जाने वाले लगभग सभी निर्णय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके पति द्वारा ही लिये जाते है। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ स्त्रियों ने राज्यपाल या मन्त्री के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया है लेकिन ऐसी स्त्रियों की संख्या केवल अपवाद के रूप में है।

बोध प्रश्न
टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. आर्थिक क्षेत्र मेंमहत्वपूर्ण लैंगिक असमानता बताए।

.....

.....

7. पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान है?

.....
.....

7.11 सारांश

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लैंगिक असमानता का एक लंबा इतिहास रहा है। शिक्षा क्षेत्र निश्चित रूप से इस लैंगिक असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लैंगिक समानता के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता की अवधारणा को शामिल करने और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए कानूनों के लागू होने का एक समता मूलक समाज की स्थापना के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शिक्षाएक मानव अधिकार के रूप में, गैर–भेदभाव, समानता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। यह उन लोगों को बेची जाने वाली वस्तु नहीं हो सकती जो इसे वहन कर सकते हैं। यह सरकार द्वारा कानूनी रूप से प्रदत्त अधिकार होना चाहिए। हमें राष्ट्रीय विकास के लिए अग्रणी महिला सशक्तिकरण के रूप में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, जो महिलाओं को अपने और अपने बच्चों के बेहतर जीवन की रक्षा के लिए चुनौतियों का जवाब देने में सक्षम बनाता है। इन वास्तविकताओं को शिक्षा नीतियों की योजना और कार्यान्वयन से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए, रचनात्मक, उद्देश्यपूर्ण और प्रगतिशील विधायी परिवर्तनों के अभाव में यह स्पष्ट और सुसंगत है, और इन तथ्यों से प्रभावी ढंग से निपट सकता है और सहस्राब्दी के विकास का लक्ष्य हमेशा एक होगा। समाज के सदस्यों के बीच बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है।

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त अनेक दूसरे क्षेत्रों में भी लैंगिक विषमता की समस्या आज भी बनी हुई है। यदि हम धार्मिक जीवन की बात करे तो पायेंगे कि पुरुष वर्ग आज भी यह चाहता है कि सभी व्रत, उपवास और धार्मिक क्रियाएँस्त्रियांद्वारा ही पूरी की जायें। शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के कारण यदि स्त्रियांव्रतों और उपवासों को अधिक महत्व नहीं देतीं तो परिवार में एक तरह के मनोवैज्ञानिक विरोध की दशा पैदा हो जाती है। जिस तरह उच्च जातियों के शिक्षित लोग भी कहीं न कहीं इस मानसिक भ्रान्ति से पीड़ित है कि वे अपने से निम्न जातियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं, उसी तरह स्त्रियों के प्रति पुरुषों में श्रेष्ठता की ग्रन्थि किसी न किसी रूप में बनी हुई है। ग्रामीण और कस्बाई संस्कृति में इससे अधिक हानि नहीं होती लेकिन नगरीय क्षेत्रों की महिलाओं में जैसे–जैसे सामाजिक और आर्थिक चेतना बढ़ती जा रही है, परम्परागत लैगिक विषमता के फलस्वरूप परिवार और समाज में स्त्री–पुरुषों के बीच एक नयी विरोधपूर्ण दशा को प्रोत्साहन मिलने लगा है। विवाह विच्छेद की बढ़ती हुई दर तथा बच्चों का दोषपूर्ण समाजीकरण इसी दशा का परिणाम है।

7.12 अभ्यास के प्रश्न

1. लैंगिक श्रम विभाजन के हाशियाकरण के विभिन्न पहलु कौन–कौन हैं?

2. भारतीय परिवार में लिंग संबंधी समानता व असमानता का क्या स्वरूप है?
3. लिंग भेद का विचार किस प्रकार के भेद में शामिल किया जा सकता है?

7.13 चर्चा के विन्दु

1. पितृसत्तात्मक समाज में किसकी प्रधानता होती है?
2. 'भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है,'' चर्चा कीजिए?

7.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. मार्गरेट मीड ने स्त्री और पुरूष के जैवकीय और सामाजिक विशेषताओं में अन्तर को स्पष्ट किया।
2. जेण्डर समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत इंसान समाज द्वारा किसी लैंगिक पहचान के लिए निर्धारित व्यवहारों का पालन करना सीखते/सीखती है।
3. जेण्डर से सम्बन्धित भूमिकाओं को प्रभावित करने समाजिक परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थाएं हैं– राजनीति प्रस्थिति, वर्ग, जाति, प्रजाति, शारीरिक व मानसिक योग्यता–अयोग्यता उम्र आदि।
4. सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दाप्रथा, बाल विवाह, विधवा पुर्नविवाह, दहेज प्रथा आदि प्रमुख सामाजिक प्रथाएं है।
5. भारत सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के द्वारा बालक एवं बालिका के लिए विवाह की उम्र क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष तय की गई है।
6. आर्थिक क्षेत्र मेंमहत्वपूर्ण लैंगिक असमानता निम्नलिखित हैं–
    1. आर्थिक परतन्त्रता (Economic Dependence)
    2. सम्पत्ति अधिकार से पृथकता (Deprivation from Property Right)
    3. आर्थिक पुरस्कार में असमानता (Inequality in Economic Remuneration)
    4. प्रतिभा का शोषण (Exploitation of Intellect)
    5. रोजगार में विभेद (Discrimination in Employment)
    6. भूमिका बहुलता (Multiplicity of Roles)
7. पंचायती राज अधिनियम– 1992 द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में महिलाओं हेतु एक तिहाई स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान है।

7.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

1. जयवार्देना, के. (1986), फेमिनिज्म एंड नेशनलिज्म इन द थर्ड वर्ल्ड, नई दिल्ली चौप्टर।
2. गोपालन, सरला (2002), दुवर्डस इक्वालिटी दि अनफीनिश्ड एजेन्डा,स्टेट्स आफ़ विमेन इन इंडिया, नेशनल कमिशन फॉर विमैन, नई दिल्ली।

3. दत्ता, संजय एवं विजयवर्गीय, दीपिका(2017),जेण्डर विद्यालय एंव समाज, श्री कविता प्रकाशन, जयपुर।
4. जैन, दीप्ति (2017), लिंग, विद्यालय एंव समाज, राखी प्रकाशन, आगरा।
5. सिडाना, अशोक (2016),जेण्डर विद्यालय एंव समाज, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
6. देसाई, नीरा एवं मैत्रेयी, राज (1987), विमेन एंड सोसायटी इन इंडिया अजंता बुक्स, नई दिल्ली।
7. व्होरा, आशारानी (1986), भारतीय नारी अस्मिता और अधिकार, प्रथम संस्करण नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली।
8. कबीर, एन.(2010),जेण्डर एण्ड सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, रूटलेज, लन्दन।
9. सेठ, एम. (2001)विमेन एण्ड डेवलपमेंट द इंडियन एक्सपीरिएंस, सेज पब्लिकेशंसनई दिल्ली।
10. वेस्ट, सी. एण्ड जिम्मरमैन, डी.एच. (2002) 'डूइंग जेण्डर', इन जैक्सन, एस. एण्ड स्कॉट, एस. (संपा) जेण्डर ए सोशियोलॉजिकल रीडर, रूटलेज,लन्दन।
11. पटेल, आर. (2010),वर्किंग द नाइट शिफ्ट विमेन इन इण्डियाज कॉल सेंटर इण्डस्ट्री, ओरिएण्ट ब्लैक स्वान,नई दिल्ली।
12. जय श्री यश भट्ट(1994) 'वैवाहिक हिंसा एवं भारतीय अस्मिता' आदित्य पब्लिक सर्च वीणा। 1994
13. अग्रवाल, जी.के.(2008), 'सामाजिक विघटन, एस बी0पी0डी0 पब्लिकेशन' हाउस, आगरा।
14. हरिदास,रामजी(2007), नारी उत्पीड़न समस्या एंव समाधान, ग्रन्थ प्रकाशन जयपुर।
15. https://dspmuranchi.ac.in/pdf/Blog/Bride-Wealth%20and%20Dowry.pdf

इकाई – 8 : लड़कियों की शिक्षा में असमानता

इकाई की संरचना

8.1 प्रस्तावना

8.2 इकाई के उद्देश्य

8.3 स्त्री शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.4 बाल शिक्षा

8.5 राष्ट्रीय शिक्षानीति

8.6 स्त्री शिक्षा की आवश्यकता

8.7 भारत में शिक्षा की असमानता

8.7.1 स्कूली शिक्षा

8.7.2 माध्यमिक शिक्षा

8.7.3 उच्च माध्यमिक शिक्षा

8.8 लड़कियों की शिक्षा में असमानता

8.8.1 लड़कियों के शिक्षा के प्रति उचित दृष्टकोण

8.8.2 शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या

8.8.3 दोषपूर्ण पाठयक्रम

8.8.4 दोषपूर्ण प्रशासन

8.8.5 अध्यापिकाओं का अभाव

8.8.6 व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी

8.9 साक्षरता

8.10 महिला साक्षरता

8.11 महिला आरक्षण

8.12 भारत में महिला शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान

8.13 सारांश

8.14 अभ्यास के प्रश्न

8.15 चर्चा के बिन्दु

8.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

8.1 प्रस्तावना

प्राचीनकाल से आज तक विश्व के सभी विचारकों, दार्शनिकों तथा शिक्षाविद् ने नारी शिक्षा के महत्व को सदैव अनुभव किया है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा परंपरा में नारियों को सदैव ही सम्मान जनक स्थान दिया जाता था। उन्हें देवी माँ या सहचरी कहकर पुकारा जाता था। यह भी कहा गया है ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता''। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भी वर्गभेद और लिंग भेद को समाप्त कर सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है परंतु इसके बावजूद भी कतिपय दिवादी कारणों से एक लंबे समय तक महिलाओं को सदियों तक विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना करने से विमुख रखा गया। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में ''महिलाओं को सदैव असहायता तथा दूसरों पर दासवत निर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया''। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज में स्त्रियों को अज्ञानता के आवरण में रखकर पिता, पति या पुत्र के दासत्व को स्वीकार करके ही कर्तव्य का ज्ञान देने मात्र को ही उस समय की स्त्री शिक्षा की इतिश्री समझा जाता था।

परंतु आज परिस्थितियाँ बदल गयी है आज स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करके समाज के महत्वपूर्ण कार्यो में पुरूषों के साथ योगदान कर रही है। वे आज घर की चहारदिवारी के अंदर घुटकर भाग्य के भरोसे बैठी अनपढ़ कठपुतली मात्र नहीं हैं वरन् वे अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर तथा ज्ञान के आलोक से परिपूर्ण होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों से स्पर्धा करने के लिए तत्पर है। वास्तव में वर्तमान समय में स्त्रियों में क्रांतिकारी परिवर्तन तथा महिला सशक्तिकरण मे प्रमुख योगदान स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार को है ।

8.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. स्त्री शिक्षा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
2. भारत में शिक्षा की असमानता को अभिव्यक्त कर सकेंगे।
3. लड़कियों की शिक्षा में असमानता की कमी के कारणों को स्पष्ट कर सकेंगे।
4. महिला साक्षारता/आरक्षण की विवेचना कर सकेंगे।
5. महिला शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

8.3 स्त्री शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में प्राचीन काल से स्त्रियों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था क्योंकि स्त्री जीवन के हर पहलू में पुरूष का साथ देती है। वैदिक साहित्य में गार्गी, मैत्रेयी, घोष,अपाला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों की चर्चा मिलती है। इस समय नारी शिक्षा अत्यंत सीमित थी तथा केवल समाज के संभ्रात परिवारों की लड़कियाँ ही शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का सदुपयोग कर पाती थी। उस समय स्त्रियों के लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही उस काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई सुसंगठित व्यवस्था थी। फिर भी प्राचीन काल में

मैत्रेयी, लोपमुद्रा, अपाला, विश्वआरा विद्योत्तमा, रत्नावली जैसी अनेक नारियों ने अपनी विद्वता, त्याग एवं समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

- बौद्धकाल में प्रांरभिक वर्षो में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, पंरतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति देकर स्त्री शिक्षा को एक नया आयाम दिया, जिसके कारण स्त्री शिक्षा को एक नया जीवन मिला। उस समय के संघमित्रा जैसी विदुषी नारियों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। शिक्षा केवल धनी व कुलीन घरानों तक ही सीमित थी।

- मुगल काल में नारी शिक्षा मुस्लिम काल में भी स्त्रियॉ शिक्षा से उपेक्षित ही रहीं। उस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी प्रथा प्रचलित होने के कारण छोटी–छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य स्त्रियां शिक्षा से वंचित रह जाती थी। शाही घरानों तथा समाज के धनी वर्गो की बालिकायें अपने घरों से शिक्षा प्राप्त करती थी। मुस्लिम बालिकायें मस्जिद से जुड़े मकतबों में तथा संभ्रात, कुलीन तथा शाही परिवार द्वारा प्रायः अपने घरों में मौलवी को बुलाकर स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। मुस्लिम काल में सामान्य वर्ग की स्त्रियों में रजिया सुल्ताना, चॉद बीबी, नूरजहॉ, गुलबदन बेगम, जेबुलिसा, रानी दुर्गावती, जीजाबाई, अहिल्याबाई के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

- ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा की बदहाल स्थिति का सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश काल में कंपनी को भारत में अपना प्रशासन चलाने के लिए स्त्री लिपिकों अथवा प्रशासकों की आवश्यकता नहीं थी। समाज एवं धर्म में अनेक प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित होने के कारण कंपनी ने स्त्री शिक्षा में कोई रुचि नहीं ली। फिर भी कंपनी शासन के दौरान स्त्री शिक्षा का प्रसार मिशनरियों तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के द्वारा किये गये प्रयासों से प्रारंभ हुआ। सन् 1854 में सर चार्ल्स वुड के आदेश पत्र में अधिकारिक तौर पर सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के सभी संभव प्रयास किये गये। जिस वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता हैं। परिणामस्वप स्त्रियो को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी।

- सन् 1902 ई0 तक स्त्री शिक्षा ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान कस्तूरबा गॉधी, मीरा बहन, भीका जी कामा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं ने अपने देश प्रेम, त्याग व योग्यता से महिलाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। सन् 1917 से सन् 1947 तक स्त्री शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। इस काल में स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरूकर दिया। इसी समय भारतीय नारी संगठन तथा राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना हुई। सन 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन हुआ शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दी

गयी। परिणामस्वप नारी शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ी साथ ही बड़ी संख्या में नारियॉ शिक्षा ग्रहण करने लगी।

- स्त्री शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व– मानव समाज में नारी शिक्षा का विशिष्ट महत्व है क्योंकि कोई भी काम चाहे सामाजिक हो या आर्थिक या सांस्कृतिक या राजनैतिक हो, बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होता। एक अच्छे समाज के निर्माण का आधार भी नारी है। नारी समाज निरंतरता तथा उत्पादकता का भी प्रमुख आधार है। वास्तव में संपूर्ण समाज के निर्माण एवं विकास की संभावनाए नारी पर ही निर्भर है। इसलिए नारी शिक्षा की अवहेलना करना समाज के प्रति अन्याय करना है।

नारी शिक्षा के महत्व के संबंध में कुछ प्रमुख विचारकों, विद्वानों तथा शिक्षाविदों ने निम्न प्रकार के विचार व्यक्त किये है–

- नेपोलियन के अनुसार– ''मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूँगा''।
- जगजीवन राम ने एक बार विचार व्यक्त कियाः– ''एक कन्या को पढ़ा देने से आगे आनेवाली पीढ़ी सुशिक्षित होगी'।
- पंडित नेहरू के अनुसार–'' लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्यि की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है।
- राष्ट्रपति लिंकन ने कहा है किः– ''मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ'।
- फोरेबल के अनुसारः– ''माताएँ आदर्श अध्यापिकाएँ है''।

उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि स्त्रियां परिवार का मेरूदंड है। वे अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के गौरव को उॅचा उठाती है। बच्चे वैसा ही बनते है जैसा मॉ उन्हें बनाती है। बच्चों के विकास में सर्वाधिक योग मॉ का होता है। अतः वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा की आवश्कता और महत्व काफी बढ़ गया है।

8.4 बाल शिक्षा

भारत ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन का अनुसमर्थन और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, और बच्चों के दायित्वों के लिए एक वैश्विक पटल पर हस्ताक्षर ने सरकार और नागरिक समाज द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिबद्ध कार्यवाही के लिए एक रूपरेखा तैयार की। दिसंबर 2002 में संवैधानिक बिल ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया था, जिसके कारण भारत सरकार के सभी अभियान के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत के कानूनों और दूरंदेशी कानूनों की नीतियों और संरचनाओं और संस्थानों में एकीकृत इसकी मजबूत शैक्षिक प्रथाओं के बीच एक बड़ा अंतर है। लड़कियां और महिलाएं अक्सर लैंगिक

भूमिकाओं और पुरानी परंपराओं से बंधी होती हैं,जो लैंगिक असमानताओं को स्पष्ट करती हैं। लड़कों की तुलना में लगभग दोगुनी लड़कियों को स्कूल से निकाल लिया जाता है या उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा जाता है, खासकर अगर वे एक सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंधित हैं जो उन्हें हेय दृष्टि से देखता है। कई लड़कियों के लिए जो दस या ग्यारह साल की उम्र में स्कूल छोड़ देती हैं, भविष्य का मतलब खेतों में काम करना या सड़क निर्माण स्थलों पर काम करना और फिर जीविकोपार्जन करना है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, गरीबी और स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाएं पूरे भारत में शिक्षा एंव लैंगिक असमानता में वृहद भूमिका निभाती हैं। लड़कियों को शिक्षित करने में एक और बाधा देश भर के स्कूलों में स्वच्छता की कमी है। कई स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं है। लड़कियों के यौवन तक पहुंचने के बाद अलग शौचालय की सुविधा महत्वपूर्ण है। गोपनीयता और सुविधाओं के बिना, उन्हें मासिक धर्म चक्र का सामना करना पड़ता है, कई लड़कियां पूरी तरह से स्कूली शिक्षा छोड़ने का विकल्प चुनती हैं। भारत में 23% लड़कियां युवावस्था में आने के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। और, जो लड़कियां शिक्षा जारी रखती हैं वे प्रत्येक वर्ष मासिक धर्म के कारण 50 स्कूल दिनों तक स्कूल नहीं जा पाती हैं।

8.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति

एन.ई.पी पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, सामाजिक बुराइयों और अपमान जनक प्रथाओं को खत्म करने, छोटे परिवार की प्रथाओं आदि जैसे प्रमुख मूल्यों पर जोर देती है। एनपीई और कार्य योजनालड़कियों की सामाजिक, पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है और साथ ही यूनिवर्सलाइजेशन इन एलीमेंट्री एजुकेशन (यूईई) के अभिन्न अंग में पेयजल, चारा, ईंधन और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) जैसी सहायक सेवाओं को मजबूत करने के लिए। कार्यवही का कार्यक्रम लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने और सभी शैक्षिक कर्मियों को लैंगिक संवेदनशील बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल देता है ताकि लैंगिक–संवेदनशील, लिंग– संवेदनशीलता एंव पाठ्यक्रम के माध्यम से लिंगों के बीच समानता को आत्मसात किया जा सके, जिसमें लिंग और इसका अभ्यास शामिल हैं।

8.6 स्त्री शिक्षा की आवश्यकता

- स्त्री का नारीत्व शिक्षा से निखर जाता है।
- शिक्षित स्त्री ही गौरवान्वित अस्तित्व को समझ सकती है।
- स्त्री शिक्षा परिवार के लिए विशेष उपयोगी होता है।
- शिक्षित स्त्री परिवार का उत्थान करने में सफल हो सकती है।
- अपने संतानों की सुशिक्षा एवं सुसंस्कार शिक्षित स्त्री से ही संभव है।
- शिक्षित स्त्री अपने तथा आनेवाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होती है।

- सहिष्णुता, साहस, निष्ठा, शिष्टाचार, सहनशीलता जैसे गुणों को व्यक्तित्व में शामिल करने हेतु स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है।
- स्त्री शिक्षा नारियों को पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का बोध कराती है।
- स्त्री के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए।
- व्यक्तित्व विकास के लिए समुचित अवसरों की प्राप्ति हेतु।
- जगत और जीवन के संबंधों को अवबोधित करने में सहायता प्रदान करने हेतु।

इस प्रकार, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा लोकतंत्र की दृष्टि से स्त्री शिक्षा का विशेष महत्व है।

8.7 भारत में शिक्षा की असमानता

8.7.1 स्कूली शिक्षा– भारत शिक्षा में लैंगिक समानता के लिए अपने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। कुछ लाभों के बावजूद, भारत को मिलेनियम विकास लक्ष्यों GEEIस्कोर तक पहुंचने के लिए सुधार की दर को तीन गुना करने की आवश्यकता है। ग्रामीण भारत में अभी भी लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम शिक्षित किया जाता है। हाल ही में कई अध्ययनों ने अंतर्निहित कारकों की जांच की है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों द्वारा अधिक या कम शैक्षिक प्राप्ति में योगदान करते हैं। जैसे–जैसे पहले के बाद प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के परिवार के आकार में वृद्धि हुई, स्कूली शिक्षा के कुल वर्षों में औसतन एक चौथाई वर्ष की कमी आई, इस आंकड़े के साथ परिवार में पुरुष बच्चों की तुलना में महिला बच्चों का अभाव था। परिवार में मां की शिक्षा का स्तर भी बच्चों को शिक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शोध से पता चलता है कि जिन परिवारों में माताओं का शैक्षिक स्तर कम था, उनके परिणाम बच्चों की शैक्षिक प्राप्ति के लिए अधिक नुकसान देह थे।

8.7.2 माध्यमिक शिक्षा–लड़कों और लड़कियों के बीच शैक्षिक असमानताओं की जांच करने में, प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में संक्रमण असमानता अंतर में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत जो बारह वर्ष की आयु के बाद अपनी अध्ययन यात्रा छोड़ देता है। अध्ययन ने संकेत दिया कि प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूली शिक्षा छोड़नेमें अधिकांश प्रतिशत महिलाओं की थी। लड़कियों के स्कूल न जाने का सबसे आम कारण दूर यात्रा और सामाजिक कारण थे। यात्रा की दूरी के संदर्भ में, परिवारों ने हर दिन अकेले स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की। ग्रामीण क्षेत्रों में, सामाजिक कारणों में यह भी शामिल था कि शादी के बाद परिवार अपनी बेटी की उसके पति के घर में भूमिका को कैसे देखते हैं।

8.7.3 उच्च माध्यमिक शिक्षा– भारत में माध्यमिक शिक्षा के बाद लड़कियों की भागीदारी समय के साथबदली है। हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा में लड़कियों की समग्र भागीदारी समय के साथ बढ़ी है। हालांकि, क्षेत्रों में वितरण के संदर्भ में चल रहे अंतर हैं। जबकि लड़के सभी शैक्षणिक विषयों का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं, लड़कियां शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की कमी के कारण चयनित विषयों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। लड़कियों की तुलना

में लड़कों की ड्रॉपआउट दर अधिक है। इस अभ्यास को माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थगित कर दिया गया है जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों के ड्रॉपआउट दर अधिक हैं। उच्च शिक्षा में ड्राप–आउट दर का निर्धारण इस बात से किया जा सकता है कि लड़के रोज़गार पाने के लिए किस हद तक प्रयासरत और अत्यावश्यकता महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार, जैसे–जैसे रोजगार प्राप्त होता है, उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की तुलना में लड़कों के स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक हो सकती है, क्योंकि लड़कियों के लिए रोजगार की तात्कालिकता कम दबाव वाली हो सकती है।

बोध प्रश्न
टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

   .....

   .....

2. स्त्री शिक्षा के प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

   .....

   .....

8.8 लड़कियों की शिक्षा में असमानता

नारी शिक्षा की समस्याएं निःसंदेह स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है। इसके बावजूद भी स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति को संतोषप्रद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में नारी शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित समस्याए हैं।

8.8.1 लड़कियों के शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण – आज के विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के इस युग में यधपि रूढिवादी विचारों, अंधविश्वासों तथा दोषपूर्ण रीति रिवाजों की उपयोगिता को नकार दिया गया है। फिर भी अनेक भारतीय अब भी इन रूढिवादियों, अंधविश्वासों तथा परंपराओं का पोषण एव समर्थन करते है। यही कारण है कि हमारे देश की जनसंख्या के एक बड़े वर्ग में लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभी भी सीमित, संकुचित एवं रूढिवादी तथा एकांकी विचार पाये जाते है। छुआछुत, बाल–विवाह, पर्दा प्रथा जैसी रूढियों के कारण अनेक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है। रूढिवादी व्यक्ति के विचार में लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करके समानता व स्वतंत्रता की मांग करती है जो स्त्री चरित्र हीनता का सूचक होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या और भी अधिक उग्र प्रतीत होती है।

8.8.2 शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या – लड़कियों की शिक्षा के मार्ग उनकी सबसे बडी बाधा लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमारे यहॉ शिक्षा के सभी स्तरों और लगभग सभी पक्षों और लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में असमानताएं पायी जाती है। लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर लड़कों के अपेक्षा कम मिल पाते हैं।

8.8.3 दोषपूर्ण पाठयक्रम – स्त्री शिक्षा की एक बड़ी समस्या उचित पाठयक्रम का अभाव है। हमारे यहॉ लड़के तथा लड़कियों का एक समान पाठयक्रम है । प्रचलित पाठयक्रम नीरस तथा अरूचिकर है। ज्ञान प्रधान, पुस्तक प्रधान तथा अव्यवहारिक होने के कारण वर्तमान पाठयक्रम व्यक्तियों को अपनी बदलती परिस्थितियों से समायोजन करने के लिए तैयार करने में असफल रहता है।

8.8.4 दोषपूर्ण प्रशासन – स्त्री शिक्षा का समुचित विकास न होने का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण प्रशासन है। स्त्रियों की शिक्षा के विकास मे अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां तथा बाधायें अनुभव की जाती है। लगभग सभी राज्यों में स्त्री शिक्षा की प्रशासनिक भारपुरूष अधिकारियों पर है। पुरूष होने के कारण संभवतः वे न तो स्त्रियों को विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ पाते है और न ही स्त्री शिक्षा में विशेष रूचि लेते हैं। स्त्री शिक्षा के प्रशासन व पर्यवेक्षण का उतरदायित्व स्त्रियों को सौंपा जाना चाहिए।

8.8.5 अध्यापिकाओं का अभाव – स्त्री शिक्षा के प्रसार में एक बहुत बड़ी बाधा अध्यापिकाओं की कमी भी है। न केवल उच्चस्तर पर वरन् प्राथमिक स्तर पर भी प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी है। जिसके कारण अनेक माता–पिता अपने लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं। महिला शिक्षा की कमी, शिक्षित महिलाओं को पारिवारिक कारणों से नौकरी न करना, सुरक्षा, आवास आदि वजह से अन्य शहरों या गॉवों में नौकरी न कर पाना आदि कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से अध्यापिकाओं का अभाव रहता है।

8.8.6 व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी – स्त्रियों के लिए व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी एक गंभीर समस्या है। स्त्रियों के उत्थान के लिए विकास करने का भार अपने ऊपर लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् नामक पृथक इकाई का गठन करना चाहिए जबकि स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों की शिक्षा हेतु राज्य परिषद् गठित करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करायी जाय। लड़कियों के लिए उनकी रूचि के अनुरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक तथा तकनीकि पाठयक्रम चलाये जाने चाहिए।

बोध प्रश्न
टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. महिलाओं के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षा के उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

8.9 साक्षरता

स्त्री साक्षारता कि दर हालांकि धीरे–धीरे बढ़ रहा है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की साक्षरता दर 82.14% पुरुषों की तुलना में 65.46% है। लड़कों की तुलना में बहुत कम लड़कियों का नामांकन स्कूलों में होता है और उनमें से अधिकांश स्कूल छोड़ देती हैं। 1997 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, केवल केरल और मिजोरम के प्रांत ही दुनिया भर में महिलाओं की साक्षरता दर के करीब हैं। अधिकांश विशेषज्ञों के अनुसार, केरल में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षा है। 2006 से 2010 तक कम से कम माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाली महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में लगभग आधा था, 50.4% की तुलना में 26.6 प्रतिशत ही थी।

8.10 महिला साक्षरता

भारत शिक्षा का सार्वभौमीकरण प्रदान करने में विफल रहा है क्योंकि यह भेदभाव को बढ़ावा देने वाले प्रमुख स्तरों के शिकंजे में है। कम उम्र में शादी, सामाजिक भेदभाव और शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण करोड़ों लड़कियां प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गई हैं और देश में लैंगिक अंतर एक समस्या बनी हुई है। भारत सरकार ने सभी के लिए शिक्षा के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन अभी भी एशियामें सबसे कम महिला साक्षरता दर है।क्योंकि सामाजिक और कानूनी संस्थाएँ बुनियादी मानवाधिकारों में महिलाओं की समानता की गारंटी नहीं देती हैं। यह स्कूल स्तर पर चिंता का एक प्रमुख विषय है।

8.11 महिला आरक्षण

गैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत, राज्य में लगभग 40 प्रतिशत केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 प्रतिशत केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 2000 के बाद से, लगभग 0.3 मिलियन Non Formal Education (NFE) संस्थानों ने 7.42 मिलियन बच्चों को सेवा प्रदान की, जिनमें से लगभग 0.12 मिलियन केवल

लड़कियों के लिए थे। राज्य के स्वामित्व वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और अन्य जैसे उड़ीसा ने महिलाओं के लिए अपनी 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। भारत के प्रधान मंत्री और योजना आयोग ने भी केवल महिलाओं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए मतदान किया। हालांकि भारत ने 1990 के दशक से महिलाओं की साक्षरता दर में महत्वपूर्ण सुधार देखा है, लेकिन महिलाओं की शिक्षा का स्तर काफी हद तक खतरे में है।

8.12 भारत में महिला शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान समानता के सिद्धान्त (संविधान की प्रस्तावना और भाग–3 में समानता का सिद्धान्त) की बात करता है जिसके आधार पर महिलाओं को लिंग भेद के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा हासिल है। इस प्रकार संविधान में वर्णित सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं जितनी पुरूषों पर लागू होती है उतनी ही महिलाओं पर भी लागू होती है। सर्वप्रथम भारतीय सविंधान यह सुनिश्चित करता है कि महिला एवं पुरूष दोनों के साथ समान बर्ताव किया जाए। अनुच्छेद–14, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता व कानून के तहत समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16(1) एवं (2) सामान्य तौर भेदभाव को रोकता है और व्यवसाय में तथा राज्य के अधीन काम करने वाले लोगो के बीच लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है। संविधान में तीन अनुसूचियां है केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अतः शिक्षा के विषय में केन्द्र और राज्य दोनों को समान रूप से कानून बनाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

संविधान मानता है कि कुछ मामलों मे महिलाओं के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ है। उन्हें समान दर्जानहीं मिला है और उन्हें निम्न दर्जे पर रखा गया है। इस अन्याय को समान करने और समानता को सुरक्षितकरने के लिए संविधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है जैसा कि अनुच्छेद 15(3) कहता है कि ''राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पदों को महिलाओं के लिएआरक्षित करने को वैध माना है। इसी तरह महिला कॉलेजों मे कुछ पदों पर महिलाओं के लिए प्राथमिकता रखना अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। तीसरा, सविधान राज्य को यह दायित्व देता है कि वह समाज के कमजोर तबके की स्थिति में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास करें, जिसमें महिलाएं भी शामिल होगी, चौथा संविधान राज्य को यह भी अनुमति देता है कि महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए के लिए कदम उठाये। पहली दो बाते मूलभूत अधिकारों के तहत कही गयी है और तीसरी व चौथी बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कही गयी है जिन्हे देखने का दायित्व राज्य का है।

अनुच्छेद 21(ए) – संविधान के 86 वें संशोधन एक्ट 2002 के तहत एवं अनुच्छेद 21(ए) के अनुसार 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मूलभूत अधिकार है। इस प्रकार शिक्षा न केवल किसी

एक का अधिकार है न बल्कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार होने के कारण और प्रत्येक लडकी व महिला भी इसकी हकदार है। मूलभूत अधिकारों के अलावा राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों में भी महिलाओं के लिए कुछ प्रासंगिक प्रावधान किए गए है जैसे कि अनुच्छेद 39(द) के तहत पुरूष और महिला दोनो के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51। (म) देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि किसी भी ऐसे प्रचलित और प्रतीकात्मक व्यवहार को जो महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक हो उसे हतोत्साहित करने का प्रावधान करता है। भारत सरकार ने समाज में व्याप्त लिंग आधारित भेदभाव को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के सर्वांगीण विकास और समान अवसर की उपलब्धता के लिए नीतियों, आयोगों और समितियों का समय–समय पर गठन किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 और महिला सशक्तिकरण नीति 2001, महिला शिक्षा और जेण्डर (लिंग) आधारित भेदभाव की व्याख्या करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज कहे जा सकते है।

8.13 सारांश

समाज में व्याप्त जेण्डर (लिंग) आधारित भेदभावों और लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुये इस दिशा में किए गए संवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, आयोगों और समितियों द्वारा पहचाने गए मुद्दों पर समय–समय पर समाज द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है। भारतीय समाज में लम्बे समय से लिंग आधारित भेदभाव रहे है और इस कारण लड़कियों की स्थिति निम्न दर्जे की रही है। इसका परिणाम है कि भारतीय संविधान में समानता के सिद्धान्त को सम्मिलित किया गया और राज्य व केन्द्र सरकारों द्वारा जेण्डर विभेदीकरण का सामना करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये गये। समय–समय पर गठित समितियों और आयोगो ने भी विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे जेण्डर (लिंग) विभेदीकरण की ओर ध्यान आकर्षित कर उनके उन्मूलन के लिए सुझाव दिए तथा इस बात के महत्व को स्वीकार किया गया कि यदि महिला शिक्षा को सही दिशा नहीं मिलेगी तो समाज में व्याप्त लिंग भेद की समस्या का समाधान करना कठिन ही नहीं असंभव होगा तथा महिलाओं का सर्वांगीण विकास नहीं हो पायेगा।

मात्रात्मक और गुणात्मक साक्ष्य बहुत अधिक लैंगिक भेदभाव दिखाते हैं, जो शैक्षिक संदर्भ में भेदभाव की पुष्टि करता है। महिलाओं की स्वतंत्र रूप से सोचने और पुरुषों के साथ समान रूप से भाग लेने की क्षमता लैंगिक समानता सुनिश्चित करेगी और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अनुपरू होगी। भारत सरकार को उन क्षेत्रों और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की पहचान करने की आवश्यकता है जो शिक्षा में लैंगिक विविधता में भेदभाव को बढ़ाते हैं। तभी उनका उचित निराकरण कर पाना सम्भव हो पायेगा।

8.14 अभ्यास के प्रश्न

1. उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिये।
2. भारत में महिला शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

3. महिला शिक्षा स्वस्थ समाज का मापक है। व्याख्या कीजिए।

8.15 चर्चा के बिन्दु

1. महिला शिक्षा में असमानता के सामाजिक कारकों पर चर्चा कीजिए।
2. महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आरक्षण प्रावधान की चर्चा कीजिए

8.16 बोध प्रश्न के उत्तर

1. परिवार में मां की शिक्षा का स्तर भी बच्चों को शिक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शोध से पता चलता है कि जिन परिवारों में माताओं का शैक्षिक स्तर कम था, उनके परिणाम बच्चों की शैक्षिक प्राप्ति के लिए अधिक नुकसान देह थे।शिक्षित स्त्री ही अपने तथा आनेवाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होती है। साथ ही सहिष्णुता, साहस, निष्ठा, शिष्टाचार, सहनशीलता जैसे गुणों को व्यक्तित्व में शामिल करने हेतु स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है।

2. लड़कियां और महिलाएं अक्सर लैंगिक भूमिकाओं और पुरानी परंपराओं से बंधी होती हैं,जो लैंगिक असमानताओं को स्पष्ट करती हैं। लड़कों की तुलना में लगभग दोगुनी लड़कियों को स्कूल से निकाल लिया जाता है या उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा जाता है, खासकर अगर वे एक सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंधित हैं जो उन्हें हेय दृष्टि से देखता है। कई लड़कियों के लिए जो दस या ग्यारह साल की उम्र में स्कूल छोड़ देती हैं, भविष्य का मतलब खेतों में काम करना या सड़क निर्माण स्थलों पर काम करना और फिर जीविकोपार्जन करना है।

   संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, गरीबी और स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाएं पूरे भारत में शिक्षा एंव लैंगिक असमानता में वृहद भूमिका निभाती हैं। लड़कियों को शिक्षित करने में एक और बाधा देश भर के स्कूलों में स्वच्छता की कमी है। कई स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं है।

3. स्त्री का नारीत्व शिक्षा से निखर जाता है। शिक्षित स्त्री ही गौरवान्वित अस्तित्व को समझ सकती है। इसलिये स्त्री शिक्षा परिवार के लिए विशेष उपयोगी होता है। शिक्षित स्त्री ही परिवार का उत्थान करने में सक्षम हो सकती है। अपने संतानों की सुशिक्षा एवं सुसंस्कार शिक्षित स्त्री से ही संभव हो पाता है। शिक्षित स्त्री अपने तथा आनेवाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल बनाने का कार्य तथा सहिष्णुता, साहस, निष्ठा, शिष्टाचार, सहनशीलता जैसे गुणों को व्यक्तित्व में शामिल करने हेतु स्त्री शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। स्त्री शिक्षा के द्वारा ही पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दायित्वों का बोध कराया जा सकता है। स्त्री शिक्षा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों के विकास के साथ ही व्यक्तित्व विकास के समुचित अवसरों का सृजन करती है। जिससे जगत और जीवन के संबंधों को

अवबोधित करने में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा लोकतंत्र की दृष्टि से स्त्री शिक्षा का विशेष महत्व है।

8.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

1. रावत, प्यारे लाल (1975) – प्राचीन और भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगराः भारत पब्लिकेशन्स।
2. गुप्ता, एस0पी0 तथा अल्का गुप्ता, (2008) – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें इलाहाबाद,
3. शारदा पुस्तक भवन।
4. अग्निहोत्री, रविन्द्र (2006) – आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याए और समाधान, जयपुरः राजस्थान हिन्दी
5. ग्रंथ अकादमी।
6. इंदिरेसन, जया 2002 एजुकेशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट जेण्डर पैसिटिव इनिशिएटिप्सा इन सेटिंग विमेंस कॉलेजेस, कोणार्क, नई दिल्ली ।
7. चानना, कारण 2001 ईटरोग्रेटिग विमेंस एजुकेशन बाउंडेड विजेंस, एक्सपैडिंग होराइजंस, रावत पब्लिकेशन जयपुर
8. स्टैनले, एल. एण्ड वाइज, एस. (2002) 'व्हाट्स रांग विद सोशलाइजेशन', इन जैक्सन, एस. एण्ड स्कॉट, एस. (संपा.) जेण्डर : ए सोशियोलॉजिकल रीडर, लन्दन : रूटलेज।
9. दूबे, एल. (2001) एन्थ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन्स इन जेण्डर : इण्टरसेक्टिंग फील्ड्स। इण्डिया : सेज पब्लिकेशन प्रा. लि.।
10. Kabeer, N. (2010) *Gender and Social Protection Strategies in the Informal Economy*, London: Routledge.
11. Mitter, S. (2002) *'Women Working World Wide',* In Jackson, S. and Scott, S. (Eds.) Gender : A Sociological Reader, London: Routledge,.
12. Patel, R. (2010) Working the Night Shift : Women in India's Call Center Industry, New Delhi: Orient Black Swan.
13. Redfern, C and Kristin Aune (2010). *Reclaiming the F Word : The New Feminist Movement*. Bangalore : Books for Change.
14. Seth, M. (2001) *Women and Development : The Indian Experience*. New Delhi: Sage Publications.
15. Stanley, L. and Wise, S. (2002) 'What's wrong with socialisation', In Jackson, S. and Scott, S. (Eds.) Gender : A Sociological Reader, London: Routledge.

इकाई – 9 : महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार

इकाई की संरचना

9.1 प्रस्तावना

9.2 इकाई के उद्देश्य

9.3 महिलाओं के लिए संवैधानिक उपबंध

9.4 विधिक उपबंध

9.5 महिला कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न

9.6 महिला कल्याण के विशेष कार्यक्रम

9.6.1 रोजगार और प्रशिक्षण

9.6.2 हॉस्टल तथा आश्रय सुविधाएं

9.6.3 जागरूकता कार्यक्रम

9.6.4 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना

9.6.5 राष्ट्रीय महिला कोष

9.6.6 इंदिरा महिला आवास योजना

9.6.7 बालिका समृद्धि योजना

9.6.8 महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यक्रम

9.7 सरकारी योजनाएँ

9.7.1 स्वशक्ति परियोजना

9.7.2 किशोरी शक्ति योजना

9.7.3 न्यूट्रीशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स

9.7.4 वन्देमातरम् योजना

9.7.5 जननी सुरक्षा योजना

9.7.6 मिशन शक्ति योजना

9.7.7 धन लक्ष्मी योजना

9.8 कानूनी प्रणाली और भारत में लैंगिक असमानता

9.9 सारांश

9.10 अभ्यास के प्रश्न

9.11 चर्चा के बिन्दु

9.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.1 प्रस्तावना

प्राचीन युग से वर्तमान युग तक नारी के संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है। कहा जाता रहा है कि हजार वर्षो से पराधीनता में रहने वाली एकमात्र जाति ''नारी'' ही है। इसी कारण स्त्री को ''अंतिम उपनिवेश'' की भी संज्ञा दी जाती रही है। वर्तमान शताब्दी में विश्व में अपराधों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है क्योंकि समाज और अपराध एक दूसरे के पूरक हैं। अपराध समाज में कारित होते हैं और उनका उपचार भी समाज में समाहित होता है। आदिम युग में मानवीय आवश्यकताएं न्यून थी, इसलिए अपराध भी काफी कम होते थे, किन्तु वर्तमान में मनुष्य की नित नये बढ़ती आवश्यकताओं के कारण भी अपराध ज्यादा होने लगे हैं। प्रारंभ में अपराध केवल चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाओं तक ही सीमित थे, किन्तु वर्तमान में इन्टरनेट, इलेक्ट्रानिक मीडिया तक बढ़ गई हैं, जिसे साइबर अपराध भी कहा जाता है।

यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देता है किन्तु आंकड़ों से स्पष्ट है कि ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। यदि हमारे देश में घटित होने वाले महिलाओं के प्रति अपराधों का विश्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि प्रति 6 मिनट पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, सार्वजनिक अपमान, हत्या का प्रयास, बलात्कार, यौन–उत्पीड़न, अश्लीलता जैसी घटनाएं घटित होती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों की स्थिति को देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक फिर मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश में राजस्थान में महिलाओं के प्रति ज्यादा अपराध घटित होते हैं। ऐसे अपराधों को रोकने हेतु कठोर से कठोरतम् कानून निर्मित किए जा रहे हैं, किन्तु जब तक पुरुषों तथा समाज की मानसिकता में सुधार नहीं आएगा, ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा क्योंकि समस्याओं का जन्म समाज से ही होता है और उनका उन्मूलन भी कानून के उचित क्रियान्वयन के साथ साथ समाज द्वारा ही हो सकता है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, इसके साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वयन एवं महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना भी की गई है।

9.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. महिलाओं के लिए संवैधानिक उपबंध को जान सकेंगे।
2. संविधान मे वर्णित विधिक उपबंध को अभिव्यक्त कर सकेंगे।
3. महिला कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की विवेचना कर सकेंगे।
4. महिला कल्याण के विशेष कार्यक्रम से अवगत हो सकेंगे।
5. महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यक्रम का पता लगा सकेंगे।

9.3 महिलाओं के लिए संवैधानिक उपबंध

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार ''भारत राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।'' समानता का तात्पर्य यहां पर यह है कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त है।
- अनुच्छेद 15 के अनुसार ''राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा'' भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किये गये है।
- अनुच्छेद 19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से भारत के क्षेत्र में आवागमन, निवास एवं व्यवसाय कर सकती है। स्त्री लिंग होने के कारण किसी भी कार्य से उनको वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है तथा ऐसी स्थिति में कानून की सहायता हो सकेगी।
- अनुच्छेद 23–24 द्वारा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की खरीद–ब्रिकी, वेश्यावृति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय माना गया है।
- अनुच्छेद 39 (क) में स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 39 (द) में समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध है।
- अनुच्छेद 42 के अनुसार महिला को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 46 इस बात का आव्हान करता है कि राज्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सब प्रकार के शोषण से संरक्षा करेगा ।
- अनुच्छेद 51 (क) (डं.) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो।
- अनुच्छेद 243 (द)(3) में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगें और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटित किये जाएगें।
- अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया हैं।

- अनुच्छेद 325 द्वारा संविधान निर्माताओं ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भारत में पुरुष और स्त्री को समान मतदान अधिकार दिये गये हैं।

9.4 विधिक उपबंध

- महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण के लिए राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकें एवं सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सकें।
- धारा 292 से 294 के तहत विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पर रोक लगाई गयी है। इसके अनुसार अगर कोई स्त्रियों की नंगी तस्वीरें प्रदर्शित करता है अथवा क्रय–विक्रय करता है अथवा भौंडा प्रदर्शन करता है तो ऐसे व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा एवं 2 हजार रुपया तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाओं का प्रावधान है।
- धारा 312 से 318 में गर्भपात कारित करना, अजन्में शिशुओं को नुकसान पहुंचाने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में दंड का प्रावधान किया गया है।
- धारा 354 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है अथवा करने के उद्देश्य से आपराधिक बल प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
- धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और उसे कोई व्यक्ति उसके विधिपूर्व संरक्षक की संरक्षकता से बिना सम्मति के या बहला अथवा फुसलाकर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपरहण का दोषी होगा तथा धारा 363 से 366 में दंड का प्रावधान किया गया है।
- धारा 372 के तहत अगर किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को किसी वेश्यावृति के प्रयोजन के लिए बेचा जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा व जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकेगी।
- धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है एवं धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है।
- धारा 498 (अ) में प्रावधानित किया गया है कि अगर कोई पति अथवा उसका कोई रिश्तेदार विवाहित पत्नी के साथ निर्दयतापूर्वक दुर्व्यवहार करता है अथवा दहेज को लेकर यातना देता है तो न्यायालय उसे 2 साल तक की सजा दे सकता है ।
- धारा 509 के तहत अगर कोई व्यक्ति स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता हैं या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है अथवा कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकान्तता पर अतिक्रमण होता हे तो ऐसा व्यक्ति एक वर्ष तक की सजा एवं जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।

9.5 महिला कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न

उन्नीसवीं शताब्दी के समाज सुधार आन्दोलन के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार को स्त्री–जीवन से सम्बन्धित कुछ गम्भीर समस्याओं को दूर करने के लिए कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके फलस्वरूप सर्वप्रथम सन् 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा किसी विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना एक दण्डनीय अपराध माना गया। विधवाओं के अमानवीय शोषण से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए सन् 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करके विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया गया। सन् 1929 में बाल विवाह पर नियन्त्रण लगाने के लिए यह व्यवस्था की गयी कि किसी भी लड़की का विवाह 10 वर्ष से कम की आयु में नहीं किया जा सकता। इसी को हम बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 अथवा शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। सन् 1937 में विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति में अधिकार देने के लिए हिन्दू स्त्रियों का सम्पति अधिकार अधिनियम पास किया गया। इस कानून के द्वारा एक विधवा केवल अपने जीवन काल तक मृत पति की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकती थी। सन् 1946 में उन स्त्रियों को अपने पति से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया जिनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अपनी पत्नी को छोड़ रखा हो अथवा पत्नी से निर्दयता का व्यवहार करने का दोषी हो।

वास्तविकता यह है कि ब्रिटिश काल में स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार करने के लिए जो भी कानून बनाये गये, उनका उद्देश्य स्त्री–पुरुषों के बीच न तो समानता लाना था और न ही स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना था। ब्रिटिश सरकार की नीति हिन्दुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करने की थी क्योंकि अन्धविश्वासों और रूढ़ियों के कारण हिन्दू जीवन इतना चेतनाहीन बन चुका था कि इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन से ब्रिटिश शासन को नुकसान पहुँच सकता था। इसी कारण ब्रिटिश काल में बनने वाले महिला कल्याण सम्बन्धी कानूनों में कोई ऐसा व्यावहारिक प्रावधान नहीं किया गया जिससे स्त्रियो को स्थिति में वास्तविक सुधार हो पाता। सन् 1947 में भारत जब स्वतन्त्र हुआ, तब महिला कल्याण को कल्याण राज्य की एक प्राथमिक आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। फलस्वरूप नया संविधान लागू होने के तुरन्त बाद ऐसे प्रयत्न आरम्भ कर दिये गये जिससे विवाह, सम्पत्ति, शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो सकें। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो प्रमुख सामाजिक कानून बनाये गये, उन्हें संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है।

(1) विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों को अपनी इच्छा से जीवन साथी के चुनाव में स्वतन्त्रता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act] 1954) पास किया गया। इसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाली लड़कियों को कोर्ट की सहायता से किसी भी धर्म या जाति के युवक से विवाह करने का अधिकार दिया गया।

(2) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act 1955) – महिला कल्याण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कानून है। इसके द्वारा हिन्दू विवाह से सम्बन्धित पहले के सभी कानूनों को रद्द करके शोषण की दशा में पत्नी को अपने पति से अलग रहने का अधिकार दिया गया। साथ ही कुछ विशेष दशाओं में पति–पत्नी को न्यायालय के द्वारा विवाह विच्छेद का भी अधिकार प्रदान किया गया। विवाह विच्छेद की स्थिति में दोनों में से कोई एक पक्ष तलाक के एक वर्ष के बाद पुनर्विवाह कर सकता है। स्त्रियों को आर्थिक सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से विवाह विच्छेद होने पर अथवा पति से अलग रहने पर उन्हें अपने पति से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया। यह अधिनियम इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था कि इससे पहले पुरुष अपनी पत्नी को इच्छानुसार छोड़ देने या उसका किसी भी तरह शोषण करने के लिए स्वतन्त्र था। इस कानून ने पुरुषों की इस स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति पर नियन्त्रण लगाने में प्रभावशाली योगदान किया।

(3) स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्पत्ति अधिकार देने के लिए सरकार ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act 1956) पास किया। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि मृत व्यक्ति को सम्पत्ति में स्त्री को एक माता, पत्नी तथा पुत्री के रूप में सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा तथा स्त्री को किसी भी शारीरिक दोष के आधार पर अपने हिस्से की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी स्त्री द्वारा स्वयं अर्जित की गयी सम्पत्ति पर उसे पूर्ण अधिकार दिया गया। इससे पुरुषों द्वारा स्त्रियों का आर्थिक शोषण करना सम्भव नहीं रह गया।

(4) परम्परागत रूप से एक विधवा को अपने नाबालिग बच्चे तथा उसकी सम्पत्ति का संरक्षक बनने का अधिकार नहीं था। इस क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए हिन्दू नाबालिगी तथा संरक्षता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act 1956) पारित किया गया। इससे परिवार के अन्य सदस्यों को किसी विधवा के नाबालिग बच्चे की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने से रोक दिया गया।

(5) सन् 1956 में ही हिन्दू दत्तकग्रहण तथा भरण–पोषण अधिनियम (Hindu Adaptation and Maintenance Act 1956) पास किया गया जिसका उद्देश्य सन्तान न होने की दशा पति अथवा पत्नी को एक–दूसरे की सहमति से किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार दिया गया। पति की मृत्यु की दशा में उसकी विधवा को भी अपनी सम्पत्ति के उपयोग के लिए बच्चे को गोंद लेने का अधिकार दे दिया गया।

(6) स्त्रियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सन् 1956 में ही स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 (Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act 1956) पास किया गया। इसके द्वारा वेश्यावृत्ति को एक दण्डनीय अपराध घोषित करने के साथ ही उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया जो लड़कियों अथवा स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करते हों अथवा किसी स्त्री को अनैतिक व्यापार करने में सहायता देते हो।

(7) हिन्दुओं में एक लम्बे समय से दहेज प्रथा स्त्रियों के शोषण का प्रमुख आधार रही है। इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act 1961) पारित करके किसी भी रूप में दहेज लेने और देने को एक गैर–जमानती अपराध घोषित किया गया तथा इसके लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी।

(8) आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सन् 1976 में समान वेतन अधिनियम (Equal Remuneration Act) पारित किया गया। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान ही वेतन दिया जायेगा। इसका सबसे अधिक प्रभाव गाँवों में भूमिहीन मजदूर के रूप में काम करने वाली लाखों स्त्रियों के जीवन पर पड़ा।

(9) सन् 1992 में संविधान में 73वाँ संशोधन करके एक नया केन्द्रीय पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य पंचायत राज व्यवस्था में अनेक दूसरे सुधार करने के साथ स्त्रियों की राजनीतिक चेतना बढ़ाना है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी कि पंचायत राज की सभी संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे।

उपर्युक्त प्रयत्नों के अतिरिक्त कारखाना अधिनियम में स्त्रियों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएँ देने के व्यापक प्रयत्न किये गये। कारखानों तथा चाय बागानों में महिला श्रमिकों के बच्चों को रखने के लिए शिशु गृहों की स्थापना आवश्यक कर दी गयी। सभी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में स्त्रियों को मातृत्व हित लाभ (maternity benefit) देने की व्यवस्था की गयी।

9.6 महिला कल्याण के विशेष कार्यक्रम

भारत में स्वतन्त्रता के बाद से महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास. समाज कल्याण का प्रमुख आधार रहा है। पिछले 50 वर्षों के दौरान महिला कल्याण से सम्बन्धित नीतियों में कुछ परिवर्तन जरूर होते रहे है लेकिन सन् 1980 के बाद से उन कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया जिनसे शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। यह महसूस किया गया कि केवल कानूनों के द्वारा ही स्त्रियों की प्रस्थिति में वांछित सुधार नहीं लाया जा सकता। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक हैं जिनसे व्यावहारिक रूप से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को अधिक अधिकार मिल सकें। इस दिशा में किये जाने वाले कुछ प्रमुख प्रयत्न निम्न प्रकार है।

9.6.1 रोजगार और प्रशिक्षण – यह कार्यक्रम सन 1987 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को कृषि, पशुपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम के कीड़ों का पालन, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उनके परम्परागत व्यावसायिक हुनर में सुधार लाना है। इसके अन्तर्गत अब तक लगभग 5 लाख से अधिक महिलाएँ लाभ उठा चुकी हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत

महिलाओं को कम्प्यूटर, बिजली, हथकरघा, बुनाई, कताई, फैशन टेक्नोलॉजी, कार्यालय प्रबन्ध और दूसरे आधुनिक व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य भी आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।

9.6.2 हॉस्टल तथा आश्रय सुविधाएँ – नगरों में काम–काजी महिलाओं को सस्ती दर पर सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉस्टलों के निर्माण की योजना आरम्भ की गयी। इन हॉस्टलों में महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल की सुविधाएँ भी दी जाती है। इस समय महिला हॉस्टलों की संख्या 841 है जिनमें 60 हजार से भी अधिक निम्न आय वर्ग की काम–काजी महिलाएँ रहती हैं। आश्रय की सुविधा उन लड़कियों और महिलाओं के लिए है जो पारिवारिक समस्या, मानसिक तनाव, शोषण या किसी तरह के सामाजिक उत्पीड़न का शिकार होती है। इन अस्थायी आवासों में चिकित्सा, शिक्षा और व्यवसाय की रचनात्मक सुविधाएँ देने के साथ ही महिलाओं को उपयोगी परामर्श भी दिया जाता है।

9.6.3 जागरूकता कार्यक्रम – ग्रामीण और निर्धन महिलाओं में सामाजिक जागरूकता लाने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सन् 1987 से यह कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य विशेष शिविर लगाकर महिलाओं को परिवार और समाज में सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए जागरूक बनाना है। यह काम गैर–सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता देकर उनके माध्यम से किया जाता है।

9.6.4 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना – इस आयोग का गठन जनवरी, 1992 में किया गया। आयोग के सभी सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इस आयोग का काम स्त्रियों से सम्बन्धित कानूनों की समीक्षा करना, अत्याचार से सम्बन्धित मामलों में हस्तक्षेप करना तथा महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलवाने में उनकी सहायता करना है। इस उद्देश्य के लिए आयोग पारिवारिक विवादों के मामलों में महिला लोक अदालत लगाने, स्त्रियों को परामर्श सेवाएँ देने तथा कानूनों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

9.6.5 राष्ट्रीय महिला कोष – मार्च, 1993 को सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं की ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना है। मार्च, 2001 तक इस कोष से 3.80 लाख से भी अधिक महिलाओं को लगभग 90 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। महिलाओं द्वारा कुछ विशेष शर्ते पूरी करने पर यदि लिये गये ऋण का अच्छा उपयोग किया जाता है तो इस ऋण को अनुदान के रूप में बदल दिया जाता है।

9.6.6 इन्दिरा महिला आवास योजना – इसे महिला समृद्धि योजना भी कहा जाता है। यह योजना 20 अगस्त, 1995 से आरम्भ की गयी। इसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले स्तर की महिलाओं को इस तरह संगठित करना है जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर परिवार में अपना सम्मानपूर्ण स्थान बना सकें। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों की झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाली निर्धन महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें सिलाई, कढ़ाई,

घरेलू उद्योगों, जैसे चटनी, अचार और मुरब्बे आदि बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही उनमें सामाजिक जागरूकता पैदा की जाती है। महिलाओं के ऐसे समूहों को स्वय सहायता समूह (Self Help Group) कहा जाता है। अब तक इस तरह के 40 हजार से भी अधिक महिला समूह बनाकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में आत्म–निर्भर बनाने का प्रयत्न किया जा चुका है।

9.6.7 बालिका समृद्धि योजना – यह योजना बालिकाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 2 अक्टूबर, 1997 से आरम्भ की गयी। आरम्भ में इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में बालिका के जन्म पर माँ को 500 रुपये की अनुदान राशि देना था। सन् 1999–2000 से योजना में कुछ परिवर्तन कर दिया गया। अब कन्या के जन्म के समय दी जाने वाली सहायता राशि को बैंक या डाकघर में जमा करा दिया जाता है तथा स्कूली शिक्षा के दौरान बालिका को जो छात्रवृत्ति मिलती है, वह भी इसी खाते में जमा होती रहती है। लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर यह राशि उसे ब्याज सहित मिल जाती है जिससे उसका विवाह सुविधाजनक ढंग से किया जा सके।

9.6.8 महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यक्रम – भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई, 1997 में सरकार को यह निर्देश दिया कि वेश्यावृत्ति की समस्या, बाल वेश्यावृत्ति और वेश्याओं की सन्तानों से सम्बन्धित मामलों का गहरा अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाने के अतिरिक्त उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनायी जायें। इस सम्बन्ध में एक विशेष समिति का गठन किया गया है जिसने महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य अवैध व्यापार की रोकथाम, वेश्यावृत्ति से प्रभावित स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ, उनके बच्चों की शिक्षा और देखभाल के प्रयत्न, आश्रय गृहों की व्यवस्था उत्पीड़न से बचाव एवं कानूनी सुधार करना है। इस कार्य योजना को विभिन राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है।

बोध प्रश्न
टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 क्या है?

.....

.....

2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है?

.....

.....

9.7 सरकारी योजनाएं

भारत सरकार सभी स्तरों पर समाज के सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है। ये योजनाएं केंद्रीय, राज्य, विशिष्ट अथवा केंद्र और राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन हो सकती है इनमें से कुछ योजना युवाओं, किसानों, वंचित वर्ग, आदि के लिए एवं बहुत सी योजनाएं महिलाओं के लिए भी है। जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्न है–

9.7.1 स्वशक्ति परियोजना – पहले इस योजना का नाम ग्रामीण महिलाओं का विकास और अधिकार योजनाश था। अब स्वशक्ति परियोजना के रूप में इसे 16 अक्टूबर, 1998 से पाँच वर्ष के लिए लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य अपनी सहायता स्वयं करने वाले समूहों का गठन करके महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ऐसे प्रत्येक समूह में 10 से 20 तक महिलाएँ सदस्य होती हैं। इन समूहों में महिलाओं द्वारा ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनसे उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके। कार्य के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा महिलाओं को बहुत नाममात्र के ब्याज पर ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में यह योजना बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक महिलाओं के 2,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) गठित किये जा चुके हैं।

स्त्रियों को समानता के अधिकार देने तथा उनका विकास करने के लिए अन्य देशों के साथ भारत में भी विश्व महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। पिछले विश्व महिला सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं को अधिकार सम्पन बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की जाय। भारत ने भी इस निर्णय के प्रति अपनी बचन बद्धता स्वीकार की। महिला खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए भी अब विकास खण्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए शासन स्तर पर एक पृथक् महिला एवं बाल विकास विभाग का सृजन किया गया है। पहले यह कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था। महिलाओं और बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों में समन्वय लाने के लिए उत्तर प्रदेश में सन् 1989–90 में एक महिला कल्याण निदेशालय की भी स्थापना की गयी। इस सभी प्रयत्नों से निर्धन परिवारों की ग्रामीण तथा नगरीय महिलाओं की दशा में काफी परिवर्तन हो सका है। वास्तविकता यह है कि हमारे समाज में स्त्रियों की आर्थिक परतन्त्रता तथा धार्मिक अन्धविश्वास लैंगिक विषमता का प्रमुख कारण रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यक्रमों की सहायता से जैसे–जैसे स्त्रियों में आर्थिक आत्म–निर्भरता बढ़ेगी तथा शिक्षा के प्रभाव से तार्किक विचारों में वृद्धि होगी, स्त्री–पुरुष के विभेद की समस्या का अपने आप समाधान होता जायेगा।

9.7.2 किशोरी शक्ति योजना – किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा यौवन के बीच की अवस्था होने के कारण किसी भी नारी के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था नारी के मानसिक, भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से काफी परिवर्तनशील होती है। भारत में सर्वप्रथम आई.सी.डी.एस. अवसंरचना के अंतर्गत

किशोरियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की पोषण से संबंधित समस्या का निदान एवं बालक और बालिकाओं के भेदभाव को समाप्त करना तथा बालिकाओं की उनके विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।

हमारे देश में जब लड़की का जन्म होता हैं तो उदासी छा जाती हैं, जब उसकी शिक्षा की बात आती हैं तो मुट्ठी कस ली जाती हैं और ब्याह की बात आती हैं तो मुहं मोडकर किसी भी से उसकी शादी कर दी जाती हैं बिना उसकी इच्छा औऱ बिना उसकी पंसद के । हमारे देश में महिलाओं की स्थिति तभी सुधरेगी जब हमारी किशोरीयो को अपने अधिकारो के बारे में पता हो, उनका सही से लालन–पालन हो और उन्हें एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाये। इन्ही मौलिक चीजो की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने, 'किशोरी शक्ति योजनाका शुभारम्भ किया हैं ताकि हमारी किशोरीयो की परवरीश अच्छे से हो सकें, उन्हें अच्छा पोषण स्तर मिलें, शिक्षा भी बेहतर मिलें और साथ ही सार्वजनिक पहुंच के माध्यम से हमारी किशोरीयो को व्यवसाय शुरु करने का मौका मिलें ताकि वे अपने पैरों पर खडी हो सकें और एक आत्मनिर्भर–आत्मसशक्त जीवन जी सकें।

9.7.3 न्यूट्रिशियनप्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स – न्यूट्रिशियन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स सन 2000–03 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पोषाहार मिशन को 2005–2006 में यह नाम दिया गया इस योजना के तहत 11 से 15 वर्ष की 30 किलो से कम तथा 15 से 19 वर्ष की 35 किलो से कम वजन की बालिकाओं को 6 किलो गेहूं 3 माह तक फ्री दिया जाता है न्यूट्रिशन प्रोग्राम का मानना है कि महिलाओं और लड़कियों को समान अवसर तभी मिल सकते हैं जब उनके पास पर्याप्त धन हो, लैंगिक समानता, पोषण पर ध्यान देने की जरूरत हों, स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास हों, अच्छे पोषण तक पहुंच बढ़ाना आवश्यकहै समान अवसरों और उज्ज्वल भविष्य का समर्थन करना किशोरों के लिए, विशेषकर किशोर लड़कियों के लिए आवाश्यक हों, लैंगिक समानता के उन मुद्दों पर आवाज उठाएं जो लड़कियों को पीछे रखते हैं स्कूल तक पहुंच से लेकर पूरी तरह से भाग लेने तक समुदाय, जिनमें शीघ्र विवाह, किशोरावस्था भी शामिल है गर्भावस्था, मासिक धर्म स्वास्थ्य बाधाएँ, हानिकारक सामाजिक मानदंड, और लिंग आधारित हिंसा। स्कूल में आने वाली और बाहर जाने वाली लड़कियों के लिए एक राष्ट्रीय पैमाना न्यूट्रिशियन इंटरनेशनल ने देशों का समर्थन किया है।

9.7.4 वन्देमातरम् योजना – वंदेमातरम योजना जिसे 9 फरवरी, 2004 को फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (FOGSI) और निजी क्लीनिकों के तत्वावधान में शुरू किया गया था।, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री वंदेमातरम योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है, वैसे महिलाओं को इस योजना के तहत पांच हजार रुपए मिलने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं को पांच–पांच हजार रुपए खाता में दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिये आंगनबाड़ी केन्द्र पर ए.एन.एम. द्वारा जांच की जायेगी। पहले तीन माह में गर्भवती महिलाओं को दो हजार रूपया बैंक खाते में दिया जायेगा। छठा महीना में एक हजार व 9 वें महीने में दो

हजार रुपए दिये जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है। जो कि उच्च मातृ मृत्युदर का करण है, देश में वंदे मातरम योजना एक स्वैच्छिक योजना है।

9.7.5 जननी सुरक्षा योजना – जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस योजना का प्रारंभ है सन 2005 में किया गया इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए रुपया 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका प्रारंभ 2005 में किया गया। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण इलाके की गर्भवती महिलाओं को 1,400 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को एक हजार रुपये दिए जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उन्हें पांच हजार रुपये और मिलते ह. प्रसव के बाद पांच साल तक जच्चा–बच्चा के टीकाकरण को लेकर भी उन्हें संदेश मिलते रहते हैं. देश के जो भी इच्छुक गर्भवती महिलाएं Janani Suraksha Yojana 2023 के अंतर्गत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ministry of health and family welfare] Government of India की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर जननी सुरक्षा योजना की application form PDF download करना होगा योजना के तहत 16 हजार रुपए की राशि श्रमिक महिलाओं को दो किश्तों में दी जाएगी। पहली 4 हजार रुपए की किश्त गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा ए.एन.एम. द्वारा प्रसव पूर्व चार जांच कराने पर मिलेगी। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। आप इस योजना के लाभों, लाभार्थी के प्रकार एवं पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

9.7.6 मिशन शक्ति योजना – मिशन शक्ति योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी यह एक मिशन मोड़ योजना है। इस योजना से प्रदेश की महिलाओं एवं बेटियों को स्वलंबी एवं सुरक्षित बनाने के लिए आरंभ किया गया था मिशन शक्ति, मिशन मोड में एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, और अधिकारिता के लिए योजना के रूप में मिशन शक्ति, एक एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम तैयार किया है।

मिशन शक्ति की दो उप–योजनाएं हैं – संबल और सामर्थ्य। जहां संबलउप–योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं सामर्थ्य उप–योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। संबल उप–योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एव लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी। सामर्थ्य उप–योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है। इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और विशिष्ट आईसीडीएस के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मौजूदा योजनाओं को अब इस योजना में शामिल किया गया है।

9.7.7 धन लक्ष्मी योजना – इस योजना को 3 मार्च 2008 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था इस योजना का उद्देश्य माता–पिता को एक आकर्षक बीमा कवर प्रदान करके बाल विवाह को दूर करना और माता–पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ–साथ बालिकाओं के लिए कुछ चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए प्रोत्साहित करना थाइस योजना के अंतर्गत महिलाओं को रुपया 500000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। देश के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब महिला इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पी.एम धन लक्ष्मी योजना 2023 के तहत दी जाने वाले रुपया 500000 का लोन पर 0 प्रतिशत ब्याज पर इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। महिला के पास गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड होना चाहिए इस योजना में महिला का बैंक में खाता होना जरूरी है। लक्ष्मी जी धन सुख शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और दीपावली के त्यौहार पर श्री गणेश जी सहित उनकी पूजा की जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

आवेदन प्राप्त करने और उसमे विवरण भरने के पश्चात निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे उसके पश्चात आवेदन पत्र व समस्त दस्तावेज चिकित्सालय से सत्यापित कराने होंगे। समाज में बेटियों के लिए नकारात्मक सोच रखी जाती है जिसके कारण भ्रूण हत्या जैसे अपराध होते हैं। इस सोच में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है ।

बोध प्रश्न
टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध सरकार की कार्ययोजना को बताइए।

.....

.....

4. किशोरी शक्ति योजना क्या है?

.....

.....

9.8 कानूनी प्रणाली और भारत में लैंगिक असमानता

लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने में संविधान की भूमिका को आधुनिक समय में पहचाना जा रहा है। यह सबसे उपयुक्त है कि देश के सर्वोच्च कानून को सार्थक रूप से महिला प्रश्न को संबोधित करना चाहिए और महिलाओं की अधिक चिंता और सुरक्षा के लिए पूरी कानूनी प्रणाली को उत्तेजित करके चुनौतियों का जवाब देना चाहिए। हालाँकि, कानून रातोंरात समाज को नहीं बदल सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित कर सकता है कि जो लोग वंचित हैं। हालाँकि, अदालतें निश्चित रूप से जैविक और सामाजिक कारकों के कारण हुए अन्याय के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने वाली मात्र वैधता से परे जा सकती हैं। भारतीय न्यायपालिका महिलाओं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील रही है। अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और बदलती परिस्थितियों और समाज के हितों में महिलाओं के हितों की रक्षा करने में सर्वोच्च न्यायालय की विशेष रुचि थी।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं को समानता के अधिकार की गारंटी देता है और अनुच्छेद 15 (1) यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है, और अनुच्छेद 15 (3) राज्य को उन्हें प्रदान करने के लिए सशक्त बनाकर महिलाओं के नुकसान के उपाय प्रदान करता है। विशेष प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार या किसी कार्यालय में नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है और विशेष रूप से यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इन सभी अनुच्छेदों को हमारे कानूनी संविधान के निर्माण का आधार बनना चाहिए। महिलाओं की गरिमा को कम करने वाली प्रथाओं को त्यागने का हमारा स्वाभाविक दायित्व अनुच्छेद 51–ए द्वारा जिम्मेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ा दिया गया है। संविधान के भाग में निहित राज्य की नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का निर्देश देते हैं, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, स्वास्थ्य और स्वच्छता का अधिकार, प्रसव के लाभ का अधिकार और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का सम्मान शामिल है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 कुछ ऐसे कानून हैं जो भारत के संविधान के प्रावधानों के कारण मौजूद हैं।

9.9 सारांश

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नारी की स्थिति में काफी सुधारात्मक परिवर्तन हुए है। आजादी के 64 वर्षों के पश्चात् हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाये गये अधिनियमों की विवेचना करते हैं तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देश में नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाये रखने के लिए बहुत सारे कानून बनाये गये हैं। किन्तु पर्याप्त कानूनी शिक्षा के अभाव में कानूनों की जानकारी उनकों नहीं मिल पाती, यहाँ तक कि अधिकांश महिलाओं को पता ही नहीं हो पाता कि उनके कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं।

महिलाओं को प्रदान अधिकारों एवं उनके लिए बनायें गये अधिनियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति शोचनीय है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम है, जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक विभिन्न अधिनियम जैसेः–हिन्दु विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, विवाह–विच्छेद व तलाक अधिनियम वेश्यावृति उन्मूलन अधिनियम, गर्भपात की चिकित्सा द्वारा मान्यता जैसे प्रमुख सुधारों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पर्याप्त अंतर आया है, फिर भी बहुत सी कमियाँ है, जिनकी वजह से इन कानूनों का लाभ महिलाएँ नहीं उठा पाती –

- पूरे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाये जाते। चाहे पारिवारिक दबाव हो या सामाजिक दबाव जिसके चलते बहुत सी घटनाएँ परिवार की चारदीवारी में ही सिमट कर रह जाती है।

- महिलाओं के उत्थान एवं सरंक्षण के लिए पर्याप्त कानून एवं अधिनियम है, किन्तु लोगों को विशेषकर महिलाओं को कानूनों एवं अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है, अतः ऐसे कानूनों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार या जानकारी समय–समय पर महिलाओं को प्रदान की जानी चाहिए।

- घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में महिलाएँ आगे नहीं आती, यदि पीड़ित महिलाएँ ऐसे घटनाओं के विरूद्ध आवाज उठाना भी चाहे तो समाज में इसे उचित नहीं माना जाता। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून व सरकार के साथ समाज को भी अपनी उचित भूमिका निर्वहन करना चाहिए।

- देश में कुल मतदाताओं में आधी संख्या महिलाओं की है, मगर इसके बावजूद भी लोकसभा तथा राज्य विधानमंडलों में उनका प्रतिनिधित्व घोर निराशाजनक हे। अतः राजनीति में भी महिलाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- धारा 498 ए के अंतर्गत विवाहित महिला पर सभी अत्याचार अपराध है, किन्तु इसे व्यवहार में दहेज प्रताड़ना से जोड़ दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि महिलाएँ फौजदारी मुकदमा के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती और साथ ही उनकों घर से निकाले जाने का भी डर रहता है।

- लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाएँ प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है। विकसित देशों की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में नहीं है।
- महिलाओं की स्थिति सुधारने में गैर–सरकारी संगठन अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकते है, साथ ही उत्पीड़ित महिलाओं को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त दी जानी चाहिए तथा महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं आदि को भी पर्याप्त महत्व दिया जाए।

9.10 अभ्यास कार्य

1. महिलाओं के उत्थान के लिये बनाये गये कानूनों की विवेचना कीजिए।
2. महिला कल्याण के लिये किये गये महत्वपूर्ण प्रयत्न को विस्तार से लिखिए।
3. भारतीय संविधान समानत की गारंटी देता है, व्याख्या कीजिए?

9.11 चर्चा के बिन्दु

1. महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हेतु सरकार की 'स्वशक्ति परियोजना' पर चर्चा कीजिए।
2. महिलायें एवं कानून' विषय पर चर्चा कीजिए।

9.12 बोध प्रश्न के उत्तर

1. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act 1955) – महिला कल्याण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कानून है। इसके द्वारा हिन्दू विवाह से सम्बन्धित पहले के सभी कानूनों को रद्द करके शोषण की दशा में पत्नी को अपने पति से अलग रहने का अधिकार दिया गया। साथ ही कुछ विशेष दशाओं में पति–पत्नी को न्यायालय के द्वारा विवाह विच्छेद का भी अधिकार प्रदान किया गया। विवाह विच्छेद की स्थिति में दोनों में से कोई एक पक्ष तलाक के एक वर्ष के बाद पुनर्विवाह कर सकता है। स्त्रियों को आर्थिक सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से विवाह विच्छेद होने पर अथवा पति से अलग रहने पर उन्हें अपने पति से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया। यह अधिनियम इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था कि इससे पहले पुरुष अपनी पत्नी को इच्छानुसार छोड़ देने या उसका किसी भी तरह शोषण करने के लिए स्वतन्त्र था। इस कानून ने पुरुषों की इस स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति पर नियन्त्रण लगाने में प्रभावशाली योगदान किया।

2. स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्पत्ति अधिकार देने के लिए सरकार ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act-1956) पास किया। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि मृत व्यक्ति को सम्पत्ति में स्त्री को एक माता, पत्नी तथा पुत्री के रूप में सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा तथा स्त्री को किसी भी शारीरिक दोष के आधार पर अपने हिस्से की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी स्त्री द्वारा

स्वयं अर्जित की गयी सम्पत्ति पर उसे पूर्ण अधिकार दिया गया। इससे पुरुषों द्वारा स्त्रियों का आर्थिक शोषण करना सम्भव नहीं रह गया।

3. महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्द कार्य योजना – भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई, 1997 में सरकार को यह निर्देश दिया कि वेश्यावृत्ति की समस्या, बाल वेश्यावृत्ति और वेश्याओं की सन्तानों से सम्बन्धित मामलों का गहरा अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाने के अतिरिक्त उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनायी जायें। इस सम्बन्ध में एक विशेष समिति का गठन किया गया है जिसने महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य अवैध व्यापार की रोकथाम, वेश्यावृत्ति से प्रभावित स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ, उनके बच्चों की शिक्षा और देखभाल के प्रयत्न, आश्रय गृहों की व्यवस्था उत्पीड़न से बचाव एवं कानूनी सुधार करना है। इस कार्य योजना को विभिन राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है।

4. किशोरी शक्ति योजना Kishori Shakti Yojana. किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा यौवन के बीच की अवस्था होने के कारण किसी भी नारी के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था नारी के मानसिक, भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से काफी परिवर्तनशील होती है। भारत में सर्वप्रथम आई.सी.डी. एस. अवसंरचना के अंतर्गत किशोरियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की पोषण से संबंधित समस्या का निदान एवं बालक और बालिकाओं के भेदभाव को समाप्त करना तथा बालिकाओं की उनके विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति तभी सुधरेगी जब हमारी किशोरीयो को अपने अधिकारो के बारे में पता हो, उनका सही से लालन–पालन हो और उन्हें एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाये। इन्ही मौलिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने, 'किशोरी शक्ति योजनाका शुभारम्भ किया।

9.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. देसाई नीरा तथा मैत्रेयीराज,(1987) वीमेन एण्ड सोसायटी इन इंडिया अजंता पब्लिकेशंस, नई दिल्ली
2. आहूजा राम, (1987) क्राइम अगेनस्ट वुमेन, जयपुर रावत पब्लिकेशन्स।
3. यादव, राजाराम, (2005), भारतीय दंड संहिता1860, सेंट्रल पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
4. मेहता, चेतन एवं शशिभूषण, महिला एवं कानून, आशीष पब्लिशिंग हाउस, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।
5. उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, केसरीनाथ त्रिपाठी एवं आलोक कुमार, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद।
6. शोभा, सक्सेना, क्राइम अगेंस्ट वूमन एंड प्रोटेक्टिव लॉ, दीप एंड दीप पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली।
7. चंद्र, पूरन (2005), पोलिटिकल डायनामिक ऑफ वूमेन, आकांक्षा पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली।
8. नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वूमेन (1988–2000)' रिपोर्ट ऑफ द कोर ग्रुप स्ट्रेटजी डेवलपमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री आफ एच.आर.डी. गवर्नमेंट आफ इंडिया, न्यू दिल्ली।

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

B.Ed.E-10
(जेण्डर, विद्यालय एवं समाज)
Gender, School and Society

खण्ड– 04

पाठ्यचर्या में जेण्डर के मुद्दे

इकाई 10	पाठ्यचर्या में जेण्डर असमानता	151
इकाई 11	विद्यालय में जेण्डर समानता : आवश्यकता एवं रणनीतियाँ	158
इकाई 12	महिला शिक्षा से सम्बन्धित समितियाँ और आयोग	166132

खण्ड 04 : पाठ्चर्या में जेण्डर के मुद्दे

खण्ड परिचय

इस खंड में मौलिक रूप से पाठ्यचर्या में जेण्डर अध्ययन के विभिन्न आयाम को सम्मिलित किया गया है। जैसे इस खंड के इकाई 10 में उन बिंदुओं की चर्चा की गई है इसके अध्ययन के पश्चात यह बोध हो सकेगा कि किस प्रकार पाठ्यचर्या की विषय वस्तु के निर्माण में जेण्डर अध्ययन में पक्षपात होता रहा है तथा उसे किस विधि से कम किया जा सकता है। इसी क्रम में दूसरी इकाई में विद्यालय में जेण्डर समानता हेतु कौन सी रणनीतियाँ अपनायी जाए। अंतिम तथा 12वीं इकाई में महिला शिक्षा के चरणबद्ध विकास हेतु सरकारों द्वारा विभिन्न समितियां और आयोगों की चर्चा की गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त समितियां और आयोग में महिला शिक्षा को केंद्र में रखा गया है। कुल मिलाकर इस खंड में तीन इकाई है जिनका क्रमांक और विवरण निम्नलिखित है–

इकाई 10 : पाठ्यचर्या में जेण्डरअसमानता

इस इकाई में या प्रयास है कि शिक्षार्थी स्वाध्यान के पश्चात उन प्रक्रियाओं की पहचान कर सके जिनके कारण पाठ्यचर्या में जाने अनजाने जेण्डर पक्षपात होता रहता है। इसी क्रम में इस इकाई में वह उपाय सुझाए गए हैं जिन्हें संपादित करने पर पाठ्यचर्या में जेण्डर पक्षपात समाप्त किया जा सकता है।

इकाई 11 : विद्यालय में जेण्डर समानताः आवश्यकता एवं रणनीतियाँ

प्रस्तुति इकाई में शिक्षार्थियों का ध्यान इस कथन की तरफ आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जेण्डर समानता आज की अनिवार्यता है। यह सामान्य समाज की अन्य संस्थाओं के साथ–साथ विद्यालय में किस प्रकार स्थापित की जाए तथा समानता की आवश्यकता को किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

इकाई 12 : महिला शिक्षा के लिए गठित विभिन्न समितियां तथा आयोग

उपर्युक्त इकाइयों के अतिरिक्त प्रस्तुत इकाई में पाठ वस्तु का चयन इस प्रकार किया गया है, जिसके अध्ययन के उपरांत शिक्षार्थियों को केंद्र की सरकारों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन–किन समितियां और अयोगों का गठन किया था, उसका बोध हो सकेगा।

इकाई– 10 : पाठ्यचर्या में जेण्डर असमानता

इकाई की संरचना

10.1 प्रस्तावना

10.2 इकाई के उद्देश्य

10.3 जेण्डर असमानता एक प्रत्यय

10.4 पाठ्यचर्या में जेण्डर को प्रभावित करने वाले कारक

10.5 पाठ्यचर्या निर्माण हेतु पाठ्यवस्तुओं के चयन में जेण्डर का प्रभाव

10.6 जेण्डर के प्रति पूर्वाग्रह पूर्ण (पक्षपात) के आधार पर स्रोतों का चयन

10.7 पाठ्यचर्या निर्माण में जेण्डर दृष्टिकोण

10.8 पाठ्यचर्या निर्माण के द्वारा जेण्डर संबन्धित मूल्य निर्धारण

10.9 पाठ्यचर्या में शिक्षण–अधिगम आधारित व्यवहारगत् परिवर्तन में जेण्डर का प्रभाव

10.10 विशेष मान्यता या विश्वास तथा जेण्डर

10.11 सारांश

10.12 अभ्यास के प्रश्न

10.13 चर्चा के बिन्दु

10.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

10.1 प्रस्तावना

इस इकाई में तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुये पाठ्यचर्या में जेण्डर के मुद्दे पर बहुकोणीय संदर्भों पर आकलन किया जायेगा। क्रमवार यह इकाई पाठ्यचर्या निर्माण दृष्टि में जेंडर के प्रत्यय को स्पष्ट करती है तथा इसके समानार्थी शब्द 'लिंग' से यह कैसे अलग है को भी अवधारणा एवं सिद्धान्त के आधार पर अलग करती है, साथ ही पाठ्यचर्या के निर्माण में उद्देश्य किस प्रकार जेण्डर की रूढ़ अवधारणाओं के चयन में सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवधारणों के आधार पर निर्मित संकल्पनाओं में किस प्रकार प्रभावित करती है एवं पाठ्यवस्तुओं के चयन के विभिन्न स्त्रोतों में अवधारणा आधारित पूर्वाग्रह पर विचार करती है। उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त पाठ्यचर्या निर्माण में निर्माणकर्ता संस्थाओं द्वारा जेण्डर को केन्द्र में रखकर दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जाता है, इसे यह इकाई स्पष्ट करेगी। आगे की कड़ियों में पाठ्यचर्या निर्माण के वास्तविक मूल्य किस प्रकार 'जेण्डर' के दबाव में आकर प्रभावित होते है, पर चर्चा करती है एवं कक्षा–कक्ष में पाठ्यचर्या के संपादन में प्रमुख क्रिया शिक्षण–अधिगम के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता कि नहीं जेण्डर का प्रभाव यहां देखा जाता है, पर भी विचार करती है। अन्त में यह इकाई शिक्षार्थी को इतना तार्किक बनाने का प्रयास करेगी कि उसे यह ग्राह्य हो जाय कि किसी मान्यता या विश्वास को ध्यान में रख कर पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है या सुस्पष्ट मान्यताओं या विश्वासों को केन्द्र में रखा गया है।

10.2 इकाई के उद्देश्य

इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. जेण्डर एवं लिंग के प्रत्यय को समझ सकेंगे।
2. जेण्डर की स्वतंत्र अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे।
3. जेण्डर एवं पाठ्यचर्या के परस्पर संबन्धों का वर्णन कर सकेंगे।
4. पाठ्यचर्या के निर्माण में पाठ्य वस्तुओं के चयन एवं उनके विभिन्न स्त्रोतों के चयन में रूढ़ जेण्डर अवधारणाओं की विवेचना कर सकेंगे।
5. पाठ्यचर्या निर्माण एवं संपादन में विश्वास, मूल्य एवं मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों को स्पष्ट कर सकेंगे।

10.3 जेण्डर असमानता एक प्रत्यय

दुनिया के विभिन्न समाजों में पुरुष एवं नारी के बीच तुलनात्मक परम्परायें हैं जो उनकी संस्कृति या परम्परागत् व्यवहार से समझी जा सकती है। यह परम्परागत् व्यवहार मूलरूप से पुरुष और स्त्री के बीच की पहचान स्थापित करती हैं। जबकि पुरुष नारी एवं ट्रांस जेण्डर के बीच प्रथम द्रष्टया जीवविज्ञान के सरल सिद्धान्त एवं पुलिंग के आधार पर मौलिक रूप से स्थापित है। उल्लेखनीय है कि जननांगों के विकास के आधार पर तीसरे जेण्डर की भी पहचान को मान्यता प्रदान करते हुये, उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ा गया है। यहाँ यह बात स्पष्टतः समझ लेना होगा कि वैयक्तिक रूप से जीववैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर पुरुष, नारी तथा ट्रांस

जेण्डरका संबोधन ही 'लिंग' कहा जाता है जबकि सांस्कृतिक एवं सामाजिक नामकरण प्रायः जेण्डर के नाम से जाना जाता है जो एक समूह विशेष का प्रतिनिधि है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'लिंग' और 'जेण्डर' का प्रत्यय एक दूसरे से अस्पष्ट तौर पर परस्पर जुड़ा हुआ है और समानार्थी भी प्रतीत होता है। इन दोनों को अलग करके समझना प्रायः कठिन कार्य है, फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है व्यक्तियों के जीव वैज्ञानिक संरचना के कारण मनुष्यों की शारीरिक बनावट के आधार पर जो पहचान चिन्हित की जाती है वह लिंग कहलाता है जिनके तीन समूह बनते हैं जो इस प्रकार हैं–

(क) पुरुष।

(ख) महिला।

(ग) 'ट्रांस जेंडर'।

वहीं सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बोधन हेतु जेण्डर शब्द का प्रयोग किया जाता है।

10.4 पाठ्यचर्या में जेण्डर को प्रभावित करने वाले कारक

पाठ्यचर्या निर्माण का प्रथम बिन्दु ही होता है उद्देश्य निर्धारण जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किसी भी कार्यक्रम में किन–किन विषयों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना है तथा सम्मिलित विभिन्न विषयों में किन–किन उद्देश्यों का निर्धारण करेगें। समान्यतया इन उद्देश्यों के निर्धारण में सामाजिक–सांस्कृतिक एवं वैयक्तिक बिन्दुओं पर मूल रूप से ध्यान दिया जाता है। जिसमें राजनीतिक, आर्थिक आदि बिन्दु भी सम्मिलित हो जाते हैं। किन्तु इन उद्देश्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों ही तरह से समाज में व्याप्त रूढ़िया, अंधविश्वास, अवैज्ञानिक तर्क, परम्परागत मूल्य आदि किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। कई बार यह मूल्य या विश्वास किसी लिंग की रूढ़िगत, अवधारणा को ध्यान में रखकर जाने–अनजाने में पाठ्यचर्या निर्माता के निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। अर्थात् अतार्किक विश्लेषण के द्वारा समाज में रूढ़ियों एवं अन्धविश्वासों के पक्ष में विमर्श पैदा किया जाता है। जिसके कारण विशेष बिन्दु पर समाज में लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। जबकि समाज में उसकी उपयोगिता या तो कम होती है या नहीं होती है। यह बिन्दु धार्मिक, आर्थिक या रूढ़िगत कुछ भी हो सकता है। इन परिस्थितियों में पाठ्यचर्या निर्माण में सामाजिक शोधों एवं अनुसंधानों के परिणामों एवं निष्कर्षों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वहाँ से प्राप्त इन निष्कर्षों के तथ्यों को पाठ्यचर्या हेतु पाठ्यवस्तु के चयन में उपयोग करना चाहिए। इन सिद्धान्तों के प्रयोग के फलस्वरूप एक प्रगतिशील पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसी पाठ्यचर्या के निर्माण में निर्माणकर्ता उन उद्देश्यों को प्राथमिकता देगा जिनमें जेण्डर सम्बन्धित पक्षपात् दृष्टिगोचर नहीं होगा। ध्यान रहे कि पाठ्यचर्या को कक्षा–कक्ष में सम्पादित कराने वाले शिक्षकों की अध्यापक शिक्षा में कितनी गुणवत्ता है जो शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को सम्पादित कराते हैं।

10.5 पाठ्यचर्या निर्माण हेतु पाठ्यवस्तुओं के चयन में जेण्डर का प्रभाव

पाठ्यचर्या के निर्माण में पाठ्य वस्तुओं के चयन उद्देश्यों के निर्धारण की पूर्ति हेतु पाठ्यवस्तुओं का चयन किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि पितृ–सतातमक समाज में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैसे सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ इत्यादि में एक जेण्डर विशेष की भूमिका अत्यधिक होती है जबकि वहीं दूसरे समूह (महिला) एवं ट्रांस जेण्डर जो कि संख्या के आधार पर यह अत्यन्त छोटा समूह है अपेक्षाकृत कम या उपेक्षणीय होती है। यहाँ इसी सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को आधार बनाकर पाठ्य वस्तुओं का चयन किया जाता है।

10.6 जेण्डर के प्रति पूर्वाग्रह, पूर्ण (पक्षपात) के आधार पर स्रोतों का चयन

प्रायः पाठ्यचर्या की पाठ्यवस्तु को सांस्कृतिक स्त्रोतों, सामाजिक संदर्भों, वैयक्तिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चयनित किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि परम्परागत, मान्यता के अनुसार, यहाँ तक कि अन्धविश्वास को भी जगह दी जाती है और एक जेण्डर के पक्ष में तथा दूसरे के विपक्ष में किसी राजनीतिक या अन्य घटना को मानकर स्त्रोत का चयन कर लिया जाता है। यदि किसी कानूनी प्राविधान के कारण, महिला सशक्तिकरण के नाम पर चुनाव में प्रत्याशी का चयन किया जाता है तब उसके चुनाव प्रचार में प्रत्याशी का चयन किया जाता है तथा उसके चुनाव प्रचार हेतु उसके पति का नाम लिया जाता है तथा प्रचार सामग्री पर लिखा जाता है जैसे 'राधेश्याम की पत्नी श्रीमति श्यामा देवी'। यहाँ गौर करने लायक तथ्य यह है कि कैसा विरोधाभास है कि उक्त महिला का जन प्रतिनिधि चयन के रूप में किया जाता है, जबकि उसको लोग समाज में किसी की पत्नी के रूप में पहचानते हैं। कालान्तर में ऐसे पात्र राजनीतिक दृष्टान्त के रूप में प्रयोग नहीं किये जा सकते हैं। क्योंकि उनकी पहचान ही अस्पष्ट है। आशय यह है कि सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन कागज पर ही दिखाई दे रहा है फिर भी यह परिवर्तन पाठ्यचर्या निर्माण हेतु उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष श्रोत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्त्रोत ही 'अर्ध्यसत्य' है।

10.7 पाठ्यचर्या निर्माण में जेण्डर दृष्टिकोण

पाठ्यचर्या के निर्माण में उद्देश्य निर्धारण प्रायः दोष पूर्ण होता है। क्योंकि जिन स्त्रोतों से विषयवस्तु का चयन किया जाता है उनका आधार समाज या संस्कृति होता है। इन दोनों ही सन्दर्भों में स्पष्टतः देखा जा सकता है कि 'महिला' क्रियाकलाप या गतिविधियाँ सीमित होती हैं जिसके कारण पाठ्यचर्या के संपादन में (कक्षा–कक्ष, शिक्षण–अधिगम) अघोषित पक्षपात किया जाता है। पुस्तकों के लिखने में पितृसत्तात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता हैं। जैसे विभिन्न शोधों एवं अनुसन्धानों से यह ज्ञात होता है कि पाठ्यचर्या निर्माण में लिखे गये विषयवस्तु में से अधिकतर पितृसत्तात्मक होते हैं। यहॉ तक कि विशेष रूप से भाषा शिक्षण में कहानी, निबन्ध, नाटक या गद्य विधाओं में पात्रों का चयन बहुतायत रूप से पुरूषों का पात्र के रूप में सृजन किया जाता है। वहीं महिलाओं और बालिकाओं से सम्बन्ध रखने वाले पात्रों का चयन कम से कम किया जाता है। जिसके कारण विद्यार्थियों में मुख्य

रूप से बालिकाओं के मन में यह बात कहीं घर कर जाती है कि वह किस्से कहानियों में प्रमुखपात्र के रूप में नहीं है। इसका आशय यह हुआ कि जाने अनजाने पाठ्यचर्या निर्माणकर्ताओं की दृष्टि से ऐसे सूक्ष्म बिन्दु छूट जाते हैं जो आगे चल कर जेण्डर पक्षपात का प्रमुख कारण बनते हैं। जहॉ तक पाठ्यपुस्तकों में पाठों को प्रभावी बनाने के लिए चित्र दिये जाते हैं वहाँ भी छपे चित्रों में से केवल 2 से 4 प्रतिशत चित्र बालिकाओं के चित्रित किये जाते हैं। यह समस्त गतिविधियां शनैः–शनैः किसी धारणा विशेष को पुष्ठ करती रहती हैं जो आगे चल कर जेंडर पक्षपात का कारण बनती हैं।

10.8 पाठ्यचर्या निर्माण के द्वारा जेण्डर संबन्धित मूल्य निर्धारण

किसी भी पाठ्यचर्या के निर्माण एवं सम्पादन में सामाजिक मूल्यों या अन्य राजनीतिक मूल्यों को दृष्टि में रख कर कार्य निर्धारण किया जाता है। जिसे यह समाज में वर्ग आधारित पक्षपात को उद्वेलित करते हैं। जिसके कारण कई बार महिलाओं एवं 'थर्ड जेण्डर' के प्रति यह दुराग्रह पूर्ण या पूर्वा ग्रह पूर्ण हो जाता है। साथ ही उसे कक्षा–कक्ष में सम्पादन के समय किस्से कहानियाँ, दृष्टान्तों, उदाहरणों में संस्मरणों मात्र पुरूष पात्रों को ही दोहराया जाता है जिसमें बालिकायें पिछड़ती जाती हैं जिसके कारण उनके मन में एक ग्रन्थि का विकास होता रहता है कि हम कक्षा में बालकों के बराबर नहीं हैं। जो आगे चलकर किसी भी समाज में प्रगति के कारणों में 'बाधक' बन जाता है।

10.9 पाठ्यचर्या में शिक्षण–अधिगम आधारित व्यवहारगत् परिवर्तन में जेण्डर का प्रभाव

पाठ्यचर्या निर्माण के उपरान्त कक्षा–कक्ष में, चाहे वह अध्यापक शिक्षा की कक्षा हो या प्रारम्भिक कक्षा हो उसमें किसी 'शिक्षण' बिन्दु का शिक्षण किया जाता है तब सभी वांछित विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन की आशा की जाती है, जो बालकों के साथ आमतौर पर पूरी हो जाती है। जब कि दोषपूर्ण पाठ्यचर्या निर्माण और उसके सम्पादन के कारण यह व्यवहार परिवर्तन लड़कियों एवं 'ट्रांस जेण्डर' में नहीं आता है, क्योंकि पूरी पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में जेण्डर से सम्बन्धित विषय पूर्णतः प्रभावित होते रहते हैं। जबकि किसी भी पाठ्यचर्या का अन्तिम और महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यवहारगत् उद्देश्य में परिवर्तन तथा शिक्षार्थी के सृजनात्मक क्षमता का विकास ही प्रथम होता है।

10.10 विशेष मान्यता या विश्वास तथा जेण्डर

प्रायः शिक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थायें राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के कारण बार–बार प्रभावित होती हैं और उन्हें बदली हुयी सत्ता के पक्ष या निवर्तमान सत्ता के विपक्ष में पाठ्यचर्या का निर्माण करना पड़ता है। जिसका उद्देश्य वर्तमान सत्ता की बनी बनाई नीतियों के पक्ष में मूल्य का विकास होता है। इस प्रकार यह वर्ग के साथ–साथ अप्रत्यक्ष रूप से जेण्डर भी प्रभावित होता है। इन्हीं स्त्रोतों को आधार बनाकर पाठ्यचर्या का निर्माण एवं सम्पादन किया जाता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. जेण्डर का 'प्रत्यय' क्या है?

.....

.....

2. 'जेण्डर' एवं 'लिंग' के परस्पर सम्बन्धों का विश्लेषण कीजिये।

.....

.....

3. पाठ्यचर्या के निर्माण में जेण्डर असमानता पर आठ सौ शब्दों पर एक लेख लिखिये।

.....

.....

4. पाठ्यचर्या में जेण्डर को प्रभावित करने वाले कारक कौन–कौन है।

.....

.....

10.11 सारांश

यह इकाई शिक्षार्थी को विभिन्न स्तरों पर तर्कों एवं उदाहरणों के माध्यम से पाठ्यचर्या के निर्माण में सांस्कृतिक, सामाजिक, वैयक्तिक आधारों की पुष्टि करते हुए। यह निर्धारित करती है कि पाठ्यचर्या निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में पाठ्यवस्तुओं के चयन, स्त्रोतों के चयन, दृष्टान्त, उदाहरण, मुद्रण में पितृसत्रात्मक चित्र, भाषा में पितृसत्रात्मक सम्बोधन, व्यवहारगत् उद्देश्य की पूर्ति हेतु तैयार की 'पाठ योजना' में उक्त समस्त तथ्यों एवं बिन्दुओं का दोहराव जेण्डर को प्रभावित करता है। जिससे यह इकाई विद्यार्थियों को उन कारणों का विश्लेषण करने में सहायता करती है जिनके कारण जेण्डर की असमानता पाठ्यचर्या में निहित होती है। साथ ही शिक्षक या शिक्षिका का दृष्टिकोण भी जेण्डर असमानता हेतु जिम्मेदार रहता है। इस प्रकार हम देखते है कि यह इकाई पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थी को उसके गुणों एवं अवगुणों से परिचित कराती है साथ ही उसकी तार्किक व्यवस्था के आधार पर इस असमानता को दूर करने हेतु निदान एवं उपचार के उपागम उपलब्ध कराती है।

10.12 अभ्यास के प्रश्न

1. पाठ्यचर्या निर्माण में जेण्डर का क्या प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट कीजिए।
2. राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के कारण जेण्डर के सन्दर्भ मेकं पाठ्यचर्या कैसे प्रभावित होती है।

10.13 चर्चा के बिन्दु

1. जेण्डर के प्रति पूर्वाग्रह के आधार पर स्रोतों के निर्धारण के विषय में चर्चा कीजिए।

10.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. पाठ्यचर्या के निर्माण में तथा कक्षा–कक्ष में उसके सम्पादन के विशेष रूप से पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं उनकी भाषा में किस प्रकार 'जेण्डर' असमानता परिकक्षित होती है। इसकी जॉच करने हेतु यह पूरी पाठ्य–पुस्तक को देखकर समझने का प्रयास करिये कि दिये गये पाठों में कितने पाठ पुरुष गतिविधि या क्रिया कलाप आधारित है और उन पाठों की कितनी संख्या है जो महिला गतिविधि आधारित है। आपकों स्पष्टतः असमानता दिखाई देगी।
2. किसी भी पाठ्यचर्या के निर्माण में तथा उसके सम्पादन में 'भाषा' प्रमुख भूमिका में होती है। इसके विश्लेषण हेतु आप जॉच को सामान्यता पितृसत्तात्मक सम्बोधन कितने प्रतिशत है। जैसे कहानी में मुख्य पात्र सत्तर प्रतिशत से भी अधिक पुरुष ही होते है।
3. पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समूह निर्धारण में कार्यों को ध्यान में रख कर लड़कों तथा लड़कियों का समूह बनाया जाता है। सभी कार्य सभी शिक्षार्थी कर सकते हैं यह अवधारणा प्रायः नहीं दिखाई देती है। यह प्रक्रिया कितनी बार की जाती है इसकी गणना से भी स्पष्ट हो जायेगा कि जेण्डर से सम्बन्धित असमानता पाठ्यचर्या में स्पष्टतः दिखाई देगी।
4. पाठ्यचर्या में जेण्डर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है–

i. समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ
ii. अंधविश्वास
iii. परम्परागत मूल्य

10.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. जेण्डर और शिक्षा, लेखक– डॉ० मधु कुशवाहा।
2. सामाजविज्ञान विश्वकोश, सम्पादक– अभय कुमार दुबे।
3. भारत में शिक्षा का अधिकार एवं प्रारम्भिक शिक्षा, लेखक– डॉ० बी.जी. सिंह।

इकाई – 11 : विद्यालय में जेण्डर समानता : आवश्यकता एवं रणनीतियाँ

इकाई की संरचना

11.1 प्रस्तावना

11.2 इकाई के उद्देश्य

11.3 जेण्डर समानता

11.4 जेडर समानता की आवश्यकता

11.4.1 विद्यालय की पाठ्यचर्या में पाठ्यवस्तु के चयन हेतु जेण्डर समानता

11.4.2 जेण्डर की पाठ्यचर्या में भाषाई समानता

11.4.3 विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समानता

11.4.4 विद्यालयों के कक्षा–कक्ष में जेण्डर प्रबन्धन

11.5 सारांश

11.6 अभ्यास के प्रश्न

11.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.8 चर्चा के बिन्दु

11.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.1 प्रस्तावना

परिवार शिक्षा की एक अनौपचारिक संस्था है। यह अवश्य है कि औपचारिक विद्यालय के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, उसी के अनुक्रम में पाठ्यचर्या का अनुपालन नहीं किया जाता है। निर्धारित पाठ्यचर्या के संपादन में शिक्षकों, एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों कि नियुक्ति की जाती है। इससे अलग परिवार समाज की एक औपचारिक संस्था है जिसमें सामाजिक मान्यताओं एवं परम्पराओं के अनुसार कार्य–व्यवहार चलता रहता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि विद्यार्थी एक निश्चित आयु वर्ग में पहुंचने के पश्चात् विद्यालय में नामांकित किया जाता है लेकिन इस आयु वर्ग तक विद्यार्थी को एक ऐसी भाषा या बोली का ज्ञान रहता है कि वह विद्यालय में अपने साथियों या शिक्षकों आदि से संवाद कर सकता है तथा उनके निर्देशों को समझ सकता है। अर्थात् जिस भाषा को जानता है वह किसी विद्यालय से नहीं हैं, बल्कि पारिवारिक परिवेश में अनुकरण द्वारा सीख लेता है। इसी प्रकार नामांकन के पूर्व विद्यार्थी अपने परिवार से कई और सामान्य प्रक्रियाओं और सम्बन्धों के संबोधन को समझ चुका होता है। इसी क्रम में लिंग को समझ लेता है। विद्यार्थी यदि लड़की है तो ज्ञात रहता है कि उसके लिये और लड़के के लिये अलग–अलग संबोधन है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी (सूचना) के साथ विद्यार्थी विद्यालय में नामांकित होता है। यही वह बिन्दु है जहाँ विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रायः देखा जाता है विद्यालय भी उसी लिंग आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, जिसे परिवार में संचालित किया जाता है। कक्षा–कक्ष में लड़के–लड़कियों की अलग–अलग बैठक व्यवस्था निर्धारित कर दी जाती है। यह किसी न किसी रूप में लिंग आधारित पृथक्करण की व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने जैसा है। बैठक व्यवस्था तो एक मात्र उदाहरण है। कार्य व्यवहार में भी पह पृथक्कता स्पष्ट दिखाई देती है। प्रस्तावित इकाई में यह समझने का प्रयास किया जायेगा कि जेण्डर समानता के लिये विद्यालय में किस प्रकार के परिवर्तन किये जांय तथा पाठ्यचर्या सहित अन्य कौन–कौन सी रणनीतियाँ अपनायी जाये जिससे जेण्डर समानता को प्राप्त किया जा सके।

11.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. जेण्डर समानता के प्रत्यय को समझने में सक्षम हो सकेंगे।
2. विद्यालय में जेण्डर समानता की आवश्यकता का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. विद्यालय तथा पारिवारिक परिवेश के अंतर को समझ सकेंगे।
4. जेण्डर समानता की आवश्यकता के पक्ष में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे।
5. विद्यालय में जेण्डर समानता हेतु किए गए प्रयासों को समझ सकेंगे।
6. विद्यालय तथा कक्षा–कक्ष में जेण्डर समानता हेतु उचित कदम उठा सकेंगे।
7. जेण्डर समानता हेतु शिक्षण रणनीति का कार्यान्वयन कर सकेंगे।

11.3 जेण्डर समानता

इकाई में आगे बढ़ने के क्रम में जेण्डर समानता को समझ लेना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। वैसे भी गत इकाइयों में जेण्डर तथा लिंग की जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है साथ ही दोनों के अंतर को भी समझा जा चुका है। ऐसे क्रमवार अब जेण्डर समानता के विषय में समझना इकाई को उचित तरीके से समझने में सहायक सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि जेण्डर एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबोधन है। किसी के पुरुष महिला या ट्रांसजेण्डर होने मात्र से अन्य जातीय समाजों आदि में इसे लिंग के समान नहीं माना जा सकता जबकि जैव शारीरिक लक्षणों के आधार जेण्डर में समान होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे आसानी से समझा जा सकता है– जैसे पूर्वोत्तर भारत में कई जनजाति समूह रहते हैं। उन समूहों में परिवारों की संरचना मातृ सत्तात्मक होती है। अब उत्तर भारतीय किसी अन्य पुरुष से वहां के पुरुष की तुलना की जाएगी तो दोनों पुरुषों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होगी। यही जेण्डर संबोधन है। साथ ही साथ यह भी समझना आवश्यक है कि शारीरिक लक्षणों के आधार पर दोनों पुरुष समान होते हुए भी अधिकारों में अलग–अलग हैं। इसके अलावा महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी इसी प्रकार का अंतर पूरी दुनिया में पाया जाता है। भारत में जातीय समूह तथा धार्मिक संप्रदायों में यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जहां तक कि साधन संपन्न समाजों की महिलाओं को प्राय अधिक अधिकार तथा गरीब परिवारों में संसाधनों की कमी इस अंतर को और बढ़ा देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेण्डर समानता को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि जेण्डर में व्याप्त असमानता को न समझ लें। प्रायः जेण्डर और असमानता को मान लिया जाता है कि महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखना ही जेण्डर अमानता है। यह तथ्य अर्ध सत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास किया गया है। पुरुष और पुरुष के भी अधिकारों में भी कहीं–कहीं असमानता है। ठीक इसी प्रकार ट्रांसजेण्डर जिन्हें सैद्धांतिक रूप से शेष दोनों पुरुष, महिला के बराबर मान लिया गया है किंतु व्यावहारिक रूप से उन्हें अपने अधिकारों की प्राति हेतु लंबी यात्रा करनी होगी। इस असमानता जो विभिन्न कारको से महिला, पुरुष एवं ट्रांसजेण्डर के बीच है तथा महिला एवं महिला, तथा पुरुष एवं पुरुष के बीच भी है, इसे समाप्त करके जेण्डर के सभी समूहों के अधिकारों में बराबरी स्थापित करना ही जेण्डर समानता है।

11.4 जेण्डर समानता की आवश्यकता

यह असमानता विभिन्न करकों से समाज के सदस्यों को प्रभावित करती है तथा इनके प्रभाव एवं दुष्प्रभावों को निष्क्रिय करने हेतु समाज में कई तरह के कार्य किये गये है। जिसमें कई प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। इन्हीं सामाजिक उपकरणों में विद्यालय से समाज को अपेक्षा रहती है कि जेण्डर समानता पर तार्किक रूप से काम किया जा सके या समाप्त किया जा सके। वैसे भी शिक्षित महिलाओं, पुरुषों द्वारा आज के समय में एक दूसरे के अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जेण्डर के बीच समानता विद्यालयों के सुचार संचालन में भी सहायक हो सकती है

तथा उससे निकले हुए शिक्षित लोग भी समाज में व्याप्त इस बुराई को समाप्त करने में उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। समाज में व्याप्त कई प्रकार की और असमानताएं अन्य समस्यायें पैदा करती हैं। जब किसी समाज में अन्तर्द्वन्द की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करना या होना प्राय दुष्कर होता है। ऐसे में आवश्यकता है कि जेण्डर संबंधी असमानता के सूक्ष्म तत्वों की पहचान की जाए तथा समस्या के स्वरूप को समझकर दीर्घ अवधि की नीति बनाकर निराकरण खोजा जाए। इसमें एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय से समाज की कितनी और कैसे सहायता हो सकती है? एक उल्लेखनीय तथ्य है। विद्यालय के अपने सभी अनुभवों जैसे शिक्षण विधि, पाठ्यचर्या, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तथा अन्य कार्य व्यवहार में इस प्रकार संशोधन करना होगा कि उसका प्रभाव समाज पर पड़े तथा जेण्डर समानता को प्राप्त करके एक समुन्नत समाज की अवधारणा को जमीन पर उतारा जा सकें।

11.4.1 विद्यालय की पाठ्यचर्या में पाठ्यवस्तु चयन हेतु जेण्डर समानता

विद्यालय समाज का प्रतिरूप है। यह एक स्थाई सत्य है तो स्पष्ट हो जाता है कि समाज में किसी प्रकार की होने वाली घटना का प्रभाव विद्यालय पर भी पड़ता है। जिसमें से जेण्डर असमानता एक प्रमुख समस्या है। जो जेण्डर पृथक्करण के रूप में विद्यालय में प्रायः परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के निर्धारित पाठ्यचर्या सहित विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दिखाई देती है । इसलिए सर्वप्रथम विद्यालयों की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि विभिन्न पाठ में मात्र पितृसत्तात्मक घटकों को शामिल न करके महिला तथा ट्रांसजेण्डर से जुड़े पाठ या पाठ सामग्री सम्मिलित किया जाना चाहिए। विद्यालयों की पाठ्यचर्या में विशेष रूप से भाषा के अध्यायों में कहानियां या कविताएं केवल पुरुषों को संबोधित होती हैं ऐसे में लड़कियों तथा ट्रांसजेण्डर विद्यार्थियों को जाने–अनजाने यह सूचना जाती रहती है कि केवल लड़के ही कक्षा में प्रमुख हैं और बिना किसी प्रकार की सूचना के ही लड़की स्वयं को दूसरे श्रेणी का मान बैठती है। जिसका प्रभाव उसके आने वाली शैक्षिक एवं सामाजिक प्रक्रिया पर पड़सकता है। यह केवल भाषा तक ही सीमित नहीं है बल्कि एकांगी पाठ्यवस्तु सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या के निर्माण में गहन शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है ताकि पता लगाया जा सके की पाठ्यचर्या में किस प्रकार की और कितनी असमानता है? उसे समाप्त करने हेतु पाठ्यचर्या के निर्माण की प्रक्रिया को अधिक तार्किक बनाया जा सके जो किसी न किसी रूप में जेण्डर समानता को प्राप्त करने में सहायक होगी ।

11.4.2 जेण्डर की पाठ्यचर्या में भाषाई समानता

इकाई के उपर्युक्त उपबिंदु में पाठ्यवस्तु के चयन तथा उसकी संख्या एवं होने वाले पक्षपात की चर्चा की गई है। इस उपबिंदु में विद्यालय की पाठ्यवस्तु को पुस्तकों में सम्मिलित करने के पूर्व उसके निर्माण की भाषा संबंधी पक्षपात की चर्चा समीचीन होगी, क्योंकि अनुसंधानों की माने तो पूरी दुनिया के विद्यालयों की पाठ्यचर्या में स्त्री संबोधन मात्र 30ः है जबकि पुरुष संबोधन वाले तथ्यों को 70ः बताया गया है। यह एक प्रकार से चयन संबंधी

पक्षपात है जो सदियों से इसी प्रकार संचालित हो रहा है। इसके प्रत्यक्ष प्रभाव उन पाठ्यवस्तुओं में दिखाई देता है जहां पाठ का प्रारंभ पुरुषवाचक संबोधन से होता है। जिसका प्रभाव अन्य विद्यार्थियों पर दीर्घ अवधि तक पढ़ता रहता है। ऐसे में लड़कियों तथा ट्रांसजेण्डर के विद्यार्थियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वह मन ही मन मान बैठते हैं की कक्षा में वे द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी हैं। आगे चलकर यही विद्यार्थी शासन से लेकर सामान्य जीवन में इन्हीं क्रियाकलापों से प्रभावित रहते हैं तथा जेण्डर असमानता को रोकते नहीं बल्कि उसके पोषाक बन जाते हैं। इस स्थिति से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या के निर्माण में पाठ्यवस्तु के चयन में तीनों– महिला, पुरुष तथा ट्रांसजेण्डर से जुड़े विषयों को बराबरी की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हो सकता है कि व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हो लेकिन इसका भी विकल्प खोजा जाना चाहिए। उससे भी गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है कि पाठ्यवस्तु की निर्माण में भाषा चाहे वह कोई भी हो क्योंकि लगभग सभी भाषाओं में पुरुष और महिला संबोधन के लिए अलग–अलग शब्द हैं। यदि इन दोनों पक्ष को ध्यान पूर्वक देखकर समाधान खोजा जाए तो यह विद्यालय की एक सर्वथा उचित रणनीति होगी। जिसके माध्यम से जेण्डर असमानता को समाप्त करके समानता स्थापित की जा सकती है।

11.4.3 विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समानता

प्रायः विद्यालय में समाज को लक्षित करके पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे– खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, राष्ट्रीय दिवस, महापुरुषों से संबंधित कार्यक्रम आदि। इस पाठ्य सहगामी कार्यक्रम के संपादन में शिक्षकों द्वारा जो समूह तैयार किए जाते हैं उसमें लड़के, लड़की को सामान न मानकर श्रम साध्य कार्यों में लड़कों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा लड़कियों को रंग, रोगन, रंगोली मंच सज्जा आदि कार्य आवंटित किए जाते हैं। सतही अवलोकन से यह कार्यों में पक्षपात रहित वितरण ही प्रतीत हो रहा है किंतु वस्तु स्थिति इससे अलग होती है। दोनों या तीनों ही जेण्डर इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि कार्य आवंटन में रुचि का ध्यान न रखकर केवल शारीरिक क्षमता को ही आधार बनाया गया है। इतना ही नहीं पाठशाला में क्रियाओं के संपादन हेतु विद्यालय जो समूह बनाता है उसमें लड़के और लड़कियों के समूह प्रायः अलग–अलग होते हैं। यहां जेण्डर–पृथक्करण को नियम बनाकर किया जाता है। इन पक्षपातों को ध्यान में रखकर विद्यालयों द्वारा उपयुक्त वर्णित प्रक्रियाओं में वांछित संशोधन कर लिया जाए तो व्यावहारिक रूप से विद्यालयों में जेण्डर समानता स्थापित करने में सहायता होगी।

11.4.4 विद्यालयों के कक्षा–कक्ष में जेण्डर प्रबन्धन

कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक/शिक्षिका की भूमिका अत्यधिक प्रभावी होती है। सर्वप्रथम बैठक व्यवस्था पर गौर करें तो पाएंगे कि कक्षा–कक्ष में बैठक व्यवस्था दो भागों में विभक्त होती है। कभी–कभी यह व्यवस्था इतनी कठोरता पूर्वक लागू होती है कि लड़कियों की तरफ यदि बेंच खाली भी है तो लड़कों को बैठने की इजाजत नहीं दी जाती है। यही स्थिति लड़कियों के साथ भी होती है। इसके लिए विद्यालय व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से दोष

नहीं दिया जा सकता है। वास्तव में इसकी जड़ परिवार की शिक्षा से ही जुड़ी हैं। यदि शिक्षक शिक्षा के महाविद्यालयों में उच्च संस्थानों में उचित कक्षा प्रबंधन के बारे में सिखाया जाता तब शिक्षक इस बैठक व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने में सक्षम होते किंतु दुर्भाग्यवस परंपरागत रूप से यह बैठक व्यवस्था छोटी कक्षाओं से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा में भी लागू होती है। इस सूक्ष्म बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि विद्यालय भी परिवार की तरह जेण्डर का पृथक्करण कर रहा है जो विद्यार्थी के आने वाले समय को प्रभावित करेगा। यहां तक की उसके सामाजिक एवं व्यवसायिक परिस्थितियों को भी प्रभावित करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह विद्यार्थी भी जेण्डर पृथक्करण का पोषक बन जाएगा तथा परंपरा का निर्वहन करने लगेगा। इसी तरह के पक्षपात पूर्ण रवैया के कारण ही आज यह पक्षपात पूर्ण रवैया परंपरागत रूप से विद्यालयों से लेकर घर तक हो रही है जो लड़के, लड़कियों तथा ट्रांसजेण्डर को अलग–अलग मानकर पहचान करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. जेण्डर असमानता से क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

2. विद्यालयों में जेण्डर पृथक्करण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

.....

.....

3. जेण्डर समानता हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन का क्या महत्व है?

.....

.....

4. पाठ्यचर्या के निर्माण में भाषाई पक्षपात का वर्णन करें।

.....

.....

5. जेण्डर समानता स्थापित करने में पाठ्यवास्तु के चयन प्रक्रिया के महत्व को बताइये।

.....

.....

6. विद्यालयों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जेण्डर पृथक्करण रोकने के उपाय सुझाए।

.....

.....

11.5 सारांश

प्रस्तुत इकाई में जेण्डर तथा जेण्डर समानता की चर्चा की गई है तथा विद्यालय में जेण्डर समानता की आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। विद्यालयी रणनीति के अनुक्रम में यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार जेण्डर पृथक्करण को बैठक व्यवस्था के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जेण्डर पृथक्करण तथा जेण्डर असमानता के अर्न्तसम्बन्धों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। साथ ही यह समझने का प्रयास भी किया गया है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में भाषा एवं पाठ्य वस्तु का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए एवं बैठक व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई है। उन उपायों को भी सुझाया गया है कि विद्यालय की जेण्डर समानता सामाजिक ताने–बाने को किस प्रकार प्रभावित करती है।

11.6 अभ्यास के प्रश्न

1. जेण्डर पृथक्करण एवं जेण्डर असमानता के आपसी संबंधों को तर्क सहित समझाएं।
2. विद्यालयों में जेण्डर समानता स्थापित होने का समाज पर क्या–क्या प्रभाव पड़ेगा तर्कों के साथ विवरण प्रस्तुत करें।
3. विद्यालय पाठ्यचर्या में भाषाई पक्षपात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
4. शिक्षक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा को गुणवत्ता के आधार पर किस प्रकार प्रभावित करती है। वर्णन करें।
5. पाठ्यचर्या निर्माण और पक्षपात रहित पाठ्यवस्तु के चयन की संक्षिप्त चर्चा करें।

11.7 चर्चा के बिन्दु

1. जेण्डर समानता आज की सामाजिक अनिर्वयता है, चर्चा करें।
2. विद्यालयों का संगठन इस प्रकार बनाया जाये कि इसमें जेण्डर समानता स्थापित हो सकें। वाद–विवाद करें ।
3. पाठ्यचर्या में पाठ्य वस्तु के चयन के मानकों पर चर्चा करें।

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. जेण्डर एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबोधन है। मान लिया जाता है कि महिलाओं के साथ होने वाले पक्षपात को ही जेण्डर असमानता कहते हैं। जबकि वास्तविकता इससे अलग है किसी भी पुरुष, महिला तथा ट्रांसजेण्डर के साथ पक्षपात को जेण्डर असमानता कहते हैं।
2. विद्यालयों में जेण्डर पृथक्करण का तात्पर्य है कि लड़के तथा लड़कियों को अलग–अलग समूह में बैठने का प्रबंध किया जाता है तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समलिंगी समूह का निर्माण किया जाता है।

3. जेण्डर आधारित संबोधन तथा पाठ्यवस्तु के निर्माण एवं शिक्षण कार्य में जाने अनजाने शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता रहता है। जिसके कारण विद्यार्थियों विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेण्डर पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
4. विद्यालयों की पाठ्यचर्या के निर्माण में भाषाई पक्षपात प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। अनुसंधानों द्वारा ज्ञात है कि पाठ्यचर्या के निर्माण सहित शिक्षण कार्य में पुरुषवाचक सम्बोधनों की संख्या 70 प्रतिशत है जबकि मातृ संबोधन मात्र 30 प्रतिशत है।
5. विद्यालय की पाठ्यचर्या में पाठ्यवस्तु के चयन में लड़के या पुरुषों से संबंधित विषयों का अधिक संख्या में चयन किया जाता है जबकि लड़कियों या महिलाओं से संबंधित पाठ्य वस्तुओं की अनदेखी की जाती है।
6. जेण्डर पृथक्करण का प्रभाव पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दिखाई देता है। इसके लिए विषम लिंगी विद्यार्थियों के समूह बनाए जाने चाहिए तथा कार्यों का वितरण भी विषम लिंगी समूहों को ही किया जाना चाहिए।

11.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. सुजाता, (2021), आलोचना का स्त्री पक्ष, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. कुशवाहा मधु, (2010), जेण्डर और शिक्षा, गंगा शरण एंड ग्रैंडसन, वाराणसी।
3. अग्रवाल जे0सी0, (1994), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. राय के के, (1999), वूमेन इन अर्ली इंडियन सोसाइटी, मनोहर प्रकाशन, नई दिल्ली।

इकाई – 12 : महिला शिक्षा से सम्बन्धित समितियाँ और आयोग

इकाई की संरचना

12.1 प्रस्तावना

12.2 इकाई के उद्देश्य

12.3 श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957 ई0 से 1959 ई0)

12.4 श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति की सांगठनिक संरचना

12.5 श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति के सुझाव

12.6 श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति का सार संक्षेपण

12.7 हंसा मेहता समिति (1962 ई0 से 1964 ई0)

12.8 हंसा मेहता समिति की सांगठनिक संरचना

12.9 हंसा मेहता समिति की संतुतियाँ

12.10 हंसा मेहता समिति का सार–संक्षेपण

12.11 शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) में महिला शिक्षा(1964 ई0 से 1966 ई0)

12.12 महिला शिक्षा के उत्थान हेतु कोठारी आयोग की संस्तुतियों का संक्षेपण

12.13 राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986

12.14 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला शिक्षा की संस्तुतियों का संक्षेपण

12.15 सारांश

12.16 अभ्यास के प्रश्न

12.17 चर्चा के बिन्दु

12.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

12.1 प्रस्तावना

पूरी दुनिया में जीवन के लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार होता रहा है। जहां तक भारत की बात है तो प्राचीन काल (वैदिक काल) में महिलाओं के शिक्षित होने का पर्याप्त संकेत मिलता है साथ ही कई अवसरों पर सभा तथा समितियों में वह प्रतिभागी भी बनती थी। जिससे यह ज्ञात होता है की महिलाओं की शिक्षा भेदभाव के कारण बहुत प्रभावित नहीं हुई थी। साथ ही कुछ एक ही जैसी गार्गी शकुंतला तथा मैत्री आदि विदुषियों की भी चर्चा मिलती है। जिससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिला शिक्षा जनसामान्य में प्रचलित नहीं थी। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं समय के साथ पिछड़ती गई क्योंकि उत्तर वैदिक काल के साहित्य में महिला शिक्षा की विशद चर्चा सुनाई नहीं देती। तब तक समाज में कुछ ऐसे लक्षण अवश्य दिखाई देने लगे जो आगे चलकर बालिका शिक्षा में एक गिरावट के रूप में सामने आयी। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर देखते हैं कि सल्तनत काल में तथा मुगल काल में जनसामान्य में महिला शिक्षा का प्रचार–प्रसार बहुत अधिक नहीं दिखाई देता है। फिर भी रजिया सुल्तान, जेबुन्निसा, जहांआरा, रोशन आरा, नूरजहां आदि महिलाएं शिक्षित मानी जाती थी। यह देखने योग्य बात है कि मुगल शासकों, जमीदारों, दरबारियों, नवाबों के यहां मौलवियों के द्वारा महलों में महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। वही हिंदुओं के संपन्न एवं संभ्रांत परिवारों में भी मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था गुरु एवं पुरोहितों द्वारा प्रदान की जाती थी। क्रमवार आगे बढ़े तो पाएंगे कि बौद्ध धर्म में भी महिला शिक्षा को लंबे अरसे तक बाधित किया, क्योंकि मठों में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था किंतु कालांतर में महिलाओं को मठों में प्रवेश की अनुमति दी गई। विद्वानों की माने तो बौद्ध शिक्षा केंद्रों के पतन का कारण भी महिलाओं के प्रवेश को ही माना जाता है। इस प्रकार बौद्ध काल में सामान्य शिक्षा के साथ–साथ महिला शिक्षा भी पराभव को प्राप्त थी, क्योंकि मठों का पतन प्रारंभ हो गया था। ऐतिहासिक रूप से मुगल काल से आगे बढ़ने पर ब्रिटिश काल में 1835 ई0 तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रमुख प्रयास परिलक्षित नहीं होता हैं। विशेष रूप से लॉर्ड मैकाले के आगमन और उसके शैक्षिक आग्रहों तथा दुराग्रहों के कारण एवं स्वतंत्रता आंदोलन जैसे दादाभाई नौरोजी के व्यक्तिगत प्रस्ताव, जो उन्होंने हंटर कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया एवं गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा केंद्रीय धारा सभा में बार–बार प्राथमिक शिक्षा के पक्ष में प्रस्ताव पेश करने के पश्चात भी एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। फिर भी इस पूरी प्रक्रिया का भारत के शिक्षा के जागरूकता के इतिहास में बहुत ही महत्व है। इसी के प्रभाव में भारत के नगरी क्षेत्रों में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जीवंतता दिखाई देती है साथ ही महिला शिक्षा में भी पहले से अधिक जागरूकता का आभास होता है। इस जागरूकता के बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई देता क्योंकि शिक्षा में जागरूकता लाने के लिए अन्य इसी प्रकार का कोई कार्यक्रम तब तक संचालित नहीं किया जा रहा था। संदर्भ बस यहां बताते चलें कि मुगलों के काल में सत्ता का दबाव धर्म शिक्षा की ओर था जो उनकी प्रसार की नीति का प्रमुख हिस्सा थी। जिसके कारण पहले से ही कमजोर हुई भारत की परंपरागत शिक्षा ब्रिटिश शासन में लगभग स्थगित हो गई थी। इस स्थिति में महिला शिक्षा भी स्थगित ही मानी जाएगी।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यदि वैदिक काल से लेकर आजतक की महिला शिक्षा की पड़ताल की जाए तो ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता पूर्व तो महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा में बहुत प्रगति का उल्लेख नहीं दिखाई देता है, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न आयोगों और समितियों के गठन के परिणामस्वरूप इसमें कुछ गतिशीलता तो अवश्य दिखाई देती है। जिसमें महिला शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के स्वरूप धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं उससे संबंधित रूढ़ियां अंधविश्वास आदि के विषय में अध्ययन करना तथा महिला शिक्षा प्रसार एवं उसकी गुणवत्ता के लिए दो प्रमुख समितियों यथा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति एवं हंसा मेहता समिति का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त कोठारी कमीशन शिक्षा नीति 1986 तथा शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय प्रयास किया गया है।

12.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. भारत में स्वतंत्रता के पूर्व तथा पश्चात् महिला शिक्षा का वर्णन कर सकेंगे।
2. श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के विस्तृत सुझावों को समझ सकेंगे।
3. हंसा मेहता समिति के महत्व सुझावों का वर्णन कर सकेगें।
4. कोठारी आयोग (शिक्षा आयोग–1964) की संतुतियों में से महिला शिक्षा की संतुतियों को पृथक कर सकेंगे।
5. शिक्षा नीति – 1986 ई0 के निदेशक बिन्दुओं की पहचान कर सकेंगे।
6. भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में महिला शिक्षा के विकास के काल क्रम की व्याख्या कर सकेंगे।
7. महिला शिक्षा में अवरोधन तथा अपव्यय की व्याख्या कर सकेंगे।
8. महिला शिक्षा में व्याप्त लैंगिक असमानता का वर्णन कर सकेंगे।
9. महिला शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्ता के सन्दर्भ में समुचित सुझाव दे सकेंगे।

12.3 श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957 ई0 से 1959 ई0)

तत्कालीन सरकार ने योजना आयोग से महिला शिक्षा के विषय में उसके विस्तार तथा गुणवत्ता को ध्यान में रखकर कार्य करने की अपेक्षा की। जिसके परिणाम स्वरूप आयोग के एक शैक्षिक दल ने एक संभावित आकलन की ओर संकेत किया ''प्राथमिक माध्यमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने तथा यह देखने के लिए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बालिकाओं के सुखमय व उपयोगी जीवन जीने के योग्य बनाने में सहायता कर रही है।''

साथ ही आयोग के शैक्षिक दल ने इस उपर्युक्त विषय पर एक समिति गठित करने का सुझाव भी दिया। इस सुझाव पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने हेतु सितम्बर 1957 ई0 में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने विचार करते हुए प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष विचार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

इसी क्रम में भारत सरकार ने उक्त सम्मेलन के प्रस्ताव पर विचार करते हुए केंद्रीय समाज कल्याण परिषद की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 1957 ई0 से 1959 ई0 तक निर्धारित किया गया जिसके अध्ययन के निम्नलिखित बिंदु निश्चित किए गए–

12.4 श्रीमती दुर्गाबाई देशमुखसमिति की सांगठनिक संरचना

अध्यक्षा– श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख (अध्यक्ष केंद्रीय समाज कल्याण परिषद, नई दिल्ली)।

सदस्यगण –

i. कु.एस. पान्दीकर।
ii. श्री पी.एन.माथुर।
iii. श्रीमती कुलसुम सायानी।
iv. श्री जे० पी० नायक।
v. श्रीमती सहरा अहमद।
vi. श्रीमती ओ० सी० श्रीनिवास।
vii. कुमारी सरोजनी राजन।
viii. डॉ0 फुलरेनू गुहा।

समिति के सदस्यों ने स्त्री शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता, महत्त्व, गुणवत्ता अपव्यय तथा अध्यापक शिक्षा इत्यादि पर गहन विचार–विमर्श के उपरांत 1959 ई0 में भारत सरकार के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किया।

12.5 श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति के सुझाव

i. स्त्री शिक्षा को एक लंबी अवधि के लिए विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
ii. यथाशीघ्र बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए।
iii. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के गरीब परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए।
iv. योजना आयोग को समय–समय पर महिला शक्ति का कार्य के रूप में आकलन करना चाहिए।
v. सभी बालिकाओं को मिडिल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
vi. ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय संचालित किए जाने चाहिए।
vii. प्रोत्साहन हेतु उन गांवों का चुनाव करना चाहिए जिन गांवों में बालिकाओं की नामांकन दर और औसत उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक हो।
viii. बालिका शिक्षा में अवरोधन कम करने के लिए मिडिल तथा माध्यमिक स्तर पर यथा– संभव निःशुल्क यातायात की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
ix. जिला स्तर पर अधिक संख्या में विद्यालय खोले जाएं, जिनमें स्व–शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

x. प्राथमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में विभेद समाप्त किया जाना चाहिए, किंतु बालिकाओं हेतु आकर्षक एवं उपायुक्त प्रवेश बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, संगीत, चित्रकला, पाक कला आदि विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए।

xi. मिडिल स्तर पर अनिवार्य रूप से तथा माध्यमिक स्तर पर भी बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर किया जाना चाहिए।

xii. महिला अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को प्रारंभ किया जाए।

xiii. महिलाओं को अध्यापकों की भूमिका में शामिल करने हेतु उनकी आयु में छूट संबंधी प्रावधान करना चाहिए।

xiv. शहरी महिलाओं को अध्यापन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही आवासीय भत्ता भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

xv. महिलाओं को अल्पावधि रोजगार उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

xvi. महिलाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु सघन पाठ्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए।

xvii. महिलाओं तथा बालिकाओं को मुख्यधारा में लाने हेतु व्यवसायिक संगठनों तथा कार्य स्थलों पर उचित परिवेश का निर्माण होना चाहिए। जिससे उनको कार्य करने में असुविधा न हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

xviii. अशिक्षित महिलाओं को साक्षर बनाकर मिडिल तथा हाईस्कूल स्तर तक की परीक्षाओं के लिए सघन तैयारी करानी चाहिए।

xix. महिला तथा बालिका शिक्षा में अवरोधन एक बड़ी समस्या है। इसके निराकरण हेतु इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया जाना चाहिए तथा उनके उपचार के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए।

xx. कक्षा एक में अवरोधन समाप्त करने हेतु प्रारंभ में ही सभी बालिकाओं को नामांकित किया जाए तथा उनकी सतत् उपस्थिति का उत्तरदायित्व विद्यालय के अध्यापकों पर निर्धारित की जानी चाहिए।

xxi. बालिकाओं की शिक्षा के अपव्यय को समाप्त करने के क्रम में अल्पकालीन शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।

xxii. अपव्यय रोकने हेतु अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए।

xxiii. अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए।

xxiv. कक्षा 2 से 5 तक अवरोधन कम करने हेतु समिति ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए जैसे विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाई जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में विकास किया जाए, आंतरिक परीक्षा प्रणाली लागू की जाए, गरीब बच्चों को पुस्तकें एवं अन्य उपकरण देकर प्रोत्साहित किया जाए।

xxv. अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए तथा सभी विद्यालयों में समान वेतन दिया जाना चाहिए।

xxvi. सभी अध्यापकों को पेंशन, भविष्य निधि तथा बीमा योजना का त्रिलाभ दिया जाना चाहिए।

12.6 श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति का सार संक्षेपण

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के विभिन्न आयामों का विस्तार से अध्ययन करने के उपरांत बालिकाओं की शिक्षा के महत्व, आवश्यकता, प्रसार, गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, अध्यापक शिक्षा, अपव्यय, नामांकन, अवरोधन अभिभावकों की जागरूकता, अंशकालिक सेवा, नामांकन की आयु में छूट, अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय की ओर आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन, अध्यापकों के वेतन भत्तों व विद्यालय में मिलने मिलने वाले अन्य लाभ के संबंध में अति महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत की। आधारभूत समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय भी सुझाए गए जिसका सरकार ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यान्वयन भी किया। जिसके कारण दुर्गाबाई देशमुख समिति महिला तथा बालिका शिक्षा के प्रसार तथा उसकी गुणवत्ता में वृद्धि के लिए नींव का पत्थर साबित हुई।

बोध प्रश्न
टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. दुर्गाबाई देशमुख समिति का कार्यकाल कया था।

   _____

   _____

2. समिति द्वारा प्रस्तुत कोई पांच सुझाव बताइये।

   _____

   _____

12.7 हंसा मेहता समिति (1962 ई0 से 1964 ई0)

10 मई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बैठक श्रीमती द्राक्षा शरण की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में पारित प्रस्ताव में परिषद ने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को परामर्श दिया तथा लिखित आग्रह किया कि बालिकाओं के पाठ्यक्रम की समस्या पर विस्तार से विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने परामर्श को स्वीकार करते हुए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य समिति का गठन किया। यहां, उल्लेखनीय है कि इस समिति के पूर्व 1963 ई0 में तत्कालीन मद्रास प्रदेश और आज का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम० भक्त वत्सलम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जिसका मुख्य विषय था कन्या शिक्षा तथा जन सहयोग समिति। इस समिति के सुझाव पर गौर करें तो पाएंगे कि श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति के कई सुझाव इसमें शामिल किए गए थे तथा इसके अतिरिक्त कुछ नए सुझाव भी इसमें सम्मिलित किए गए जैसे–

- नए विद्यालय स्थापित करने हेतु अभिभावकों एवं समाज के संभ्रांत वर्गों को प्रोत्साहित किया जाए। विशेष रूप से यह विद्यालय बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रारंभ किए जाएं।
- भवन निर्माण में आने वाली सरकारी समस्याओं से विद्यालय स्थापित करने वाले लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयास करना चाहिए।
- बालिकाओं तथा बालकों को एक साथ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
- महिलाओं को अध्यापन कार्य हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
- विवाहित महिलाओं को अंशकालीन शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

ध्यान देने वाली बात है कि श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति के सुझाव पर भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकारों के कार्य करने के उपरांत भी कुछ ऐसे सुझाव थे जिन पर कार्य नहीं हो सका था। चाहे उसके जो भी कारण रहे हो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री भक्तवत्सलम समिति की पृष्ठभूमि के आधार को भी हंसा मेहता समिति के उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त क्रमवार देखा जाए तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति एवं श्री भक्तवत्सलम समिति का श्रीमती हंसा मेहता समिति के उद्देश्यों के स्तर का परस्पर संबंध था। इसका प्रमुख कारण यह था कि बालिका शिक्षा पर तत्कालीन सरकार और संस्थाएं गंभीर थे किंतु संसाधनों के अभाव सांस्कृतिक बाधाएं, धार्मिक परंपराएं एवं अन्य कुछ कारणों से निर्धारित उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

12.8 हंसा मेहता समिति की सांगठनिक संरचना

उपरोक्त पृष्ठभूमि में श्रीमती हंसा मेहता समिति का गठन 1962 ई0 में किया गया था जिसका कार्यकाल 1964 तक सुनिश्चित किया गया था। उक्त समिति की सांगठनिक संरचना निम्नलिखित है–

अध्यक्षा हंसा मेहता

सदस्यगण–

1. एस0 पानंदीकर।
2. एन0 सेन।
3. एस0 पंकजानन।
4. के0 सब्बरवाल।
5. श्रीमती एस0 राय।
6. श्री चिना नायक।
7. श्रीमति वी0 ताराबाई।
8. श्री पी0 एन0 माथुर।
9. श्री टी0 सी0 शंकर मेनन।
10. श्रीमति बी0 कुलै।

श्रीमती हंसा मेहता समिति को शिक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करके सुझाव समर्पित करने को कहा गया जो इस प्रकार है–

- स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की जांच करना तथा देखना कि यह महिलाओं की व्यक्तिगत तथा सामाजिक रीति को कितना पूरा करती हैं।
- सामान्य शिक्षा में आवश्यक सुधार के लिए सुझाव देना।
- माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक प्रकृति के विभेदीकृत पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पर विचार।
- बालिकाओं की शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु स्थापित किए जाने वाले पॉलिटेक्निक तथा जूनियर तकनीकी स्कूलों में प्रशिक्षण दिए जाने वाले सर्वाधिक उपयोग जीविको– पार्जन के विभिन्न प्रकारों की जांच करना।
- गृह विज्ञान विषय तथा ललित कला से संबंधित विषयों के लिए पाठ्यवस्तुओं का पुनःनिरीक्षण करना एवं महिलाओं के लिए उन विषयों को रोजगार परक बनाना।

12.9 हंसा मेहता समिति की संस्तुतियाँ

- 1962 से 1964 ईस्वी के बीच में समिति ने अध्ययन हेतु निर्धारित किए गए विषयों पर कई बैठकें की तथा गहन विचार विमर्श के पश्चात 1964 में निम्नलिखित आख्या प्रस्तुत किए–
- 'बालिकाओं की शिक्षा में जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रबंधकों तथा अभिभावकों सहित अन्य संपन्न वर्ग के लोगों को इस प्रतिबंध से उन्हें स्वतंत्र किया जाए कि वह सहशिक्षा के लिए विद्यालय तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग विद्यालय खोल सके।
- 'समाज में इस प्रकार की जागरूकता फैलाई जाये कि बालकों एवं बालिकाओं को एक दूसरे के प्रति समुचित एवं सम्यक दृष्टिकोण पैदा हो सकें। जिससे बालिकाओं के प्रति असमानता का भाव कम किया जा सके।
- 'तर्क के द्वारा परंपरागत रूप से बालिकाओं तथा बालकों के में स्थापित अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए तथा दोनों को बराबर स्वीकार करना चाहिए।
- 'माध्यमिक स्तर की शिक्षा में पाठ्यक्रम की गुणवत्ता बनाने हेतु पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता पाठ्यक्रम की जांच, अध्यापकों की कमी आदि को दूर करना चाहिए।
- माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया जाए तथा विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी स्वीकृति प्रदान दी जाए।
- 'माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं हेतु गृह विज्ञान ललित कलाओं संगीत आदि विषयों को पाठ्यक्रम में तीव्र गति से शामिल किया जाना चाहिए।

- 'बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी अभिरुचि तथा क्षमता के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण नीति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- 'मिडिल स्तर पर बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए।
- 'माध्यमिक तथा कॉलेज के स्तर पर महिला अध्यापकों की नियुक्त की सामान्य प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
- 'पाठ्यक्रम की विषय वस्तु इस प्रकार निर्मित की जाएगी बालकों तथा बालिकाओं का एक दूसरे के प्रति संतुलित दृष्टिकोण विकसित हो सके।
- 'बालिकाओं की अभिरुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम में त्योहारों, बालिकाओं की क्रीड़ा में महान महिलाओं के जीवन संस्मरण तथा अन्य अनुभवजन्य समस्याओं को शामिल किया जाए।
- 'विशेष रूप से प्रयास किया जाना चाहिए कि गणित और विज्ञान की महिला शिक्षिकाओं को तैयार किया जाए।
- 'माध्यमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान पढ़ने हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाए।
- 'माध्यमिक तथा मिडिल स्तर पर यौन शिक्षा दिया जाए।
- 'माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए।
- 'रोजगार के अवसरों में महिलाओं को सम्मिलित किया जाए।

12.10 हंसा मेहता समिति का सार संक्षेपण

निष्कर्षतः कहा जा सकता है की हंसा मेहता समिति के निर्धारित अध्ययन हेतु बिंदुओं पर श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति श्री भक्त वत्सलम समिति तथा बालिका शिक्षा एवं जन सहयोग समिति के सुझाव की पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ा था। क्योंकि उपर्युक्त तीनों समितियों के सुझाव का कार्यान्वयन नहीं हो सका था तथा स्वतंत्रता के बाद बालिका एवं महिला शिक्षा में वांछित प्रगति नहीं हो रही थी। अध्ययन के पश्चात हंसा मेहता समिति तत्कालीन भारतीय समाज की परिस्थिति जन्य महिला शिक्षा के विभिन्न समस्याओं का विस्तार से अध्ययन किया तथा विस्तृत सुझाव की सूची सरकार को सौंपी जो महिला शिक्षा की आगामी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में सीढ़ी का कार्य किया। आज की पृष्ठभूमि में नई शिक्षा नीति–2020 में महिला शिक्षा के विभिन्न आयामों की चर्चा में भी कमो–बेश उन बिंदुओं की चर्चा की गई है जो हंसा मेहता समिति ने अपने सुझाव में दिया था। इस प्रकार यह मानने में कोई संकोच नहीं होगा कि हंसा मेहता समिति का महिला शिक्षा के आधुनिक स्वरूप तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक योगदान एवं भूमिका थी।

12.11 शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) में महिला शिक्षा (1964 ई0 से 1966 ई0)

भारत सरकार ने 1964 ई0 में डॉ0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग 1964 का गठन किया जिसका प्रतिवेदन भारत सरकार को 1966 में प्रस्तुत किया गया। इस आयोग की संस्तुतियों में यह माना

गया कि भारतीय समाज के नव–निर्माण में परिवारों की उन्नति बालकों का चरित्र निर्माण तथा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षा से संबंधित अन्य बिंदुओं पर अध्ययन किया गया तथा उसका सुझाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्नलिखित है––

- यह प्रयास किया जाए कि संविधान में जो महिलाओं के लिए संकल्प लिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पूरा किया जाए।
- 'जन सामान्य विशेष रूप से माता–पिता एवं अभिभावकों में इस बात को पहुंचाया जाए कि सह–शिक्षा (लड़के और लड़कियां साथ साथ विद्यालय में रह सकते हैं) विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
- 'शिक्षा के उच्च स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक महाविद्यालय स्थापित किए जाएं।
- 'बालिकाओं को शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु छात्र विद्या प्रारम्भ की जाए तथा निःशुल्क छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- 'बालिकाओं के लिए अंशकालिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
- 'बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार हेतु उनके लिए अलग कॉलेज स्थापित किए जाएं।
- 'गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र तथा सामाजिक कार्य के पाठ्यक्रमों को बालिकाओं के लिए उपयोगी बनाया जाए।
- ''महिला शिक्षा के प्रसार, गुणवत्ता को बढ़ाने एवं अवरोधन को समाप्त करने के लिए शोध इकाई बनाई जाएं।
- ''विवाहित महिलाओं के लिए अंश कालिक जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए पूर्णकालिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- ''राज्य तथा केंद्र स्तर पर प्रशासनिक तंत्र विकसित किए जाएं जिससे महिला शिक्षा का सम्पादन केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक सुचारू रूप से किया जा सके एवं तात्कालिक समस्याओं का निराकरण एवं निदान किया जा सके।

12.12 महिला शिक्षा के उत्थान हेतु कोठारी आयोग की संस्तुतियों का संक्षेपण

इस प्रकार हम देखते हैं कि सन 1944 एवं 1959 में महिला शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्ता हेतु गठित दोनों समितियों जैसा हंसा मेहता समिति एवं श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति की संस्तुतियों का विस्तृत एवं संशोधित स्वरूप कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया। इस संस्तुतियों को भारत सरकार ने स्वीकार करके उनका कार्यान्वयन भी किया जिसके फलस्वरूप भारत में महिला शिक्षा में वास्तविक तथा वांछित परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं।

12.13 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

महिलाओं की तात्कालिक जीवन परिस्थिति, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति निर्णय लेने के अधिकार में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उनकी भागीदारी यह सारी प्रक्रिया उनकी शिक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। इसे ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति–1986 में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए–

- पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता शिक्षकों एवं नीति नियामक को तथा शैक्षिक प्रशासकों का आवर्ती अवधि में प्रशिक्षण किया जाए तथा उससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा ऐसे मूल्य विकसित किए जाएं जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले।
- महिला अध्ययनों को विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा।
- शैक्षिक संस्थानों को पृथक रूप से महिला शिक्षा के अलग पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्राथमिकता के स्तर पर बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा तथा उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
- लैंगिक असमानता के आधार पर शिक्षा में महिलाओं के साथ होने वाले पक्षपात को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

12.14 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला शिक्षा की संस्तुतियों का संक्षेपण

उपर्युक्त सम्मिलित बिंदुओं के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई थी। जिसका प्रभाव महिला शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति में भी साफ दिखाई दे रहा है। जिसके कारण महिला के प्रति भेदभाव पक्षपात कम हुआ। कार्यस्थल पर होने वाले पक्षपात पूर्ण व्यवहार निश्चित रूप से नियंत्रण में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा नीति–1986 के द्वारा महिला शिक्षा को समुन्नत बनाने का समुचित प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त 1986 की नई शिक्षा नीति में शिक्षा के अन्य आयामों पर भी ध्यान दिया गया। जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रभावित हुई। साथ ही पठन–पाठन संबंधी अन्य पाठ्य सामग्री भी देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को संसाधन के रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गयज्ञं

बोध प्रश्न
टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. हंसा मेहता समिति में कितने सदस्य थे?

.....

.....

4. हंसा मेहता समिति के निर्धारित अध्ययन हेतु बिन्दुओं पर किन समितियों का प्रभाव पड़ा।

.....

.....

5. महिला शिक्षाके सन्दर्भ में कोठारी आयोग के कोई तीन सुझाव दीजिए।

.....

.....

12.15 सारांश

प्रस्तुत इकाई में महिला शिक्षा के विषय में वैदिक काल खण्ड से लेकर आधुनिक भारतीय शिक्षा तक महिलाओं एवं बालिकाओं के शिक्षा के विषय में विशद् चर्चा की गई है। इस इकाई में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि ऐतिहासिक कालखण्ड में सत्ता के दबाव तथा उसके प्रभाव का महिला शिक्षा पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा? इसके लिए ऐतिहासिक काल खण्ड के रूप में मुगल काल और ब्रिटिश शासन काल की विशेष रूप से चर्चा की गई इन दोनों ही काल खण्डों में महिला शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्ता के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं दिखाई देता है।

स्वतंत्रता क बाद भारत सरकार च सायास प्रयास प्रारंभ किए जिसमं श्रीमती दुगाबाइ द्वशमुख सुमित 1959 ई0 तथा हंसा मेहता समिति 1962 ई0 से 1964 ई0 तक जो कार्य किए गए। उनके द्वारा महिला शिक्षा में पहले से अधिक जीवंतता दिखाई देती है, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक इन दोनों समितियों ने महिला शिक्षा में आने वाली बाधाओं का विस्तार से अध्ययन किया तथा उसी के समानुपात में सुझाव भी प्रस्तुत किए।

दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया जिसने 1966 ई0 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा। इस प्रतिवेदन में आयोग ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के विषय में विशद अध्ययन और विवरण प्रस्तुत किया तथा उन समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जो भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में बाधाएं उत्पन्न कर रही है, तथा उन को समाप्त करने के उपाय भी सुझाए।

अत्यअधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय बात यह है कि कोठारी आयोग ने अपने सुझाव में ऐसे शोध संस्थानों के आवश्यकता की चर्चा की है जो महिला शिक्षा के विषय में अध्ययन और अनुसंधान करें तथा उसका समुचित निराकरण प्रस्तुत करें। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जो निश्चित रूप से आने वाले समय में महिला शिक्षा को बढ़ाने वाला था, जो बाद में दिखाई भी दिया। इसी प्रकार 1986 ई0 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा को माना गया कि यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, वैयक्तिक एवं धार्मिक, प्रत्याशाओं को पूरा किया जा सकता है तथा समाज में व्याप्त महिला पुरुष–असमानता को कम किया जा सकता है। यह असमानता कम होने के उपरांत जब समाज अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्यों में लग जायेगा तो देश का उचित दिशा में वांछित विकास होगा।

12.16 अभ्यास के प्रश्न

1. श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के अध्ययन हेतु निर्धारित बिन्दुओं का विवरण प्रस्तुत करें।
2. हंसा मेहता समिति के प्रमुख सुझावों की व्याख्या तर्कों सहित करें तथा महिला शिक्षा के गुवक्ता के प्रमुख अवरोधन की चर्चा करें।
3. महिला शिक्षा की गुवक्ता बढ़ाने हेतु शोध एवं अनुसंधान की भूमिका की व्याख्या करें।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1980 ई0 के निदेशक बिन्दुओं की चर्चा करें।
5. नई शिक्षा नीति–2020 में "बेटी पढ़ओं, बेटी बढ़ाओं" से संबन्धित पाठ्यचर्या पर टिप्पणी लिखिये। (कम से कम 300 शब्दों में)

12.17 चर्चा के बिन्दु

1. कोठारी कमीशन की संस्तुतियों में से महिला शिक्षा से सम्बन्धित सुझावों के कार्यन्वयन पर चर्चा कीजिए।

12.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. दुर्गाबाई देशमुख समिति का कार्यकाल 1957 ई0 से 1959 ई0 तक था।
2.
   (i) स्त्री शिक्षा को एक लंबी अवधि के लिए विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
   (ii) यथाशीघ्र बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए।
   (iii) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के गरीब परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए।
   (iv) योजना आयोग को समय–समय पर महिला शक्ति का कार्य के रूप में आकलन करना चाहिए।
   (v) सभी बालिकाओं को मिडिल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
3. हंसा मेहता समिति में कुल 10 सदस्य थे।
4. हंसा मेहता समिति के निर्धारित अध्ययन हेतु बिंदुओं पर श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति श्री भक्त वत्सलम समिति तथा बालिका शिक्षा एवं जन सहयोग समिति के सुझाव की पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ा था।
5. महिला शिक्षा के सन्दर्भ में तीन सुझाव–
   - 'शिक्षा के उच्च स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक महाविद्यालय स्थापित किए जाएं।
   - 'बालिकाओं को शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु छात्र विद्या प्रारम्भ की जाए तथा निःशुल्क छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
   - 'बालिकाओं के लिए अंशकालिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

12.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. डॉ0 बी0 जी0 सिंह, भारत में शिक्षा का अधिकार एवं प्रारम्भिक शिक्षा–2010 ई0।
2. डॉ0 एस0 पी0 गुप्ता, भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्यायें–2017।
3. श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति–1959 ई0 का गजट प्रपत्र।
4. नई शिक्षा नीति–2020 ई0 का गजट प्रपत्र।

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

B.Ed.E-10
(जेण्डर, विद्यालय एवं समाज)
Gender, School and Society

खण्ड– 05

महिला सशक्तिकरण

इकाई 13	महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, रणनीतियाँ और मुद्दे	181
इकाई 14	वर्तमान सामाजिक संरचना और बालिका शिक्षा	205
इकाई 15	महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एवं समाज की भूमिका	225

खण्ड 05 : महिला सशक्तिकरण

खण्ड परिचय

महिलाएं परिवार की आधारशिला होती हैं और समाज के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। किंतु फिर भी महिलाओं को आज भी सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है, जहां वह स्वयं के विषय में निर्णय ले सकें, आर्थिक स्वावलंबी हो सकें और समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में योगदान दे सकें। उन्हें समाज की व्यवस्था में प्रतिभागिता, शैक्षिक अवसरों की समानता, राजनीतिक एवं आर्थिक भागीदारी, समान कार्य हेतु समान वेतन, सुरक्षा व प्रजनन का अधिकार प्राप्त हो, यही सही अर्थ में महिला सशक्तिकरण है। खण्ड 05 को तीन ईकाईयों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है–

इकाई 13 में महिला सशक्तिकरण का अर्थ, संप्रत्यय, महिलाओं से जुड़े मुद्दे एवं महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। महिला सशक्तिकरण आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से संबंधित है ताकि वे सशक्त हो सकें और समाज के परिवर्तन व विकास में सहयोग दे सकें।

इकाई 14 में सामाजिक संरचना के प्रत्यय एवं विशेषताओं की जानकारी दी गई है तथा शिक्षा की स्थिति एवं बालिका शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों की चर्चा की गई है। बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार के बिना समाज व राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु अनेक समितियों एवं योजनाओं का निर्माण किया गया है ताकि बालिका शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके।

इकाई 15 में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा की अवधारणा, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा और समाज की भूमिका के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। शिक्षा व समाज मनुष्य के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मानव जीवन का विकास करती है और शिक्षा की यह प्रक्रिया समाज में रहकर ही संभव होती है।

इकाई – 13 : महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, नीतियां एवं मुद्दे

इकाई संरचना

13.1 प्रस्तावना

13.2 इकाई के उद्देश्य

13.3 सशक्तिकरण का अर्थ

13.4 महिला सशक्तिकरण का अर्थ

13.5 महिला सशक्तिकरण की परिभाषाएं

13.6 महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

13.7 महिला सशक्तिकरण के विभिन्न मुद्दे

13.8 महिला सशक्तिकरण हेतु रणनीतियाँ

13.9 सारांश

13.10 अभ्यास के प्रश्न

13.11 चर्चा के बिन्दु

13.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.1 प्रस्तावना

किसी भी देश के सभ्य समाज की स्थिति का अवलोकन उस समाज की स्त्रियों की दशा को देखकर ज्ञात किया जा सकता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं किंतु समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन प्रतिदिन गिरावट आती गई। भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्था में महिलाएं आजीवन पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों व महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिए जाने के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि विकास एवं सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलाएं पुरुषों से अभी काफी पीछे हैं। महिलाएं परिवार की आधारशिला होती हैं और सामाजिक विकास बहुत कुछ महिलाओं के सबल प्रयासों से ही संभव है। इसीलिए महिलाओं को सशक्त व जागरूक बनाकर ही देश व समाज को सशक्त बनाते हुये समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। समाज का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब महिला एवं पुरुष दोनों का एक समान विकास हो, दोनों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हो, इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता एवम् आत्मनिर्भरता बढ़ाने के संबंध में संगठित प्रयास हों, अतः महिलाओं को सशक्त किया जाना आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकार और उनके विकास के लिए बनाई गई शासकीय और गैर शासकीय योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

13.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. महिला सशक्तिकरण की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे।
2. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
3. महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख समस्याओं से अवगत हो सकेंगे।
4. महिला सशक्तिकरण के प्रमुख मुद्दों के बिषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
5. महिला सशक्तिकरण से संबंधित रणनीतियों एवं प्रयासों से परिचित होकर उसका प्रयोग कर सकेंगे।

13.3 सशक्तिकरण का अर्थ

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता और बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। अन्य शब्दों में नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। महिला सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। महिलाओं को समाज में उचित स्थान एवं पद प्रदान करके

ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। महिलाओं को समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने एवं विकास की प्रक्रिया में उन्हें सहभागी समझा जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक भागीदारी एवं सामाजिक विकास में भागीदारी तथा नियंत्रण सम्मिलित है; जिसके द्वारा वह अपनी शक्तियों व संभावनाओं, क्षमताओं व रोजगार और अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रह सकती हैं। सशक्तिकरण शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है स+शक्ति+करण जिसमें 'स' उपसर्ग है, 'शक्ति' संज्ञा है और 'करण' प्रत्यय है, जिसका अर्थ है—शक्ति सहित गत्यात्मकता। सशक्तिकरण निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है, सशक्त वह व्यक्ति है जो जीवन संबंधी निर्णय, सामाजिक संबंध, विवाह, संतान उत्पत्ति, व्यवसाय, घरेलू निर्णय आदि लेने में पूर्ण स्वतंत्रत एवं दबावमुक्त हो।

पेज व सिजूबा 1999 के अनुसार—''सशक्तिकरण शक्ति की परिवर्तित हो रही दशाओं से जुड़ी है; शक्ति का अर्जन, विस्तार, कमी होना और खो देना। यह एक बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया है, जो लोगों को अपने जीवन पर नियंत्रण पाने में सहायता करती है।''

पासपोर्ट व अन्य के अनुसार— ''वास्तव में सशक्तिकरण एक परिणाम है जिसका मूल्यांकन किया और बढ़ाया जा सकता है। इसे परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि इसे संचालित उपलब्धियों के विरुद्ध नापा जा सकता है।''

सशक्तिकरण व्यक्तियों में और समुदाय में स्वायत्त और आत्मनिर्णय के स्तर को बढ़ाने के लिए निर्मित किए गए उपायों का एक सेट है, ताकि वे अपने स्वयं के अधिकार पर कार्य करने के लिए एक जिम्मेदार और स्व—निर्धारित तरीके से अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें। किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जा सकता है।

लीना मेहंदेले के अनुसार — सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। इनमें प्रमुख हैं—

1. निर्भयता के लिए समाज में कानून और सुरक्षा का होना।
2. रोजाना के नीरस, उबाऊ और कमर तोड़ कानून से मुक्ति।
3. आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उत्पादन क्षमता।
4. निर्णय का अधिकार।
5. सत्ता और संपत्ति में पुरुषों के साथ बराबरी का हक।
6. ऐसी शिक्षा जो महिलाओं को उपरोक्त स्थितियों के लिए तैयार कर सके।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने, संसाधनों पर नियंत्रण करने, आत्मविश्वास में वृद्धि करने एवं पुरुषों के साथ बराबरी के अधिकार पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सशक्तिकरण का अर्थ है लिखिए।

.....

.....

2. पेज के अनुसार सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

13.4 महिला सशक्तिकरण का अर्थ

महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया से है जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके एवं समाज के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास में योगदान दे सकें साथ ही अपनी क्षमताओं एवं सामर्थ्य के अनुरूप निर्णय लेते हुये अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

साधारण अर्थ में यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण से आशय है महिला को अपनी स्वयं की जिंदगी के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना व महिलाओं में ऐसी क्षमताएं विकसित करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान बना सकें साथ ही उन्हें राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी करने के अवसर उपलब्ध कराना ताकि वह स्वयं का एवं समाज का विकास कर सकें।

13.5 महिला सशक्तिकरण की परिभाषाएं

महिला सशक्तिकरण की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं–

पी0 आर0 गोयल के अनुसार – ''महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य समाज की उस व्यवस्था से है जिसमें समाज के अस्तित्व का महत्वपूर्ण अंश महिला; तन–मन से स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित समाज, राजनीति, परिवार व संस्कृति में लिंगीय भेदभाव रहित पूर्ववत अपना वर्चस्व और आत्मगौरव रखते हुए 'मातृ देवो भव' की शक्ति को सार्थक कर सके।''

बीना अग्रवाल के अनुसार – ''महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दुर्बल एवं अपेक्षित लोगों के समूह की क्षमता बढ़े। जिससे महिलाएं अपने आप को निम्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदलकर अपने पक्ष में कर सकें। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं समाज में समानता प्रदान करना है।''

डॉ0 दिग्विजय सिंह के अनुसार – ''महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है उसके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्थाओं और तौर तरीकों को चुनौती में समान अवसर, राजनीतिक व आर्थिक नीति में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि।''

डॉ अरुण कुमार सिंह के अनुसार – ''महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपना जीवन यापन कर सकें।

मीनाक्षी निशांत के अनुसार – ''महिला सशक्तिकरण अर्थात महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध करवाना जिनकी सहायता से आधी दुनिया उन्नति कर सकती है, आगे बढ़ सकती है।''

यूनिफेम के अनुसार के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है–

महिला सशक्तिकरण से महिला पुरुष के संबंधों को समझा जा सकता है और उन तरीकों को समझा जा सकता है जो इसे बदल सकें।

1. स्वयं का मूल्य समझते हुए निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना ।
2. स्वयं की क्षमता पर विश्वास कर अपने जीवन के सभी निर्णय स्वयं ले सकें।
3. सामाजिक परिवर्तन की दिशा समझने की और संगठित करने की क्षमता निर्मित करना।
4. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने की दिशा।

महात्मा गांधी ने कहा है– कि हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनकी वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए, यही सही अर्थ में महिला सशक्तिकरण है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से है जिसके फलस्वरुप वे क्षमतावान, सशक्त, विकासशील और आत्मविश्वास से युक्त महिला समूह का निर्माण कर सकें। महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त करने के लिए एक वैश्विक अभियान, संयुक्त राष्ट्र महिला शाखा (यूनिफेम)को दुनिया भर में स्त्रियों की जरूरत को पूरा करने में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है,जिसके अंतर्गत निम्न क्षमताओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है–

1. स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता और उसके लिए पर्याप्त संसाधनों की पहचान की क्षमता।
2. लोकतांत्रिक माध्यमों से दूसरों के विचारों को बदलने की क्षमता ।
3. परिवर्तन एवं विकास में भागीदारी की क्षमता।
4. सामूहिक निर्णय लेने में महिलाओं को जुटाने की क्षमता ।
5. उक्त दिशा में न केवल सकारात्मक सोच होना, परंतु पर्याप्त कौशल भी आवश्यक होना।

13.6 महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

संयुक्त राष्ट्र ने महिला सशक्तिकरण को मुख्य रूप से पांच कारणों के लिए आवश्यक बताया है–

1. महिलाओं में आत्म–मूल्यांकन की भावना विकसित करना।
2. महिलाओं को उनके अधिकार और उन्हें प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करना।
3. समान अवसर एवं समान संसाधन प्राप्त करने का महिलाओं का अधिकार।
4. घर के बाहर और अंदर अपने स्वयं के जीवन को नियमित करने और नियंत्रित करने का अधिकार।
5. सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने में महिलाओं की क्षमता को बढ़ाना।

इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता निम्न कारणों से है–

1. महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास जागृत करने के लिए महिला सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है।
2. महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने एवं स्वयं निर्णय लेने हेतु महिला सशक्तिकरण की नितांत आवश्यकता है।
3. समाज, राज्य तथा आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है।
4. महिलाओं के व्यक्तिगत विकास हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है।
5. महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के विकल्प चुनने एवं उनकी सहभागिता को बढ़ाने हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है।

6. महिलाओं के जीवन को शिक्षा, स्वास्थ्य व सूचना प्रदान कर जीवन को नई दिशा व कीर्तिमान बनाने में सहायक है।
7. संतुलित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु महिला सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि संतुलित समाजिक व्यवस्था को कायम रखने में पुरुष एवं स्त्रियां दोनों की सहभागिता आवश्यक है।
8. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों व हिंसा को समाप्त करने व समाज में उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है।
9. महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है।
10. महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त कर, देश के विकास में सहयोग देने हेतु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है।
11. लैंगिक भेदभाव की समाप्ति एवं महिलाओं की प्रतिभा व क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय विकास में योगदान करने हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है।
12. महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामुदायिक, संगठनात्मक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है।
13. महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है।
14. महिलाओं में ज्ञान एवं कौशल के विकास हेतु तथा महिलाएं स्वयं निर्णय लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकें इसके लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है।
15. महिलाओं में संसाधन, कौशल एवं अवसर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक है ताकि वह समावेशी तथा समृद्ध समाज के विकास में सहयोग दे सकें।
16. महिलाओं को पुनर्स्थापित करने एवं स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है।
17. सार्वजनिक स्थानो, प्रदर्शनों, आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने एवं सामाजिक बंधनों को समाप्त करने हेतु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है।
18. महिलाओं की व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है।
19. महिलाओं में साक्षरता, शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बढ़ाना देने हेतु आवश्यक है।
20. महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण की नितांत आवश्यकता है।
21. महिलाओं के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक है क्योंकि भारत में पुरुष साक्षरता दर के मामले में महिलाएं काफी पीछे हैं, जहां भारत में पुरुष शिक्षा दर लगभग 81.3 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की मात्र 70.6 प्रतिशत ही है।

22. महिलाओं को स्वावलंबन व रोजगार परक बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है।
23. भारत के शहरी क्षेत्र में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी मात्र 30 प्रतिशत ही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की 90 प्रतिशत महिलाएं केवल कृषि एवं घरेलू कार्य तक ही सीमित हैं।
24. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक मुख्य कारण समान कार्य करने के उपरांत भी समान वेतन न मिल पाना है। आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 30 प्रतिशत तक कम भुगतान किया जाता है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकारों व समानता के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
25. महिला सशक्तिकरण महिलाओं को गुजारा भत्ता व रोजगार के लिए ही मदद नहीं करती अपितु वह महिलाओं में चेतना विकसित कर सामाजिक बंधनों से मुक्ति, सामाजिक अत्याचारों से छुटकारा दिलाने एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक है।
26. समावेशी और प्रगतिशील समाज हेतु।
27. महिला के शैक्षिक विकास हेतु महिला सशक्तिकरण की महत्ती आवश्यकता है, जब महिला शिक्षित होगी तभी वह आर्थिक, सामाजिक व सामुदायिक विकास में अपना योगदान दे सकेगी। अतः समाज के शैक्षिक विकास हेतु महिला सशक्तिकरण की नितांत आवश्यकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. संयुक्त राष्ट्र ने महिला सशक्तिकरण के लिए कितने कारण बताये हैं?

.....

.....

4. भारत के शहरी क्षेत्र में महिला रोजगार की कितने प्रतिशत भागीदारीहै?

.....

.....

13.7 महिला सशक्तिकरण के विभिन्न मुद्दे

वर्तमान समाज में भारतीय नारी की दशा में काफी परिवर्तन आए हैं। महिलाओं के भविष्य की कल्पना उनकी वर्तमान स्थिति से की जा सकती है। आज महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति में काफी परिवर्तन आ रहा है। नारी पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, किंतु फिर भी वर्तमान समाज में नारियों

के सशक्तिकरण के अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रकाश डालना आवश्यक है यह मुद्दे उनकी स्थिति एवं समस्यायों से जुड़ेहै,उनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है–

(i) लैंगिक असमानता – महिला सशक्तिकरण के मार्ग की मुख्य समस्याओं में लैंगिक असमानता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। लैंगिक असमानता महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के बावजूद महिलाओं को आज भी शिक्षा, रोजगार, राजनीति, स्वास्थ्य, सेवा आदि के क्षेत्र में असमानताओं से जूझना पड़ रहा है। महिलाओं के साथ असमानता उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। परिवार में ही यह सूक्ष्म तरीकों से परिलक्षित होती है। बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, प्रथाएं व असमान व्यवहार घर से ही प्रारंभ हो जाता है। आज भी भारतीय परिवार पितृसतात्मक परिवार है, यहां पुरुषों की प्रधानता होती है और नारियों का अवमूलन। महिलाओं को जन्म से ही एक अभिशाप माना जाता है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूंजी माना जाता है, जबकि पुत्री का जन्म एक उत्तरदायित्व और कर्ज के रूप में लिया जाता है। इसलिए जन्म से ही लिंग भेदभाव शुरू हो जाता है। बालिकाओं के लालन–पालन के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। यह लिंग भेदभाव बालक और बालिकाओं के बड़े होने तक अलग–अलग क्षेत्र में परिलक्षित होते हैं। उनके खेल, पढ़ाई के विषय, संस्कार, जीवन की तैयारी भी अलग–अलग होती है। इस लैंगिक असमानता के कारण समाज (लगभग 50 प्रतिशत) नारियों के योगदान से वंचित रह जाता है। कुंठित और दुखी माता की गोद में शिशु भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते। अतः महिला सशक्तिकरण में लैंगिक भेदभाव एक चुनौती है।

(ii) शिक्षा का अभाव – महिला साक्षरता महिला सशक्तिकरण के मार्ग की प्रमुख समस्याओं में से एक है। महिलाओं में शिक्षा का अभाव प्राथमिक तथा माध्यमिक सभी स्तर पर दिखाई देता हैं। महिलाओं की बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर बहुत ऊंची है। गरीब माता पिता लड़कियों को आगे नहीं पढा पाते। लड़कियों को घरेलू कामकाज में सहायता देनी पड़ती है, वह अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। परंपरागत रूप से देखें तो आज भी हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा को एक फिजूल खर्च समझा जाता है, क्योंकि अंततः तो महिलाओं को विवाह करना होता है और उसे वहां जाकर भी अपनी गृहस्थी का ही कामकाज देखना होता है। घर से स्कूल तक जाने के लिए यातायात के साधन का अभाव की समस्या के कारण भी महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। जैसे–जैसे लड़कियां बड़ी होने लगती हैं उनकी सुरक्षा का प्रश्न भी जटिल होता जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा का पाठ्यक्रम महिलाओं के जीवन की वास्तविकताओं से दूर है। वह न तो उन्हें जीवकोपार्जन के लिए तैयार करता है और न एक आदर्श श्रेणी की भूमिका के निर्वहन से जोड़ता है। जहां महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया गया है, वहां भी सिलाई, कढ़ाई, गृह सज्जा, नर्सिंग, सौंदर्यीकरण आदि ही उनके लिए कोर्स है, जो सभी उनके परंपरागत रूप तक ही सीमित हैं, आज के औद्योगिक युग की मांग से संबंधित नहीं है। शिक्षा का पाठ्यक्रम लिंग भेद पर आधारित न होकर आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद

द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 1971 में साक्षर महिलाएं 18.4 प्रतिशत थीं, 1981 में 25 प्रतिशत, 1991 की जनगणना में 39.42 प्रतिशत, 2001 में 53 प्रतिशत, 2011 में 65.46 प्रतिशत और 2021 में यह 70.30 प्रतिशत है। आंकड़ों के अधार पर कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण की एक मुख्य समस्या महिलाओं में साक्षरता का अभाव है।

(iii) रोजगार की समस्या – महिला सशक्तिकरण के विकास में रोजगार की समस्या भी एक मुख्य मुद्दा है। महिलाओं को आज भी गृहस्थी के कार्य तक सीमित माना जाता है। वह प्रायः सुबह सबसे पहले उठकर कार्य प्रारंभ करती हैं और देर रात तक घर का कार्य समाप्त करती हैं। उन्हें अनोत्पादक माना जाता है, उनके द्वारा किए गए घरेलू कार्य राष्ट्रीय आय की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। बाहर कार्य करने वाली महिलाओं को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र में देखें तो 80 प्रमिशत महिलाएं कृषि कार्य करती हैं लेकिन पुरुषों की तुलना में उन्हे वहां भी कम मजदूरी मिलती है। घरेलू व्यवसाय जैसे अगरबत्ती, दियासलाई बनाना, चटाई बनाना, पापड़ उद्योग आदि में भी महिलाओं के लिए काम के घंटे अधिक हैं और विश्राम की भी कोई व्यवस्था नहीं है। नारियों के रोजगार के लिए कुछ नए क्षेत्र जैसे मॉडलिंग, पत्रकारिता, प्रशासनिक सेवाएं, दूरदर्शन आदि व्यवसाय पनप रहे हैं किंतु यहां भी पुरुष प्रधानता का सामना करना पड़ता हैं। महिलाओं के रोजगार से संबंधित एक समस्या यह भी है कि पुरुष अभी भी उनके साथ सहयोगी के भाव से काम करने की मानसिकता नहीं बना पाया है। वह नारी को एक व्यक्ति के रूप में न देखकर उसे केवल एक प्रतीक मात्र ही मानता है। वर्तमान समय में भी 60 प्रतिशत महिलाओं को बाजार और अकेले यात्रा करने की अनुमति नहीं है। लगभग एक चौथाई महिला ऐसी हैं जिन्हें मित्रों से बात करने की अनुमति नहीं है, ऐसी स्थिति में उनका रोजगार कर पाना संभव ही प्रतीत नही होता है।

(iv) स्वास्थ्य एवं पोषण – महिलाओं में अस्वस्थता एवं कुपोषण की समस्या अक्सर देखी जाती है। बचपन से ही लड़कियों को वह पोषक पदार्थ नहीं दिए जाते जो घर के बेटों को दिए जाते हैं। महिलाएं स्वयं भी अपने शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य पर कम ध्यान देती हैं। प्रायः घर में देखा जाता है कि महिलाएं अपने पति और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन देती हैं और बाद में जो बच जाता है, उसे वह स्वयं खाती हैं। मातृत्व का भार भी महिलाओं के कंधों पर ही है। शारीरिक विश्राम, व्यायाम तो दूर की बात है उन्हे शिक्षा भी नहीं दी जाती। ज्यादातर महिलाओं में खून की कमी एवम् स्वास्थ्य सम्बंधित समस्या रहती है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत से व्यवसाय विशेषतया नारी के लिए हानिकारक हैं परंतु वहां भी उनकी देखभाल का कोई प्रबंध नहीं होता है। जिन घरों में महिलाओं के साथ मारपीट होती है वहां वह घुटन भरी जिंदगी व्यतीत करती है, उसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।

(v) धार्मिक अंधविश्वास एवं अज्ञानता – धार्मिक अंधविश्वास एवं अज्ञानता भी महिला सशक्तिकरण की एक प्रमुख समस्या है।पुरुष प्रधान धर्म ने लिंग भेदभाव का पोषण किया और नारी की स्थिति को पुरूषों की तुलना मे

निम्न समझा। महिलाओं को पुरुषों के आध्यात्मिक विकास में एक बाधा माना गया। कई धार्मिक अंधविश्वासी यह मानते हैं कि महिलाएं नर्क का द्वार हैं, ऐसे धार्मिक विचारों ने महिलाओं में हीन भावना उत्पन्न कीऔर उन्हें धार्मिक अंधविश्वासों का शिकार बना दिया।

(vi) आर्थिक व शैक्षिक अवसरों का अभाव – महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली एक बड़ी बाधा महिलाओं को आर्थिक व शैक्षिक अधिकारों से वंचित रखना है। भारत में जहां पुरुष साक्षरता 80 प्रतिशत के लगभग है वहीं महिलाओं में 70 प्रतिशत है। अगर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो यह आंकड़े और भी चिंता जनक हैं, 60 प्रतिशत महिलाओं को अकेले यात्रा करने की अनुमति नहीं है। लगभग एक चौथाई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महिला मित्रों से बात करने की अनुमति नहीं है और 25 प्रतिशत पुरुष यह जाने का प्रयास करते हैं कि उनकी पत्नियाँ कहां है। रोजगार की बात करें तो शहरी क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं ही रोजगार परक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत महिलाएं केवल कृषि और घरेलू कार्य तक ही सीमित हैं।

(vii) महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध – कार्य स्थल पर उत्पीड़न, सामाजिक नियंत्रण में कमी और खुलेपन के कारण महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों में वृद्धि हुई है, जो अधिकतर उनके अपने घर, परिवार एवं कार्य स्थलों पर घटित हो रहे हैं। हम आज महिलाओं के कल्याण व महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लैंगिक असमानता इंडेक्स 2022 में 146 देशों में भारत का 135वां स्थान है, जो कि बहुत चिंतनीय है। महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को दो रूपों में देखा जा सकता है– प्रथम–घर के अंदर होने वाली हिंसा। द्वितीय–कार्य स्थल पर होने वाली हिंसा।कार्य स्थल पर महिलाएं उत्पीड़न की घटना आए दिन देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत बलात्कार जैसी घटनाएं भी सम्मिलित होती हैं। लंबे समय तक महिलाकर्मियों का यौन शोषण भी होता है।

(viii) महिलाओं के प्रति घृणा – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला एवं पुरुष को एक समान मानते हुए दोनों को एक ही गाड़ी के दो पहिए स्वरूप माना जाता है। दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में सांसारिक गाड़ी ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती। इस सर्वकालिक तथ्य के बावजूद कतिपय धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों के कारण प्राचीन काल से ही पुरुष तथा महिला में तरह–तरह के विभेद किए जाने लगे। वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पुरुषों के सामान थी किंतु उत्तर वैदिक से लेकर मध्य एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रारंभ तक महिलाओं के प्रति घृणा व दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। यहां तक कि कहीं–कहीं धर्म शास्त्रों में भी महिलाओं के प्रति घृणा की भावना परिलक्षित होती है, किंतु पुरुषों के प्रति विरोध प्रदर्शित करने वाला कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। पुरुषों को चैतन्य एवं महिलाओं को वस्तु माना जाता है, जिसमें पुरुष प्रभावशाली हैं व महिलाएं पुरुषों की सेविका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रतीत होती हैं। महिलाओं को आंतरिक सुख प्राप्ति का साधन एवं अपने पुरुष की सेवा

करने वाला समझा जाता है। महिलाओं का मान इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने पालक पुरुषों की कितनी सेवा करती हैं, कितने बालकों को जन्म देती हैं और अपने पति की आज्ञा मानती हैं। अगर वह अपने पालक पुरुष की आज्ञा नहीं मानती हैं तो उसे व्यभिचारिणी मानकर दुत्कार दिया जाता है। कहीं–कहीं महर्षियों द्वारा धर्मशास्त्र में वर्णित आध्यात्मिक शक्तियों को तोड़–मरोड़ कर लाक्षणिक अथवा सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है, उदाहरण स्वरूप– आत्मा को सर्वोत्तम सत्ता की पत्नी के रूप में माना गया है। इस बात की टीका इस प्रकार से की गई कि जब तक एक नारी किसी पुरुष से विवाह नहीं कर लेती तब तक वह सुहागन नहीं हो सकती। कहीं–कहीं धर्मशास्त्र मे शुद्ध आत्मा को श्वेत एवं अशुद्ध आत्मा को श्याम मानते हैं। इस बात की टीका इस रूप में की गई कि श्वेत वर्ण की महिलाएं अच्छी होती हैं और श्याम वर्ण की महिला अच्छी नहीं होती और वही आत्मा अच्छी है जो निःस्वार्थ भाव से स्वयं को पूर्णता, सर्वोच्च सत्ता (पुरूष) पर निःस्वार्थ भाव से समर्पित कर सके। इस प्रकार महिलाओं के प्रति घृणा का व्यवहार प्राचीन काल से ही होता आ रहा है।

(ix) सामाजिक कुरीतियां – प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि महिलाएं शारीरिक संरचना से कमजोर होती हैं वह कुछ विशेष कार्य को संपादित नहीं कर सकती। वंश केवल पुरुषों द्वारा ही चलाया जाता है, इसलिए पुत्र होने पर जश्न और पुत्री होने पर किसी प्रकार का हर्ष और उल्लास नहीं मनाया जाता। दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों ने भी महिलाओं के प्रति भेदभाव को जन्म दिया। भारतीय संविधान में महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं बल्कि महिलाओं को कुछ और अधिक विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, इन सबके बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं। यह भेदभाव घर, परिवार, समाज एवं सामाजिक संस्था के हर स्तर पर व्याप्त है।

(x) सामाजिक मान्यताएं – महिलाओं को जन्म से ही पुरुषों से कम माना जाता है। यह एक सामाजिक मान्यता है कि लड़कियां बोझ होती हैं और लड़के कमाई का एक साधन। इन्हीं सामाजिक मान्यताओं के कारण बचपन से ही महिलाओं के साथ मानसिक पक्षपात किया जाता है और इस मानसिक हिंसा की शुरुआत जाने अनजाने परिवार में बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है। पोषक आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुविधा एवं शिक्षा में हमेशा उन्हें पुरुषों की तुलना में दोयम रखा जाता है। भारत में 30 प्रतिशत परिवार महिलाओं की अर्जित आय से चलते हैं किंतु उनके अर्जन के उपरांत भी उन्हें उपभोक्ता की वस्तु ही समझा जाता है, उत्पादकर्ता नहीं। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर भी कम है। उन्हें उनकी योग्यताओं के अनुरूप विकास के अवसर भी नहीं प्रदान किए जाते। जो महिलाएं घरेलू उत्तरदायित्व को पूर्ण करती हैं उनकी कभी प्रशंसा भी नहीं होती, किसी प्रकार की सुरक्षा भी उन्हें प्रदान नहीं की जाती है। अधिकांशतः यह माना जाता है कि महिलाएं घर के कामकाज करके ही खुश हैं, उन्हें किसी अन्य कार्य की आवश्यकता नहीं है। पुरुषवादी ऐसी मान्यताओं के कारण महिलाएं घर की चारदीवारी तक सीमित रह जाती हैं और आर्थिक उपार्जन न कर पाने

के कारण उन्हे हीन समझा जाता हैं। पौराणिक सामाजिक मानसिकता इन मान्यताओं को बल देती हैं कि नैतिक रूप से पुरुष महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ है, गौर वर्ण की महिलाएं श्याम वर्ण की महिलाओं से श्रेष्ठ हैं, अधिक आयु वाले कम आयु वालों से श्रेष्ठ हैं एवं अमीरगरीबों से श्रेष्ठ हैं। भारतीय सामाजिक ढांचे में पुरुष एवं महिलाओं की अलग–अलग भूमिकाएं हैं। विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरुषों के समान नहीं है। महिलाओं को परंपरागत भूमिका सौपी जाती हैं जैसे माता, पत्नी, गृहणी, रसोईया और बच्चों की देखभाल करने वाली।

(xi) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा – हमारे देश में महिलाओं को शक्ति, श्रद्धा व आदर के भाव से देखा जाता है। वैदिक काल में चाहे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी किंतु उत्तर वैदिक काल के बाद महिलाएं लंबे समय से यातनाओं का शिकार हुईं, निरन्तर शोषण और अवमानना का शिकार होती रहीं। आधुनिक युग में उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के फलस्वरुप बढ़ती स्वच्छंदता ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध को बढ़ावा दिया है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अनेक स्वरूप हैं, जैसे बलात्कार, दहेज हत्या, लज्जा, भंग, यौन उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा। ऐसा कोई कार्य या लोक आचरण जो किसी महिला के स्वास्थ्य, शरीर, मन को क्षतिग्रस्त करता हो घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा के पांच स्वरूप होते हैं–

1. शारीरिक दुर्बलता
2. यौन दुर्बलता
3. मौखिक दुर्बलता
4. भावात्मक दुर्बलता
5. आर्थिक दुर्बलता

सच्चाई तो यह है कि महिलाएं न ही घर पर सुरक्षित हैं और न ही घर के बाहर। महिलाओं के प्रति हिंसा के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा व घरेलू हिंसा अधिकांशतः उनके अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों के द्वारा ही होते हैं। समय के साथ हिंसा के मामलों में परिवर्तन आया है, कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से महिला एवं बालिकाओं को शिकार बनाया जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में आधुनिक जीवन शैली का भी अहम योगदान है। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग बलात्कार के 41, दहेज के 19, मृत्यु के 31, यौन उत्पीड़न के 113, छेड़छाड़ के 64 मामले दर्ज होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या सालाना 2 लाख तक पहुंच गई है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि देश के किसी न किसी कोने में हर घंटे में एक महिला को या तो मार दिया जाता है या मौत की तरफ धकेल दिया जाता है। दहेज मृत्यु का सालाना आंकड़ा 9000 से भी अधिक है। यह सिर्फ आंकड़े हैं जमीनी सच्चाई तो इससे भी कहीं और अधिक है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. 2021 में महिला साक्षरता दर कितनी थी?

.....

.....

.

6. लैंगिक असमानता इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था?

.....

.....

7. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कितने रूप होते हैं?

.....

.....

13.8 महिला सशक्तिकरण हेतु रणनीतियाँ

महिलाओं के विरुद्ध शोषण और उत्पीड़न होने के बावजूद भी महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया है एवं उसमें अपना वर्चस्व कायम किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–14 महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद–15 महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद–16 सभी नागरिकों को रोजगार के समान अवसर देता है। अनुच्छेद–39 सुरक्षा, रोजगार तथा समान कार्य करने के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था करता है। महिलाओं के विभिन्न संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने महिलाओं को विशेष ध्यान में रखकर उनसे संबंधित कानूनों का निर्माण भी किया है ताकि उन्हें शोषण, उत्पीड़न से बचाकर पूर्ण सम्मान दिया जा सके। इसके अतिरिक्त सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास को महत्व दिया गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु समेकित बाल विकास योजना तथा आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण महिला व शिशु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित कर महिला सशक्तिकरण नीति तैयार की गई।

13.8.1 महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास

महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

1. कामधेनु योजना – कामधेनु योजना अपंग, परित्याग व आश्रयहीन महिलाओं को स्व–रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षा में लड़कियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

2. किशोरी बालिका योजना – बिहार सरकार के द्वारा 11 से 18 वर्ष तक की सभी लड़कियों के पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें अक्षर ज्ञान व अंक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की किशोरियां व कम आमदनी वाले परिवार की किशोरियां लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होती हैं।

3. स्वास्थ्य सखी योजना – जच्चा–बच्चा की स्वास्थ्य देखभाल एवं जन जागरूकता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सखी योजना के अंतर्गत आठवीं कक्षा तक पढ़ी 18 से 35 वर्ष की आयु की अनुसूचित जाति–जनजाति की महिलाओं को मिडवाइफ के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। चयनित महिलाओं को ₹500 प्रतिमाह भत्ता भी प्रदान किया जाता है।

4. सैनेटरी मार्ट योजना – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर पर मैला उठाने की प्रथा पर रोक लगाए जाने के परिणाम स्वरुप बेरोजगार हुए लोगों के पुनर्वास के उद्देश्य से महिलाओं के लिए केंद्रित यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार हुए लोगों को, मुख्य रूप से महिलाओं को सेनेटरी की दुकान स्थापित करने के लिए ढाई लाख रुपए तक का ऋण देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है।

5. अपनी बेटी अपना धन योजना – बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1994 को हरियाणा सरकार ने यह योजना प्रारम्भ की। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की नवजात बालिकाओं के नाम से ढाई हजार रुपए सरकार द्वारा इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से निवेश कर दिया जाता है। 18 वर्ष के पश्चात यह राशि लगभग 25000 रुपए के रूप में देय होती है तथा यह राशि उसी को ही प्राप्त होती है जिसके नाम पर प्रपत्र बना है।

6. देवी रूपक योजना – हरियाणा सरकार के द्वारा चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना की घोषणा की गई। इस योजना का मूल उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए दंपत्तियों को जागरूक करना है, प्रजनन योग्य दंपत्तियों विशेषतया नव विवाहिताओं को लक्षित करते हुए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अगर दंपत्ति पहले बच्चे लड़के के जन्म के उपरांत नसबंदी कराता है तो उसे ₹200 प्रति माह की राशि और अगर पहला बच्चा लड़की के जन्म पर दंपति नसबंदी कराता है

तो ₹500 प्रति माह राशि दी जाती है। दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि दोनों लड़कियां हो तब नसबंदी कराने पर यह राशि 200 रुपए प्रतिमाह होती है।

7. बालिका संरक्षण योजना – आंध्र प्रदेश में बालिकाओं को संरक्षण व समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना प्रारंभ की। इस योजना में 7000 से अधिक ऐसी लड़कियों को लक्षित किया गया जो निर्धन परिवारों से आती हैं। इस योजना का उद्देश्य कम से कम माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं को शिक्षित करना तथा 18 वर्ष के पश्चात उनका विवाह करना भी है। इस योजना में कन्या के नाम पर कुछ कल्याण राशि को निवेश करने का प्रावधान भी किया गया है।

8. पंचधारा योजना – मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर 1991 से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनके कल्याण एवं विकास हेतु पंचधारा योजना आरंभ की गई है। इस योजना में पांच उप योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

9. वात्सल्य योजना – इस योजना के अंतर्गत प्रसव काल में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

10. ग्राम योजना – ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को लघु व्यवसाय आरंभ करने हेतु कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है।

11. आयुष्मति योजना – आयुष्मति योजना अति निर्धन महिलाओं के बीमार होने पर उनके उपचार व पौष्टिक आहार का प्रबंध करने हेतु बनाई गई है।

12. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना–सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना गरीब, निराश्रित व विधवाओं के लिए बनाई गई है, जिसमें उन्हें प्रति माह कुछ धनराशि वेतन के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

13. कल्पवृक्ष योजना – कल्पवृक्ष योजना आदिवासी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराती है।

14. ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना – वर्ष 2003 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य सभी 52000 गांवों में एक–एक ग्रामीण को इंजीनियरिंग शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 25000 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना था। ऐसी व्यवस्था दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी,इसके लिए 10+2 परीक्षा में सफल महिलाओ को प्रशिक्षित किया जाता है।इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रथम वरीयता दी जाती है।

15. राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 2001 – महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से उनको राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास में बराबरी की भागीदारी के अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा 2001 में की गई। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी प्रावधानों को भली भांति लागू करने का दृढ़ निश्चय भी किया गया ताकि इस योजना से अधिक से अधिक महिलाएं लाभ उठा सकें। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के अंतर्गत महिलाओं के समुचित विकास और उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कानून के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। महिला उत्थान योजना–2001 के मुख्य बिंदु निम्न है –

- देश में महिलाओं के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करना,जिससे वह अधिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें।
- महिलाओं को अधिकारों से परिचित करा कर उन्हें उनका उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना ताकि उन्हें पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और न्यायिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता देते हुये समान हिस्सेदार बनाया जा सके।
- महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके।
- महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के शोषण एवं भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित कानूनी प्रणाली और सामुदायिक प्रक्रिया विकसित की जा सके।
- देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।
- समाज में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार व दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सके और महिला और पुरुषों को समाज में बराबरी की भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान किया जा सके।
- महिलाओं और बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध के रूप में व्याप्त असमानता और सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सके।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. स्वास्थ्य सखी योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई ?

.....

.....

9. हरियाणा सरकार द्वारा अपनी बेटी अपना धन योजना किस वर्ष में चलाई गई?

.....

.....

10. राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति प्रकाश में कब आई?

.....

.....

13.8.2 आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजनाएं

सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं उनके विकास हेतु कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं–

- न्यू मॉडल चरखा योजना (1987)
- नौराड प्रशिक्षण योजना (1989)
- महिला समाख्या योजना (1989)
- मातृ एवं शिशु स्वस्थ कार्यक्रम (1992)
- राष्ट्रीय महिला कोष ऋण योजना (1993)
- ऋण प्रोत्साहन योजना (1993)
- स्वयं सहायता समूह योजना (1993)
- विपणन वित्त योजना (1999)
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1994)
- मार्जिन मनी ऋण योजना (1995)
- ग्रामीण महिला विकास योजना(1996)
- राज राजेश्वरी बीमा योजना (1997)
- स्वास्थ्य सखी योजना (1997)
- ड्वाकरा कर योजना (1997)

महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु कई योजना को व्यापक स्तर पर संचालित किया गया, इसके अतिरिक्त किशोरी शक्ति योजना, महिला स्वयं सिद्ध योजना, महिला स्वाधार योजना, महिला ऋण योजना, स्वशक्ति योजना आदि अन्य प्रमुख योजनाएं हैं जो महिलाओं के आर्थिक विकास में सहायक है। इसके साथ ही पूर्व में संचालित

बालिका समृद्धि योजना में भी व्यापक संशोधन किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

13.8.3 राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु महिला आरक्षण विधेयक

केंद्र सरकार के द्वारा संसद तथा विधान मंडल में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 में प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक को पास करने हेतु सभी राजनीतिक पार्टियों में एक राय रखने की कोशिश की गई। इससे पूर्व 1993 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर सदस्यों और अध्यक्षों के लिए महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने हेतु 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन भी किया गया। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से देश के सभी प्रान्तों में ग्रामीण और शहरी पंचायत के सभी स्तरों पर महिला राज्य जनप्रतिनिधियों के रूप में लगभग कई लाख महिलाएं अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है। महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं हेतु प्रमुख प्रावधान निम्नांकित हैं–

1. संविधान के अनुच्छेद 330 के खंड (1) में लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे।

2. संविधान के अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के जहां तक संभव हो एक तिहाई स्थान यथाशक्ति अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

3. किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल संख्या के, जहां तक संभव हो, एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे स्थान उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में भिन्न–भिन्न चुनाव क्षेत्रों को चक्र अनुसार लॉटरी द्वारा आवंटित किए जा सकेंगे।

4. ऐसे नाम निर्देशक लोकसभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनो से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लॉक के संबंध में किए जाते हैं, वहां एक स्थान प्रथम दो साधारण निर्वाचनो के पश्चात गठित की जाने वाली प्रत्येक लोक सभा के लिए एंग्लो– इंडियन समुदाय की महिला के लिए आरक्षित रहेगें और तीसरे साधारण निर्वाचन के पश्चात गठित की जाने वाली लोकसभा में उस समुदाय की महिला के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

5. संविधान के अनुच्छेद 332 क(1)के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे ।

13.8.4 महिलाओं के लिये संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गयी हैं एवं कई अधिनियमों को लागू किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 19, 23 और 39 के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग,

जन्म स्थान, जीविका आदि के आधार पर अवसर की समानता सहित जबरन काम करवाने आदि को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण प्रदान करने हेतु कुछ विशेष कानून बनाये गये हैं –

- बागान श्रम अधिनियम (1951)
- खान अधिनियम (1952)
- बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम (1966)
- प्रसूति सुविधा अधिनियम (1961)
- दहेज निषेध अधिनियम (1961)
- दहेज निषेध अधिनियम संशोधन (1986)
- ठेका श्रम अधिनियम (1970)
- समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)
- बाल विवाह निषेध अधिनियम (1986)
- सती निषेध अधिनियम (1987)
- प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994)

महिलाओं को विशेष सुविधा एवं संरक्षण प्रदान करने तथा घरेलू हिंसा से निजात दिलाने के लिए 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया है। विशाखा केस के दिशा निर्देश 1997 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार यौन शोषण के विरुद्ध कानून बनाया गया। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम 2013 लागू किया गया। वर्ष 2000 को महिला सशक्तिकरण वर्ष तथा वर्ष 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है ताकि महिलाओं को अधिकाधिक सशक्त बनाया जा सके। कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों तथा प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु एवं महिलाओं का सम्मान किये जाने हेतु एक जन अभियान चलाए जाने की अभी भी आवश्यकता है ।

13.8.5 घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005

किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसात्मक आपराधिक आचरण करना कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ घरेलू अत्याचार लगातर किया जा रहा है। देश में 1983 से घरेलू हिंसा को एक समस्या के रूप में मान्यता देते हुए विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता को अपराध माना गयाहै, जिसे दहेज हत्या के साथ जोड़ा गया है तथा अपराध कानून में संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े गए हैं परन्तु इस कानून में दूसरे कारणों से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा की अनदेखी होती है जिसके कारण घरेलू

हिंसा अधिनियम के माध्यम से उस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत पीड़ित महिला को न्यायालय से आदेश पाने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त महिलाओं को ऐसा आदेश भी हासिल है जिससे उसे ससुराल से न निकाला जा सके। इस कानून के अंतर्गत महिला न्यायालय में मुकदमे के दौरान खर्च हेतु अदालत से तात्कालिक वित्तीय सहायता की मांग भी कर सकती है। 26 अक्टूबर 2005 से इस अधिनियम को लागू किया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मौखिक एवं यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध अनुतोष का प्रावधान भी किया गया है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता की सुरक्षा हेतु कई आदेश पारित किये जा सकते हैं, जैसे–संरक्षण आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक आदेश एवं प्रतिकार आदेश। संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए एक वर्ष तक कारावास या ₹20000 जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान किया गया है।

13.8.6 महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया कोष

16 सितंबर2013 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के सहयोग से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी निर्भया कोष के संदर्भ में तीन प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल हैंडसेट में एसओएस अलर्ट प्रणाली की अनिवार्यता, पुलिस–प्रशासन और मोबाइल फोन नेटवर्क के साथ एकीकरण तथा सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। सार्वजनिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, विशेष क्षेत्र में रेलगाड़िया में एसओएस अलर्ट प्रणाली की व्यवस्था एवं विशेष निर्भया कोष की स्थापना की गई है।

13.8.7 द वर्क इन फ्रीडम इनिशिएटिव 2013

एशिया महाद्वीप में कम से कम एक लाख लड़कियों को 'मजदूरी करने के लिए तस्करी' के चंगुल से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई0एल0ओ0 और ब्रिटेन सरकार ने एक साथ मिलकर काम किया। आई0एल0ओ0 और ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2013 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस संयुक्त प्रयास को 'द वर्क इन फ्रीडम इनीशिएटिव' के नाम से जाना जाता है। इसके लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. दक्षिण एशियाई देशों की कम से कम एक लाख लड़कियों एवं महिलाओं को बाल श्रम एवं श्रम तस्करी से बचाना।

2. कानून संरक्षण के साथ महिला श्रमिकों को सुरक्षित व सफल पलायन तथा प्रवास से पहले तस्करी के जोखिम को कम करना।

3. निजी क्षेत्र की कंपनियों और नियोक्ताओं द्वारा भर्ती एवं उचित रोजगार की नैतिक मांगों का पालन। इसमें कम से कम 1000 एजेंसियों को शामिल करना। यह हजारों प्रवासी महिलाओं के लिए लाभदायक होगा।

4. दक्षिण एशिया की 30,000 प्रवासी महिला श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण करना तथा आय व काम की स्थितियों पर नियंत्रण, परिवार को धन के नियमित प्रेषण एवं आय को बचाने हेतु क्षमता प्रदान करना।

5. लगभग 50,000 प्रवासी महिला श्रमिकों को प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कौशल और अन्य सेवाएं प्रदान करना ताकि कानूनी अनुबंध एवं उचित मजदूरी सुरक्षित करने में मदद मिल सके।

6. 16 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के बाल श्रम एवं पलायन को रोकना और उनकी स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना साथ ही तस्करी को रोकने के लिए एक मजबूत आधार का विकास करना।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

11. घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम किस सन् में बनाया गया?

.....

.....

12. महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया कोष किस सन् में बनाया गया?

.....

.....

13.9 सारांश

प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को देवी एवं सृष्टि निर्माता के रूप में माना गया है। वैदिक काल में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे किंतु समय परिवर्तन के साथ महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया। संकीर्ण मानसिकता के कारण महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट आती गई, परंतु फिर भी महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय प्रत्येक क्षेत्र में दिया है। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए हैं परन्तु महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरुषों से अभी काफी पीछे हैं। महिलाओं को परिवार की आधारशिला माना गया है तथा समाज कल्याण में महिलाओं की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया सकता है। महिला एवं पुरुष समान रूप से समाज के विकास को आगे ले जाते हैं अतः आवश्यकता है कि आधी आबादी (महिला) को साक्षर, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाया जाए। सशक्तिकरण महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न कर उन्हें भौतिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक सभी स्तर पर सशक्त बनाने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वह आर्थिक रूप संपन्न हो सकें, समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सकें, अपनी क्षमताओं

को विकसित कर नेतृत्व क्षमता का विकास कर सकें, स्वयं निर्णय ले सकें तथा समाज के विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। महिलाओं के सशक्तिकरण मे शिक्षा एवं समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज के निर्माण में महिला एवं पुरूष दोनों की समान रूप से भागीदारी होती है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं उनकी समस्याओं के निदान मे सहायक होती है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं शिक्षित होती है वरन अपने परिवार को भी शिक्षित करती है। सामाजिक कुप्रवृत्तियां एवं कुप्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है, आज भी महिलाओं को अनेकों समस्याओं जैसे–दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, कार्य क्षेत्र पर उत्पीडन, लैंगिक भेदभाव आदि का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की इस स्थिति में सुधार हेतु संविधान के द्वारा महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु कई संवैधानिक प्रयास भी किए है किंतु अभी भी महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूर्ण रूप से हासिल नहीं हो पाया है, इसके लिए परिवार, समाज एवं सरकार सभी को सम्मिलित हो कर प्रयास करने होंगे।

13.10 अभ्यास के प्रश्न

1. महिला सशक्तिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महिला सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए।
2. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए।
3. महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओ का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
4. महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

13.11 चर्चा के बिन्दु

1. महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों पर चर्चा कीजिए।
2. महिला सशक्तिकरण के लिए आने वाले विभिन्न अवरोधों पर चर्चा कीजिए।

13.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. गत्यात्मकता
2. शक्ति
3. पांच
4. 30 प्रतिशत
5. 70.30 प्रतिशत
6. 135वां
7. पांच
8. उत्तर प्रदेश सरकार

9. 1994
10. 2001
11. 2005
12. 2013

13.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. भारतीय समाज, एन0सी0ई0आर0टी0।
2. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, एन0सी0ई0आर0टी0।
3. जी0एल0 शर्मा, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
4. डॉ0 धरम वीर महाजन, समाजशास्त्र, विवेक पब्लिकेशन, दिल्ली।
5. योगेंद्र शर्मा, महिला सशक्तिकरण, लोक भारती पब्लिकेशन।

इकाई – 14 : वर्तमान सामाजिक संरचना और बालिका शिक्षा

इकाई संरचना

14.1 प्रस्तावना

14.2 इकाई के उद्देश्य

14.3 सामाजिक संरचना का अर्थ

14.4 सामाजिक संरचना की परिभाषाएं

14.5 सामाजिक संरचना के तत्व

14.6 सामाजिक संरचना की विशेषताएं

14.7 सामाजिक संरचना के प्रकार

14.8 भारत में बालिका शिक्षा का इतिहास

14.9 बालिका शिक्षा की समस्याएं

14.10 बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु किये गये प्रयास

14.11 सारांश

14.12 अभ्यास के प्रश्न

14.13 चर्चा के बिन्दु

14.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

14.1 प्रस्तावना

भारतीय समाज की संरचना विविधता के लिए जानी जाती है। भारतीय संस्कृति एकता में विभिन्नता को समाहित किए हुए है। भारतीय समाज की संरचना परिवर्तनशील है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, संस्कृति एवं परंपरा के लोग आपसी सहयोग से रहते हैं और आपस में अतःक्रिया करते हुए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सामाजिक संरचना परिवर्तनशील होती है चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक या सांस्कृतिक। सामाजिक संरचना के अंतर्गत समाज के सभी तत्व एक दूसरे से मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों की बुनियादी श्रेणियों के रूप में परिभाषित की जाती है जिसमें भाषा, क्षेत्र, जाति, वर्ग, धर्म, परम्परा और संस्कृति समाहित होती है। किसी भी देश की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसकी एक सामाजिक संरचना होना अति आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक संरचनाओं के द्वारा ही समाज में स्थिरता आती है। परिवार, समुदाय, अर्थव्यवस्था, कानून आदि सभी सामाजिक संरचनाओं के उदाहरण हैं। सामाजिक संरचना को उसके मानकों व मानदंडों के रूप में जाना जाता है जिसमें समाज के लोग उन्हें मानने के लिए बाध्य होते हैं और इन्हें मानते हुए एक दूसरे के साथ अन्तर्क्रिया करते हैं।

वर्तमान भारतीय सामाजिक संरचना में आधुनिकता और परंपरागतता साथ–साथ चलते हैं। जहां आधुनिकता के द्वारा व्यक्तियों के जीवन शैली में परिवर्तन आता है वही परंपरा उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़े रहने देती है। भारतीय सामाजिक संरचना बहु–क्षेत्रीय व बहु–भाषी है। सामाजिक संरचना एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक संरचना समाज में नियमों और आदर्शों की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तियों के कार्यों को निर्धारित करती है। समाज संरचनात्मक रूप से व्यक्तियों को अपने से जोड़े रखता है जहां व्यक्ति अपनी विशेष भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। सामाजिक संरचना अपने में विभिन्न प्रणालियों को समाहित किए होती है, जिसमें आर्थिक प्रणाली, कानूनी प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली व सांस्कृतिक प्रणालियाँ आदि सम्मिलित होती हैं। इन्हींप्रणालियों के द्वारा समाज तथा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है तथा समाज की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंधों के मानक और पैटर्न को भी निर्धारित करती हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह किसी न किसी समाज का सदस्य होता है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समूह से जुड़ा रहता है और यह समूह मित्र, परिवार, रिश्तेदार, लिंग, देश, प्रदेश इत्यादि के रूप में परिलक्षित होते हैं। सामाजिक संरचना के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को कार्य करने हेतु दिशा निर्देशित करता है। सामाजिक संरचना शब्द से स्पष्ट होता है कि यह समाज का एक संरचनात्मक रूप होता है जो कि नियमित व परिवर्तनशील है। सामाजिक संरचना को समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण, उनके संबंध तथा व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। समाज की सामाजिक संरचना मानवीय क्रियाओं तथा संबंधों के आधार पर निर्मित होती हैं। सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग समाजशास्त्री **हरबर्ट स्पेंसर** ने किया था। दुर्खीम ने कहा है कि समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाता है और यह सामाजिक संरचना के आधार पर ही निर्धारित होता है। व्यक्तिपर समाज का प्रभुत्व होता है। इसमें दृढ़ता तथा कठोरता भी पाई जाती है। सामाजिक संरचना हमारी

क्रियाओं की सीमा निश्चित करती हैं। एक व्यक्ति के रूप में हमें किसी न किसी सामाजिक संरचना में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करना होता है।

भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा परंपरा में नारियों को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है। उन्हें देवी, माता कह कर संबोधित किया जाता था, परंतु इसके बावजूद भी कतिपय रूढ़िवादी कारणों से एक लंबे समय तक महिलाओं को विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना करने से दूर रखा गया। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में– महिलाओं को सदैव असहायतथा दूसरों पर दासत्व निर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया। समय के साथ महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर आप उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। महिला तथा पुरूष दोनों समान रूप से समाज रूपी रथ के दो पहिए होते हैं और वह समाज को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं ऐसे में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः महिलाओं को भी शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाने चाहिए क्योंकि अगर एक भी पक्ष कमजोर होगा तो प्रगति का रथ रुक जायेगा। वर्ष 2011 की जनगणना पर नजर डालें तो भारत में महिला साक्षरता दर 64.46 प्रतिशत है जो पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत से काफी कम है।

वैश्विक परिदृश्य में यह आंकड़े और भी कम (79.70प्रतिशत) हैं। जनगणना के यह आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में महिला साक्षरता दर काफी कम है। कुछ राज्यों में तो यह आंकड़े और भी चिंताजनक हैं, राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12 प्रतिशत, बिहार में 51.50 प्रतिशत है जो महिलाओं की खराब स्थिति को दिखाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत कम लड़कियों का स्कूल में दाखिला कराया जाता है और अगर दाखिला कराया भी जाता है तो बीच में ही उन्हें स्कूल छोड़ देना पड़ता है। इसके अलावा भारत में ऐसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ और रूढ़िवादी मान्यताएं हैं जिनके कारण बालिकाएं स्कूल नहीं पहुंच पाती हैं। भारत में 15 से 24 आयु वर्ष की महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.50 प्रतिशत है जबकि समान आयु वर्ग के पुरुषों में यह 9.80 प्रतिशत है। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि 15 से 18 आयु वर्ष की लगभग 39.40 प्रतिशत लड़कियां स्कूल शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है और इनमें से भी अधिकतर घरेलू कार्य में या भिक्षावृति जैसे कार्य में संलग्न हैं। आकड़े यह भी स्पष्ट करते हैं कि भारत में अभी भी 145 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह स्थिति और भी चिंताजनक है।

14.2 इकाई के उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जाएंगे कि–

1. सामाजिक संरचना के संप्रत्यय को समझ कर अभिव्यक्त कर सकेंगे।
2. सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वों से अवगत हो सकेंगे।

3. सामाजिक संरचना को समझ कर उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
4. सामाजिक संरचना के विभिन्न प्रकार को समझ कर छात्रों को अध्ययन हेतु प्रेरित कर सकेंगे।
5. सामाजिक संरचना का संप्रत्यय समझ कर उसका विश्लेषण कर सकेंगे।
6. बालिका शिक्षा के सम्प्रत्यय को समझ सकेंगे।
7. बालिका शिक्षा के इतिहास से परिचित हो सकेंगे।
8. बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु किए गए प्रयासों से परिचित हो सकेंगे।
9. बालिका शिक्षा की समस्याओं को समझ कर उनको अध्ययन हेतु प्रेरित कर सकेंगे।
10. बालिका शिक्षा हेतु निर्मित विभिन्न समितियों से अवगत हो सकेंगे।

14.3 सामाजिक संरचना का अर्थ

सामाजिक संरचना समाज की कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थान, समुदाय, संघ, प्रतिमान, मूल्य और आदर्श से मिलकर बनती है। यह सामाजिक इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से संबंधित होती हैं और स्थिर होती हैं। इन सभी इकाइयों के सहयोग से समाज का एक बाह्य स्वरूप परिलक्षित होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना व्यक्तियों का एक ऐसा व्यवस्थित रूप है, जिसमें उसके सामाजिक संबंध किसी विशिष्ट संस्थागत मूल्य के द्वारा निर्मित होते हैं। सामाजिक संरचना में संस्थाओं की विशिष्ट स्थिर व्यवस्था पाई जाती है, जिसके द्वारा समाज में मनुष्य परस्पर अंतः क्रिया करते हुए एक साथ रहते हैं। सामाजिक संरचना समाज के लोगों को आपस में जोड़कर रखती है। सामाजिक संरचना में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा भी साथ–साथ चलती है। अतः कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज के अपेक्षाकृत बदले नियम व सिद्धांत होते हैं, जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं यह मानव समाज की व्यवस्थित प्रणाली है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था?

.....

.....

2. समाज के किस रूप में सामाजिक संरचना परिलक्षित होती है?

.....

.....

14.4 सामाजिक संरचना की परिभाषाएँ

समाजिक संरचना कि प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं–

स्पेंसर के अनुसार

''सामाजिक संरचना को भूमिका के उन परिचित प्रतिमानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मुख्य रूप से सामाजिक कार्य अथवा क्रिया की पूर्ति के लिए संगठित हैं।''

रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार

''सामाजिक संरचना को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच वह क्रमबद्ध व्यवस्था है जो उनके निश्चित संबंधों के बीच में प्रकट होती है।''

कार्ल मैनहीम के अनुसार

''सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है। जिससे विभिन्न प्रकार की अवलोकन और विचार शक्तियों का सृजन होता है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना क्रमबद्ध प्रक्रिया है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. सामाजिक संरचना किस सामाजिक शक्तियों का जाल है?

.....

.....

4. सामाजिक संरचनाव्यक्तियों के बीच किस प्रकार की क्रमबद्ध व्यवस्था है?

.....

.....

14.5 सामाजिक संरचना के तत्व

सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं–

(i) सामाजिक आदर्श

सामाजिक संरचना का मुख्य तत्व सामाजिक आदर्श हैं। आदर्श मुख्य रुप में समाज द्वारास्वीकृत आचरण के तरीकों को कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः मनुष्य की संरचना समाज पर निर्भर करती है। समाज में रहकर ही मनुष्य सहयोग एवं एक दूसरे की सहायता करना सीखता है। वह समाज के आदर्शों एवं

नियमों के द्वारा ही निर्देशित होता हैं। आदर्शों के अभाव में सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती है। आदर्शों के माध्यम से ही व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान कराकर उनके व्यवहार को निर्देशित किया जा सकता है।

(ii) सामाजिक प्रास्थिति

सामाजिक संरचना की सबसे छोटी व महत्वपूर्ण इकाई सामाजिक प्रास्थिति है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति एक विशेष समय में कोई न कोई स्थान अवश्य धारित करता है। यह उच्च भी हो सकता है और निम्न भी। इस पद को समाजशास्त्र की भाषा में सामाजिक प्रास्थिति कहते हैं। यह प्रास्थिति मनुष्य को दो प्रकार से प्राप्त होती है–समाज के द्वारा प्राप्त प्रास्थिति तथा व्यक्ति की स्वयं के द्वारा अर्जित की गई प्रास्थिति।

(iii) सामाजिक भूमिका

सामाजिक के प्रास्थिति आधार पर ही व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का समाज में निर्वहन करता है। किसी व्यक्ति से उसकी सामाजिक प्रास्थिति के अनुरूप आचरण की प्रत्याशा ही सामाजिक भूमिका कहलाती है सामाजिक प्रास्थिति गत्यात्मक रूप से सामाजिक भूमिका के निर्वहन में सहायक होती है। व्यक्ति की सामाजिक भूमिका उसके कर्तव्य और दायित्व से संबंधित होती है। व्यक्ति एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वहन कर सकता है; उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति ऑफिस में अधिकारी के रूप में, परिवार में पिता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. समाज द्वारा स्वीकृत किस मूल्य को सामाजिक आदर्श कहते हैं?

.....

.....

6. प्रास्थिति कितने प्रकार की होती है?

.....

.....

14.6 सामाजिक संरचना की विशेषताएं

सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

(i) स्थायित्व व निरंतरता

सामाजिक संरचना के अन्तर्गत समाज में स्थायित्व एवं निरंतरता परिवर्तनशील पाई जाती है और यह सामाजिक क्रियाओं के आधार पर परिलक्षित होती है ।

(ii) विभिन्न अंगों का योग

सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों से मिलकर बनती हैं, जैसे– सामाजिक संस्था, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक प्रास्थिति, सामाजिक भूमिका आदि। यह सभी अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं।

(iii) अमूर्त अवधारणा

सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है। सामाजिक संरचना प्रतिमानों, संस्थाओं के नियमों, कार्य प्रणालियों व व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, जिस कारण से इसे अमूर्त अवधारणा कहा जाता है।

(iv) गत्यात्मक प्रकृति

सामाजिक संरचना की प्रकृति गत्यात्मक व परिवर्तनशील होती है। सामाजिक संरचना समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

(v) भिन्नता

प्रत्येक समाज की संरचना अपनी विशिष्ट परंपरा, रीति रिवाज, विवाह संस्थाओं, मान्यताओं इत्यादि के द्वारा जानी जाती है। किसी भी समाज की सामाजिक संरचना एक समान नहीं होती। जिस तरह का समाज होता है उसी प्रकार की सामाजिक संरचना भी होती है।

(vi) आदर्शात्मक एवं काल्पनिक प्रतिमान

सामाजिक संरचना में आदर्श एवं काल्पनिक प्रतिमान के अनुरूप व्यवहार पाए जाते हैं। समाज में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर निश्चित होते हैं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत आदर्शात्मक एवं काल्पनिक दोनों ही प्रतिमान को सम्मिलित किया जाता है।

(vii) विभिन्न स्तर

सामाजिक संरचना में अनेक स्तर पाए जाते हैं, जैसे– व्यक्तिगत स्तर, सामुदायिक स्तर, सामाजिक स्तर आदि। अतः सामाजिक संरचना विभिन्न स्तरों से मिलकर बनती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. सामाजिक संरचना की प्रकृति कैसी होती है?

.....

.....

8. सामाजिक संरचना की क्या अवधारणा है?

.....

.....

14.7 सामाजिक संरचना के प्रकार

पारसन ने मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के चार प्रकार बताये हैं–

(i) सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य

यह वह मूल्य होते हैं जो सभी समाज में पाए जाते हैं।

(ii) विशेष सामाजिक मूल्य

यह प्रत्येक समाज में अलग–अलग पाए जाते हैं। विशेष सामाजिक मूल्य समाज की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। यह मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं।

(iii) प्राप्त सामाजिक मूल्य

यह वह मूल्य होते हैं जिनको प्रयासों के द्वारा प्राप्त किया जाता है या ये कहें कि इन्हें परिस्थितियों के आधार पर अर्जित किया जाता है।

(iv) निर्धारित सामाजिक मूल्य

यह वह मूल्य होते हैं जो वंशानुगत आधार पर प्राप्त होते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. समाज की विशेषता को प्रकट करने वाला मूल्यक्या है?

.....

.....

10. वंशानुगत पर आधारित मूल्य के क्या प्रकार हैं?

.....

.....

14.8 भारत में बालिका शिक्षा का इतिहास

(i) प्राचीन काल में बालिका शिक्षा

वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था। वैदिक कालीन साहित्य में गार्गी, मैत्रेयी, शकुंतला जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का प्रमाण मिलता है जिन्हें पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। परंतु यह अधिकार केवल कुछ संभ्रांत परिवार की बालिकाओं तक ही सीमित था जो शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का सदुपयोग कर पाती थीं। वैदिक काल में स्त्रियों के लिए पृथक से शिक्षा संस्थानों की कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण बालिकाओं को बालकों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी अर्थात् उस समय सह–शिक्षा व्यवस्था का प्रचलन था। वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उत्तरदायित्व परिवार पर ही होता था। जहां पिता, पति या गुरु परिवार या आश्रम में ही बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करते थे। वैदिक काल में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई सुसंगठित व्यवस्था नहीं थी परंतु फिर भी वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, भद्रा, अपाला जैसी अनेक नारियों ने महिला शिक्षा व विद्या का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उत्तर वैदिक काल में बालविवाह का प्रचलन होने के कारण बालिकाओं की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगे।

(ii) बौद्ध काल में बालिका शिक्षा

बौद्ध काल के प्रारंभिक वर्षों में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मठ में प्रवेश नहीं दिया जाता था परंतु महात्मा बुद्ध ने बालिकाओं को बाद में संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जिसने बालिका शिक्षा को एक नया आयाम दिया। जिसके कारण बालिका शिक्षा को एक नया जीवन मिला परंतु यह शिक्षा भी केवल कुलीन वर्ग की बालिकाओं तक ही सीमित रह गई। परिणामस्वरुप भारत में बहुत लंबे समय तक सामान्य बालिकाओं की शिक्षा लगभग उपेक्षित ही रही। परंतु उस समय भी संघमित्रा जैसी विदुषी नारियों ने शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन किया।

(iii) मुस्लिम काल में बालिका शिक्षा

मुस्लिम काल में भी सामान्य बालिकाओं की शिक्षा उपेक्षित रही। उस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण छोटी–छोटी बालिकाएं शिक्षा प्राप्ति के अवसर से वंचित रह जाती थीं। इतिहास के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मुस्लिम काल में अल्पायु बालिकाओं को कुछ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त थी लेकिन उसके पश्चात उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। मुस्लिम बालिकाएं मस्जिद से जुड़े मकतबों में बालकों के साथ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेती थीं। वहीं हिंदू परिवार की लड़कियां परिवार में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। उनकी शिक्षा अक्षर–ज्ञान व धार्मिक साहित्य प्राप्त करने तक ही सीमित थी।राजघराने तथा समाज के धनी वर्ग मौलवी तथा विद्वानों को घर पर बुलाकर परिवार मे ही बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था कर लेते थे।

(iv) ब्रिटिश काल में बालिका शिक्षा

ब्रिटिश शासन के प्रथम चरण में नारी शिक्षा को अनावश्यक समझकर उस पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना प्रशासन चलाने के लिए स्त्री–लिपिकों की आवश्यकता नहीं थी। महिलाओं के अनेक अंधविश्वासों से घिरे रहने तथा भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यंत रूढ़िवादी होने के कारण भी संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने बालिका शिक्षा में कोई रुचि नहीं ली। कंपनी शासन के दौरान बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार मिशनरी तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया गया। व्यक्तिगत प्रयासों से बालिकाओं की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान कस्तूरबा गांधी, मीरा बेन, भीकाजी कामा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं ने अपने देश प्रेम, त्याग व योग्यता से बालिकाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। मिशनरियों ने भारत में अनेक बालिका विद्यालयों की स्थापना की। सन् 1854 में वुड के घोषणा पत्र में आधिकारिक तौर पर सबसे पहले बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तभी से बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे। वर्ष 1840 में स्कॉटिश चर्च समिति द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के लिए 6 स्कूल बनवाए गए, जिनमें 200 लड़कियों का नामांकन भी कराया गया। ब्रिटिश शासन काल में सबसे पहले बालिका विद्यालय ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल 1821 में दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली में स्थापित किया गया। वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में गर्ल्स स्कूल का निर्माण किया। 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया। ईस्ट इंडिया कंपनी के वुड डिस्पैच आदेश पत्र 1854 में महिलाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1879 में स्थापित बेथुन कॉलेज वर्तमान में एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है। सन 1902 तक स्त्री शिक्षा ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया परिणामस्वरूप माता–पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा प्रदान कराने की आवश्यकता महसूस करने लगे तथा शिक्षा विभाग में लड़कियों के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोलने प्रारंभ कर दिए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे समाज सुधारक संस्थानों ने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया था जिसके परिणाम स्वरुप बालिकाओं की शिक्षा में तीव्र गति से विस्तार हुआ। सन् 1917 से सन् 1947 तक स्त्री शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। महिलाओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। इसी समय भारतीय नारी संगठन तथा राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना हुई। सन 1927 में प्रथम अखिल भारतीय नारी सम्मेलन भी हुआ। इस दौरान बालविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए शारदा एक्ट पारित किया गया। इन सभी समाज सुधार के प्रयासों का स्त्री शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला।

(v) स्वतंत्र भारत में बालिका शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में महिला साक्षरता दर काफी कम थी और यह चिंतनीय विषय भी था अतः सरकार ने इसे अति गंभीरता से लिया। सन 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत महिलाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। भारतीय संविधान में पुरुषों तथा स्त्रियों को पूर्ण रूपेण समान दर्जा देते हुए शिक्षा के प्रचार–प्रसार पर बल दिया गया। महिला शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 1958 में सरकार के द्वारा

महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया और उसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं। इन सिफारिश में मुख्य रूप से महिला शिक्षा को पुरुष शिक्षा के समान पहुंचाना था। स्त्रियों की शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को जानने तथा उनका समाधान करने हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया। बालिका शिक्षा हेतु गठित कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं–

(अ) दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958

स्त्री शिक्षा की समस्याओं तथा उनका समाधान करने के लिए 1958 में भारत सरकार ने दुर्गा भाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया। इसे दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। 1959 में दुर्गाबाई देशमुख समिति ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया। समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे–

1. भारत सरकार को कुछ समय के लिए स्त्री शिक्षा को एक विशेष समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए तथा उसके समाधान हेतु प्रयास करने चाहिए।
2. भारत सरकार को एक निश्चित अवधि के अंतर्गत तथा निश्चित योजना के अनुरूप स्त्री शिक्षा का विकास करने का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
3. भारत सरकार को समस्त राज्यों में स्त्री शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए तथा इस नीति के क्रियान्वन के लिए राज्यों को आवश्यक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।
4. ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
5. पुरुषों तथा स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान अंतर को यथाशीघ्र समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
6. स्त्री शिक्षा की समस्या पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद नामक पृथक इकाई का गठन करना चाहिए।
7. स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

दुर्गाबाई देशमुख समिति के सुझावों को स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सन 1965 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया। इस परिषद का मुख्य कार्य महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु तथा समय–समय पर शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करके भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना भी था।

(ब) हंसा मेहता समिति 1962

वर्ष 1962 में महिलाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद में विद्यालय स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर होने अथवा नहीं होने की महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने हेतु श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे हंसा मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। समिति ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि विद्यालय स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर

नहीं होना चाहिए। समिति ने कहा कि भारत में जनतंत्र तथा समाजवादी समाज की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है अतः शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमता तथा रुचियों से होना चाहिए इसलिए पाठ्यक्रम में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है।

(स) कोठरी आयोग 1964

वर्ष 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सन 1966 में प्रस्तुत किया जिसने महिला शिक्षा की समस्या पर विचार करते हुये अपने सुझाव प्रस्तुत किये। कोठारी आयोग की महिला शिक्षा पर प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं–

1. भारतीय संविधान में संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा के लिए आधिकारिक प्रयास किए जाने चाहिए।
2. बालिकाओं को अध्ययन के लिए बालकों के विद्यालय में भेजने हेतु जनमत तैयार किया जाना चाहिए।
3. उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए पृथक स्कूल खोले जाएं।
4. लड़कियों के लिए निःशुल्क छात्रावासों तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए।
5. लड़कियों के लिए अल्पकालिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
6. बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए।
7. लड़कियों के लिए पृथक से कॉलेज स्थापित किए जाएं।
8. शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान तथा सामाजिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों को उन्नत करके लड़कियों के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाए।
9. नारी शिक्षा के लिए अनुसंधान इकाइयों की स्थापना की जाए।
10. विवाहित स्त्रियों के लिए अंशकालीन शिक्षा तथा अविवाहित महिलाओं के लिए पूर्ण कालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
11. स्त्री शिक्षा के संचालन के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का गठन भी किया जाना चाहिए।

(द) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

1986 में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गई। शिक्षा को स्त्रियों के स्तर में मूलभूत परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन कार्यक्रम में शिक्षा से संबंधित प्रमुख सुझाव इस प्रकार है–

1. पुनर्रचित पाठ्यक्रमों व पाठ्य पुस्तकों का निर्माण तथा नीति निर्धारकों व प्रशासकों के प्रशिक्षण व निरीक्षण में व्यापक सुधार किया जाना चाहिए।
2. शिक्षा संस्थान की सक्रिय सहभागिता के द्वारा नए मूल्यों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
3. स्त्री शिक्षा को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंगों के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
4. शिक्षा संस्थानों को स्त्री विकास के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. स्त्री साक्षरता व प्राथमिक स्तर तक उनकी पहुंच तथा उसमें बने रहने के मार्ग में आने वाली बाधाओ के निराकरण हेतु प्रयासों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

7. लैंगिक असमानता को कम करने के लिए नीतियों को बढ़ाया जाएगा।

8. गैर परंपरागत रोजगार के साथ–साथ वर्तमान में विकसित हो रही तकनीकी शिक्षा में स्त्रियों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(य) राष्ट्रीय महिला आयोग 1990

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने पर बल देते हुये शिक्षा से संबंधित निम्न सुझाव दिय गये–

1. महिलाओं की शिकायतों पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. महिलाएं सामाजिक व आर्थिक विकास में भाग ले सकें इस हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

3. जेल में महिलाओं की शिक्षा व सुधार के उपाय किए जाने चाहिए और इसका क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए ताकि वह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्र में पुरुषों के समान भाग ले सकें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि यद्यपि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा महिलाओं की शिक्षा के संबंध में अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया जिससे बालिकाओं की सुव्यवस्थित शिक्षा की कठिनाइयों का निवारण हो सके साथ ही यदि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन को बढ़ाने हेतु जन समुदाय का और सहयोग लिया जाये तो अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

14.9 बालिका शिक्षा की समस्याएं

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुए। के0 नटराजन ने स्त्रियों की स्थिति में आए परिवर्तन के संबंध में कहा है कि यदि 100 वर्ष पूर्व और आज के जीवन को देखें तो आश्चर्यचकित कर देने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्त्रियों की स्थिति मे दृष्टिगत होगा। परंतु इन सबके बावजूद भी स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं। वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं को समझा जाए तथा उनके निराकरण हेतु समाधान भी खोजे जाएं जिससे बालिका शिक्षा सहज बनाई जा सके। बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में आने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न हैं –

1. लैंगिक भेदभाव

लैंगिक भेदभाव बालिका शिक्षा के पिछड़ने का एक प्रमुख कारण है। भारतीय समाज में आज भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती जितनी की मिलनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरुप बालिकाएं विद्यालयी शिक्षा में लड़कों की तुलना में पिछड़ जाती हैं। यह लैंगिक भेदभाव परिवार से

लेकर समाज के हर स्तर पर व्याप्त है। सांस्कृतिक परिदृश्य में भी लड़कों की तुलना में लड़कियों को स्कूल जाने, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता जितना कि बालक को किया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकतर परिवारों की मानसिकता यह होती है कि लड़कियों को सामान्य शिक्षा तो दी जानी चाहिए लेकिन उच्च शिक्षा देने के बजाय लड़कियों की शादी कर दी जानी चाहिए। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव महत्वपूर्ण कारक है।

2. वित्तीय कारक

बालिका शिक्षा के मार्ग की एक प्रमुख बाधा वित्तीय भी है। गरीबी बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा है। अधिकतर गरीब परिवारों से आने वाली बालिकाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण परिवार में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक अंतर और भी बढ़ जाता है। लड़कियों को पारिवारिक कार्य तक ही सीमित रखा जाता है जिस कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली एक प्रमुख बाधा गरीबी है।

3. स्कूल की पहुंच का अभाव

बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली एक प्रमुख बाधा बालिकाओं तक स्कूल की पहुंच का अभाव है। अभी भी कई ऐसे ग्रामीण एवं जनजातीय इलाके हैं जहां स्कूलों की पहुंच नहीं है और परिवार बालिकाओं को स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। उन स्थानों में विद्यालय हैं भी तो वहां बालिकाओं के लिए बुनियादी सुविधा जैसे शौचालय, पानी, बिजली का अभाव है, जिस कारण से भी नियमित रूप से बालिकाएं विद्यालय नहीं पहुंच पाती हैं।

4. बाल विवाह

बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली एक प्रमुख बाधा बाल विवाह या कम उम्र में उनकी शादी हो जाना है। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लड़कियों की शादी 10 या 12 साल की कम उम्र में ही कर दी जाती है और शादी करने के बाद उन्हें शिक्षा के बजाय घर की जिम्मेदारियां संभालने एवं बच्चे पैदा करने तक ही सीमित रखा जाता है। जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है।

5. शैक्षिक अवसरों की असमानता

लड़कियों की शिक्षा के मार्ग में आने वाली एक बाधा लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध न हो पाना है। भारतवर्ष में शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में असमानता पाई जाती है। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर लड़कों की तुलना में कम ही प्राप्त होते हैं। प्रजातांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए तथा लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक है कि लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। अतः आवश्यक है कि शैक्षिक अवसरों की समानता स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। नई शिक्षा नीति 1986 में इस दिशा में विशेष प्रयास करने का संकल्प लिया गया था।

6. बालिका शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रगति का युग है परंतु फिर भी अनेक रूढ़िवादी विचारों, अंधविश्वासों, रीति रिवाजों की वजह से बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं। छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियों के कारण अनेक परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। अनेक रूढ़िवादी परिवार महिलाओं के कार्य क्षेत्र को घर तक ही सीमित रखने को उचित मानकर उनकी शिक्षा का विरोध करते हैं, उनका मानना है कि लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करके समान स्वतंत्रता की मांग करती हैं जो उनके अनुसार चरित्रहीनता का सूचक माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या और भी अधिक उग्र होती है। वास्तव में यह एक अत्यंत गंभीर समस्या है, जिसके कारण अनेक स्त्रियाँ अनपढ़ रह जाती हैं तथा कुछ वर्षों के अध्ययन के उपरांत शिक्षा छोड़ देती हैं।

7. अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या

अपव्यय तथा अवरोधन बालिका शिक्षा की एक गंभीर समस्या है। भारत में बालिका शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन अधिक पाया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि कक्षा एक में प्रवेश लेने वाली 100 बालिकाओं में से केवल 35 बालिकाएं ही कक्षा 5 तक पहुंच पाती हैं तथा लगभग 20 बालिकाएं कक्षा 8 तक पहुंच पाती हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अपव्यय तथा अवरोधन अधिक पाया जाता है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक परिलक्षित होती है। निर्धनता, रूढ़िवादिता, लड़कियों की शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण, नीरस पाठ्यक्रम, विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, लड़कियों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, परामर्श व निर्देशन का अभाव, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अध्यापिकाओं की कमी आदि लड़कियों की शिक्षा में अपव्यय अवरोधन के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए अपव्यय व अवरोधन की समस्या को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

8. दोषपूर्ण पाठ्यक्रम

लड़कियों की शिक्षा की एक बड़ी समस्या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है। बालक तथा बालिकाओं का पाठ्यक्रम एक समान होने के कारण इसमें नीरसता आ जाती है। यह बालिकाओं के न तो तात्कालिक हित में होता है और न ही व्यावहारिक होने के कारण लड़कियों को उनकी बदलती परिस्थितियों से समायोजन करने के लिए तैयार करता है। वर्तमान तथा भावी सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। हस्तशिल्प, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, गृह परिचय, गृह अर्थशास्त्र जैसे विषयों को लड़कियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये सभी विषय बालिकाओं के जीवन में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे।

9. दोषपूर्ण प्रशासन

बालिका शिक्षा का समुचित विकास न हो पाने का एक प्रमुख कारण उचित प्रशासन का अभाव है। बालिकाओं की शिक्षा के विकास में अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां तथा बाधाएं अनुभव की जाती हैं, जैसे कि लगभग सभी राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रशासनिक भार भी पुरुष अधिकारियों पर ही है। पुरुष होने के कारण

संभवतः वे न तो स्त्रियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ पाते हैं और न ही उनमें रुचि लेते हैं। नारी शिक्षा संस्थानों में निरीक्षण कार्य भी औपचारिकता के निर्वहन तक की सीमित रह जाता है। अतः बालिकाओं की शिक्षा के प्रशासन व पर्यवेक्षण में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

10. अध्यापिकाओं का अभाव

बालिका शिक्षा के प्रसार में बहुत बड़ी बाधा अध्यापकों की कमी है, न केवल उच्च स्तर पर वरन् प्राथमिक स्तर पर भी प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी है, जिसके कारण अनेक माता–पिता अपनी लड़कियों को विद्यालय में नहीं भेजना चाहते हैं। अध्यापकों की कमी के कई कारण हो सकते हैं जैसे महिला शिक्षा की कमी, शिक्षित महिलाओं का पारिवारिक कारणों से नौकरी न करना, सुरक्षा, आवास आदि की वजह से अन्य शहरों तथा गांव में नौकरी न कर पाना आदि कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से अध्यापिकाओं का अभाव है। अगर उन्हें सुरक्षित आवास, मनोरंजन, विशेष भत्ते, अल्पकालिक रोजगार आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है।

11. व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा की कमी

बालिकाओं के लिए व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी भी गंभीर समस्या है। बालिकाओं के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। विगत कुछ वर्षों में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। लड़कियों के लिए उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

14.10 बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु किये गये प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत समाज में कन्या शिक्षा को महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया गया है एवं इस दिशा में केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बालक तथा बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय संकल्प 2002 में हुए। 86वें संविधान संशोधन के उपरांत भारत में प्रत्येक बालक–बालिका के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाया गया। सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को शिक्षित करने के लिए सरकारी प्रयास किए गए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य स्कूल न जाने वाली या स्कूल छोड़ देने वाली बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम कन्या शिक्षा हेतु न केवल शैक्षिक प्रणाली में वरन सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आज भारत के सभी राज्यों में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दो बिंदुओं पर प्रयास किये जा रहे हैं– प्रथम, बालिकाओं को शिक्षा तक पहुंचाना तथा विभिन्न प्रकार के उपाय करके शिक्षा में ठहराव को बढ़ाना। दूसरा, प्रशिक्षण व अभिप्रेरणा के द्वारा समाज में बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है। कन्या शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों के लिए संवैधानिक संकल्प को पूरा करने के अभियान चलाए जा रहे हैं। इस उद्देश्य

की पूर्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनेक योजनाओं का नियोजन व क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें से कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं–

1. कक्षा 8 तक सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना।
2. स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनवाना।
3. स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के लिए 'स्कूल की ओर' अभियान चलाना।
4. अधिक उम्र वाली लड़कियों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम चलाना।
5. स्कूल में न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला अध्यापकों की नियुक्ति करना।
6. लड़कियों के लिए समरूप अधिगम के अवसर बढ़ाने के लिए अध्यापकों को संवेदनशील बनाना।
7. पाठ्य पुस्तकों सहित सभी शिक्षण सामग्री को बालिकाओं के लिए संवेदनशील बनाना।
8. जन समर्थन व सहयोग प्राप्त करने के लिए सघन अभियान चलाना।
9. स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति व ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना ।

सर्व शिक्षा अभियान के साथ–साथ प्राथमिक स्तर पर कन्या शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाले कार्यक्रम, महिला समाख्या, शिक्षा तथा एकीकृत बाल विकास सेवा जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कन्या शिक्षा के विविध पक्षों में सुधार करके बालिकाओं तक शिक्षा को पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाज व माता–पिता को अभिप्रेरित करना, स्कूली क्रियाकलापों व समितियां में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना, स्कूल तथा अध्यापकों व समुदाय के परस्पर संबंध को सुधारना जैसे उपाय बालिका शिक्षा हेतु परम आवश्यक व महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभिक बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा जहां लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से विमुक्त करके उनके स्कूल जाने व वहां रूकने का मार्ग प्रशस्त करती है वहीं एकीकृत बाल विकास सेवा के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, प्राथमिक स्कूल अध्यापकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके पूर्व–विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर कन्या शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य दुर्गम क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की शिक्षा हेतु गुणवत्ता परक आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना है। केंद्र व राज्य सरकारों के इन प्रयासों से निःसंदेह हमारे देश में कन्या शिक्षा को गति मिलेगी एवं शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त यौन असन्तुलन समाप्त हो पाएगा।

बालिका शिक्षा हेतु सरकारी प्रयास

बालिका शिक्षा हेतु निम्न सरकारी प्रयास किये गये हैं–

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

भारत में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2015 में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल का परिणाम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ाने, अपव्यय व अवरोधन को कम करने, शिक्षा के अधिकार को लागू करने, लड़कियों हेतु विद्यालय में शौचालय के निर्माण में वृद्धि जैसे उद्देश्यों को रखा गया है।

2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

वर्ष 2004 में बालिका साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' की शुरुआत की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रमुख रूप से कम साक्षरता वाले व ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा के नामांकन को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई है।

3. महिला समाख्या कार्यक्रम

बालिका साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए 1989 में 'महिला समाख्या कार्यक्रम' की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्यों के अनुसार बालिकाओं की शिक्षा में सुधार करने के लिए की गई।

4. बालिका समृद्धि योजना

बालिका समृद्धि योजना' की शुरुआत गरीब परिवार की बालिकाओं के उज्जवल भविष्य एवं उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार से आने वाली बालिकाओं के माता–पिता को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाना है। इस हेतु उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जाती है, यह छात्रवृत्ति उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि वह 18 वर्ष की नहीं हो जातीं। बालिका समृद्धि योजना के तहत परिवार को ₹500 की धनराशि उपहार स्वरूप उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत बालिका का बैंकखाता खोला जाता है जिसमें सरकार के द्वारा यह राशि जमा कराई जाती है। बालिका को 18 वर्ष पूरे होने के पश्चात् यह राशि सरकारी ब्याज के साथ प्रदान की जाती है।

5. सी.बी.एस.ई. उड़ान योजना

उच्च शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भारत सरकार के विकास मंत्रालय के साथ मिलकर 'सी0बी0एस0ई0 उड़ान योजना' की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास करने वाली ऐसी बालिकाएं जो व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत महंगी पुस्तकों के साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा तथा टैबलेट आदि खरीदने के लिए धन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में वही बालिकाएं आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने दसवीं कक्षा में कम से कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों और आवेदित बालिका के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए या उससे कम हो।

6. भाग्यलक्ष्मी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'भाग्यलक्ष्मी योजना' की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर सरकार के द्वारा ₹50000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तथा 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹200000 की धनराशी बालिका को दी जाती है। यह धनराशि बालिका के खाते में एफ0डी0 के रूप में जमा की जाती है, साथ ही बालिका के जन्म के समय उसके भरण पोषण के लिए माता–पिता को ₹5100 की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बेटी की पढाई के लिये ₹23000 की मदद की जाती है जिसमें बेटी के कक्षा 6 में पहुँचने पर ₹3000, कक्षा 8 में पहुँचने पर ₹5000, कक्षा 10 में पहुँचने पर ₹7000 व कक्षा 12वीं में पहुँचने पर ₹8000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि बालिका शिक्षा में किसी प्रकार का विघ्न न हो।

7. झारखंड स्कूल आफ एजुकेशन कार्यक्रम

बालिका साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 'झारखंड स्कूल आफ एजुकेशन' की स्थापना की गई, इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक की सभी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, पाठ्यक्रम, यूनिफॉर्म और नोटबुक उपलब्ध कराई जाती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख)इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

11. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत..... मेंहुई ।
12. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना..... में शुरू की गई।
13. महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत ..... की गई।

14.11 सारांश

बालिका शिक्षा की स्थिति में उन्नयन के बिना परिवार व समाज का विकास संभव नहीं है। आज बालिकाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही हैं। बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति पहले से सशक्त हुई है और उनकी स्थिति में सुधार भी आया है। बालिका शिक्षा में सुधार हेतु अनेकों समितियों, कार्यक्रमों व योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए हैं, इसके बावजूद उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जन सहयोग और जागरूकता की आवश्यकता है ताकि बालिका शिक्षा के स्तर को और अधिक बढ़ाते हुयेउनको अधिक से अधिक सशक्त बनाया जा सके।

14.12 अभ्यास के प्रश्न

1. सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

2. सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. सामाजिक संरचनाओं का अर्थ स्पष्ट करते हुए सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए।
4. सामाजिक संरचना का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए।
5. बालिका शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
6. विभिन्न कालों में बालिका शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए।
7. बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए।
8. बालिका शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।

14.13 चर्चा के बिन्दु

1. विभिन्न कालों में बालिका शिक्षा के इतिहास पर चर्चा कीजिए।
2. बालिका शिक्षा में आने वाली बाधाओं एवं उनके समाधान के विषय में चर्चा कीजिए।

14.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. हरबर्ट स्पेंसर
2. बाह्य
3. अंतःक्रियात्मक
4. संबंधों
5. आचरण
6. दो
7. गत्यात्मक व परिवर्तनशील
8. अमूर्त
9. विशेष सामाजिक मूल्य
10. निर्धारित सामाजिक मूल्य
11. 2015
12. 2004
13. 1989

14.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. भारतीय समाज, एन.सी.ई.आर.टी.।
2. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, एन.सी.ई.आर.टी.।
3. जी. एल. शर्मा, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
4. डॉ. धरम वीर महाजन, समाजशास्त्र, विवेक पब्लिकेशन, दिल्ली।
5. योगेंद्र शर्मा, महिला सशक्तिकरण, लोक भारती पब्लिकेशन।

इकाई – 15 : महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एवं समाज की भूमिका

इकाई संरचना

15.1 प्रस्तावना

15.2 इकाई के उद्देश्य

15.3 शिक्षा का अर्थ

15.4 शिक्षा की परिभाषाएं

15.5 शिक्षा की विशेषताएं

15.6 शिक्षा की आवश्यकता

15.7 समाज का अर्थ

15.8 समाज की परिभाषाएं

15.9 समाज की विशेषताएं

15.10 समाज के तत्व

15.11 समाज की आवश्यकता

15.12 महिला सशक्तिकरण का अर्थ एवं आवश्यकता

15.13 महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

15.14 महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका

15.15 सारांश

15.16 अभ्यास के प्रश्न

15.17 चर्चा के बिन्दु

15.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

15.1 प्रस्तावना

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।''

मनुस्मृति में वर्णित उक्त श्लोक से आशय है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किये गये समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं।

किसी भी देश एवं समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है परंतु समाज में अभी तक महिलाओं को पूर्ण बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें शिक्षा के मूलभूत अधिकार से वंचित रखा गया है। जबकि महिलाएं विश्व सृजन में एक बेटी, मां, बहन एवं पत्नी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इसीलिये किसी भी समाज के विकास हेतु महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। किसी भी देश के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है बल्कि उसके आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक पक्ष का भी विकास करती है। यूनेस्को ने उम्र, लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक आर्थिक स्थिति में अंतर किये बिना शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का समर्थन किया है तथा महिलाओं द्वारा दुनिया में समान भविष्य हासिल करने को उनका बुनियादी हक बताया है। दुनिया भर के सभी संगठनों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुये महिलाओं को शिक्षित किये जाने का समर्थन किया है। शिक्षा महिलाओं को उनके सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने में मददगार बनाती है। विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि अशिक्षित महिलाओं में उच्च स्तरीय नैतिकता मे कमी, कमाई की कम क्षमता, खराब आहार स्थिति और परिवार में कम स्वतंत्रता होती है। मां की शिक्षा की कमी का बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहा जा सकता है कि महिलाओं की दैन्य स्थिति हेतु शिक्षा एक प्रमुख कारण है, जैसे–जैसे महिलाओं में शिक्षा का विकास होता है वैसे–वैसे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आता जाता है। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराते हुये उन्हें अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने में सहयोग प्रदान करती है। कहा भी जाता है कि एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ है एक परिवार को शिक्षित करना। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षा महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है और निर्णय लेने की क्षमता महिला सशक्तिकरण का आधार मानी जाती है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास की कुंजी है जो ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाकर अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करती है। **संयुक्त राष्ट्र संघ** ने पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया है तथा इसके लिये समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा मील का पत्थर है। यह न केवल उनकी समस्याओं का समाधान करती है, अपितु महिलाओं को उनकी भूमिका का निर्वहन करते हुए उनको हर चुनौतियों के लिए सक्षम बनाती है।

महिला सशक्तिकरण शिक्षा से ही प्रारंभ होता है। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने, उन्हें कठिनाइयों के अनुकूल होने में शिक्षा सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिला सशक्तिकरण की आधारशिला ही शिक्षा है। शिक्षा असमानताओं को दूर कर उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करने में महत्ती भूमिका निभाती है अतः महिलाओं की स्थिति बदलने व सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा के बिना महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं है।

भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रों का मानना है कि जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां देवताओं का निवास होता है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता रहा है। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो भारतवर्ष में ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समकक्ष थी लेकिन उत्तर वैदिक काल के पश्चात महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट आई है। मध्यकाल में भी महिला शिक्षा में गिरावट जारी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने हेतु तथा उनकी शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए गए। आज देश में सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा एवं शिक्षा के दम पर बड़ी संख्या में डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी और इंजीनियर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। लेकिन साथ में यह भी सच है कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्र में जिस अनुपात में उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी उस अनुपात में उनकी भागीदारी संभव नहीं हो पाई है। समय के साथ महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन तो जरूर हुआ है परंतु फिर भी महिलाएं सामाजिक कुरीतियों तथा दहेज हत्या की भेट चढ़ रही हैं; इन कुरीतियों का अंत करके उन्हें बराबरी का अधिकार देना होगा और इस हेतु महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करना होगा। भारत में महिला सशक्तिकरण के कारण आधुनिक समय में कुछ महिलाएं महत्वपूर्ण एवं राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ है किंतु फिर भी ग्रामीण महिलाएं आज भी घर की चारदीवारी में रहने को विवश हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। अगर आंकडों की बात करें तो शिक्षा के मामले में भारत की महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे है; भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.30 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की शिक्षा की दर 60.60 प्रतिशत है। रोजगार के क्षेत्र की भी अगर बात करें तो केवल शहरी 30 प्रतिशत महिलाएं ही रोजगारशील हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 90 प्रतिशत महिलाएं आज भी कृषि क्षेत्र तक ही सीमित हैं। आज हमारा देश प्रगति के पथ पर तेजी से गतिमान है। भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। अतः देश के विकास में महिलाओं की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि पुरुषों की। जबकि महिलाएं अभी तक अपने सशक्त होने की लड़ाई लड़ रही हैं और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हैं। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि महिलाओं को सशक्त किए बिना हमारा देश विकसित हो पाएगा।

15.2 इकाई के उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. महिलाओं की स्थिति से अवगत हो सकेंगे।
2. शिक्षा के संप्रत्यय को परिभाषित कर सकेंगे।
3. शिक्षा की विशेषताओं एवं आवश्यकताओं से परिचित हो सकेंगे।
4. समाज के संप्रत्यय एवं परिभाषाओं से अवगत हो सकेंगें।
5. समाज की विशेषताओं एवं आवश्यकताओं से परिचित हो सकेंगे।
6. समाज के विभिन्न तत्वों को बता सकेंगे।
7. महिला सशक्तिकरण के संप्रत्यय एवं आवश्यकताओं से परिचित हो सकेंगे।
8. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।
9. महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे।

15.3 शिक्षा का अर्थ

शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है, मानव व्यवहार को विकसित करती है, सामाजिक व्यवस्था में सहायता करती है, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करती है, पूर्ण जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग देती है तथा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। संकुचित अर्थ में अगर देखें तो शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। **टी0 रेमण्ट** के शब्दों में संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है उस शिक्षा से है जो बालक को जीवन पर्यन्त अपने माता–पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी और समाज के अन्य लोगों से प्राप्त होती है। यह शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित न रहकर परिवार, समाज, विद्यालय, खेल, पार्क, सिनेमा हॉल आदि सभी जगह से प्राप्त होती है। वास्तव में संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यन्त चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को अगर देखा जाए तो शिक्षा में संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों को समाहित किया गया है। अतः शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है और उसके विचार तथा व्यवहार में परिवर्तन लाती है, जो न केवल स्वयं उसके अपने बल्कि समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए हितकारी होते हैं। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है अर्थात शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है।

15.4 शिक्षा की परिभाषाएं

जॉन डीवीके अनुसार – "शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके।"

कोठारी आयोग के अनुसार – "शिक्षा जीवकोपार्जन करने का साधन ही नहीं है न ही वह विचारों की पाठशाला या नागरिकता का स्कूल है वरन् यह मानव की आत्मा को प्रेरित करती है और उसे सत्य की खोज हेतु प्रशिक्षित करती है।"

डेनियल वेंबस्टरके अनुसार – "शिक्षा भावनाओं को अनुशासित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित, धार्मिकता को विकसित और नैतिकता की अभिवृद्धि करती है।"

पंडित नेहरू के अनुसार – "शिक्षा संतुलित मानव का विकास करती है।"

फ्रोबेल के अनुसार – "शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां और गुण प्रकट होते हैं।"

टी0 पी0 नन के अनुसार – "शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे वह अपनी सर्वोत्तम शक्तियों द्वारा मानव जीवन के निर्माण में योगदान कर सके।"

महात्मा गांधी के अनुसार – "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है।"

15.5 शिक्षा की विशेषताएं

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। मानव जीवन को उन्नत एवं कुशल बनाने के लिए शिक्षा की महत्ती आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में उन्नति कर सकता है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण है जो व्यक्ति को पूर्णता कि ओर ले जाती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात एवं अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। उसके ज्ञान और कौशलों में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन होता है और व्यक्ति देश का सभ्य एवं योग्य नागरिक बनता है। शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

1. शिक्षा मनुष्य को पशु स्तर से ऊंचा उठाती है।
2. शिक्षा आज्ञा का उन्मूलन करती है।
3. शिक्षा मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाती है।
4. शिक्षा मनुष्य को दासता और शोषण से मुक्त करती है।

5. शिक्षा मनुष्य का बौद्धिक विकास करती है।
6. शिक्षा मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करती है।
7. शिक्षा ज्ञान और कर्म में समन्वय स्थापित करती है।
8. शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है।
9. शिक्षा मनुष्य को अनुशासित करती है।
10. शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करके उसे सुरक्षित रखती है और उसका संवर्द्धन करती है।
11. शिक्षा समाज के विकास में सहयोग देती है।
12. शिक्षा मनुष्य में व्यवसायिक कुशलता का विकास करती है।
13. शिक्षा व्यक्ति को वातावरण से अनुकूलन करना सिखाती है।
14. शिक्षा मनुष्य में राष्ट्रीय भावना का विकास करती है।
15. शिक्षा मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करती है।
16. शिक्षा योग्य नागरिकों का निर्माण करती है।
17. शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास में करती है।
18. शिक्षा मनुष्य में संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण और विकास करती है।
19. शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण का आवश्यक अंग है।

15.6 शिक्षा की आवश्यकता

शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग एवं आधार है। मानव का विकास शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और श्रृंगार भी करती है। जन्म के समय बालक पशुवत आचरण करता है; उस समय वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है, शिक्षा उसकी इन प्रवृत्तियों का उचित मार्गदर्शन करके उसे परिपक्वता प्रदान करती हैं। उसके व्यवहार, आचरण एवं क्रियाकलापों को उचित और समाजोपयोगी बनाती है। शिक्षा व्यक्तियों का रचनात्मक विकास करती है। शिक्षा के द्वारा वह अपने वातावरण से अनुकूलन करने में समर्थ ही नहीं होता वरन वातावरण एवं प्रकृति पर विजय भी प्राप्त करता है। शिक्षा ही मानव को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है। शिक्षा की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अरस्तू ने कहा है कि जिस प्रकार जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। जॉन डीवी ने कहा है कि शारीरिक जीवन के लिए जिस प्रकार आहार तथा प्रजनन आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा की मानव जीवन में निम्नलिखित आवश्यकता है–

- व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए।

- बौद्धिक विकास के लिए।
- शारीरिक विकास के लिए।
- व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए।
- व्यक्ति के संवेगात्मक विकास के लिए।
- व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास हेतु।
- व्यक्ति मे व्यावसायिक कौशल विकास हेतु।
- जीवकोपर्जन की कला में सहायता पहुंचाने के लिए।
- राष्ट्रीय विकास में सहायक।
- अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायक।
- व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास करने में सहायक।
- व्यवहार परिवर्तन एवं सर्वांगीण विकास में सहायक।
- जीवन में सफलता प्राप्ति एवं चुनौतियां का सामना करने में सहायक।
- देश के विकास में सहायक।
- अशिक्षा को दूर कर जीविकोपार्जन में सहायक।
- व्यक्तिगत उन्नति, सामाजिक स्तर में बढ़ावा और सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु।
- शिक्षा मनुष्य में उत्तम विचारों का प्रकटीकरण कर मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. व्यापक अर्थ में शिक्षा कब तक चलने वाली प्रक्रिया है?

.....

.....

2. किसके अनुसार शिक्षा भावनाओं को अनुशासित करती है?

.....

.....

3. शिक्षा किनके बीच समन्वय स्थापित करती है?

.....

.....

4. किसके अनुसार 'शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है'?

.....

.....

15.7 समाज का अर्थ

सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है, लेकिन समाज का यह अर्थ सही नहीं है, व्यक्तियों के निरूद्देश्य समूह को हम समाज नहीं कह सकते। वस्तुतः व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सचेत होते हैं, जागरूक होते हैं और एक दूसरे के प्रति कुछ व्यवहार करते हैं तो हम कहते हैं कि उनके बीच सामाजिक संबंध स्थापित हो गए हैं। यह पारस्परिक संबंध मधुर भी हो सकते हैं और कटु भी हो सकते हैं, सहयोगात्मक भी हो सकते हैं और संघर्षात्मक भी हो सकते हैं। इन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों की समानता भी हो सकती है और भिन्नता भी हो सकती है। प्रत्येक समाज के अपने नियम, परंपराएं, संस्कृति, आदर्श, मूल्य और प्रतिमान होते हैं और उनके द्वारा समाज के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाज एक या एक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है, जहां वे परस्पर मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जिसे व्यक्ति धार्मिक, परोपकारी, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, देशभक्ति या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित करता है। सामान्य अर्थ मे समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है, उदाहरण के रूप में हिंदू समाज, आर्य समाज, मुस्लिम समाज, विद्यार्थी समाज आदि। समाज व्यक्तियों का कोई समूह या संगठन नहीं होता है बल्कि मनुष्य के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा जाता है। समाज एक या एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें सदस्यों के मध्य परस्पर अंतःसंबंधों की जटिलता का बोध होता है। समाज निरंतर सामाजिक संबंधों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक व्यापक समूह है जो कि एक सामाजिक व्यवस्था का पालन करते हैं और जो सामान्य रूप से समान राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संपर्क में रहते हैं।

समाज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के **'सोसियस'** से हुई है जिसका अर्थ है साझा करना। समाज शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों 'सम' एवं 'अज' से मिलकर बना है। सम का अर्थ है– इकट्ठा और अज का अर्थ है– साथ रहना अर्थात समाज शब्द का अर्थ हुआ एक साथ रहने वाला समूह। मनुष्य एक प्रगतिशील सामाजिक प्राणी है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने प्राचीन काल से ही एक सूत्र में बंध कर रहना प्रारंभ कर दिया, इसी बंधन से संगठन बने और यही संगठन समाज कहलाए। मनुष्य इन्हीं संगठनों का अंग बन गया।

मनुष्य की आवश्यकताओं ने भिन्न समूहों का निर्माण किया। समाज मनुष्य की परस्पर निर्भरता और सामाजिक संबंधों पर निर्भर करता है।

15.8 समाज की परिभाषाएं

हेनकिंग्स के अनुसार – ''समाज स्त्री, पुरुषों तथा बालकों का कोई स्थायी अथवा अविराम समूह है जो कि अपने सांस्कृतिक स्तर पर स्वतंत्र रूप से प्रजाति की उत्पत्ति एवं उसके पोषण की प्रक्रियाओं का प्रबंध करने में सक्षम होता है।''

पारसंस के अनुसार – ''समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के रूप में की गई क्रिया के फलस्वरुप उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हों या केवल प्रतीकात्मक।''

राइट के अनुसार – ''यह व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, अपितु विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है।''

आर0 एम0 मैंकाईवर एवं सी0 एच0 पेज के अनुसार – ''समाज अधिकारों एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके उप विभाजनों, मानव व्यवहारों के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं, प्रथाओं तथा कार्य–विधियों की प्रणाली है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो सतत परिवर्तनशील और जटिल है।''

मॉरिस जिंसबर्ग के अनुसार – ''समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों तथा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित होता है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों से बंधे हुए नहीं है अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं।''

गिडिंग्स के अनुसार – ''समाज स्वयं संगठन है औपचारिक संबंधों का भाग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एवं संबद्ध होते हैं।''

सी0 एच0 कूले के अनुसार – ''समाज रीतियों व प्रक्रियाओं का एक जटिल ढांचा है जिसमें प्रत्येक जीवित है और दूसरों के साथ अंतः क्रिया करते हुए बढ़ता है। इस प्रकार जटिल संपूर्ण ढांचे में एक ऐसी एकरूपता पाई जाती है कि जो एक भाग में होता है उसका शेष प्रभाव अन्य पर पड़ता है।''

क्यूबर के अनुसार – ''समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो काफी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गये हैं तथा जो स्वयं को अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हैं।''

लापियर के अनुसार – ''समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं, बल्कि यह मनुष्यों के अन्तःसम्बन्धों एवं पारस्परिक संबंध की जटिल व्यवस्था है।''

ई0 बी0 रयूटर के अनुसार – ''समाज एक अवधारणा है जो एक समूह के संबंधों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है।''

किंग्सले डेविस के अनुसार – ''समाज सामाजिक संबंधों का ढेर ही नहीं है अपितु जब इसमें सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था बनती है तभी हम इसे समाज कहते हैं। अर्थात् जब कुछ व्यक्ति व्यवस्थित रूप से संबंधों की व्यवस्था की स्थापना करते हैं तो वह समाज का निर्माण करते हैं।''

डेविस ने समाज के निर्माण हेतु 4 आवश्यक तत्वों का वर्णन किया है – 1. जनसंख्या की निरंतरता 2. जनसंख्या में श्रम विभाजन 3. समूह एकता 4. सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्वता।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उनके मध्य अंतःक्रिया प्रारंभ होती है तो इस प्रक्रिया को समाज कहते हैं। अंतःक्रिया का तात्पर्य एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष संबंध या व्यवहार से है। जब इन अंतःक्रियाओं का एक निश्चित उद्देश्य होता है, तो यह सामाजिक क्रिया कहलाती हैं। इन अंतःक्रियाओं के आधार पर ही दो व्यक्तियों के बीच मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। इन्हीं मानवीय संबंधों का समुदाय समाज कहलाता है। जब व्यक्ति आपस में सुसंगठित होकर मानवीय संबंधों या सामाजिक संबंधों के रूप में स्थापित हो जाते हैं तब समाज की निरंतरता बनी रहती है। समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों की केंद्रीय भूमिका होती है।

15.9 समाज की विशेषताएं

समाज की निम्नलिखित विशेषताएं होती है–

1. समाज एक अमूर्त संकल्पना है। समाज विभिन्न सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है यह ऐसे संबंध है जिसमें मनुष्य परस्पर एक दूसरे से जुड़े तो रहते हैं लेकिन उनके सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता अर्थात वे अमूर्त होते हैं सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण ही समाज भी एक अमूर्त व्यवस्था है।

2. समाज केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है यह समूह के सदस्यों के मध्य स्थापित संबंधों की व्यवस्था है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि उनके परस्पर सामाजिक संबंधों का एक जाल है।

3. समाज में जहां समान उद्देश्यों की एकरूपता पाई जाती है वहीं समाज में असमानता भी पाई जाती है। समाज व्यक्तियों के व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है एक समाज में लिंग, आयु तथा शारीरिक क्षमता आदि के भेद सामाजिक संबंधों एवं जीवन में असमानता उत्पन्न करने के प्रमुख साधन हैं। इन विषमताओं के कारण ही समाज के सभी व्यक्ति विभिन्न क्रियाकलापों में लगे रहते हैं यही कारण है कि समाज का आर्थिक ढांचा श्रम विभाजन पर

आधारित होता है जिसमें व्यक्तियों के व्यवसाय व आर्थिक क्रियाकलाप भिन्न होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज में समानता और विषमता दोनों ही आवश्यक हैं।

4. समाज की प्रमुख विशेषता समानता है। क्योंकि समाज व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही बनाता है और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। समाज सजातीयता की भावना पर आधारित होता है।

5. समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः समाज में व्यक्तियों के लिए एक दूसरे के प्रति जागरूक होना अनिवार्य है।

6. समाज की प्रमुख विशेषता उसके सदस्यों के बीच सहयोग एवं संघर्ष की भावना का पाया जाना है। समाज का प्रमुख आधार सहयोग की भावना है जिसके कारण श्रम विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से चलती है, वहीं समाज को जीवंत रखने के लिए संघर्ष भी आवश्यक है।

7. समाज की एक विशेषता परस्पर निर्भरता भी है। क्योंकि समाज का निर्माण ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। अतः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है।

8. समाज निरंतर परिवर्तनशील होने वाला संगठन है। यह अस्थिर होकर नहीं रह सकता है। मैंकाईवर ने इसे सामाजिक संबंधों का जाल कहा है जो कि सदैव परिवर्तित होता रहता है।

बोध प्रश्न
टिप्पणी :
(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. समाज का क्या तात्पर्य है?
.....
.....
6. संस्कृत भाषा में समाज शब्द का अर्थ क्या होता है?
.....
.....
7. किस समाज शास्त्रीके अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है?
.....
.....
8. समाज क्या साथ–साथ चलते हैं?
.....
.....

15.10 समाज के तत्व

सामाजिक आवश्यकताओं को समाज के तत्व भी कहा जाता है। यह निर्णायक तत्व प्रत्येक समाज, चाहे वह पशु समाज हो या मानव समाज, दोनों में पाए जाते हैं। विद्वानों ने समाज के आधारभूत तत्वों के संबंध में भिन्न–भिन्न विचार प्रकट किए हैं–

मैकाइवर के अनुसार–समाज के मुख्य तत्व निम्न हैं–

1. रीतियां।
2. कार्य प्रणाली।
3. अधिकार।
4. पारस्परिक सहयोग।
5. स्वतंत्रता।
6. समूह और उपसमूह।
7. मानव व्यवहार पर नियंत्रण।

बोटोमोर के अनुसार–टी0बी0 बोटोमोर ने समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जो कि निम्नलिखित हैं–

1. संचार की व्यवस्था।
2. वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण से संबंधित आर्थिक व्यवस्था।
3. नवीन पीढ़ी का समाजीकरण करने वाली व्यवस्था (जैसे परिवार व शिक्षा)।
4. सत्ता व शक्ति के वितरण की व्यवस्था।
5. सामाजिक समन्वय को बनाए रखने अथवा बढ़ाने के लिए संस्कारों की व्यवस्था।

जॉनसन के अनुसार–हैरी एम0 जॉनसन के अनुसार समाज के चार अनिवार्य तत्व हैं–

1. निश्चय भू–भाग।
2. यौन प्रजनन।
3. सर्वांगव्यापी संस्कृति।
4. आत्मनिर्भरता।

15.11 समाज की आवश्यकता

समाज और मनुष्य परस्पर रूप से एक दूसरे से संबंधित है। **अरस्तू** ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई

अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही व्यक्ति सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्राणी के रूप में विकसित होता है, मनुष्य का समाजीकरण समाज में रहकर ही होता है। व्यक्ति के सामाजिक विकास के ऐसे बहुत से उदाहरण देखे गए हैं जहां व्यक्ति अगर समाज के संपर्क में नहीं रहा तो वह सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाया। अतः समाज के बिना व्यक्ति के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यक्ति का विकास समाज में रहकर ही संभव है, जिसे अमेरिकी बालिका अन्ना, भारतीय बालिकाएं अमला व कमला तथा भेड़िए की माद से मिले रामू नामक बच्चे के उदाहरणों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। समाज से अलग रहने के कारण इन बच्चों में किसी भी प्रकार के सामाजिक या मानवीय गुण विकसित नहीं हो पाए और इनका शारीरिक विकास व खान–पान भी पशुओं के समान ही पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि समाज से बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह असहाय होता है तथा अपने शरीर की रक्षा के लिए वह अन्य व्यक्तियों या समाज पर आश्रित होता है, उसमें इतने जन्मजात गुण प्राप्त नहीं होते हैं कि वह पशुओं की तरह अन्य व्यक्तियों की सहायता के बिना अपनी स्वयं की रक्षा और अपने भोजन की व्यवस्था कर सके जो कि मानव की सर्वोपरि आवश्यकताएं हैं। समाज मनुष्य के प्राणिशास्त्रीय व सामाजिक विकास का आधार है। समाज में रहकर ही व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं रक्षा होती है। एकमात्र भौतिक आवश्यकता ही मानव की आवश्यकता नहीं है वरन उसकी अनेक मानसिक जरूरतें भी होती हैं जिनकी पूर्ति समाज के द्वारा होती है। मनुष्य अपने मानसिक विकास के लिए समाज में ही रहना चाहता है। समाज में रहकर ही मनुष्य का उन्नयन होता है। समस्त प्राणीजगत में मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान है, विकसित होने के लिए वह समाज पर आश्रित होता है, अतः व्यक्ति की उन्नति में समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहने का आशय है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए समाज पर आश्रित है और उसके पास समाज के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक विकास समाज में ही संभव है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए समाज की आवश्यकता है उसी प्रकार समाज की भी कल्पना बिना मनुष्य के नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज मनुष्य के सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों में से किसी एक के अनुपस्थित होने पर दोनों का ही निर्माण संभव नहीं है। व्यक्ति जहां अपने अस्तित्व के लिए समाज पर आश्रित है वहीं उसने अपनी वृद्धि और संगठन से समाज को निर्मित किया है। व्यक्तियों की समाज पर निर्भरता ही महत्वपूर्ण नहीं है, समाज भी व्यक्तियों पर निर्भर होता है क्योंकि यदि व्यक्ति ही न हो तो समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं हो सकता। अतः समाज के सामाजिक संरक्षण का आधार व्यक्ति है। जहां एक ओर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर है वहीं दूसरी ओर समाज का अस्तित्व भी व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। अतः मनुष्य और समाज दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित और आश्रित है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. मैकाइवर नेसमाज के कितने तत्व बताये हैं?

.....

.....

10. व्यक्ति का अस्तित्व किसके बिना नहीं होता है?

.....

.....

15.12 महिला सशक्तिकरण का अर्थ एवं आवश्यकता

महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया से है जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके एवं समाज के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास में योगदान दे सकें साथ ही अपनी क्षमताओं एवं सामर्थ्य के अनुरूप निर्णय लेते हुये अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

संयुक्त राष्ट्र **महिला शाखा** द्वारा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पाँच क्षमताओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

1. स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता और उसके लिए पर्याप्त संसाधनों की पहचान की क्षमता।
2. लोकतांत्रिक माध्यमों से दूसरों के विचारों को बदलने की क्षमता।
3. परिवर्तन एवं विकास में भागीदारी की क्षमता।
4. सामूहिक निर्णय लेने में महिलाओं की क्षमता और
5. उक्त दिशा में न केवल सकारात्मक सोच होना बल्कि पर्याप्त कौशल भी आवश्यक होना।

संयुक्त राष्ट्र ने महिला सशक्तिकरण को मुख्य रूप से पांच कारणों के लिए आवश्यक बताया है

1. महिलाओं में आत्म मूल्यांकन की भावना विकसित करना।

2. महिलाओं को उनके अधिकार और उन्हें प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करना।

3. समान अवसर एवं समान संसाधन प्राप्त करने हेतु महिलाओं का अधिकार।

4. घर के बाहर और अंदर अपने स्वयं के जीवन को नियमित करने और नियंत्रित करने का अधिकार।

5. सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने हेतु महिलाओं की क्षमता को बढ़ाना।

अतः सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण से आशय है महिला को अपनी स्वयं की जिंदगी के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना व महिलाओं में ऐसी क्षमताएं विकसित करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान बना सकें।

15.13 महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। शिक्षा द्वारा ही सार्वभौमिक विकास संभव है। समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा न केवल महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास करती है बल्कि उनको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ भी बनाती है। अतः कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक महिला शिक्षित नहीं होती। शिक्षा महिलाओं का बहु आयामी विकास कर महिला सशक्तिकरण में निम्न भूमिका निभाती है–

1. **नेतृत्व क्षमता का विकास करना**

   शिक्षा महिलाओं को सही और गलत में अंतर स्पष्ट कर नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। शिक्षित महिला अशिक्षित महिलाओं की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी होती हैं एवं शिक्षा द्वारा ही वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन पाती हैं एवं उचित नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं जो एक सशक्त महिला का गुण होता है।

2. **कौशल विकास में सहायक**

   शिक्षा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास कर उनके कौशलों को निखारती है। शिक्षा के द्वारा महिलाओं में मनन, चिंतन, समस्या समाधान, उचित वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा महिलाएं अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में उचित प्रकार से तालमेल बनाकर उत्कृष्टता को प्राप्त करती हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा कौशलों का विकास किया जाता है। अतः शिक्षा महिलाओं में कौशलों का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भरत एवं सशक्त बनाती है।

3. **आर्थिक सशक्तिकरण**

   महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा द्वारा महिलाएं अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त कर कौशलों में निखार लाती हैं। शिक्षित महिलाओं को अशिक्षित महिलाओं की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं जिससे वह न केवल

जीविकोपार्जन कर सकती है बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बनती है तथा समाज के आर्थिक विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं। शिक्षा महिलाओं को उनके सामाजिक, कैरियर, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में और अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और कौशल का विकास कर उच्च स्तरीय क्षमता का विकास करती है।

4. सामाजिक विकास में सहायक

समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा न केवल महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास करती है बल्कि उनका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सुधार भी करती है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षा महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वह न केवल स्वयं शिक्षित होती है बल्कि पूरे परिवार को शिक्षित करती है। शिक्षा महिलाओं की योग्यता, क्षमताओं और कौशलों में पूर्णता लाती है जिससे वह उच्च पदों पर व्यवसाय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाती हैं। शिक्षा द्वारा आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होती है। जिससे महिलाएं सामाजिक गतिविधियों एवं राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिभाग करती हैं और सामाजिक विकास में बढ़चढ़ कर सहयोग प्रदान करती हैं।

5. अभिभावकीय भूमिका निर्वहन में सहायक

शिक्षित माता–पिता अपने बच्चों की उचित प्रकार से देखभाल कर सकते हैं परिवार की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। परिवार के मूल्यों को बच्चों में उचित प्रकार से धारित करा सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि अपने परिवार के वातावरण को भी सकारात्मक रखती है। जिससे वह अच्छी माता की भूमिका निभा पाती है और यह सब शिक्षा द्वारा संभव होता है।

6. अनुसंधान और विकास में सहायक

महिलाएं लगभग देश की आधी आबादी हैं। महिलाओं की उन्नति किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कौशलों का विकास कर सकते हैं। अनुसंधान किसी भी देश की प्रगति का द्योतक होता है जिस देश में जितने अधिक अनुसंधान के विकल्प होते हैं उसके प्रगतिशील होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है और यह शिक्षा द्वारा ही संभव है। अनुसंधान के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अनूठी मिसाल पेश की है।

7. राजनीतिक क्षेत्र में सहायक

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत आवश्यक होती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा महिला मूल्य और सिद्धांतों तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों को उचित रूप में समझती है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है महिला अपने अधिकारों का प्रयोग कर राजनीतिक प्रक्रिया में सरकार के समक्ष

अपनी भूमिका निभाती है राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर एक सेविका एवं शासन के भूमिका को चित्रकार की तरह निभाती है इस प्रकार शिक्षित महिला देश के राजनीतिक क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं

8. व्यावसायिक क्षेत्र में सहायक

शिक्षा महिलाओं में कौशलों का विकास करती है। एक शिक्षित महिला अशिक्षित महिला की तुलना में रोजगार के क्षेत्र में अपना अधिक योगदान दे पाती है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं में उचित प्रकार से वित्तीय प्रबंधन, समस्याओं का समाधान, निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं। अतः शिक्षा महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के द्वारा कौशलों का विकास होता है जिसके माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा वह नए व्यवसाय या अन्य किसी न किसी आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता कर पाती हैं जिससे वह आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध हो पाती हैं।

15.14 महिला सशक्तीकरण में समाज की भूमिका

समाज के निर्माण में महिला एवं पुरूष दोनों की समान रूप से भूमिका होती है। समाज का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब महिला व पुरुष दोनों का समान रूप से विकास हो। दोनों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हों। सृष्टि निर्माता होने के कारण महिलाएं समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी समाज की स्थिति का अवलोकन करना हो तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके साथ ही समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में सहयोग दे सके एवं अपनी क्षमता व सामर्थ्य के अनुसार निर्णय लेते हुये समाज के विकास में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित कर सके। महिला सशक्तिकरण मे समाज महत्ती भूमिका निभाता है। नारी का मानव सृष्टि के निर्माण सहित समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। नारी और पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, अनेक परिवारों से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। यदि हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम नारी को ही दिया जाता है। परंतु नारी की स्थिति सभी समाजों में एक समान नहीं रही। जिस तरह परिवार में नारी व पुरुषों के कार्य व स्थान भिन्न–भिन्न होते हैं, उसी तरह समाज में भी नारी के कार्य व स्थान में भिन्नता पाई जाती है। किसी समाज में नारियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता है तो किसी समाज में उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं। जहाँ तक भारतीय समाज की बात है तो भारतीय समाज में नारियों की स्थिति समय के साथ उतार–चढ़ावों से परिपूर्ण रही है। सभी युगों में नारी की स्थिति एक जैसी नहीं रही जैसे ही समाज का रूप बदला वैसे ही नारियों की स्थिति में भी परिवर्तन आता गया। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में नारियों को उच्च स्थान

प्राप्त था; उन्हें सुख, वैभव, शांति, शक्ति व ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। कहीं नारी की पूजा रणचंडी दुर्गा के रूप में की जाती थी तो कहीं मां सरस्वती के रूप में। परंतु धीरे–धीरे नारियों के स्थान में परिवर्तन होता गया। पुरुषों ने नारियों को दुर्बल समझकर उनके अधिकार व कार्य सीमा पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, इसके परिणाम स्वरुप एक ऐसा समय आया जब नारियों की सीमा घर की चार दिवारी तक सीमित होकर रह गई। परिवार में कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में नारियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ।महिला सशक्तीकरण में समाज की निम्नलिखित भूमिका है–

1. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज में रहकर ही मनुष्य का सामाजिक विकास संभव होता है। समाज में रहकर ही मनुष्य पारस्परिक अंतःक्रिया करता है, जिससे उसमें सामाजिक चेतना व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महिलाओं का सामाजिक विकास नितांत आवश्यक है। समाज में रहकर ही महिला सामाजिक विकास करके सशक्त हो सकती है।

2. समाज में रहकर मनुष्य परंपराओं, मान्यताओं, आकांक्षाओं, मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति को सीखता है व उसका अनुपालन करता है। जिससे व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति उसके मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों और जीवन शैली को सीखता है और उसे अपने व्यक्तित्व में लाता है। अतः महिलाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु समाज की नितांत आवश्यकता है।

3. समाज में रहकर ही व्यक्ति अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, जिससे संस्कृति जीवित रहती है। अतः महिलाओं के सांस्कृतिक विकास हेतु समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4. मनुष्य के जीवन में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज का निर्माण किया है। अतः समाज में रहकर ही स्वयं का विकास किया जा सकता है। समाज के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और चरित्र का निर्माण भी होता है। अतः महिलाओं के चारित्रिक विकास हेतु समाज की महत्ती आवश्यकता है।

5. समाज सामाजिक संबंधों का ताना–बाना है, जहां मनुष्य अपने सुख–दुःख एक दूसरे के साथ साझा करता है। समाज में रहकर ही वह अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करता है। अतः महिलाओं के सांस्कृतिक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

6. समाज में रहकर ही एक साथ मिलकर कार्य करने से सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। व्यक्ति स्वयं के अलावा अन्य व्यक्तियों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को सामने रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को सीखता है। अतः महिलाओं में उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने हेतु समाज की महत्ती आवश्यकता है।

7. समाज मनुष्य के लिए उचित–अनुचित की सीमा का निर्धारण करता है एवं उसके सदस्यों को उस सीमा का ज्ञान एवं अनुपालन कराता है। व्यक्ति के अनुचित कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य समाज में रहकर ही समाज के स्वीकृत अंगों को सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। अतः महिलाओं के व्यक्तित्व निर्माण हेतु समाज अत्यंत आवश्यक है।

8. समाज में रहकर ही मनुष्य सांस्कृतिक मूल्यों को और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को करना सीखता है। अतः महिलाओं में मूल्य के निर्माण हेतु समाज की आवश्यकता है।

9. समाज मानव विकास हेतु कार्य करता है। समाज में व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य समाज का कार्यात्मक सदस्य बनता है।

10. सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना व उसे बनाए रखना समाज का प्रमुख उद्देश्य है। समाज का सदस्य होने के कारण मनुष्य को उसके कानूनों को मानना तथा नियमों का पालन करना होता है। जिससे मनुष्य के व्यवहार और अंतःक्रिया नियंत्रित रहती हैं। जिससे समाज के सभी सदस्यों को बुनियादी अधिकार, अवसर व संसाधन प्राप्त होते हैं। अतः महिलाओं के अधिकार एवं समानता हेतु समाज की अत्यंत आवश्यकता है।

11. समाज का एक महत्वपूर्ण कार्य अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये सदस्यों की भलाई, समृद्धि, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है एवं समाज के सदस्यों के मध्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिनसे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास संभव हो सके। अतः महिलाओं के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास हेतु समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

12. समाज अपने सदस्यों को आंतरिक व बाहरी खतरों से सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करता है। वह कानून, अधिकार व कर्तव्यों की व्यवस्था स्थापित करता है जिससे स्थिर व न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है।

13. समाज उत्पादक गतिविधियों और संसाधनों के उचित वितरण के माध्यम से आर्थिक प्रगति के अवसर प्रदान करता है। अतः समाज में रहकर ही महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी एवं सशक्त बनाया जा सकता है।

14. महिलाओं का सशक्तिकरण मुख्य रूप से उनकी आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति से परिलक्षित होता है। समाज महिला सशक्तिकरण हेतु ऐसा सामाजिक व राजनीतिक वातावरण निर्मित करता है जिससे महिलाएं उत्पीड़न, शोषण, उपेक्षा एवं भेदभाव रहित जीवन यापन कर सके।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

11. संयुक्त राष्ट्र ने महिला सशक्तिकरण को.....कारणों सें आवश्यक बताया है?

12. महिला सशक्तिकरण का सबसे अनिवार्य तत्व.....है?

13. व्याक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया ..... पर्यप्त चलती है।

15.15 सारांश

शिक्षा एवं समाज मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह न केवल व्यक्ति के संदर्भ में उपयोगी हैं बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति और विकास में भी सहायक हैं। शिक्षा जहाँ सामाजिक चेतना को जागृत करती है वहीं समाज सामाजिक धरोहर की रक्षा करता है, उसे आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है और उसका विकास करता है। शिक्षा और सामाज के द्वारा ही व्यक्तित्व का सामाजिक विकास संभव होता है। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह समाज और संपूर्ण विश्व के प्रति स्वस्थय दृष्टिकोण को अपना सके और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। शिक्षा के द्वारा न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है बल्कि उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास भी होता है। शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए पंडित नेहरू ने कहा है शिक्षा संतुलित मानव का विकास करती है। शिक्षा की प्रक्रिया समाज में रहकर ही संभव है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर महिलाएं शिक्षित ही नहीं होंगी तो वह न तो स्वयं अपना विकास कर पाएंगी और न ही वह समाज के निर्माण में उचित प्रकार से अपना सहयोग दे सकेंगी। इसीलिये महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और महिला साक्षरता दर को अधिक से अधिक बढ़ाएं जाने की आवश्यकता है। क्योंकि कहा जाता है कि एक शिक्षित महिला स्वयं शिक्षित नहीं होती बल्कि संपूर्ण परिवार को शिक्षित कर समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करती है। किसी भी देश के सभ्य समाज की स्थिति का अवलोकन उसे समाज की स्त्रियों की दशा को देखकर ज्ञात किया जा सकता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। किंतु समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन प्रतिदिन गिरावट आई है। भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्था में महिलाएं आजीवन पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों व महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिए जाने के बावजूद इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि विकास एवं सामाजिक स्तर कीदृष्टि से महिलाएं पुरुषों से अभी काफी पीछे हैं। महिलाएं न सिर्फ परिवार की आधारशिला हैं बल्कि सामाजिक विकास की कुंजी भी हैं, इसीलिए महिलाओं को सशक्त व जागरूक

बनाकर ही देश व समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। समाज का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब महिला एवं पुरुष दोनों का समान विकास हो तथा दोनों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हों। इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के संगठित प्रयास हों। वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकार और उनके विकास के लिए बनाई गई शासकीय और गैर–शासकीय योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। अतः महिलाओं को सशक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

15.16 अभ्यास के प्रश्न

1. शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषाएं बताइए।
2. शिक्षा का सम्प्रत्यय स्पष्ट करते हुए शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
3. समाज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए समाज की विशेषताएं बताइए।
4. समाज के तत्वों का वर्णन करते हुये समाज की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।
5. शिक्षा का अर्थ बताते हुए महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

15.17 चर्चा के बिन्दु

1. महिला शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए।
2. महिला सशक्तीकरणअर्थ एवं महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
3. समाज के आवश्यक तत्वों एवं महिला सशक्तीकरण में समाज की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

15.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. जीवन पर्यन्त।
2. डेनियल वेबस्टर।
3. कर्म।
4. अरस्तू।
5. व्यक्तियों के समूह।
6. साथ रहना।
7. मैकाईवर एवं पेज।
8. संघर्ष।
9. सात।
10. समाज
11. संयुक्त राष्ट्र

12. शिक्षा।

15.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. भारतीय समाज, एन0सी0ई0आर0टी0।
2. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, एन0सी0ई0आर0टी0।
3. जी0एल0 शर्मा, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
4. डॉ0 धरम वीर महाजन, समाजशास्त्र, विवेक पब्लिकेशन, दिल्ली।
5. योगेंद्र शर्मा, महिला सशक्तिकरण, लोक भारती पब्लिकेशन।

NOTE

NOTE